राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 08] पन्द्रहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का इक्यावनवां दिवस [संख्या: 17

मंगलवार,

14 मार्च 2023

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। रामनारायण मीना।

पीपल्दा में डूब क्षेत्र के किसानों को मुआवजा

356. **श्री रामनारायण मीना** (पीपल्दा): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विगत तीन वर्षों में अतिवृष्टि के कारण विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में सूकरनी, काली सिंध, पार्वती व चम्बल नदियों में उफान तथा जल भराव के कारण विभिन्न गांवों के निवासियों को नुकसान उठाना पड़ा है? यदि हां, तो डूब क्षेत्र के निवासियों को कितना मुआवजा दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार ने उक्त विधान सभा क्षेत्र में जल पलायन से ग्रसित आबादी को सुरक्षित (अधिक ऊंचाई वाले) स्थानों पर बसाने की क्या कार्य योजना तैयार की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या अतिवृष्टि व बाढ़ से ग्रसित ग्रामवासियों को अन्यत्र बसाने हेतु भूमि चिह्नित की जा चुकी है? यदि हां, तो किस-किस गांव की कहां-कहां किस-किस खसरा नम्बर की? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री (श्री गोविंद राम): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में डूब क्षेत्र में आने वाले प्रभावितों को गत तीन वर्षों में 33.48 करोड़ रुपये की सहायता राशि का भुगतान किया गया है।

(2) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में जल प्लावन से ग्रसित आबादी को सुरक्षित (अधिक ऊंचाई वाले) स्थानों पर बसाने के लिए संबंधित उपखण्ड

(आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री)

अधिकारी/तहसीलदार, संबंधित सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी एवं अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन विभाग, नवनेरा परियोजना के अधिकारियों से संयुक्त सर्वे करवाया जाकर डूब क्षेत्र में आने वाली आबादी को सुरक्षित स्थानों पर बसाने के लिए भूमि आबंटन के प्रस्ताव राजस्व/उपनिवेशन विभाग के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

(3) जी हां। अतिवृष्टि/बाढ़ से ग्रसित ग्रामवासियों को अन्यत्र बसाने के लिए भूमि चिह्नित की जाकर भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत आबादी के लिए आरक्षित की जाकर भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 102 के अन्तर्गत संबंधित ग्राम पंचायत को आबंटन किये जाने के प्रस्ताव राजस्व/उपनिवेशन विभाग के स्तर पर प्रक्रियाधीन है, जिनका ग्रामवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं, क्या यह सही है कि जो सूची आपने प्रभावित गांवों की दी है, 19 गांव गिरधरपुरा, घटौत, शहीदबागली, कीरपुरा, मदनपुरा, मैं नामजद कर रहा हूं, निमौला, मियाना, झाडौल, इटावा, गुढला, रघुनाथपुरा, बेदपुर, शाहपुर, संग्रामपुरा, यह 15 गांव तो पीपल्दा के हैं। मोरपा, नीमली, पीपल्दा, लाखसनीजा, मदालिया, इन गांवों का सूची में नाम भी नहीं है, जबकि मैंने 17.08.2021 को, उसके बाद कितने ही पत्र लिखे, जिला प्रशासन से भी मिला, नम्बर वन।

दूसरा, तीन साल पहले से बाढ़ आई है, एक भी व्यक्ति को पट्टा नहीं दिया गया है, आप मौक़े पर जाकर देख लीजिए। वह सारे के सारे डाउनट्रोडन पीपुल्स हैं। आप प्रक्रिया में कब तक उलझोगे, 6 महीने बाद तो चुनाव है। 10 दिन में, 15 दिन में, 2 महीने में सबको पट्टा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? नम्बर तीन, जो राशि बची हुई है..

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, पांच तक क्वेश्चन हो जाएंगे। माननीय मंत्री जी।

श्री गोविंद राम (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने चिंता जाहिर की है कि कुछ गांव वंचित रह गये हैं। मैंने यह सारी चीजें रेवेन्यू विभाग से ली हैं। मैं पुन: रेवेन्यू मंत्री जी को यह जानकारी दूंगा कि यह गांव कैसे वंचित रह गये। जहां तक यह बात कर रहे हैं

(श्री गोविंद राम)

पट्टे की, यह राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवा दिये गये हैं। एक से तीन महीने के अन्दर-अन्दर इनको पट्टे दे दिये जाएंगे।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष जी, राज्य सरकार की तरफ से बोल रहे हैं। राज्य सरकार दूसरी चीज नहीं। 17.08.2022 को पंचायत समिति तक में भी प्रस्ताव हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, पेपर्स में आया वह तो मैं अर्ज नहीं करूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिए। आप सीनियर आदमी हैं।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): 16.11.2022 को आपने बजट आबंटन नहीं होने की बात कही है। मैंने 13.01.2021 को पत्र लिखा। यह कौन प्रशासनिक अधिकारी है, जिसने त्रुटियां की हैं? उनके खिलाफ कब तक, क्या कार्यवाही कर ली जाएगी? सबका एक-एक पाई का मुआवजा कैसे दिया जाएगा?

श्री गोविंद राम (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2021 में डूब क्षेत्र में आने वाले प्रभावितों को 15.59 करोड़ रुपये, 2022 में 17.89 करोड़ रुपये, कुल 33.48 करोड़ रुपये की सहायता राशि का भुगतान कर दिया गया है। 2021 में 822 आवेदन तथा 2022 में 368 आवेदन पत्र, यानी 1190 प्रकरण प्रभावितों द्वारा शून्य बेलेन्स खाता, आईएफएससी कोड गलत होने, बैंक खाता संख्या गलत होने व जन आधार में त्रुटि होने के कारण भुगतान नहीं हो पाया है। मैंने कल ही कलेक्टर से बात की है कि वह जल्दी इस पर कार्यवाही करे, क्योंकि कलेक्टर ने बहुत रुचि ली है। माननीय सदस्य ने जब प्रश्न उठाया है, 33.48 करोड़ रुपये मिले हैं तथा शेष 1190 बच गए हैं, उसके लिए भी कलेक्टर पूरी मेहनत करके, क्योंकि किसान बहुत गरीब है, उनको बुला-बुलाकर, त्रुटि निकालकर इनको भी जल्द भुगतान किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। अनिता भदेल।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज, हो गया।

चश्मा-ए-नूर (अजमेर) को पर्यटन स्थल में विकसित करने की योजना

357. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती अनिता भदेल)

क्या यह सही है कि अजमेर स्थित चश्मा-ए-नूर (हैप्पी वेली) संरक्षित स्मारक को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने हेतु वर्ष 2017 में पचास लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी? यदि हां, तो उक्त राशि को अब तक व्यय नहीं किये जाने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

पर्यटन मंत्री (श्री विश्वेन्द्र सिंह): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने बहुत अच्छा सवाल उठाया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, प्रश्न अच्छा-बुरा नहीं, आप उत्तर दें।

पर्यटन मंत्री (श्री विश्वेन्द्र सिंह): चश्मा-ए-नूर (हैप्पी वेली) संरक्षित स्मारक को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किये जाने हेतु वर्ष 2017 में 50 लाख रुपये का प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया था।

उक्त स्मारक वन क्षेत्र में स्थित है तथा वन विभाग के स्तर से उक्त विकास कार्यों हेतु अनापत्ति नहीं दी गई। तदुपरान्त दिनांक 23 फरवरी, 2018 को उक्त कार्य हेतु जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम अनुमोदन उपरान्त निरस्त कर दी गयी है, अत: राशि व्यय नहीं की जा सकी।

क्योंकि प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, लिखा हुआ है वही, प्लीज।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगी कि यह संरक्षित स्मारक किस काल खण्ड में बना था, क्या उस काल खण्ड में वन विभाग था क्या?

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा मुगलकालीन अवशेष हैं इसमें। मुगल काल में तो वन विभाग था नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मुगलकालीन?

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): जी?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, क्यों मंत्री जी को डायवर्ट कर रहे हो आप?

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): इनकी तो आदत पड़ी हुई है, लेकिन मैं डायवर्ट नहीं होऊंगा। अध्यक्ष महोदय, वन विभाग को हम इसके लिए दोबारा पत्र लिख रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा इसमें कुछ न कुछ समाधान निकालेंगे।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना ही निवेदन है कि प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट है और मुगलकालीन बना हुआ है। राशि बार-बार स्वीकृत होने के बाद, बार-बार निरस्त हो जाती है, यह राशि दूसरी बार निरस्त हुई है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस मोन्यूमेंट को, पर्टिकुलर इस क्षेत्र को वन विभाग से बाहर निकालने के लिए राज्य सरकार...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, यह रेलेवेंट नहीं। अगला प्रश्न। मंत्री जी वन से कहां निकालेंगे? नरेन्द्र नागर। माननीय सदस्य। प्लीज, इन्होंने कह दिया, कार्यवाही करें। आप बैठें प्लीज।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: पर्यटन से क्या मतलब है वन विभाग का? आप बैठें। माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा, आप सीनियर लीडर हैं। आप बैठें।

अगला प्रश्न। श्री नरेन्द्र नागर।

बकानी (खानपुर) में उप खण्ड कार्यालय की स्थापना

358. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र खानपुर की बकानी में उपखण्ड कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री रामलाल जाट): माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र खानपुर के बकानी में उपखण्ड कार्यालय खोलने संबंधी कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, मेरी विधान सभा खानपुर (बकानी) में तहसील है, उसके पड़ोस में ही असनावर तहसील में उपखण्ड कार्यालय संचालित है, उसकी दूरी उपखण्ड से 20 किलोमीटर है। मंत्री महोदय, मैं उपखण्ड खोलने की मांग कर रहा हूं, उसकी दूरी उपखण्ड कार्यालय से 50 किलोमीटर है, 29 पटवार..

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विचाराधीन ही नहीं है तो फिर क्या?

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्या सरकार ऐसा प्रस्ताव मंगवाने का

(श्री नरेन्द्र नागर)

विचार रखती है? वहां की मूलभूत आवश्यकता को देखते हुए क्या सरकार भविष्य में ऐसा कोई विचार रखती है, ताकि उपखण्ड कार्यालय खोला जा सके?

श्री अध्यक्ष: विचाराधीन नहीं है।

अगला प्रश्न। श्री अभिनेश महर्षि।

रतनगढ़ में पौधारोपण

359. श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में विगत चार वर्षों में कुल कितने पेड़-पौधे कहां-कहां लगाये गये? उक्त पेड़-पौधों में से कितने पौधे जीवित हैं एवं कितने नष्ट हो चुके हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) विगत चार वर्षों में पौधारोपण किन-किन एजेंसियों द्वारा किया गया एवं उक्त एजेंसियों को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त पौधारोपण निविदा की शर्तों के अनुसार ही किया गया है? यदि नहीं, तो क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

वन मंत्री (श्री हेमाराम चौधरी): (1) विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में विगत 4 वर्षों में लगाये गये कुल पेड़-पौधे, जीवित व नष्ट हो चुके पौधों का स्थलवार एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ट-अ के अनुसार है।

(2) विगत चार वर्षों में पौधारोपण कार्य से संबंधित एजेंसियों के नाम एवं उनको भुगतान की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-ब के अनुसार है।

(3) जी हां। इन कार्यों के लिए कांटेदार तार तथा एंगल आयरन का नियमानुसार निविदा की शर्तों को ध्यान में रखकर निविदा के जरिये ही क्रय किया गया है तथा अन्य गतिविधियां यथा अग्रिम मृदा कार्य, पौधारोपण, निराई गुडाई, चौकीदार आदि विभागीय दिशानिर्देशों के अनुसार वन सुरक्षा एवं प्रबन्धन समिति के द्वारा कराये गये हैं। इस प्रकार सभी कार्य नियमानुसार ही कराये गये हैं। उक्त कार्य के अन्तर्गत किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): सर, यह मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, पढ़ा हुआ माना गया। प्रश्न पूछ लें।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि परिशिष्ट-अ में दिए गए उत्तर के सन्दर्भ में आपने जो पेड़-पौधों की गणना करवाई है, इसका आधार अर्थात् कैसे करवाई है, कौन-कौन से पेड़-पौधे लगाए गए और इनकी कीमत तय करने का मापदण्ड क्या है? परिशिष्ट-ब में विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में कुल कितनी एजेंसी हैं, इनको कार्य देने का आधार क्या होता है, पूरा काम इन तीन एजेंसियों को ही क्यों दिया गया? वन सुरक्षा समिति में कौन-कौन लोग हैं, कितने आफिसर्स हैं और कितने जन प्रतिनिधि हैं?

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एजेंसी के द्वारा काम इसमें करवाया गया, पौधे लगवाये गये, इसके मापदंड के तीन तरीके हैं, उन तरीकों से अभी तक मूल्यांकन नहीं करवाया गया है। वहां का सर्वेयर है, उसने यह रिपोर्ट दी है कि इतने पौधे लगाये गये, उसमें से इतने पौधे जीवित हैं।

जहां तक खर्च का सवाल है, काम कराने का सवाल है तो उसमें वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समिति, आलसर बनी हुई है। दूसरी वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समिति, सेहला और तीसरी वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समिति, परसनेऊ, यह तीन समितियां बनी हुई हैं और इनके द्वारा काम करवाया जाता है। इनको भुगतान की गयी राशि वह आपके परिशिष्ट-ब में दी गयी है और परिशिष्ट-अ में आपके पौधों का विवरण दिया गया है, तो इस प्रकार दिया हुआ है।

जहां तक काम करवाने का सवाल है, यह गवर्नमेंट आफ राजस्थान फाइनेंस, जी एंड टी डिपार्टमेंट का यह दिया है, The Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013 उसके तहत यह, procurement of works or services by Forest Department from Village Forest Societies तो गांव की जो सोसाइटी बनायी हुई है, उसके द्वारा की जाती है और upto the respective BSR rates, उससे ज्यादा नहीं। बी.एस.आर. रेट से उनसे काम करवाया जाता है। जहां तक आप कह रहे हो कि खरीदा गया है, वह यह निविदा द्वारा क्रय की गयी सामग्री की आप बात कर रहे हैं, तो विवरण तो बहुत लम्बा है। कुल 56 फर्म हैं।

श्री अध्यक्ष: यह पूछा ही नहीं उन्होंने, आप बैठो आराम से। अगला प्रश्न।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय मंत्री महोदय, 12 कम्पनी हैं।

(श्री अभिनेश महर्षि)

आपने उत्तर में यह बताया है कि तीन ही हैं जबकि मुझे जो उत्तर दिया है उसमें 12 हैं, नम्बर एक बात।

नम्बर दो बात, कौन-कौन से पेड़-पौधे लगाये गये? क्योंकि पेड़-पौधे वहां पर, जमीनी हकीकत यह है कि वहां पर हैं ही नहीं, मंत्री महोदय, मुझे यह दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है।

तीसरा, वन सुरक्षा समिति में कौन-कौन लोग हैं? कितने आफिशियल्स हैं और कितने जन-प्रतिनिधि हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह इसके साथ प्रश्न थोड़े ही है? वह ही पूछते आप। माननीय मंत्रीजी।

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): मैंने यह कहा कि यह निविदा के द्वारा कुल 45, 56, 56 फर्म हैं, उनके द्वारा यह क्रय किया गया है। जैसे बालाजी कंस्ट्रक्शन कम्पनी, चूरू, इसके द्वारा 2 लाख 11 हजार 237 रुपये की आयरन एंगल खरीदी गयी है, इस तरह से अगर सबका विवरण दूंगा तो बहुत लम्बा है। यह क्रय की गयी है और उसके अलावा जो दूसरा काम है, वह करवाया गया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, आप तो यह बता दो कि पेड़ हैं या नहीं हैं, इनका मेन प्रश्न सीधा बस यह है।

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): पेड़ हैं। अगर आप यह कहते हो कि वहां पर पेड़ नहीं हैं तो आप मुझे लिखकर दे देना, मैं जांच करवा लूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपकी जांच करवाने के लिए हां कह रहे हैं, आप यह भी नहीं चाहते हो? यदि आपके वहां पर पेड़ नहीं हैं तो मंत्रीजी जांच करवा रहे हैं, फिर भी आप नहीं सुनना चाहते हो? प्लीज, आप बैठें। माननीय मंत्रीजी।

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): यदि आप चाहते हो कि इसकी जांच हो तो जांच करवा देंगे अगर रिपोर्ट दी है तो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मंत्रीजी खड़े हैं। प्लीज, आप बैठें। मंत्रीजी खड़े हैं। आप खड़े हो रहे हैं, क्या मंत्रीजी को सुनना नहीं चाहते?

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): मैं यह कह रहा हूं कि इसकी दोबारा से जांच करवा लेंगे। यहां से कमेटी बनवाकर जांच करवा लेंगे कि जो रिपोर्ट

(श्री हेमाराम चौधरी)

दी गयी है क्या वास्तव में उतने पौधे वहां पर जीवित हैं या नहीं हैं, या लगाये भी गये हैं या नहीं लगाये गये हैं?

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, कमेटी में जन-प्रतिनिधि को भी शामिल रखें।

श्री अध्यक्ष: आप प्लीज, बैठें। आपने कमेटी का मान लिया, जांच करवा देंगे फिर भी आप अब क्या बात कर रहे हैं?

प्रश्न संख्या 360

अगला प्रश्न। श्री विट्ठल शंकर अवस्थी।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री अमित चाचाण।

विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा

361. श्री अमित चाचाण (नोहर) (डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) के स्थान पर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के कितने विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा संचालित है? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों में कौन-कौनसे विषयों का अध्यापन कराया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पूर्व में व्यावसायिक शिक्षा में आशुलिपि एवं शीघ्रलिपि तथा टंकण विषय का अध्ययन कराया जाता था, जिसे बंद कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार व्यावसायिक शिक्षा तथा सीनियर सैकण्डरी विद्यालयों में उक्त को प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: शिक्षा मंत्रीजी।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): राजकुमारजी की जगह आप पूछ रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: हां।

शिक्षा मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) प्रदेश में कुल 1924 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा संचालित है। जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(शिक्षा मंत्री)

(2) उक्त विद्यालयों में अध्यापन कराये जाने वाले व्यावसायिक विषयों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। सत्र 2014-15 से केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत संचालित व्यावसायिक शिक्षा योजना में आशुलिपि/शीघ्रलिपि तथा टंकण विषय प्रारम्भ ही नहीं किया गया।

व्यावसायिक विषयों व उनके पाठ्यक्रम का निर्धारण व निर्माण भारत सरकार द्वारा नामित संवैधानिक इकाई पं. सुन्दरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल द्वारा किया जाता है। वर्तमान में हिन्दी एवं अंग्रेजी शीघ्रलिपि तथा कम्प्यूटर टंकण विषय संस्था की बेवसाइट पर उपलब्ध विषयों की सूची में नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री राजेन्द्र राठौड़।

ई-पंजीयन सॉफ्टवेयर में तकनीकी कमियां

362. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) (श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना) के स्थान पर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विभाग में वर्ष 2020 से माह दिसम्बर, 2022 तक विभिन्न पंजीयन कार्यालयों में अंकेक्षण के दौरान राजस्व वंचना के संबंध में ई-पंजीयन सॉफ्टवेयर में तकनीकी खामियों को चिह्नित किया गया है? यदि हां, तो उक्त में व्याप्त तकनीकी कमियों के लिए कौन जिम्मेदार है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जी हां। महालेखाकार (लेखा परीक्षा) जांच दल, जयपुर द्वारा वर्ष 2020 से माह दिसम्बर, 2022 के दौरान विभिन्न उप पंजीयक कार्यालयों में राजस्व अपवंचना के मामले चिह्नित किये गये, जिनका विवरण परिशिष्ट-अ व ब पर संलग्न है, परन्तु यह राजस्व वंचना रजिस्ट्रेशन कराने वाले व्यक्ति द्वारा कूटरचित ई-ग्रास चालान प्रस्तुत करने एवं संबंधित रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार द्वारा उसकी समुचित जांच नहीं करने के कारण हुई है सॉफ्टवेयर में तकनीकी खामी के कारण नहीं हुई है।

सॉफ्टवेयर में तकनीकी खामी के लिए विभाग के किसी कार्मिक का दोष नहीं है अपितु कूटरचित ई-ग्रास चालान की समुचित जांच नहीं करने के

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

कारण हुई राजस्व वंचना के संबंध में अधिकारियों/कार्मिकों को चिह्नित करने की कार्यवाही की जा रही है। शीघ्र ही दोषी कार्मियों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि यह एजी. का ड्राफ्ट पैरा बना और ए.जी. के ड्राफ्ट पैरा में आपने परिशिष्ट-अ में यह कहा कि 103 प्रकरण हैं, 1 करोड़ 45 लाख रुपये वापस जमा हुए हैं, जिन्होंने कूटरचित ई-ग्रास चालान से पैसा कम जमा करवाया और दूसरे में आपने वसूली की प्रक्रिया की, उसमें 75 लाख 16 हजार 768 रुपये की परिशिष्ट-ब में बतायी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप खुद ही यह कह रहे हैं कि इसके अन्दर रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार द्वारा समुचित जांच नहीं की। जब समुचित जांच नहीं करने की बात ये स्वीकार कर रहे हैं और इतनी बड़ी राशि वापस जमा हो रही है, इतनी बड़ी राशि वसूलने की प्रक्रियाधीन है तो आप इनके विरुद्ध कार्यवाही कब तक करेंगे? अब तक आपने कार्यवाही क्यों नहीं की? नम्बर एक।

आपके सामने यह जो ड्राफ्ट पैरा ए.जी. का आया, यह ड्राफ्ट पैरा कब आया और विभाग ने इस पर अब तक क्या कार्यवाही की?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो कुछ भी राजस्व अपवंचना, रजिस्ट्रेशन करवाने वाले व्यक्ति के द्वारा कूटरचित दस्तावेज पेश करने के कारण हुई है। ईग्रास का जो चालान पेश किया जाता है, मिसाल के तौर पर कोई भी प्रोपर्टी के दाम मान लीजिए पांच लाख रुपये हैं, अब उस पर टैक्स बनता है पच्चीस हजार रुपये। उसने क्या किया कि चौबीस हजार रुपये तो किसी ओर मामले में जमा करवा रखे थे, उसकी रसीद थी उसके पास, उसके कागजात थे और एक हजार रुपया और जमा करवा दिया। दोनों को जोड़कर उसने वहां पर पेश कर दिया ई-ग्रास में, यह सारी कमियां उसकी वजह से हुई हैं। यह सॉफ्टवेयर में खामी की वजह से नहीं हुई, सॉफ्टवेयर में कोई खामी नहीं है।

अब सवाल यह आता है कि जिन रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार के द्वारा इनकी समुचित जांच नहीं की, उनको चिह्नित किया जाता रहा है और

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

चिह्नित करके उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। अब वह कार्यवाही सारी की सारी प्रोसेस में है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल मेरा इतना-सा है कि आपको यह मालूम है कि ए.जी. पैरा बहुत लिमिटेड बनते हैं और सैम्पलिंग पैरा करते हैं। यह 2020 का मामला है, 2022 तक इस तरह कार्यवाही होती रही और आप यह खुद कह रहे हैं कि जिनकी जिम्मेदारी थी ई-ग्रास चालान की जांच करने की, उन्होंने यह जांच नहीं की और पैसा भी आपने वहां एक करोड़ से ज्यादा वसूल कर लिया और अभी वसूलने की प्रक्रिया भी जारी है। जब आपको मालूम है कि पैसा वसूल किया और प्रक्रिया भी जारी है तो फिर इसमें आपके सामने यह 224 मामले हैं और इसके अन्दर 18 पंजीयक और उप पंजीयक हैं, तो आप इनको बचाना क्यों चाहते हो?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ए.जी. का जो पैरा है वह 2022 में अक्टूबर से लेकर दिसम्बर तक प्राप्त हुआ है। अभी तो कुल मिलाकर यह तीन ही महीने हुए हैं। तीन ही महीने हुए हैं जांच चालू है, प्रक्रिया चालू है। ए.जी. का पैरा हमें अक्टूबर, 2022 में मिला है। आप दो साल, तीन साल की बात मत करो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप अपना उत्तर पढ़ लें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय मंत्रीजी, इनका कन्सर्न यही है कि सुपरविजन नेग्लिजेंसी तो है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हैं?

श्री अध्यक्ष: तो सुपरविजन नेग्लिजेंसी में कब कार्यवाही होगी, उसका समय बता दें, बात खतम हो जायेगी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं बता रहा हूं। चिह्नित करके कार्यवाही की जा रही है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, समय बता दें। कुछ समय सीमा है?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): समय भी, साहब, अर्लिएस्ट जितना हो सकेगा, उतना करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री कैलाशचन्द्र मीणा।

मजदूर संगठनों द्वारा मजदूर डायरी के शुल्क की अवैध वसूली

363. श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए कई संगठन कार्य कर रहे हैं? यदि हां, तो ऐसे कितने पंजीकृत संगठन हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विभागीय कर्मचारियों की मिलीभगत से मजदूर संगठनों द्वारा मजदूरों से डायरियों के पैसे वसूले जा रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त संगठनों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा मजदूरों के हितों के लिए बनाई जा रही डायरी का कितना शुल्क निर्धारित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, श्रम (श्री सुखराम विश्नोई): (1) प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए कार्य करने वाले पंजीकृत संगठनों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) मजदूर संगठन द्वारा भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल में पंजीयन कराने अथवा डायरियां बनवाने में की जा रही अनियमित वसूली की कोई शिकायत मण्डल को प्राप्त नहीं हुई है। उक्त के संबंध में पुख्ता शिकायत प्राप्त होने पर दोषी विभागीय कर्मचारी अथवा संगठन के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(3) मण्डल में पंजीयन हेतु पंजीयन शुल्क एवं अंशदान राशि जमा कराने का प्रावधान है। पंजीयन शुल्क रुपये 25/- प्रति श्रमिक है एवं अंशदान राशि रुपये 1/- प्रति माह की दर से पांच वर्ष की एकमुश्त राशि रुपये 60/- ली जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले नये मजदूरों के साथ दुर्घटना होने पर विशेष मुआवजा बीमा या अन्य योजना लागू करना चाहती है या नहीं?

दूसरा प्रश्न मेरा यह है, क्या यह सही है कि समस्त विभागों में ठेके या एजेंसी के माध्यम से काम करने वाले श्रमिकों का भुगतान विभाग से...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप दूसरा प्रश्न पूछ रहे हो। प्रश्न जो है उसी का सप्लीमेंट्री पूछो।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): यही है, साहब।

श्री अध्यक्ष: जो प्रश्न पूछा है, उसका सप्लीमेंट्री पूछो।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): सरकार ठेका प्रथा को समाप्त करके अपने पास रखना चाहती है या नहीं चाहती है?

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): सवाल ठेका प्रथा के बारे में नहीं है। प्रश्न श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन का है।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): अध्यक्ष महोदय, श्रमिक अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। एजेंसी को जो ठेका दिया जाता है, वह राशि लेने के बाद उसमें से आधी राशि श्रमिकों को भुगतान करते हैं और आधी राशि अपने पास रख लेते हैं। श्रमिकों को कुछ भी नहीं मिलता है।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। शिकायत होगी तो जांच करवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, उनका प्रश्न सीधा है। असंगठित मजदूर जो है, वह सबसे वलनरेबल सेक्शन का आदमी है। सबसे कम-पढ़ा लिखा आदमी है। उसको अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है। यह जो संगठन है, जो रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, क्या आप, विभाग उनकी मानिटरिंग करके उसमें इम्प्रूव करने का काम करेंगे?

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): टोटल संगठन करीब 550 ट्रेड यूनियन हैं। बाकायदा ट्रेड यूनियन एक्ट बना हुआ है, वह भारत सरकार का बना हुआ है। वह 126 का एक्ट है। शिकायत प्राप्त होने पर ही जांच कर सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन हेतु गलत तथ्य पेश किये गये हों, तो उसमें निरस्त करने का पावर है। बाकी सीधे हस्तक्षेप का पावर नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री जगसी राम।

रेवदर के महाविद्यालयों में रिक्त पद

364. श्री जगसी राम (रेवदर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रेवदर के राजकीय महाविद्यालयों में स्वीकृत शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पद लम्बे समय से रिक्त हैं? यदि हां, तो कब से? महाविद्यालयों के संकायवार विद्यार्थियों की

(श्री जगसी राम)

संख्या व स्वीकृत शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक पदों का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के सुचारु अध्ययन-अध्यापन हेतु उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक?

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (श्री राजेन्द्र सिंह यादव): (1) विधान सभा क्षेत्र रेवदर के राजकीय महाविदयालय, रेवदर एवं आबूरोड में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक वर्ग के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-1 व 2 पर तथा महाविदयालयों के फैकल्टीवार विद्यार्थियों की संख्या का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त महाविद्यालयों में रिक्त पदों को नियमानुसार चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर यथासमय भरा जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री जगसी राम (रेवदर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि राजकीय महाविद्यालय, रेवदर में स्वीकृत पद 20 हैं और 20 में से 15 खाली हैं, राजकीय महाविद्यालय, आबूरोड में 35 हैं और 35 में से 20 खाली हैं। इन पदों को कब तक भर दिया जायेगा? यह बतायें।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): रेवदर में शैक्षणिक के 17 स्वीकृत पद हैं, जिसमें से 5 पर कार्यरत हैं और 12 विद्या सम्बल के तहत आलरेडी लगे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, आपने खुद ने जबाव में दिया है कि कुल योग 20 है स्वीकृत पदों का, उसमें से 15 खाली हैं। आप बोल रहे हो 17, इसको चैक कर लें। जो जवाब दिया है उसमें है।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): टोटल 17 लगे हुए हैं और 3 इसमें हैं, सर।

श्री अध्यक्ष: यह आप ही का एनेक्सचर है। इसमें लिख रखा है कि रेवदर में स्वीकृत 20 पद हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): नहीं, एनेक्सचर के बाद की स्थिति है।

श्री अध्यक्ष: 20 स्वीकृत पद हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): जी।

श्री अध्यक्ष: आप कह रहे हो 17 हैं, इसलिए करेक्ट किया है। उत्तर दूसरा है तो आप लेकर आ जाना।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): नहीं, नहीं, सर। टोटल 17 लगे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: इसमें 5 लिख रखा है।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): 5 हैं लेकिन बाकी विद्या सम्बल से लगे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, आपका मतलब यह है कि परमानेंट फैकल्टी 5 हैं और बाकी विद्या सम्बल के हैं। इस तरह से डिस्क्रिमिनेट करो न आप।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): स्थगित कर दो।

श्री अध्यक्ष: स्थगित क्यों करो। बात को समझो आप। वह तो आपको सही जवाब दे रहे हैं कि 5 पदों पर तो स्थायी हैं, परमानेंट टीचर लगे हुए हैं और बाकी के विद्या सम्बल में लगे हुए हैं इसलिए उन्होंने परमानेंट की संख्या 5 बतायी है। सही उत्तर देने के लिए बताया उन्होंने। एडिशनल व्यवस्था और कर रखी है।

श्री जगसी राम (रेवदर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं...

श्री अध्यक्ष: मैं आपका प्रश्न पूछ लेता हूं, माननीय सदस्य। मैं आपकी मदद कर देता हूं। बैठो आप। माननीय मंत्रीजी, हायर एजुकेशन में यदि इतने पद खाली रहेंगे तो क्वालिटी आफ एजुकेशन के सम्बन्ध में हम क्या करेंगे?

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सर, अभी 1952 पदों के लिए आरपीएससी को भेज दिया है। इसके साथ-साथ सभी जगह विद्या सम्बल में लगाने के लिए सभी प्रधानाचार्यों को कह दिया है कि जब तक हमें नहीं मिलते हैं आरपीएससी से, तब तक विद्या सम्बल से सब जगह छूट दे रखी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जगसी रामजी, आप बोलें।

श्री जगसी राम (रेवदर): अध्यक्ष महोदय, रेवदर और आबूरोड राजकीय

(श्री जगसी राम)

महाविद्यालयों में दोनों प्राचार्यों के पद 2017 से रिक्त हैं। एक 2017 से है और एक 2018 से है। उनको कब तक आप भर देंगे? चार-चार साल से प्राचार्य नहीं है। आबूरोड ट्राइबल क्षेत्र है। आबूरोड के महाविद्यालय में छात्रों की संख्या 976 है और रेवदर में 836 है, उनमें प्राचार्य ही नहीं हैं। दूसरे भी बहुत सारे पद खाली हैं, तो वहां की व्यवस्था कैसे संभाली जायेगी? मंत्री महोदय, आप बतायें।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): प्राचार्य के लिए हम लोग जल्दी ही कर रहे हैं। जैसे-जैसे सीनियर्स आयेंगे, आगे लगा दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, मैंने इसको देखा है। 2018 से पद खाली पड़े हुए हैं। विभाग कम से कम हर कालेज में परमानेंट प्रिंसिपल की व्यवस्था सबसे पहले करे जिससे एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था ठीक हो। प्राथमिकता निर्धारित करें। उन कालेजों में प्रिंसिपल ही नहीं हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन ठीक ढंग से नहीं चलेगा। प्राथमिकता के आधार पर सभी महाविद्यालयों में कम से कम स्थायी फैकल्टी है, उनको देकर काम चलाऊ व्यवस्था करनी हो, प्रिंसिपल की व्यवस्था सबसे पहले करें। (व्यवधान)

माननीय सदस्य, मैं आपकी मदद कर रहा हूं। जब आप मंत्री बनो, तब आप मदद कर देना।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): यथाशीघ्र ही प्राचार्यों की एक्सरसाइज पूरी करके लगा देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री जोगेश्वर गर्ग।

(स्थगित प्रश्न)

(दिनांक 03 मार्च, 2023)

जालौर के बेरोजगारों को भत्ता

277. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत तीन वर्षों में उक्त घोषणा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र जालौर के जिन बेरोजगारों को भत्ता दिया गया, उनका वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता (श्री अशोक): (1) जी हां। वर्तमान सरकार द्वारा जन घोषणा बिन्दु संख्या 10.1 के द्वारा 3500 रुपये तक बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की घोषणा की थी, जिसकी अनुपालना में दिनांक 01.02.2019 से सम्पूर्ण राज्य में मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना प्रारम्भ की गई। जिसके तहत स्नातक योग्यताधारी पुरूष आशार्थियों को 3000 रुपये तथा महिला, विशेष योग्यजन व ट्रांसजेण्डर आशार्थियों को 3500 रुपये प्रतिमाह भत्ता राशि वितरित की गई है। बजट घोषणा 2021-22 के बिन्दु संख्या 56 में उक्त योजना को बेहतर बनाते हुए एम्पलायएबल बनाने की दृष्टि से पात्र बेरोजगार युवाओं को तीन माह का प्रशिक्षण दिलवाकर विभिन्न विभागों में 4 घंटे प्रतिदिन इंटर्नशिप करवाये जाने एवं देय बेरोजगारी भत्ते को एक हजार रुपये बढ़ाये जाने की घोषणा की गई, जिसके अनुसार वर्तमान में भत्ता दिया जा रहा है।

(2) विभाग द्वारा विधान सभावार सूचना का संधारण नहीं किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुरूप मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजनान्तर्गत जनवरी 2020 से दिसम्बर 2022 तक जालौर तहसील के कुल 790 पात्र आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया गया। वर्षवार विवरण निम्नानुसार है-

क्षेत्र	2020	2021	2022	योग
जालौर	422	275	93	790

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाह रहा हूं कि आपके अधिकारी यदि विधान सभावार नहीं निकाल सकते तो एक तहसील का क्यों दिया? पूरे जिले का आंकड़ा जारी करते।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, उन्होंने जो सूचना दी है, उसको कोट नहीं करते हैं।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): दूसरा, मेरा प्रश्न यह है कि कुल पंजीकरण कितना था जिसके बदले में 422 और 275 उनको दिया गया? तीसरा प्रश्न मेरा यह है कि यह संख्या लगातार घट रही है, 2020 में 422 थे, 2021 में 275 थे, 2022 में 93 ही रह गये, इसका क्या कारण है? लगातार संख्या क्यों घट रही है? सरकार बेरोजगारों को देना नहीं चाह रही है या क्या कारण है?

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, लगातार घटने का कारण यह नहीं है कि सरकार देना नहीं चाहती।

(श्री अशोक)

ज्यादातर जिन्होंने एप्लाई किया और वह पात्रता रखते थे, उनको मिल गया। साढ़े चार लाख ऐसे आशार्थी हैं पूरे राजस्थान में, जिनको दो साल का भत्ता देकर उनको स्टाप कर दिया गया। आज की तारीख में 37 हजार के आस-पास ही केवल पेंडिंग हैं, जिनको कि देना बाकी है और बाकी प्रक्रिया में हैं। या तो उनके आवेदनों की जांच हो रही है या फिर अपूर्ण होने के कारण वापस दे दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री छगनसिंह।

चवरछा (आहोर) में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की कार्ययोजना

365. श्री छगनसिंह (आहोर): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र आहोर में आहोर के लिए आई.टी.आई. केन्द्र खोलने की बजट में घोषणा की गई है? यदि हां, तो कब?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त केन्द्र के लिए बजट आबंटित किया गया है? यदि हां, तो कितना किया गया है?

(3) सरकार द्वारा उक्त के लिए चवरछा हरजी रोड पर जमीन आबंटन के लिए क्या प्रयास किये गये?

राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता (श्री अशोक): (1) जी हां। आहोर विधान सभा क्षेत्र में आहोर के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2018-19 के बिन्दु संख्या 117 के द्वारा घोषित 08 राजकीय आई.टी.आई. की घोषणा की गई थी, उसमें राजकीय आई.टी.आई. आहोर सम्मिलित है। (परिशिष्ट-01)

(2) जी हां। प्रशासनिक विभाग के पत्रांक प 7(1)श्रनि/2018 पार्ट जयपुर दिनांक 9-6-2022 द्वारा राजकीय आई.टी.आई. आहोर के भवन निर्माण का कार्य निर्माण एजेंसी RSRDC से करवाये जाने हेतु राशि रु. 1045.50 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृती जारी की गई। (परिशिष्ट-02)

(3) आई.टी.आई. आहोर हेतु जिला कलेक्टर जालौर के आदेश क्रमांक 4902 दिनांक 17-10-2019 द्वारा भाद्राजून तहसील आहोर के खसरा नम्बर 3203/592 रकबा 8000 वर्ग मीटर (0.80 हैक्टेयर) किस्म बंजर भूमि राजस्थान भू-राजस्व नियम, 1963 के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, आहोर हेतु आबंटित की जा चुकी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री छगनसिंह (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आहोर विधान सभा क्षेत्र में आई.टी.आई. केन्द्र के लिए जो जमीन आबंटित की थी, वह मीणा समाज के मंदिर की विवादित है। क्या यह विवादित जमीन है? अगर विवादित है तो क्या इसे निरस्त करके नई जमीन आबंटित करने का विचार रखते हैं? यदि हां, तो कब?

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। पूर्व में 8 हजार वर्ग मीटर आबंटित हुई थी। इसके अंदर एक रास्ता है, जो धार्मिक स्थल को जाता है और उसका कब्जा छुड़ाया जाना संभव नहीं है। विभाग ने जिला कलेक्टर जालौर को लिख दिया है कि इसको निरस्त करके नई जमीन आबंटित कर दी जाये। जिला कलेक्टर ने मुझे आज सुबह बताया कि सात दिन के अंदर-अंदर नई जमीन आबंटन की प्रक्रिया पूरी हो जायेगी। मुझे लगता है सात नहीं, आप तो 15 दिन मानकर चलो।

श्री छगनसिंह (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, नई जमीन आबंटित करके जिसका टेंडर हुआ है, वह काम कब तक शुरू हो जायेगा?

श्री अध्यक्ष: पहले 15 दिन में जमीन तो अलाट होने दो।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि जब 2018 में इसको अलाट किया गया, तब न तो कोई वित्तीय प्रावधान किया गया, न कोई जमीन का आबंटन किया गया। सीधे ही रूडसिको को एजेंसी तय कर दिया गया, लेकिन हमारी सरकार ने वित्तीय प्रावधान भी किया है, एजेंसी भी RSRDC को तय कर दिया है। जैसे ही यह जमीन आबंटित होती है, तुरंत प्रभाव से इसके टेंडर लगाकर डेढ़-दो महीने में आपके यहां कार्य शुरू हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री राजेन्द्र राठौड़।

(स्थगित प्रश्न)

(दिनांक 03 मार्च, 2023)

जोधपुर में फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना

278. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2021 में जोधपुर में फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो किस मद में

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कितना बजटीय प्रावधान किया गया व माह दिसम्बर, 2022 तक कितनी राशि व्यय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त यूनिवर्सिटी में सत्र 2021-22 से अध्यापन कार्य भी प्रारम्भ किया गया है? यदि हां, तो किस-किस संकाय में कितने कोर्स प्रारम्भ किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): (1) जी हां। वर्ष 2021 में जोधपुर में फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की थी।

मद अनुसार बजटीय प्रावधान निम्न प्रकार है:-

क्रम सं.	**बजट मद**	**प्रावधान (राशि लाखों में)**
1.	5475-00-800(19)[01]17	4,000
2.	5475-00-789(06)[01]17	4,000
3.	5475-00-796(06)[01]17	4,000
	कुल राशि (लाख में)	**12,000**

माह दिसम्बर, 2022 तक व्यय राशि निम्न प्रकार है:-

क्रम सं.	**बजट मद**	**प्रावधान (राशि लाखों में)**
1.	5475-00-800(19)[01]17	386.17
2.	5475-00-789(06)[01]17	28.32
3.	5475-00-796(06)[01]17	3,000.25
	कुल राशि (लाख में)	**3,414.74**

(2) फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी में सत्र 2021-22 से अध्यापन कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, क्या यह सही है कि 24 फरवरी, 2021 को प्रस्तुत बजट के अंदर 400 करोड़ की लागत से यह फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी की घोषणा हुई जिसका शिलान्यास भी आपने दिसम्बर, 2022 में कर दिया? क्या यह भी सही है कि इस यूनिवर्सिटी का एक्ट आज तक विधान सभा ने पारित नहीं किया? क्या विधान सभा के बिना पारण किये हुए आप UGC और AICT के मापदण्ड के अनुसार जो भवन का निर्माण करा रहे हो, वह उचित है?

नंबर दो, आपने खण्ड दो में इसमें व्यय की राशि बतायी है 400 करोड़

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

का प्रावधान और आपने खण्ड एक के अनुसार 34 करोड़ 14 लाख रुपये व्यय किये हैं इन दो वर्षों में, तो क्या आगामी 10 वर्षों में मुख्य मंत्रीजी के निर्वाचन क्षेत्र में यह फिनटेक यूनिवर्सिटी बनकर अध्यापन की ओर बढ़ जायेगी?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, दिसम्बर, 2022 तक 34 करोड़ 14 लाख 74 हजार रुपये खर्च किये गये। इसमें कोई अध्यापन का कार्य नहीं हुआ। डिजिफेस्ट 13.11.2022 को इसका शिलान्यास जब हुआ, उस समय नेशनल इंस्टीट्यूट फोर स्मार्ट गवर्नेंस के द्वारा 6-6 दिन के दो कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के चालू किये गये थे। बाकी यूनिवर्सिटी का बिल अभी बनेगा और यह राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान IIT की तर्ज पर बनेगा। इसका बिल इसी सत्र में आने की संभावना है और उसके बाद विधिवत रूप से कोर्स वगैरह शुरू किये जायेंगे।

जहां तक बजट का सवाल है, पहले दिसम्बर, 2022 तक 120 करोड़ रुपये का बजट रखा गया था, उसको बढ़ाकर 139 करोड़ रुपये रिवाइज एस्टीमेट में 2022-23 में इसका बजट रखा गया है और आगे जैसे-जैसे वित्तीय आवश्यकता होगी, उसके अनुसार बजट प्रोवाइड करवाया जायेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं। आप अध्यक्ष भी हो और एक सीनियर प्रोफेसर भी हो। क्या आज तक राजस्थान के अंदर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी आयी है कि जिसका एक्ट पास नहीं हो और यूनिवर्सिटी की घोषणा भी हो जाये और यूनिवर्सिटी का शिलान्यास भी हो जाये और उसके लिए दो साल गुजर भी जायें और एक्ट अब तक पास नहीं हो?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आज जमाना बदल गया है। आई.टी. का जमाना आ गया है, वर्चुअल इंटरेक्शन होता है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी बन सकती है, UGC और यह सब गाइड लाइन पुरानी है। नई सरकार कर रही है, उसको एप्रिशियेट करें।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री बाबूलाल नागर।

दूदू में स्वतंत्र कृषि उपज मण्डी की स्थापना

366. श्री बाबूलाल नागर (दूदू): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री बाबूलाल नागर)

(1) क्या बजट 2021-22 के बिन्दु संख्या 80 में कृषि उपज मण्डी यार्ड दूदू को स्वतंत्र मण्डी बनाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो प्रगति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त कृषि उपज मण्डी यार्ड के कार्यक्षेत्र में वर्तमान में कौन-कौन से राजस्व गांव सम्मिलित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र दूदू की उक्त मण्डी में फागी तहसील के समस्त 85 राजस्व गांवों को भी सम्मिलित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, कृषि विपणन (श्री मुरारी लाल): (1) जी हां। बजट घोषणा 2021-22 की बिन्दु संख्या-80 द्वारा कृषि उपज मण्डी यार्ड दूदू को स्वतंत्र मण्डी बनाये जाने की घोषणा के क्रम में राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 की धारा-3 के अन्तर्गत दिनांक 07.07.2022 को अधिसूचना जारी की जा चुकी है। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 की धारा-3 के अन्तर्गत दिनांक 07.07.2022 को जारी अधिसूचना अनुसार नवीन घोषित कृषि उपज मण्डी समिति दूदू के मण्डी क्षेत्र में पंचायत समिति दूदू की 19 ग्राम पंचायतें क्रमशः उरसेवा, गहलोता, गागरडू, गैजी, दूदू, दांतरी, धांधोली, नानण, पड़ासोली, बिगालोव, ममाणा, मरवा, जडावता, रहलाना, साखून, साली, सिरोहीकलां, सुनाडियां, हरसोली; पंचायत समिति मौजमाबाद की 21 ग्राम पंचायतें क्रमशः अखैपुरा, उगरियावास, खुडियाला, गंगातीकलां, गाडोता, गिदानी, गुढ़ाबेरसल, झरना, झाग, धमाणा, बिचून, बिहारीपुरा, बोराज, महला, मांगलवाडा, मोखमपुरा, मौजमाबाद, रसीली, सावरदा, सांवली, सेवा एवं पंचायत समिति सांभरलेक की 21 ग्राम पंचायतें क्रमशः सिनोदिया, मुण्डवाडा, काजीपुरा, खण्डेल, जयसिंहपुरा, त्योद, तेजाका बास, नौरंगपुरा, आकोदा, काचरोदा, कोरसीना, चैनपुरा, नरायना, बरडोटी, रोजडी, शार्दुलपुरा, सुरसिंहपुरा, हबसपुरा, हिरनौदा, श्रीरामपुरा, खैडीराम को अधिसूचित किया गया है।

(3) विधान सभा क्षेत्र दूदू के अन्तर्गत कृषि उपज मण्डी समिति चाकसू के क्षेत्र में स्थित फागी तहसील की 20 ग्राम पंचायतों में आने वाले समस्त 85 राजस्व गांवों को नवीन घोषित कृषि उपज मण्डी समिति दूदू के

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

मण्डी क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के प्रस्ताव राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 की धारा-4 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी किये जाने की कार्यवाही हेतु परीक्षणाधीन है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से मैं जानना चाहूंगा कि नवीन मंडी दूदू घोषित किये जाने की धारा 4 की अंतिम अधिसूचना कब तक जारी कर दी जायेगी? नंबर दो, मंडी समिति के प्रथम बोर्ड की नियुक्ति कर मंडी समिति का गठन कब तक कर दिया जायेगा?

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): माननीय अध्यक्ष महोदय, धारा 3 की कार्यवाही पूरी कर ली गयी है, धारा 4 की कार्यवाही माह अप्रैल तक हम पूरी कर देंगे और इसके बाद में हम मंडी का गठन डेढ़ माह के अंदर कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री कालूराम।

डग में किसानों को फसल खराबे का मुआवजा

367. श्री कालूराम (डग): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र डग में विगत तीन वर्षों में किस-किस वर्ष में फसल का खराबा हुआ तथा किस-किस तहसील में किसानों को कितनी-कितनी मुआवजा राशि दी गई? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 2022-23 में अतिवृष्टि के कारण किसानों की खरीफ की फसल नष्ट हो गई थी, जिसका मुआवजा अब तक भी किसानों के खातों में जमा नहीं किया गया है? यदि हां, तो उक्त के क्या कारण रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि अतिवृष्टि के कारण ग्रामीण क्षेत्र में कई मकान गिर गये व बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में कई व्यक्तियों के मकान व सामान का नुकसान हुआ है? यदि हां, तो सरकार द्वारा कितने व्यक्तियों को कितनी-कितनी राशि का मुआवजा दिया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री (श्री गोविंद राम): (1) विधान सभा क्षेत्र डग में वर्ष 2020 से 2022 तक गिरदावरी रिपोर्ट (7-डी) में प्राप्त सूचना

(आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री)

के अनुसार प्राकृतिक आपदाओंa से फसलों में हुए खराबे से कुल 1,77,222 काश्तकार प्रभावित हुए, जिनमें से 2020 एवं 2021 में प्रभावित 93,281 पात्र काश्तकारों को राशि 64.88 करोड़ रुपये SDRF नोर्म्स के अनुसार कृषि आदान-अनुदान का भुगतान किया गया है। तहसीलवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र डग में खरीफ फसल 2079 (वर्ष 2022) में बाढ़ से कुल 83941 काश्तकार प्रभावित हुए हैं, जिसमें से कुल 28,911 व्यक्तियों का डाटा DMIS पोर्टल पर अपलोड किया गया है।

SDRF नोर्म्स के अनुसार बीमा क्लेम की राशि को समायोजित कर शेष राशि का ही भुगतान किया जाना है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमित कृषकों को भुगतान किये गये क्लेम राशि की सूची बीमा कम्पनियों से यथाशीघ्र प्राप्त कर SDRF नोर्म्स के अनुसार प्रभावित पात्र किसानों को कृषि आदान-अनुदान वितरण की कार्रवाई कर दी जावेगी।

(3) विधान सभा क्षेत्र डग में वर्ष 2022-23 में बाढ़ के कारण मकान क्षतिग्रस्त होने पर कुल 24 व्यक्तियों को SDRF नोर्म्स अनुसार राशि 1,68,700/- रुपये का भुगतान कर दिया गया है। संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछें।

श्री कालूराम (डग): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, आपने नंबर एक पर उत्तर दिया है कि 1,77,222 किसानों में से 93,281 को मुआवजा मिला, बाकी को कब तक मुआवजा मिल जायेगा? नंबर दो, आपने प्रभावित किसान बताये हैं 83,941 इनमें से 28,911 व्यक्तियों का डाटा अपलोड कर दिया है। आपने एक और सबसे बड़ी बात बतायी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमित कृषकों को किये गये क्लेम राशि की सूची विभाग कम्पनियों से यथाशीघ्र प्राप्त करके SDRF के नोर्म्स के अनुसार दिया जायेगा। क्या मुआवजे का पैसा बीमा क्लेम से काटकर आप दोगे? यह पहली बार हो रहा है, क्योंकि मुआवजा हमेशा अलग मिलता है और बीमा क्लेम अलग मिलता है। क्या आप बीमा क्लेम इसमें से काटकर दोगे, यह स्पष्ट करें आप।

श्री गोविंद राम (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जो राज्य आपदा मोचन कोष, एसडीआरएफ नोर्म्स 10 अक्टूबर, 2022 को जो परिपत्र केन्द्र सरकार ने जारी किया, उसमें मद संख्या 5 (1) (ख) और 5 (2) के तहत इनपुट सब्सिडी के लिए सहायता को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पीएमएफबीवाई के तहत प्राप्त बीमा दावे की सीमा तक तत्काल आपदा के लिए समायोजित किया जायेगा।

यह हकीकत है कि जो फसल बीमा योजना है, वह पहले उन कंपनियों से पूरी रिपोर्ट लेते हैं और उसमें समायोजित करके, वह काटकर के ही दिया जाता है। दूसरा, इन्होंने जो कहा 2020 में डग में 71403 काश्तकारों को 46 करोड़ की राशि दी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, यहां तक आवाज आ रही है पीछे से। हां, बोलें मंत्री जी।

श्री गोविंद राम (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): 2021 में 21878 को 18.69 करोड़ रुपये का आदान-अनुदान भुगतान किया गया। जो 28911 व्यक्तियों का डाटा पोर्टल पर अपलोड किया गया है। बाकी भी जो 83941 में से हैं, वह पोर्टल खुला है, जैसे-जैसे वह पोर्टल पर अपलोड करायेंगे, उनको भी जारी किया जायेगा। लेकिन यह हकीकत है कि एसडीआरएफ नोर्म्स के अनुसार बीमा क्लेम की राशि को समायोजित कर शेष राशि का ही भुगतान किया जाना है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमित किसानों को भुगतान किये गये क्लेम राशि की सूची बीमा कंपनियों से यथाशीघ्र प्राप्त कर एसडीआरएफ नोर्म्स के अनुसार प्रभावित पात्र किसानों को कृषि आदान-अनुदान वितरण की कार्यवाही की जायेगी।

श्री कालूराम (डग): माननीय मंत्री महोदय, यह पहली बार हो रहा है, एक और आपने अतिवृष्टि के कारण मेरी विधान सभा की 3 तहसीलों में मात्र 24 मकान गिरे हुए बताये हैं, जबकि तीनों तहसीलों में मकान गिरे हैं। 24 मकानों में मात्र 3200 रुपये देते हैं, 3200 रुपये में मकान नहीं बनता है। आप एक प्रस्ताव लेकर इसकी राशि भी बढ़ायें। तीनों तहसीलों में रिपोर्ट गलत दी है। उसकी जानकारी करके उन अधिकारियों एवं पटवारियों के खिलाफ कार्यवाही करें।

श्री गोविंद राम (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अगर पक्का मकान गिरता है तो हम 1,20,000 देते हैं लेकिन अगर मकान

(श्री गोविंद राम)

की क्षति होती है तो उसमें 2500 रुपये भी हैं और 3200 रुपये भी हैं। एक मकान को 95,000 रुपये भी दिया है।

मुझे जो प्रशासन ने रिपोर्ट दी है वह 24 मकानों की दी है। अगर माननीय सदस्य को कोई शिकायत है, इसके अलावा कोई मकान हैं तो अगर वह मुझे देंगे तो जांच करवाकर इनको राशि भी दिलायेंगे और कोई अधिकारी लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही भी करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

पर्यटन विकास कोष से स्वीकृत राशि

368. श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में पर्यटन विकास कोष हेतु वर्ष 2020-21 से 2021-23 तक कितनी धनराशि आबंटित की गई? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में 2-2 पर्यटन स्थलों के विकास के लिए बजट में घोषणा की गई थी? यदि हां, तो किन-किन पर्यटन स्थलों का चयन किया गया व उनके विकास के लिए क्या कार्य स्वीकृत किये गये एवं कितनी धनराशि स्वीकृत की गई तथा कितना परिव्यय हुआ? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

पर्यटन मंत्री (श्री विश्वेन्द्र सिंह): (1) राज्य बजट 2020-21 में पर्यटन सम्बन्धी सुविधाओं के विकास एवं उन्नयन हेतु 100 करोड़ रुपये के पर्यटन विकास कोष के गठन की घोषणा की गई। इस राशि को बढ़ाते हुए राज्य बजट 2021-22 में 500 करोड़ रुपये एवं 2022-23 के बजट में 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किये जाने की घोषणा की गई।

उपरोक्त घोषणा के क्रम में वर्ष 2021-22 में राशि रुपये 26 करोड़ एवं वर्ष 2022-23 में राशि रुपये 140 करोड़, कुल राशि रुपये 166 करोड़ की ऋण राशि राजस्थान पर्यटन विकास निगम को आबंटित की गई है।

(2) जी हां। उक्त घोषणा अन्तर्गत चयनित पर्यटन स्थलों एवं स्वीकृत विकास कार्यों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानकारी प्राप्त करना

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

चाहूंगी कि टोटल उन्होंने प्रावधान इन 3 सालों में 1600 करोड़ रुपये का दिया है, जिसके अंदर से आबंटित राशि 166 करोड़ है, माननीय मंत्री महोदय, वास्तविक व्यय इन राशियों का कितना हुआ है?

दूसरा, प्रश्न मेरा यह है कि परिशिष्ट 'ए' में राजसमन्द के लिए आपने 01 करोड़ रुपये झील के लिए दिये हैं, माननीय मंत्री महोदय, इसका जो टेंडर है वह पिछले 01 साल से ड्यू है। अभी तक वह टेंडर हुआ नहीं है। दूसरी चीज कि जो यह 01 करोड़ है, राजसमन्द झील जो कि बहुत पुरानी और बड़ी झील है, इससे पर्यटन के रूप में वहां कुछ भी मदद नहीं हो सकती। क्या आप यह मंशा रखते हैं कि इस 01 करोड़ को बढ़ाकर आप 10 करोड़ रुपये करें ताकि उस राशि का झील के एक्चुअली पर्यटन के रूप में अच्छा उपयोग हो सके।

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्या का जवाब यह देना चाहूंगा कि जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक भी किस्तों में लोन देता है, अगर 25 लाख का लोन ले रहे हैं तो इकट्ठा नहीं मिलता है। प्लिंथ लेवल तक मकान बन जाता है, उसके बाद दूसरी राशि मिलती है, फिर तीसरी मिलती है। इसी तरीके से इस कोष का आबंटन किया जा रहा है।

जहां तक आपने राजसमन्द झील के बारे में बात की है, यह 2022-23 का काम है। टेंडर तकनीकी कारणों से फेल हो गया, अब इसका दुबारा टेंडर हो रहा है। उसका एक प्रोसेस है। पहले वर्क आइडेंटिफाई होता है, फिर एजेंसी नियुक्त होती है, उसके बाद एस्टिमेट और डीपीआर बनती है। फिर ए एएण्डएफ इश्यू होता है, फिर वर्क आर्डर गिवन और उसके बाद काम शुरू होता है। अगर राशि कम पड़ रही है तो मैं जांच कराकर के राशि को बढ़वा दूंगा।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगी कि वह राशि बढ़ा रहे हैं। बस आपकी जानकारी के लिए यह बात बोलना चाहूंगी कि राजसमन्द झील में बहुत सारे अलग-अलग इश्यू हैं। जलकुंभी का भी इश्यू है। वहां के फव्वारों का इश्यू है। जब आप जांच करायें तो अधिकारियों को बोलें कि वह जन-प्रतिनिधियों को भी सूचना दें ताकि हम उनकी सही जांच में मदद कर सकें। धन्यवाद।

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): जी, बिलकुल। मैं दिखवा लूंगा। इसकी जांच करवा लूंगा।

श्री अध्यक्ष: पक्का है?

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): जी।

श्री अध्यक्ष: पक्का जांच?

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): क्या, हुकुम?

श्री अध्यक्ष: विराजें। अगला प्रश्न। श्री अमीन खां।

गडरा रोड (बाड़मेर) में उपखण्ड कार्यालय का निर्माण

369. श्री अमीन खां (शिव): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बाड़मेर में गडरा रोड को सब-डिविजन कब स्वीकृत किया गया है? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अब तक गडरा रोड में सब-डिविजन आफिस का निर्माण नहीं किया गया है? यदि हां, तो अब कब तक निर्माण करवा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि गडरा रोड सब-डिविजन कार्यालय एवं अधिकारी-कर्मचारियों के आवासों का भी अब तक निर्माण नहीं कराया गया है? यदि हां, तो सरकार उक्त का निर्माण कार्य कब तक कराने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री रामलाल जाट): (1) उप खण्ड कार्यालय गडरा रोड का सृजन राजस्व (ग्रुप-1) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.9(20)राज-1/2019 दिनांक 04.11.2019 के द्वारा किया गया। प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। उपखण्ड कार्यालय गडरा रोड का निर्माण नहीं हुआ है। उपखण्ड कार्यालय गडरा रोड के निर्माण हेतु बजट स्वीकृति के प्रस्ताव बीएफसी 2023-24 में वित्त विभाग के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये हैं।

(3) जी हां। उपखण्ड अधिकारी गडरा रोड के आवास निर्माण हेतु बजट स्वीकृति के प्रस्ताव भी बीएफसी 2023-24 में वित्त विभाग के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है तथा कर्मचारियों के आवास निर्माण से संबंधित कोई प्रस्ताव इस विभाग में विचाराधीन नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री अमीन खां (शिव): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से खण्ड-2 के उत्तर में चाहता हूं कि गडरा रोड सबडिविजन आफिस कब तक आप बना सकते हो?

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी 1.12.2022 को बीएफसी में गडरा रोड उप खण्ड कार्यालय का हमने प्रस्ताव दे दिया और अभी बजट में 125 करोड़ रुपये हमें दिये हैं। बहुत जल्दी ही हम गडरा रोड उप खण्ड कार्यालय का निर्माण शुरू करवा देंगे।

श्री अमीन खां (शिव): धन्यवाद।

प्रश्न संख्या 370

(कृपया आगे देखें।)

श्री अध्यक्ष: श्रीमती कल्पना देवी।

नगर निगम, कोटा उत्तर एवं कोटा दक्षिण में संचालित इंदिरा रसोई

371. श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नगर निगम, कोटा उत्तर एवं दक्षिण में कुल कितनी इंदिरा रसोई स्वीकृत हैं व वर्तमान में कितनी संचालित की जा रही हैं? क्या प्रत्येक इंदिरा रसोई का कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है? यदि हां, तो कितना-कितना? क्या सभी अपने-अपने लक्ष्य को पूरा कर रही हैं? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में उक्त रसोई कौन-कौन से वार्ड में कहां-कहां पर संचालित की जा रही है? क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में इंदिरा रसोई की संख्या बढाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी एवं कहां पर व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितनी इंदिरा रसोई सामुदायिक भवन में एवं कितनी किराये के भवन में संचालित हैं व उक्त का क्या किराया तय किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) नगर निगम कोटा उत्तर एवं दक्षिण सीमा क्षेत्र में 24-24 इंदिरा रसोइयां स्वीकृत हैं। नगर निगम कोटा उत्तर में वर्तमान में सभी 24 रसोइयां संचालित हैं एवं नगर निगम कोटा दक्षिण में 19 रसोइयां संचालित हैं। नगर निगम कोटा उत्तर व दक्षिण में भोजन क्षमता 400 थाली प्रतिदिन प्रति रसोई का लक्ष्य निर्धारित

(स्वायत्त शासन मंत्री)

किया गया है। किसी भी इंदिरा रसोई में आने वाला कोई भी व्यक्ति भोजन किये बिना नहीं लौट रहा है।

(2) विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में कुल 07 इंदिरा रसोइयों का संचालन किया जा रहा है। वार्ड वाइज विवरण निम्नानुसार है:-

1. वार्ड नं. 12 लोहार बस्ती।
2. वार्ड नं. 13 कन्सुआ।
3. वार्ड नं. 15 प्रेमनगर अर्फोडेबल।
4. वार्ड नं. 17 रायपुरा।
5. वार्ड नं. 18 नया नोहरा।
6. वार्ड नं. 20 सोगरियां।
7. वार्ड नं. 38 डी.सी.एम.।

इसके अतिरिक्त लाडपुरा विधान सभा क्षेत्र में नई इंदिरा रसोई संचालित करने का कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है।

(3) लाडपुरा विधान सभा क्षेत्र में 01 इंदिरा रसोई कन्सुआ के सामुदायिक भवन में संचालित है। किराये के भवन में कोई भी इंदिरा रसोई संचालित नहीं की जा रही है।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय अध्यक्षजी, मुझे खण्ड 1 में यह उत्तर दिया गया है कि नगर निगम कोटा के उत्तर एवं दक्षिण में 24-24 इंदिरा रसोई स्वीकृत हैं, जिनमें से कोटा उत्तर में 24 संचालित हैं, परंतु मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि इंदिरा रसोई खोलने के क्या कोई मापदंड निर्धारित हैं? अगर हैं तो ये 24 में से 19 दक्षिण में संचालित हो रहे हैं, 5 संचालित नहीं होने के क्या कारण हैं?

इसी से जुड़ा हुआ खण्ड 2 में कि इन 7 वार्ड में इंदिरा रसोई संचालित हैं। माननीय अध्यक्षजी, मैं आपको बताना चाहती हूं कि लाडपुरा विधान सभा क्षेत्र में 31 वार्ड आते हैं जो कि आपने सैंडविच कर दिए हैं, 15 दक्षिण में हैं और 16 उत्तर में हैं। ये जो 7 वार्ड आपने लिखे हैं ये सारे के सारे कोटा उत्तर के वार्ड हैं, कोटा दक्षिण के लाडपुरा में 1 भी वार्ड मेंशन नहीं किया गया है, जिसका मतलब है कि आप कोटा दक्षिण के लाडपुरा में कहीं भी इंदिरा रसोई संचालित नहीं कर रहे हैं। इसका क्या कारण है? जो 5 कम हो रहे हैं कोटा दक्षिण के खण्ड 1 के जवाब में, क्या ये लाडपुरा के कोटा दक्षिण

(श्रीमती कल्पना देवी)

के वार्ड में खोलेंगे? यदि हां तो कब तक और नहीं तो क्यों? फिर मैं तीसरा प्रश्न पूछती हूं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जैसा आपने पूछा कि दक्षिण में 19 रसोइयां तो चल रही हैं...

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): लाडपुरा में?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): बात सुनिए आप। लाडपुरा का कुछ क्षेत्र दक्षिण में भी आता है।

19 रसोइयां तो चल रही हैं और 24 रसोइयां स्वीकृत हैं। बाकी रही 5, इन पर कोर्ट का स्टे है। एक संस्था ने 2022 से इन पर स्टे ले लिया है, जिसका नाम था अजमेरी महिला संस्था द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन 17248/2022 दायर की गई, जिस पर रोक लगा दी गई। माननीय न्यायालय के द्वारा 01.12.2022 को स्थगन आदेश प्रदान किया गया जिसकी वजह से 5 रुकी हुई हैं। ये पांचों की पांचों लाडपुरा क्षेत्र में हैं, विधान सभा क्षेत्र तो लाडपुरा आता है लेकिन हैं ये दक्षिण में।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय अध्यक्षजी, ऐसा क्या कारण है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहती हूं कि सारे विवादित स्थान हैं, वे लाडपुरा विधान सभा क्षेत्र में ही क्यों चिह्नित किये गये हैं?

श्री अध्यक्ष: इसका जवाब मैं देता हूं। सरकार को यह मालूम है कि महाराजा और महारानी वहां पर चला सकते हैं, इसलिए सरकार ने नहीं खोली।

अगला प्रश्न।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): नहीं, नहीं। प्लीज, अध्यक्षजी। एक प्रश्न और है। इन्होंने खण्ड 3 में यह जवाब दिया है कि इंदिरा रसोई कन्सुआ में सामुदायिक भवन में संचालित है तो जो सामुदायिक भवन है वो आम जन के, आम लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया था। ठीक है, कोविड के समय वहां पर शादी-ब्याह नहीं हो रहे थे तो वहां पर इंदिरा रसोई खोल दी, पर आज की तारीख में आम जन को बहुत परेशानी आ रही है। क्या मंत्रीजी इंदिरा रसोई का स्थान बदलने की मंशा रखते हैं? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यदि संभव हुआ तो बदल देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री सतीश पूनियां।

संस्कृत महाविद्यालयों का संचालन

372. श्री सतीश पूनियां (आमेर): क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्तमान में संस्कृत शिक्षा के अधीन आचार्य एवं शास्त्री स्तर के कितने महाविद्यालय कहां-कहां संचालित हैं तथा उक्त में श्रेणीवार कितने-कितने पद स्वीकृत एवं कितने रिक्त हैं? उक्त रिक्त पदों को अब कब तक भर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त रिक्त पदों को भरने के लिए महाविद्यालय सेवा नियम बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है? यदि हां, तो भर्ती हेतु सेवा नियम कब तक प्रकाशित कर दिये जायेंगे?

(3) क्या सरकार संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु अतिरिक्त बजट का प्रावधान व नये महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस-किस श्रेणी के कहां-कहां व कब तक?

संस्कृत शिक्षा मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) प्रदेश में संस्कृत शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 14 राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय एवं 17 राजकीय शास्त्री महाविद्यालय संचालित हैं।

महाविद्यालय में श्रेणीवार स्वीकृत, रिक्त एवं कब से रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

आगामी भर्ती/पदोन्नति से रिक्त पदों को भरा जायेगा।

(2) राजस्थान संस्कृत शिक्षा (महाविद्यालय शाखा) सेवा नियम 2022 कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.1(1) डीओपी/ए-II/2022, जयपुर, दिनांक 29.09.2022 द्वारा अधिसूचना जारी कर इसे राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है।

(3) जी हां। संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रशासनिक विभाग से स्वीकृति उपरान्त वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त कर अतिरिक्त बजट का प्रावधान करवा दिया जायेगा।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बजट घोषणा 2023-24 के बिन्दु संख्या 40 के अनुसार प्रदेश में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से-

1. बूंदी, बारां, झालावाड़, करौली, भीलवाड़ा, नागौर, पाली, टोंक, सिरोही, जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, श्रीगंगानगर एवं

(संस्कृत शिक्षा मंत्री)

हनुमानगढ़ जिलों में संस्कृत महाविद्यालय शुरू किये जायेंगे। इससे समस्त जिलों में संस्कृत महाविद्यालय स्थापित हो जायेंगे।

2. साबूवाना (टिब्बी)-हनुमानगढ़ में संस्कृत महाविद्यालय एवं मारवाड़ (मूण्डवा)-नागौर में शास्त्री स्तर का राजकीय महाविद्यालय खोला जायेगा। साथ ही राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, हमीरगढ़-भीलवाड़ा को शास्त्री स्तर पर क्रमोन्नत किया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, उत्तर पढ़ा हुआ माना गया। प्रश्न पूछ लें।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि रिक्तियों के सम्बन्ध में राज्य सरकार को कब तक अभ्यर्थना सम्बन्धित भर्ती एजेंसी को भर्तियों की मंशा के साथ प्रेषित कर देंगे?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, संस्कृत शिक्षा सेवा नियम 1978 में बने थे। हमने 29.09.2022 को संस्कृत शिक्षा सेवा नियम बना दिये हैं। 20 फरवरी, 2023 को प्रशासनिक स्वीकृति हेतु 144 व्याख्याताओं के पद प्रशासनिक विभाग के पास आये हैं, वित्त विभाग से उसकी स्वीकृति लेकर जैसे ही स्वीकृति मिलेगी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति निकालने के बाद हम अभ्यर्थना भेज देंगे।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पद रिक्त हैं, इनकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था सरकार ने की है क्या?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने वैकल्पिक व्यवस्था की है। 48 विद्या सम्बल योजना में हमने व्याख्याताओं को लगा रखा है, उनको 40 हजार रुपये प्रति माह हम दे रहे हैं। जैसे-जैसे हमारे पास आगामी भर्तियों और पदोन्नति से जो पद रिक्त होंगे, उनके अनुसार रिक्त पदों को भरेंगे।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, घोषणा में और क्रियान्विति में बड़ा गैप है, तो घोषणा तो हुई है लेकिन जो नव घोषित संस्कृत महाविद्यालय अभी खोले हैं, तो आगामी शैक्षणिक सत्र से ही उसमें पर्याप्त संसाधन हों, तो इसकी पूर्ति सरकार कब तक करेगी? भवन, स्टाफ और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, सरकार कब तक इनकी पूर्ति कर पाएगी?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तो कालेज खोलने की घोषणा हुई है। हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मुख्य सचिव महोदया को और तमाम प्रशासनिक मशीनरी को यह आदेश दिए हैं कि जल्दी से जल्दी जिन-जिन नए कालेजों की स्वीकृति हुई है उनके लिए पहले भूमि अलॉट की जाए और उसके बाद उनका बजट प्रावधान करके, भवन का निर्माण कार्य भी कराया जाएगा और रिक्त पदों को जैसा मैंने आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताया कि पदोन्नति और नई भर्ती जो हम करेंगे व्याख्याताओं के 144 पद, कुल मिलाकर राजस्थान में रिक्त हैं, उनके लिए जैसे ही वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होगी हम अभ्यर्थना आरपीएससी को भेज देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री संदीप शर्मा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पढ़ा हुआ माना जाए। उत्तर दे दें।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछ लो, फिर पढ़ा हुआ माना जाएगा, पूछो तो सही। (व्यवधान) प्रश्न पूछें।

चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत सहायता राशि

373. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत सहायता राशि देने की योजना लागू की गई है? यदि हां, तो उक्त योजना कब लागू हुई व उक्त की क्या पात्रता है तथा कितनी सहायता देने का प्रावधान है एवं योजना में आवेदन की क्या प्रक्रिया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के लागू होने से लेकर अब तक कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए व कितनों को सहायता राशि प्रदान की गई तथा कितने आवेदन लंबित हैं व कितने निरस्त किये गये? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि हत्या के प्रकरणों को उक्त योजना से बाहर रखा गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरणों में मृतक के परिवारों को सहायता देने का विचार रखती है?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): (1) जी हां। योजना 1 मई, 2022 से लागू की गई है।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

पात्रताः

1. मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में बीमित परिवार के सदस्य।

2. आरजीएचएस के तहत पंजीकृत परिवार।

3. ऐसे विद्युतकर्मी एवं उनके परिवार जो कि 01 जनवरी, 2004 के पूर्व नियुक्त हों, जिन पर आरजीएचएस लागू नहीं है और न ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा के सदस्य हैं।

योजनान्तर्गत मृत्यु की स्थिति में 5 लाख रुपये, हाथ, पैर, आंख में से दो अंगों की पूर्ण स्थायी क्षति पर 3 लाख रुपये तथा एक अंग की पूर्ण स्थायी क्षति पर 1.5 लाख रुपये का भुगतान देय होगा, परन्तु योजना वर्ष में परिवार को अधिकतम 5 लाख रुपये का भुगतान ही देय होगा।

योजना में दावेदार को वेबसाइट पर स्वयं या ई-मित्र केन्द्र पर निःशुल्क आवेदन करना होगा। विस्तृत विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उपरोक्त योजना लागू होने से दिनांक 28-02-2023 तक कुल 10000 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से 5877 प्रकरण भुगतान हेतु अनुमोदित किये गये हैं शेष 4123 प्रकरणों में 250 डुप्लीकेट प्रकरण एवं 905 प्रकरण अपात्र होने के कारण निरस्त किये गये। शेष रहे 2968 प्रकरणों में 2750 प्रकरण आवेदकों के स्तर पर आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में लम्बित हैं, एवं 218 प्रकरण विभागीय कार्यवाही में प्रक्रियाधीन हैं। जिलेवार संख्या का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी हां। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत हत्या के प्रकरणों में बीमा राशि का भुगतान देय नहीं है। हत्या के प्रकरण पर सहायता देने हेतु CASE TO CASE निर्णय लिया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, उत्तर पढ़ा हुआ माना गया। प्रश्न पूछें।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्रीजी ने बताया है कि 10,000 आवेदनों में से मात्र 5,877 प्रकरणों में भुगतान हेतु अनुमोदित किये गये हैं। माननीय मंत्री महोदय, यह बताएं कि अनुमोदित प्रकरण कितने समय से लंबित पड़े हैं तथा इनमें से कितने अनुमोदित प्रकरणों का भुगतान कर दिया गया है? पहला तो यह प्रश्न है।

(श्री संदीप शर्मा)

दूसरा प्रश्न भी पूछ लेता हूं। 2,750 प्रकरण जो आपने बिन्दु संख्या 2 में बताए हैं, वो आवेदकों के स्तर पर दस्तावेजों की कमी से लंबित होना बताया गया है। बीमा कम्पनियों को किसी प्रकार से जिसमें पीड़ितों को भ्रमित कर दिया जाता है, इसमें सरकार की ओर से कोई उपाय किया जा रहा है क्या? इसकी क्या व्यवस्था की जा रही है?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जहां तक सवाल यह है कि दस्तावेजों के अभाव में जो लंबित हैं, वो दस्तावेज उनसे मांगे जा रहे हैं। दूसरा यह है कि जो बाकी बच गये वो सब प्रक्रियाधीन हैं। जो डुप्लीकेट थे, उनको खारिज किया गया है, बाकी सब प्रक्रियाधीन हैं।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): मैं एक प्रश्न और पूछना चाह रहा था।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय मंत्रीजी खड़े हैं और आप प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): देखिए, 10,000 थे, इनमें से 5,877 तो स्वीकृत हो गए, 1,155 खारिज हो गए, डुप्लीकेट होने की वजह से या जो अपात्र होने की वजह से, दस्तावेजों के अभाव में लंबित हैं वो हैं, 2,750 और 218 प्रक्रियाधीन हैं। सारा हिसाब इसमें आ चुका है।

अब सवाल यह रहता है, आपने जो पूछा, दूसरा सवाल क्या था आपका, दोबारा पूछें।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि जो अनुमोदित प्रकरण लंबित पड़े हैं, उनमें से कितने प्रकरणों का भुगतान कर दिया गया है बीमा कम्पनियों द्वारा? यह बता दें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जो लंबित पड़े हुए हैं वो लंबित ही हैं, उनमें भुगतान नहीं हुआ है। मैंने आपको संख्या बता दी है।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): जो आपने अनुमोदित कर दिए...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, सुनना ही नहीं चाहते हैं, मंत्री खड़े हैं और आप बोले जा रहे हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जो लंबित पड़े हुए हैं उनका भुगतान कैसे हो सकता है? लंबित का फैसला होगा तब जाकर भुगतान हो पाएगा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: मैं अलाउ नहीं करूंगा, मंत्री खड़े हैं और आप पूछ रहे हैं। पहले आप बैठने दें उनको।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सवाल यह है कि जितने भुगतान हो चुके, मैंने उनकी फिगर आपको बता दी है। बाकी या तो वो रिजेक्ट हुए हैं, रिजेक्शन में आ गए हैं या लंबित पड़े हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि 5,877 प्रकरण हैं जो भुगतान हेतु अनुमोदित किये गये हैं, तो क्या उनका भुगतान कर दिया गया है? उनका सबका अनुमोदन तो कर दिया लेकिन उनमें से कितनों का भुगतान हो गया है, यह बात बता दें मंत्रीजी। मंत्रीजी, उनमें से अधिकांश का भुगतान नहीं किया गया है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ये जो 5,877 स्वीकृत हुए हैं उनका लगातार भुगतान होता जा रहा है। आप बता दें मुझे कि किस-किस का भुगतान नहीं हुआ?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, उनके कहने का मतलब है कि यह प्रक्रिया कितनी लंबी चलती है, मतलब स्वीकृत होने के बाद कितने समय तक होगा?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): पेमेंट में तो टाइम लगता है, साहब, पेमेंट में टाइम लगता ही है थोड़ा-बहुत। (व्यवधान)

(समय: 12.00 बजे)

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): अध्यक्ष जी, मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इन प्रकरणों को बीमा कम्पनियां जानकर के लम्बित करती हैं। अत: सरकार द्वारा ऐसी एजेंसी लगायी जाये जो इन पर निगाह रखे और पीड़ित लोगों को न्याय मिल सके।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): इसके बाबत पीड़ित व्यक्ति बाकायदा अपील कर सकता है। दो अपीलें हैं इसमें। यदि एक में फैसला नहीं होता तो दूसरी अपील में फैसला होता है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त।

(शेष तारांकित व समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री शंकर सिंह रावत, सदस्य की ओर से ग्राम कोटड़ी, पंचायत सेन्दड़ा, तहसील रायपुर, पाली में मेहाई ग्रुप एंड एडवेंचर को भूमि आवण्टित करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम में घटिया कोयले की आपूर्ति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण में अरबन हैल्थ ट्रेनिंग सैंटर के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत राशि का उपयोग नहीं होने से आमजन को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(4) श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में बनास नदी में हो रहे बजरी के अवैध खनन एवं ओवरलोड वाहनों से हो रही दुर्घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री गोविन्द प्रसाद, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना के कस्बा अकलेरा में आपराधिक घटनाओं से बिगड़ती कानून एवं व्यवस्था के सम्बन्ध में।

(6) श्री सतीश पूनियां, सदस्य की ओर से श्रीगंगानगर सहित सिंचित क्षेत्र में नहरबन्दी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री अमृतलाल मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में धार्मिक स्थल के ऊपर से 33 केवी बिजली की लाइन हटाये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(8) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से उप तहसील रायथल को पूर्ण तहसील बनाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री धर्मेन्द्र कुमार, सदस्य की ओर से गोलूवाला रोड, पीलीबंगा तथा रावतसर शहर में बाईपास का निर्माण करवाकर आमजन को राहत प्रदान करने के सम्बन्ध में।

(10) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश के निजी विद्यालयों की स्थायी मान्यता की समस्या के सम्बन्ध में।

(11) श्री खुशवीरसिंह, सदस्य की ओर से प्रदेश में पंचायती राज चुनावों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री नारायण बेनीवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खींवसर में बन्द पड़े ट्यूबवैलों के स्थान पर नये ट्यूबवैल खुदवाये जाने के सम्बन्ध में।

(13) श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आहोर में स्थित बी.ओ.टी. रोड का पुनः निर्माण करवाकर आमजन को राहत प्रदान करने के सम्बन्ध में।

(14) श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से प्रदेश में दलितों व अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर रोक लगाने की कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।

(15) श्री बलजीत यादव, सदस्य की ओर से प्रदेश के पंचायत समिति सदस्यों, तृतीय श्रेणी शिक्षकों एवं डिस्कॉम कर्मचारियों की मांगों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कार्रवाई नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(16) श्री धर्मनारायण जोशी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मावली में डबोक चौराहे पर पानी की समुचित निकासी न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(17) श्री फूल सिंह मीणा, सदस्य की ओर से उदयपुर जिले में सीएमएचओ के पद पर सेवानिवृत्त चिकित्सक को लगाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(18) श्री जगसी राम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रेवदर की क्षतिग्रस्त सड़कों का डामरीकरण एवं पुल निर्माण के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(19) श्री समाराम गरासिया, सदस्य की ओर से भाखर क्षेत्र के बत्तीसा बांध निर्माण हेतु ठेकेदार व अधिकारियों की मिलीभगत से क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(20) श्रीमती संतोष, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में स्टाम्प विक्रय हेतु पायलट प्रोजेक्ट मोबाइल एप लागू करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(21) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी में बेमौसम वर्षा एवं ओलावृष्टि से नष्ट फसलों का किसानों को पर्याप्त मुआवजा दिलवाने के सम्बन्ध में।

(22) श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के ग्राम छापुर में विद्युत लाइन से हुई दुर्घटना में पशुधन नुकसान का मुआवजा दिलवाये जाने के सम्बन्ध में।

(23) श्री नारायण सिंह देवल, सदस्य की ओर से प्रदेश में ओलावृष्टि, तेज अन्धड़, बेमौसम बरसात से हुए फसल खराबे से किसानों को विशेष आर्थिक पैकेज के तहत मुआवजा दिलवाये जाने के सम्बन्ध में।

(24) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से अजमेर शहर में गम्भीर पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर), श्री सतीश पूनियां एवं श्री बलजीत यादव को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री जगसी राम, सदस्य की ओर से गुलाबगंज से माउंट आबू तक के सड़क मार्ग का जीर्णोद्धार करवाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री अमृतलाल मीणा, सदस्य की ओर से उदयपुर एवं डूंगरपुर जिलों में चरागाह भूमि पर बसे परिवारों की भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित करने की कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(3) श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में श्रीडूंगर रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी, सदस्य की ओर से राजकीय महाविद्‌यालय व कृषि महाविद्‌यालय, मुण्डावर का भवन निर्माण करवाने एवं व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से कोटा में बढ़ते हुए प्रदूषण की रोकथाम करने के लिए कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री पब्बाराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फलौदी के स्वास्थ्य केन्द्रों एवं चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर शीघ्र पदस्थापन किये जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री अशोक लाहोटी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में पाइप लाइन बिछाने के कार्य से क्षतिग्रस्त सड़कों का अविलम्ब पुनर्निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री गुरदीप सिंह, सदस्य की ओर से भाखड़ा उपनिवेशन क्षेत्र के काश्तकारों को आबंटित कृषि भूमि की राशि जमा कराने हेतु छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में।

(9) श्रीमती मंजु देवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जायल में सीमेंट प्लांट हेतु आबंटित भूमि पर कार्य प्रारम्भ नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री धर्मेन्द्र कुमार, सदस्य की ओर से धानका जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र जारी करने में आ रही समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में।

(11) श्री बलवीर सिंह लूथरा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर की विभिन्न ग्राम पंचायतों की चकबन्दी का कार्य करवाकर किसानों को राहत प्रदान करने के सम्बन्ध में।

(12) श्रीमती सफिया जुबेर, सदस्य की ओर से रामगढ़ (अलवर) में स्थायी ए.डी.जे. कोर्ट खोलने के सम्बन्ध में।

(13) श्री सुरेश टाक, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में

(श्री अध्यक्ष)

आवासन मण्डल की आवासीय परियोजना फेज-4 में बीसलपुर बांध से पेयजल उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

(14) श्री फूल सिंह मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र उदयपुर (ग्रामीण) में कालीवास से केली होकर बच्छार जाने वाले घाटे पर क्षतिग्रस्त सड़क को अविलम्ब ठीक करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(15) श्री अमर सिंह, सदस्य की ओर से प्रदेश में काछी, कुशवाह, शाक्य समाज के उत्थान हेतु लव-कुश बोर्ड का गठन किये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ा हुआ माना जायेगा।

(नियम 295 के तहत पढ़ी मानी गयीं विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-01 देखें)

स्थगन प्रस्ताव। श्री गोपी चन्द मीणा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

जहाजपुर में बनास नदी में अवैध बजरी खनन एवं ओवरलोड वाहनों से कारित दुर्घटनाएं

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में बनास नदी के एरिया में करीब 60 किलोमीटर पर वहां के थानाधिकारी, उप-खण्ड अधिकारी, माइनिंग विभाग की मिलीभगत से अवैध खनन किया जा रहा है, जिससे ओवरलोड वाहनों की तेज रफ्तार के कारण विगत तीन-चार महीनों के दौरान नाथूण में चार लड़कों की दर्दनाक मृत्यु हो गयी। इसी तरह बीन्दाभाटा में एक और मातोड़ा में एक मृत्यु हो गयी। झालमपुरा चौराहे पर दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी। कुराड़िया में चार व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी। नाथूण में दो लड़कों की मृत्यु हो गयी।

हाल ही में दिनांक 10.03.2023 को रावतखेड़ा में एक व्यक्ति सुबह 11:30 बजे अपनी पत्नी का अस्पताल में चैक-अप कराने के लिए ला रहा था, उसकी दर्दनाक मृत्यु हो गयी। ग्रामीणों ने, आमजन ने प्रशासन से ओवरलोड वाहनों को बन्द करने की मांग की। इस पर वहां के थानाधिकारी ने, प्रशासन ने ग्रामीणों के विरुद्ध असत्य मुकदमे दर्ज कराये। आमजन में आक्रोश है। इसी तरह वहां जहाजपुर थानाधिकारी के द्वारा हनीट्रैप के मामले दर्ज कराये गये हैं, जिससे व्यापारियों से, आमजन से करोडों रुपया पैसा वसूला जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि गरीब परिवारों के लिए, आमजन के

(श्री गोपी चन्द मीणा)

परिजनों के लिए आर्थिक सहायता, आर्थिक पैकेज दिया जाये। साथ ही, उस क्षेत्र में 50-60 आमजन की जो मृत्यु हुई, उनके परिजनों को आर्थिक सहायता और पैकेज दिया जाये। मैं श्रीमान् से कहना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों का पदस्थापन वहां हो रखा है...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जो लिखा हुआ है, उससे अलावा बोलेंगे तो मैं अलाउ नहीं करूंगा।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): ये जो प्रकरण हैं, मैं उनसे सदन को अवगत कराना चाहता हूं। जिन पर भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप लगे हुए हैं ऐसे अधिकारियों को पोस्टिंग दे रखी है। दुराचरण, चरित्रहीनता के सारे आरोप उन पर लगे हुए हैं। मैं आपको टेबल कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद, माननीय सदस्य। श्री सतीश पूनियां।

श्रीगंगानगर सहित सिंचित क्षेत्र में नहरबंदी

श्री सतीश पूनियां (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रीगंगानगर, जो अन्न का कटोरा कहा जाता है, वहां के सिंचित क्षेत्र के किसानों को इस सीजन में सबसे बड़ी पीड़ा का शिकार होना पड़ता है। लम्बी नहरबंदी के कारण किसानों को तकलीफ होती है। वहां की इन्दिरा गांधी नहर परियोजना और गंग नहर, ये दोनों ही नहरें किसानों के लिए लाइफलाइन का काम करती हैं। मेरा निवेदन है कि जो नहरबंदी 28 मार्च से शुरू होगी, लगभग 65 दिनों की होती है, उसके वैकल्पिक तौर पर सरहिन्द फीडर से किसानों को यदि पानी मिलता है तो उनकी फसलों का रक्षण किया जा सकता है।

एक मेरा निवेदन है, जो गंग नहर की बन्दी होती है, उसे 31 मार्च तक चलाया जाये। 01 अप्रैल से इस नहरबंदी को प्रारम्भ करें ताकि 31 मार्च तक किसानों को पानी मिले और जो नरमे की बिजाई का समय होता है, उस समय उन्हें लाभ मिल सके। मेरा निवेदन है कि इसमें खासतौर पर गंग नहर को 01 अप्रैल से 20 अप्रैल तक करते हैं, उसके बाद यदि मियाद नहीं बढ़ेगी तो किसानों को इसका एक अतिरिक्त रूप से फायदा होगा। खासतौर पर गेहूं और किन्नू के बागों की सिंचाई के लिए उन्हें पानी उपलब्ध हो पायेगा। पानी मार्च के आखिर तक ही उपयोगी होता है, इसलिए मुझे लगता है कि किसानों को सम्बल मिलेगा।

मैं अभी पंजाब के मुख्य मंत्री का बयान देख रहा था कि गंग नहर

(श्री सतीश पूनियां)

का 27 क्यूसेक्स पानी लेकर पंजाब के गांवों को पानी देने की सहूलियत के काम हेतु मुख्य मंत्री, पंजाब ने कहा है। मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि राजस्थान के किसानों के हिस्से के पानी पर तो कम से कम डाका न पड़े और यदि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड ने कोई फैसला किया बताया तो उसके वैकल्पिक तौर पर मुझे लगता है कि फिरोजपुर फीडर से यह पानी राजस्थान के किसानों को मिलना चाहिए तो मैं राजस्थान की सरकार से आग्रह करूंगा कि नहरबंदी की मियाद कम हो और पंजाब जो हमारे हिस्से के पानी पर डाका डालने की कोशिश कर रहा है, उस पर लगाम लगायी जाये।

श्री अध्यक्ष: श्री बलजीत यादव।

पंचायत समिति सदस्यों, तृतीय श्रेणी शिक्षकों एवं डिस्कॉम कर्मचारियों की मांगों पर कार्यवाही का अभाव

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, किसी भी विभाग के कर्मचारी को अगर ट्रांसफर की फैसिलिटी मिलती है तो मेरी सरकार से यह मांग है कि जब सबको फैसिलिटी दी जा रही है तो तृतीय श्रेणी शिक्षक और इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर की जो मांग लम्बे समय से चली आ रही है, उसमें इनको भी अधिकार है कि ये भी अपने बच्चों के पास जा सकें। मैं समझता हूं कि सरकार का उद्देश्य यह होता है कि वह अपने प्रत्येक कार्मिक या नागरिक के चेहरे पर मुस्कान लाये। ये भी लम्बे समय से मांग कर रहे हैं। मैं मांग करता हूं कि टीएसपी एरिया के लोगों को नौकरी दी जाए अगर वहां पर जगह है तो और नॉन टीएसपी वालों का उनके क्षेत्र में ट्रांसफर कर दिया जाए, जिससे वे भी अपने बच्चों के पास जा पाएंगे। वे 20-20 साल से बाहर हैं और यह उनकी जायज मांग है, इसलिए सरकार सहानुभूति रखते हुए उनकी मांगों पर विचार करे।

इसके साथ ही जो पंचायत समिति सदस्य हैं वे लम्बे समय से मांग कर रहे हैं। वे पिछली बार भी जयपुर में आये और अभी 16 तारीख को भी उनका धरना-प्रदर्शन प्रस्तावित है, इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि मानदेय सहित उनकी 9 सूत्री मांग है, जिस पर उनको बुलाकर सरकार उनसे बात करे और जितना भी सम्भव हो सके, उनकी मांगों को पूरा करे। पंचायत का जो सरपंच होता है उससे भी ज्यादा एरिया को वे कवर करते हैं, उससे ज्यादा उनके मतदाता होते हैं और वे उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उनकी मांगों को सरकार सहानुभूतिपूर्वक देखे।

(श्री बलजीत यादव)

जो इंटर डिस्कॉम वाले हैं, इनके ट्रांसफर आरएसईबी में पहले होते थे, लेकिन 2000 में जब से ये डिस्कॉम बने हैं तब से इन पर बैन है, जिसको लगभग 22 साल हो गये हैं। इसलिए सरकार इनको भी फैसिलिटी दे तो बहुत अच्छा सन्देश जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: 131, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री रामलाल शर्मा।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राज्य पात्रता परीक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को शैक्षणिक योग्यता में छूट

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के तहत राज्य सरकार द्वारा आयोजित सैट व अन्य परीक्षाओं की पात्रता में 5 परसेंट की रियायत देने के सम्बन्ध में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सैट में 5 प्रतिशत की छूट दिये जाने के बारे में पूछा है। इस सम्बन्ध में लेख है कि प्रदेश में अंतिम बार सैट परीक्षा आरपीएससी, अजमेर द्वारा 2013 में करायी गयी थी। राज्य सरकार द्वारा सैट परीक्षा आयोजित कराने का निर्णय लेकर विभाग के पत्र दिनांक 17.10.2022 द्वारा गोविन्द गुरु जनजाति विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। यह परीक्षा 26.3.2023 को 30 विषयों में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

सैट परीक्षा में शामिल होने के लिए क्राइटेरिया अनारक्षित वर्ग के लिए स्नातकोत्तर परीक्षा में 55 प्रतिशत अंक है। सैट परीक्षा में आरक्षित वर्ग को पात्रता अंकों में 5 प्रतिशत की छूट दी गई है। इनमें एससी, एसटी, ओबीसी, विशेष योग्यजन एवं थर्ड जेंडर शामिल हैं और इनके लिए पात्रता स्नातकोत्तर में 50 प्रतिशत अंक हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सैट परीक्षा में ईडब्ल्यूएस को 5 प्रतिशत छूट देने के आदेश जारी कर दिये थे, जिन्हें यू.जी.सी. नेट के पत्र दिनांक 7.10.2022 के आलोक में ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता के उत्तीर्ण अंक से 5 प्रतिशत देय छूट को

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

विलोपित कर दिया। ऐसी व्यवस्था में महाराष्ट्र राज्य ने भी सैट परीक्षा रखी है, उसमें भी उन्होंने नहीं दिया।

1950 से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर पदों को भरने हेतु अर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है। सैट परीक्षा के आयोजन से राज्य के उत्तीर्ण अभ्यर्थी उक्त पदों की भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। सैट परीक्षा हेतु कुल 1 लाख 35 हजार 323 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और अपीयर होने वाले कुल विद्यार्थियों के 6 प्रतिशत को पात्र घोषित किया जाएगा। 5 प्रतिशत का, क्योंकि यूजीसी केन्द्र सरकार का है, वहां से अगर आप कराते हैं तो वह छूट हम आपको यहां दे सकते हैं।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि ईडब्ल्यूएस लागू करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए बच्चों को मुख्य धारा में लाया जाए और इस रिजर्वेशन को लागू करने का कारण भी यही था। आज भी कई परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। जैसे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है, इन्होंने भी मापदण्ड 60 प्रतिशत का रख रखा है कि 60 प्रतिशत से कम अंक वालों को हम पात्र नहीं मानेंगे, जबकि राज्य सरकार रीट परीक्षा में संशोधन जारी कर अलग-अलग कैटेगरी में इनको छूट दी गई है। अध्यक्ष महोदय, मेरा सामान्य-सा निवेदन सिर्फ यही है कि आज विद्यार्थी बी एड की परीक्षा, पीटीईटी देते हैं तो उनको भी रियायत दी जाती है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यूजीसी के बारे में अपन रिकमंड कर सकते हैं, we can't dictate it.

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन इतना ही है कि राज्य सरकार संशोधन कर सकती है। इन्होंने रीट परीक्षा में भी संशोधन किया है।

श्री अध्यक्ष: No. It is not possible. यूजीसी की क्वालिफिकेशन को स्टेट गवर्नमेंट डायल्यूट नहीं कर सकती है, आप खाली रिकमंड ही कर सकते हो। माननीय सदस्य, आपकी भावना को सरकार यूजीसी को लिखकर भेज सकती है।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): बिल्कुल।

श्री अध्यक्ष: अगला ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री संजय शर्मा।

विशेष योग्यजन को बी.पी.एल. के समकक्ष सुविधाओं हेतु जारी आदेशों की अनुपालना

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत विशेष योग्यजन को बी.पी.एल. के समकक्ष सुविधाएं प्रदान किये जाने बाबत जारी आदेशों की अनुपालना नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2021-22 में माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा की गई बजट घोषणा में राज्य के ऐसे विशेष योग्यजन, जो वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उनके परिवारों को बी.पी.एल. के समकक्ष माना जायेगा, के क्रम में आदेश जारी किये गये हैं। उक्त आदेशों की पालना में ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग द्वारा राज्य बी.पी.एल. के लिए संचालित सभी योजना में सम्बन्धित विभागों द्वारा ऐसे परिवारों को लाभान्वित किये जाने हेतु आदेश जारी किये गये हैं। खाद्य एवं नागरिक विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रहे परिवारों को, दिव्यांगों को बी.पी.एल. श्रेणी में शामिल किया गया है एवं लाभ दिया जा रहा है। शेष रहे पेंशनधारियों को पोर्टल से जोड़ने की कार्यवाही की जा रही है।

ऊर्जा विभाग द्वारा बी.पी.एल. समकक्ष माने गये विशेष योग्यजनों को 50 यूनिट प्रति माह के उपभोग पर अनुदानित विद्युत दर से विद्युत उपलब्ध करवाई जा रही है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा NFSA पोर्टल में विशेष योग्यजनों को Auto Inclusion करने हेतु शिथिलता दिये जाने की कार्यवाही अंतिम चरण में है, जिसके उपरान्त विशेष योग्यजनों को खाद्य सुरक्षा का लाभ देने हेतु स्वतः ही सम्मिलित कर लिया जायेगा।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में करीब 6 लाख 20 हजार दिव्यांग पेंशनर्स हैं और यदि उनके परिवार की संख्या जोड़ें तो वह कुल संख्या 25 लाख से अधिक की बनती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि विभागीय आदेश क्रमांक 1097 दिनांक 13.4.2022 की पालना में क्या विभाग द्वारा दिव्यांगों को बी.पी.एल. के समकक्ष सुविधा दिये जाने हेतु गाइडलाइंस जारी कर दी गयी

(श्री संजय शर्मा)

है? यदि हां, तो उसको आप सदन में रखें और यदि नहीं, तो गाइडलाइन कब तक जारी कर दी जायेगी?

साथ ही साथ, सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वाले दिव्यांगों को बी.पी.एल. के समकक्ष सुविधा दिये जाने हेतु आदेश दिनांक 13.4.2022 की पालना में राज्य में कुल कितने दिव्यांगों को बी.पी.एल. के समकक्ष सुविधाएं प्रदान की गयी हैं? माननीय मंत्री महोदय संख्या बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी। आप ध्यानाकर्षण की बात को समझो। ध्यानकर्षण में ऐसे नहीं पूछते।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें गाइडलाइन जारी होने की बात कहां से आ गयी? आर्डर जारी हो चुके हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो एप्लाई कर रहा है उसको हम लाभ दे रहे हैं। जो आटोमेटिक पोर्टल है, जैसे एनएफएसए का है उसमें 6 लाख में से 5 लाख के लगभग जुड़ चुके हैं और एक लाख प्रक्रियाधीन हैं।

दूसरा, आपने बताया कि गाइडलाइन जारी करें तो, माननीय अध्यक्ष जी, आर्डर जारी हो गये हैं और विभागों के द्वारा भी नीचे आर्डर जारी कर दिये गये हैं। मैं माननीय सदस्य से भी पूछना चाहता हूं कि एक भी शिकायत ऐसी आयी हो कि किसी दिव्यांगजन को बी.पी.एल. के समान सुविधाएं देने में किसी भी विभाग ने मना किया हो तो वह बता दें। उसके जिम्मेदार हम बैठे हैं, आप बताइये।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष जी, निदेशालय, विशेष योग्यजन की दिनांक 7.2.2023 की आरटीआई में मांगी गयी जानकारी के अनुसार विभाग द्वारा अभी तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गयी है।

श्री अध्यक्ष: कौनसे विभाग में?

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): निदेशालय, विशेष योग्यजन द्वारा। साथ ही साथ, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि क्या समाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वाले दिव्यांगों को...

श्री अध्यक्ष: क्या नहीं, ध्यानाकर्षण को कैसे पढ़ते हैं, प्लीज, ध्यानाकर्षण को किस तरह से प्रजेंट करते हैं, उसको सीखें। माननीय सदस्य, प्रश्न पूछने का नहीं है। माननीय सदस्य, अपनी बात को वाइंड-अप करें।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): क्या हम दिव्यांगजनों को बी.पी.एल.

(श्री संजय शर्मा)

कार्ड देने का प्रावधान रखते हैं? क्या वे राज्य सरकार की सभी योजनाओं से स्वत: ही जुड़ जायेंगे?

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो बात कहना चाह रहे हैं, बी.पी.एल. के समान सुविधाएं देने की बात है। बी.पी.एल. बनाने की बात नहीं है, इसमें अन्तर है। बी.पी.एल. के जो नोर्म्स हैं, वे अलग हैं। बी.पी.एल. के समान सुविधाएं देने के लिए राज्य सरकार का जो आर्डर है, वह अलग है। एक मिनट, आप बात सुनिये।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, इनका सीधा-सा प्रश्न है, जो सुविधाएं बी.पी.एल. को मिलती हैं, क्या वे ही सुविधाएं दिव्यांग को देना चाहते हैं? यह इनका सीधा-सा प्रश्न है।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, हम दे रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं आप बताइये, जहां नहीं मिल रही हैं, वह हमें बतायें। इस सरकार ने तो दिव्यांगजनों के लिए इतने गम्भीर निर्णय लिए हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप एक मिनट बैठें। वे यह कह रहे हैं कि यदि बी.पी.एल. की तरह दिव्यांगों को आप आइडेंटिफाई कर देते हैं तो बी.पी.एल. की सारी सुविधाएं वैसे ही मिल जाएं तो आप क्या ऐसा आदेश निकाल रहे हैं कि दिव्यांगों को वही सुविधा मिलेगी, जो बी.पी.एल. को मिलती है? इसके लिए एक सिम्पल आर्डर चाहिए, तो क्या सरकार ऐसा आर्डर निकाल रही है?

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): सर, ऐसा आर्डर आलरेडी निकल चुका है। जिन विभागों में ऑनलाइन है, उनमें मिल रहा है। बाकी सुविधा लेने के लिए दिव्यांग को बी.पी.एल. के समान अप्लाई तो करना पड़ेगा। जिसमें भी अप्लाई करेगा, उसको लाभ मिलेगा।

श्री अध्यक्ष: आप फिर बात को नहीं समझ रहे हैं। आप बैठें। बी.पी.एल. परिवार का चयन होता है, लिस्ट बनती है। ये जो 6 लाख लोग दिव्यांग हैं, उनकी भी आप लिस्ट दें कि 6 लाख भी डीम्ड टू बी बी.पी.एल. हैं तो उनको सब सुविधाएं मिल जायेंगी। क्या सरकार ऐसे आर्डर निकालेगी? ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा। क्या सरकार इस तरह का विचार रखती है?

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): सर, हम ऐसी लिस्ट समानान्तर उपलब्ध करा रहे हैं और लागू भी कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को सदन के माध्यम से एक चीज बताना चाह रहा हूं, वह सिम्पल सी चीज यह है कि आज भी बी.पी.एल. की लिस्ट में जो व्यक्ति है, उसको सारी वे सुविधाएं नहीं मिलती हैं। बी.पी.एल. की लिस्ट में जो भी व्यक्ति है, उसको लगभग 20-25 प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। उसको अप्लाई करना पड़ता है। वह उस विभाग में अप्लाई करता है। उस चीज की मदद उसको मिलती है। आज की तारीख में भी जो बी.पी.एल. हैं, उन्हें सारी सुविधाएं स्वत: नहीं मिलती हैं, उसको अप्लाई करना पड़ता है। हमने सुविधाएं इसके अन्दर दे दी हैं, वह अप्लाई करेगा, उसको मिलेंगी और मिल रही हैं। कई ऐसे उदाहरण हैं, जहां वे सुविधाएं मिल रही हैं। आप हमें बता दें, किसी भी विभाग ने मना किया हो दिव्यांगजनों को कि हम आपको इस श्रेणी में नहीं मानते हैं या कोई भी सुविधा देने से मना किया है तो हमें बतायें।

श्री अध्यक्ष: आपने कौन-सा सर्कुलर बोला है, वापस बोलिये। आपने कौन-सा सर्कुलर बताया है? उसकी संख्या बोलिये? विभाग बोलिये।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): सर, यह दिनांक 7 फरवरी, 2023 का जवाब है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठें। आरटीआई में इन्होंने कोई प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर ये कोट कर रहे हैं।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिनांक 13.04.2022 को जो सर्कुलर सरकार से निकला है, राज्य के ऐसे विशेष योग्यजन, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उनके परिवारों को बी.पी.एल. के समकक्ष माने जाने का निर्णय लिया गया है। अत: राज्य बी.पी.एल. के लिए संचालित सभी योजनाओं में सम्बन्धित ऐसे परिवारों को लाभान्वित किया जाना सुनिश्चित करायें। यह वित्त विभाग की आईडी संख्या 162200563 दिनांक 11.04.2022 के द्वारा प्राप्त सहमति के सन्दर्भ में जारी किया गया है। इसके लिए जो टास्क फोर्स है, उसकी मीटिंग सी.एस. की अध्यक्षता में भी हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी विभागों को डायरेक्शन दे दिये गये हैं और विभागों के द्वारा भी नीचे डायरेक्शन दे दिये गये हैं, कलेक्टर्स को भी और सम्बन्धित अधिकारियों को भी।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद, चर्चा समाप्त हुई। माननीय सदस्य, प्लीज बैठें। यह गलत परम्परा है।

विधायी कार्य। पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक। राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023, श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय, रानपुर (कोटा) विधेयक, 2023, श्री राजेन्द्र सिंह यादव।

जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय, रानपुर (कोटा) विधेयक, 2023

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय, रानपुर (कोटा) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय, रानपुर (कोटा) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय, रानपुर (कोटा) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट आफ गवर्नेंस एण्ड सोशल साइंसेज विधेयक, 2023, श्री राजेन्द्र सिंह यादव।

महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट आफ गवर्नेंस एण्ड सोशल साइंसेज विधेयक, 2023

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट आफ गवर्नेंस एण्ड सोशल साइंसेज विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट आफ गवर्नेंस एण्ड सोशल साइंसेज विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट आफ गवर्नेंस एण्ड सोशल साइंसेज विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2023-24, अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान। श्री लालचन्द कटारिया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 46 - कृषि की प्रस्तुति

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 46 - कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 37,48,99,36,000/- (सैंतीस अरब अड़तालीस करोड़ निन्यानवे लाख छत्तीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाये।

(मांग संख्या 46 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट 02 देखें)

श्री अध्यक्ष: पशुपालन एवं मत्स्य।

मांग संख्या 47 - पशुपालन एवं मत्स्य की प्रस्तुति

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 47 - पशुपालन एवं मत्स्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 14,55,48,27,000/- (चौदह अरब पचपन करोड़ अड़तालीस लाख सत्ताईस हजार) तक की राशि प्रदान की जाये।

(मांग संख्या 47 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट 03 देखें)

श्री अध्यक्ष: श्री सतीश पूनियां। आप बैठें, आपकी पार्टी के अध्यक्ष खड़े हैं। इनका नाम पुकार लिया, फिर भी हम खड़े हो रहे हैं।

मांग संख्या 46-कृषि व 47-पशुपालन एवं मत्स्य पर विचार

श्री सतीश पूनियां (आमेर): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, मैं खेती और पशुपालन की इस मांग पर अपनी बात को रखते हुए हमारे यहां परम्परा में, पुराणों में कहा जाता है कि उत्तम खेती, मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी, भीख निदान। यह माना जाता है कि खेती जीविका का सबसे प्रमुख साधन है। इसी तरह से वैदिक काल में अथर्ववेद में यह कहा गया था कि जो खेती करते हैं, वे ही सफल होते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में खेती का सकल राज्य मूल्य वर्द्धन है। उसमें 30.23 प्रतिशत यानी सेवा क्षेत्र का, जो 45 प्रतिशत राजस्थान की अर्थव्यवस्था को ताकत देता है। उसमें जीएसवीए यह खेती का सबसे ज्यादा है।

(समय: 12.28 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

राजस्थान की सरकार ने पहले बजट में 11 सूत्रीय एक फार्मूला दिया कि हम इन 11 मिशन पर काम करेंगे और राजस्थान की खेती को, राजस्थान की अर्थव्यवस्था को ताकत देंगे। राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन, राजस्थान जैविक खेती मिशन, राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण निगम, राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन, राजस्थान संरक्षित खेती मिशन, राजस्थान

(श्री सतीश पूनियां)

उद्यानिकी विकास मिशन, राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन, राजस्थान भूमि उर्वरता मिशन, राजस्थान श्रमिक सम्बल मिशन, राजस्थान कृषि तकनीकी मिशन, राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन।

सभापति महोदय, यह सरकार के पहले बजट का समर्पण था, जो खेती में संकल्प दर्शाया और यह कहा कि हम इन 11 मिशन पर काम करेंगे। मैं आगे अपने आंकड़ों के माध्यम से उल्लेख करना चाहूंगा कि सरकार किस तरह से अपने किये गये संकल्प को, मिशन को विफल करती है।

माननीय सभापति महोदय, जार्ज ऑरवेल का एक उपन्यास है एनिमल फार्म, उसमें सारे पशु इकट्ठा होकर, अपना नेता चुनते हैं और कुछ आदर्श वाक्यों की, आदर्श सूत्रों की कल्पना करते हैं। कालान्तर में पता लगता है कि स्वार्थ से वशीभूत होकर उनके अपने-अपने एजेंडे बन जाते हैं और बाद में मिशन की परिभाषा बदल जाती है। मुझे लगता है कि सरकार इसी तर्ज पर काम कर रही है।

खेती को लोकलुभावन नारों से जोड़ कर यदि उसके एग्जीक्युशन की तरफ देखेंगे तो साफ समझ में आयेगा, कृषि के अलग बजट के बावजूद भी यह अलग बात है कि राजस्थान का किसान पहली बार इस तरीके के पापुलिस्टिक नारों में उलझा। 2018 के जन घोषणा पत्र का उल्लेख सम्पूर्ण कर्जा माफी का इन्हीं के अन्तरराष्ट्रीय नेताओं के जगह-जगह दिये गये भाषण और कदाचित यह सम्भव है कि भोला-भाला किसान इस ट्रेप में आया भी होगा, मैं उससे इन्कार नहीं करता, लेकिन जो इन्हीं के बजट के प्रावधान से कृषि और सम्बद्ध सेवाओं के 2022 में 11,577 करोड़, 2023 के बजट में 10,580 करोड़ हो जाता है।

माननीय सभापति महोदय, कृषि विभाग को जो बजट दिया 2022 का 4,127 करोड़ और 2023 का 3,306 करोड़, जो परम्परागत कृषि विकास है, उसके लिए जो बजट का प्रावधान था, वह 70 करोड़ था 2022 में और 2023 में वह 43 करोड़ हो जाता है।

माननीय सभापति महोदय, देश में पारम्परिक खेती के अलावा बागवानी पर बड़ा फोकस है और हम कई प्रदेशों की यदि बागवानी के, ... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज, बोल रहे हैं।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): बागवानी अपने-आप में एक इस तरीके

(श्री सतीश पूनियां)

का कारक बन गया कि जिससे कई प्रदेशों की अर्थव्यवस्था को बागवानी ने, होर्टिकल्चर ने ताकत दी है, लेकिन उसी बागवानी में राजस्थान की सरकार का कृषि बजट कहता है कि 1,439 करोड़ रुपये का प्रावधान 2022 में किया, वह 2023 में घटा कर 1,211 करोड़ कर दिया। मिनी फूड पार्क की बातें कही गईं, लेकिन केवल दो जगह घोषणा की गई, सवाई माधोपुर और हनुमानगढ़। अभी भी एग्जीक्युशन की दिशा में उसमें कुछ हुआ नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, यदि राजस्थान के किसानों की खेती की बात करेंगे, यदि सबसे बड़ा दंश कोई है और सबसे बड़ा कलंक कोई है कि इतने बड़े दावों के बाद क्या सरकार यह बतायेगी कि यह कर्जा माफी की बात आपने ही की थी, अपने घोषणा पत्र में की थी, फिर यदि आपने करामात कर दी तो 18 हजार किसानों की जमीनें नीलाम क्यों हुईं? राजस्थान के अलग-अलग हिस्सों का जो आंकड़ा है, उसमें अलग-अलग समय पर अलग-अलग किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। यह दीगर बात है कि सरकार ने उसको किसान न करके खेती से सम्बद्ध मजदूर से जोड़ दिया, लेकिन यदि खेती के मजदूर को भी आत्महत्या करने पर विवश होना पड़े, लेकिन यदि किसानों का आंकड़ा भी देखेंगे तो आज के इस युग की इस अर्थव्यवस्था पर सबसे बड़ा काला धब्बा है, राजस्थान के लगभग दो सौ किसानों को केवल कर्जे से तंग आकर आत्महत्या करनी पड़ी और इस सदन में कई बार उल्लेख हुआ इस बात का, उस किसान का तो खास तौर पर कि रायसिंहनगर के ठाकरी गांव के सोहन लाल गडेला ने तो एक लाइव वीडियो जारी किया, जिसमें उसने लाइव वीडियो के दौरान अपनी आत्महत्या की और यह कहा कि मैं कर्जे से तंग आकर आत्महत्या कर रहा हूं और मेरी आत्महत्या का दोषी कोई है तो राजस्थान की सरकार है। माननीय सभापति महोदय, ऐसी अनेक घटनाएं इस पूरे साढ़े चार साल के काल खण्ड में हुईं।

अभी सरकार भले ही इस चुनावी वर्ष में सौ यूनिट बिजली फ्री और हजार यूनिट बिजली फ्री की घोषणा करे, लेकिन अलबत्ता तो बिजली मिलती नहीं है और ऐसे कई आंकड़े हैं राजस्थान के अनेक हिस्सों के, अनेक जिलों के कि ठंड की उस भीषण रात में किसान पिलाई करते वक्त मौत का शिकार हो गया। क्या उसके बारे में सरकार के पास जवाब होगा? और ऐसी एक घटना नहीं है, राजस्थान के लगभग हर हिस्से की घटना है।

माननीय सभापति महोदय, इसलिये रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं,

(श्री सतीश पूनियां)

'जेठ हो कि पूस, हमारे कृषकों को आराम नहीं है, छूटे कभी संग बैलों का, ऐसा कोई याम नहीं है।' राजस्थान का किसान इस समय जिस चौराहे पर है, जिसके पास दिशा नहीं है, सम्बल नहीं है और इसलिये, माननीय सभापति महोदय, किसी भी लोक कल्याणकारी सरकार का फर्ज होता है कि अर्थव्यवस्था के जो कारक होते हैं, जो सम्बल देता है, ऐसे जैसे मैंने कहा, उल्लेख किया कि अन्नदाता कहा आपने, अन्नपति कहा, लेकिन आज यदि राजस्थान में सबसे ज्यादा संकट में कोई है तो राजस्थान की खेती है, राजस्थान का किसान है और इससे बड़ी विडम्बना क्या होगी कि कर्जे के कारण, सहूलियतों के कारण उसको आत्महत्या करने पर विवश होना पड़े।

माननीय सभापति महोदय, खेती के पांच कारक होते हैं धरती, जल, बीज, खाद और फसल। राजस्थान की सरकार ने पिछले साढ़े चार वर्षों में बातें तो खूब की हैं, लेकिन राजस्थान के यहां के क्लाइमेट के बारे में, यहां की धरती के बारे में, यहां की सहूलियत के बारे में, क्योंकि हमने वह दृश्य देखा है कि किस तरीके से और अभी कुछ दिन पहले की घटनाएं, यूरिया के लिए लम्बी-लम्बी लाइनें और उसमें लाठीचार्ज और 12-12 घंटे किसानों को वहां पर लाइन में लग कर यूरिया के लिए गुहार लगानी पड़ी, यह किसी लोक कल्याणकारी सरकार का कर्म नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात का यहां उल्लेख जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि जब हम लोकतंत्र में बात करते हैं तो सरकारों की तुलना भी होती है। देश में एक ऐसी सरकार काम कर रही है, क्योंकि आजादी के बाद मैं यहां धन्यवाद देना चाहूंगा, अभिनन्दन करूंगा, उनको श्रद्धास्मरण करूंगा कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश के किसानों के सम्बल के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के जरिये क्रान्ति का काम किया। गांवों को शहर से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जरिये और यह हमारा सौभाग्य है कि देश में सात लाख किलोमीटर गांव सड़कों से जुड़े और वहीं राजस्थान में 72 हजार किलोमीटर गांव सड़कों से जुड़े और किसान को सहूलियत मिली।

माननीय सभापति महोदय, यदि पिछली सरकारों का केन्द्र सरकार का भी आकलन करें 2007 से और 2014 तक 1 लाख 46 हजार करोड़ रुपया खेती पर महज खर्च हुआ था, लेकिन यदि मैं 2014 से लेकर 2022 का उल्लेख करूं तो 6 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान केवल भारत की खेती के लिए किसानों के लिए हुआ।

माननीय सभापति महोदय, एम.एस.पी. पर खरीद की बड़ी मांग हमेशा

(श्री सतीश पूनियां)

से चलती थी उसमें 74 गुना वृद्धि हुई है, जो देश के अलग-अलग हिस्सों के अलग-अलग सेक्टर्स के आंकड़े हैं, मुझे लगता है कि मैं उसका उल्लेख करूंगा तो जानकारी के लिए उपयोगी होगा। हिन्दुस्तान के किसानों के लिए यह मांग अक्सर चलती थी और 80 से 85 करोड़ वे किसान, जो केवल छोटी खेती करते हैं, जिनकी जोत छोटी हैं, 85 प्रतिशत ऐसा किसान जिसको सम्बल की जरूरत थी, केवल देश नहीं, मेरा दावा है कि दुनिया की सबसे बड़ी डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम किसानों के हक की है वह है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। हिन्दुस्तान के 11 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपये सीधे ट्रांसफर हुए हैं तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से हुए हैं।

माननीय सभापति महोदय, कभी यह सोचा नहीं गया कि जमीन कैसी हो, फसल उस पर कैसी उपयुक्त होगी। मैं देश के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि 23 करोड़ किसानों को सोइल हैल्थ कार्ड और उसका धरती पर सफल प्रयोग हुआ है, राजस्थान और हिन्दुस्तान के किसानों को लाभ मिला। हमारे यहां राजस्थान में भी तिलहन की काफी खेती होती है, 1500 प्रतिशत की बढ़ोतरी, माननीय सभापति महोदय, उसमें हुई है। किसानों के लिए जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वाजपेयी साहब ने प्रारम्भ की और प्रधान मंत्री मोदी जी ने उसको आगे बढ़ाया। हिन्दुस्तान के 1.2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निपटारा किया गया और प्रधानमंत्री किसान कृषि सिंचाई योजना में 93 हजार करोड़ रुपये का आबंटन देश के इतिहास में पहली बार हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे देश में नवाचार भी हुए तथा राजस्थान और हिन्दुस्तान के किसानों को लाभ हुआ है। आपदा में जो फसल का नुकसान होता था, इस समय भी राजस्थान में फसलों को ओलावृष्टि से, अतिवृष्टि से और असमय हुई बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, उस आकलन का भी पचास प्रतिशत से तैंतीस प्रतिशत करने का काम यदि किया, तो भारत की सरकार ने किया। लेकिन अफसोस है कि जिस तरीके से राजस्थान के किसानों को इस समय जो दंश झेलना पडा, न समय पर गिरदावरी हुई, न ठीक तरीके से उनका मुआवजा उनको मिला, केवल चर्चा जरूर होती है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरीके से राजस्थान के किसानों को और इस सारी बेमौसम की बारिश से अभी भी खतरा मंडरा रहा है, लेकिन बड़े हिस्से में बड़ा नुकसान हुआ।

(श्री सतीश पूनियां)

मैंने अभी जिक्र किया था हमारे सिंचित क्षेत्र के किसानों का स्थगन के जरिये। अभी मैंने पिछले दिनों वीडियो देखा कि किस तरीके से पंजाब के मुख्य मंत्री ने राजस्थान के किसानों के हक पर डाका डालने की कोशिश की। हमारी गंगनहर के 27 क्यूसेक्स पानी को केवल पंजाब के लोगों को देने के लिए, जो हमारे हिस्से का पानी है, मैंने गुजारिश की है सरकार से कि कम से कम राजस्थान के गंगानगर क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र के किसानों का हक तो नहीं मारा जाये, इसकी कोशिश सरकार करे।

माननीय सभापति महोदय, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पड़ोसी प्रदेशों में बहुत सफलता से हुई हैं नवाचार हुई हैं, लेकिन राजस्थान की सरकार ने कई जगह निराश किया। हमारे यहां एक प्रधानमंत्री कुसुम योजना है, जो राजस्थान में स्वीकृत थी 1,98,884 और उसका एग्जीक्यूशन हुआ है 54,195, यानी केन्द्र की किसानों को दी गई सहूलियत का एग्जीक्यूशन भी 50 प्रतिशत से कम है, यह सरकार की मंशा पर सीधे-सीधे सवाल खड़े करता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं पशुपालकों का उल्लेख भी अपने इस संबोधन में करना चाहूंगा। खुद राजस्थान की सरकार ने घोषणा की थी 'मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना', यह अनुदान की घोषणा की थी। माननीय सभापति महोदय, मेरे पास एक फिगर जो मुझे नागौर जिले के किसानों ने बताया है, 1500 पशुपालकों का 24,11,412 लीटर का 12,57,060 रुपया बकाया चल रहा है। यह केवल मैंने उदाहरण के तौर पर कहा है कि जो घोषणा की गई, उसमें न साम्यता है, न उसकी क्रियान्विति है।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में खेती के साथ-साथ डेयरी और पशुपालन राजस्थान की खेती से संबंधित धंधों का एक तरीके का संबल है, जिसके कारण कोई छोटा परिवार, खेती करने वाला परिवार अर्थव्यवस्था को भी संबल देता है और अपनी आजीविका भी चलाता है।

माननीय सभापति महोदय, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जिनका मैं यहां उल्लेख करूं तो समय कम पड़ेगा, लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन है कि इस प्रदेश में लम्पी जैसी महामारी, जिसने पूरे प्रदेश को एक तरीके से हिला दिया, बड़ा संकट था, गौ माता पर संकट था, गौ वंश पर संकट था और वह केवल किसी पशु पर संकट नहीं था, वह पूरी अर्थव्यवस्था पर संकट था।

"जाने किस करनी से आई तुम पर यह व्याधि है,
गौ माता क्षमा करो कर्महीन सत्ता ही अपराधी है।

(श्री सतीश पूनियां)

जीवन दात्री के जीवन पर राजनीति के जो साधी हैं,

तुम्हें बचा न सके वह राज समाज तो अपराधी है।"

माननीय सभापति महोदय, किस तरीके से गौ वंश तड़प-तड़प कर मरा और सबने देखा, वह सरकार की लापरवाही नहीं थी तो क्या थी? केवल लीपापोती करने की कोशिश की गई। गाय जीवन का भी आधार है, संस्कृति का भी आधार है और अर्थव्यवस्था का भी आधार है। यहां जो सरकार ने आंकड़े पेश किये, उसमें व्यवहार में कोई साम्यता नहीं। मेरा अनुमान है, जिस तरीके से मैं सोचता हूं, जो मुझे जानकारी मिलती है, 10 लाख से भी ज्यादा गौ वंश को नुकसान हुआ। सरकार ने, मुख्य मंत्री जी ने वित्त मंत्री के रूप में यहां घोषणा जरूर की है, लेकिन वह कितनी एग्जीक्यूट होगी, मुझे लगता है कि इसके बारे में न तो आंकड़ों का संधारण किया गया, न उसकी ठीक से जानकारी जुटाई गई और आनन-फानन में पोपुलिस्टिक घोषणा जरूर कर दी, पर मुझे लगता है कि लम्पी से ग्रस्त हमारी गौ माता का जिन्होंने रक्षण किया था, उनको बड़ा नुकसान हुआ है, बड़ी मात्रा में हुआ है और इसलिए उनको संबल देने के लिए मैं चाहूंगा कि सरकार घोषणा के अलावा उसको ठीक से क्रियान्वित करे।

माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले यदि संबल देना है तो कर्जा माफी के बारे में सरकार को श्वेत पत्र लाना चाहिये। केवल को-आपरेटिव बैंक के लिमिटेड किसानों का कर्जा माफ हुआ है। आप यहां कहेंगे, कहा भी है कि हमने राष्ट्रीयकृत बैंकों का नहीं कहा था। सम्पूर्ण कर्जा माफी का झुनझुना तो आपने ही दिया था। इसलिए मुझे लगता है कि सबसे पहली जरूरत है कि कर्जा माफी पर कोई न कोई डेडिकेटेड प्लान किसानों के हक में बनाया जाये और उस पर सरकार एक व्हाइट पेपर इश्यू करे कि हमने यह कहा था, इतना हमने एग्जीक्यूट किया, तो शायद राजस्थान का किसान आप पर भरोसा कर सकता है, भरोसा आपने पहले तोड़ दिया।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में बड़ी संख्या में कृषक मित्र बहुत लंबे अर्से से मानदेय में वृद्धि के लिए अपना आंदोलन चला रहे हैं, उस पर विचार करने की जरूरत है। यूरिया और डीएपी के बारे में सरकार को कोई न कोई कार्ययोजना बनानी चाहिये कि हर बार ऐसा क्यों होता है। हम एक्सक्यूज जरूर करते हैं, लेकिन क्रियान्विति नहीं होने से या उसकी उपलब्धता नहीं होने के कारण दिक्कत आती है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे राजस्थान की जो टोपोग्राफी है,

(श्री सतीश पूनियां)

भौगोलिक रूप से कहीं बहुत बंजर जमीन है, कहीं उर्वरक है, कहीं पानी है, कहीं पहाड़ है। पूरे प्रदेश में खेती के बारे में, फसलों की वहां की अनुकूलता के बारे में, वहां की जमीन की स्थिति के बारे में राजस्थान की सरकार को सोचना चाहिये। मुझे लगता है कि जब हमारे संबल के बिना खेती हमारी अर्थव्यवस्था का आधार हो सकती है, तो यदि इस पर ठीक तरीके से काम किया जाये तो और अच्छा हो सकता है।

मैं देख रहा था कि घोषणाएं तो कीं, लेकिन खेती के बारे में कई प्रदेशों ने बड़े नवाचार किये हैं। मैं एक कंट्रास्ट देख रहा था कि हमारे यहां नवाचार के तौर पर भी खेती को और ज्यादा सक्षम बनाने के लिए जो हमारे खाद्य प्रसंस्करण हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट हैं, कई प्रदेशों ने उसका ठीक तरीके से नवाचार भी किया और उसको एग्जीक्यूट भी किया। मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूं, मेरे यहां टमाटर होता है, लेकिन फैक्टरी नोएडा में है कैचप बनाने की। यह एक उदाहरण है, लेकिन ऐसा राजस्थान के कई हिस्सों में कई जगह होता होगा कि अलग-अलग तरीके के प्रोडक्ट हैं, पर उनको प्रोसेसिंग के लिए अभी तक कोई ऐसी सक्सेसफुल यूनिट और इस तरीके का कमिटमेंट कभी राजस्थान की सरकार का दिखा नहीं।

माननीय सभापति महोदय, मैं पशुपालन से जुड़े इस मुद्दे पर इतना कहना चाहूंगा कि प्रदेश में लावारिस पशु किसानों के लिए और समाज के लिए भी अपने आप में एक प्रश्न चिह्न खड़ा करते हैं। क्या सरकार इनके पुनर्वास और पोषण के लिए कोई विशेष कार्ययोजना बनाने की मंशा रखती है? क्योंकि अभी तक इस तरीके का कमिटमेंट दिखा नहीं। लम्पी के दौरान पशुपालन विभाग की बहुत चर्चा हुई थी। आपने नीचे तक सब सेंटर, वेटेरिनरी हास्पिटल खोल तो दिये हैं, लेकिन उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका स्टाफ, उस तरीके की भर्तियां, मुझे अभी तक लगा नहीं कि अलग-अलग संवर्गों की भर्ती के लिए आपने इसमें बात की होगी। मैं पिछले दिनों जब ट्राइबल एरिये के ट्यूर पर था, वहां उदयपुर, सोम कमला अम्बा, डूंगरपुर, जयसमंद में जो इल्लीगल शिकार होता है, इससे रेवेन्यू का भी नुकसान होता है और वहां की कानून व्यवस्था के प्रति भी वह एक चुनौती बनी हुई है। मुझे लगता है कि सरकार इस पर ध्यान देगी।

मेरा निवेदन है कि हमारे बच्चे अब कृषि विज्ञान के प्रति आकर्षित भी हुए हैं और राजस्थान के शिक्षण संस्थानों ने अच्छे कृषि वैज्ञानिक भी दिये हैं, जिनका कई बार संपर्क और संबंध आता है। मेरा भी आग्रह है कि मेरे

(श्री सतीश पूनियां)

विधान सभा क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय खोला जाये, क्योंकि जयपुर के आस पास के हमारे क्षेत्र में खेती के प्रति जो कमिटमेंट है, मैं चाहूंगा कि सरकार उस पर काम करे।

माननीय सभापति महोदय, चार वर्षों में जो कोर इश्यू के बारे में कहा गया, किसानों के बारे में, खेती के बारे में, बेरोजगारों के बारे में, राजस्थान की कानून व्यवस्था के बारे में, राजस्थान में जीरो टोलरेंस की सरकार के बारे में, मुझे लगता है कि कथनी और करनी का फर्क, यह सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। मैं बात को दोहराऊंगा तो नहीं, लेकिन जिस तर्ज पर किसान आत्म हत्या को विवश हुए राजस्थान का नौजवान और नौजवानों में बड़ा तबका जो किसान परिवारों से ताल्लुक रखते हैं, आप देखते हैं किस तरीके से कोचिंग सेंटर पर भीड़ होती है, उसमें जितने चेहरे पढ़ेंगे, 90 प्रतिशत गांव के बच्चे हैं। अच्छी बात यह है कि वह बच्चा जद्दोजहद करके, उसके मां-बाप भी पेट काट कर उस नौजवान को यहां नौकरी की आस में भेजते हैं, पर पता लगता है कि परीक्षा देने जाये तो पेपर लीक होता है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के 10 हजार नौजवानों ने आत्महत्या की है और उसमें 70 प्रतिशत से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे थे, जो अवसाद के कारण या किसी न किसी कारण से, जिसमें बड़ा कारण वह 28 प्रतिशत बेरोजगारी है, जिसकी जिम्मेदार राजस्थान की सरकार है।

माननीय सभापति महोदय, गांवों में चोरियां कभी सुनने को नहीं मिलती थीं। किसान की भैंस की चोरी से लेकर, उसकी पिकअप की चोरी, यह शायद चोरों का शगल बन गया। बहुत लम्बे समय तक उनको कोई संबल नहीं मिलता है, चक्कर काटते रहते हैं। हमसे आकर सीसीटीवी की डिमांड करते हैं। चोरों को पकड़ने की मांग करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को जिस तरीके से, अलग-अलग तरीके से मार पड़ी है, उसमें कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार की तारीफ करना चाहूंगा कि पिछले साढ़े चार वर्षों में आपने जो दृश्य पैदा किया और अभी मुझे जो जानकारी मिली, अभी मुझे किसी ने पर्ची भेजी कि घोड़ों में ग्लैंडर्स वायरस, यह एक बड़ी बीमारी थी। मैं पढ़ रहा था, कहीं मेला लगा और एक घोड़ा 60 लाख रुपये का बिका। यानी घोड़े भी पशुपालन की उसी प्रकृति में कहीं न कहीं आर्थिक संबल देते हैं। इस बीमारी के निदान के लिए सरकार ने कुछ किया होगा, मुझे लगता नहीं है। हमारे यहां मारवाड़ नस्ल के जो घोड़े हैं, उनकी तो पूरी दुनिया में ख्याति है। मुझे लगता है कि इस नस्ल को बचाने के लिए

(श्री सतीश पूनियां)

सरकार को प्रतिबद्धता से काम करना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, सरकार की तारीफ इतनी है:-

"ये जो तेरा राज है, सच में बहुत कमाल है
कहीं खेतिहर तो कहीं नौजवान बेहाल है,
जहां भी इम्तिहान है, नकल फ़रेबों के जाल हैं,
ये जो चार साल हैं, सचमुच बेमिसाल हैं,
न कोई उम्मीद है, बस मलाल ही मलाल है,
गले पे छुरियां हैं, गुनहगारों का कमाल है,
जंगल राज में काज से पहले ही दलाल हैं,
ये जो चार साल हैं, सचमुच बेमिसाल हैं,
बागी ही बागी हैं बागबान के बाग़ में,
जादूगर चल रहा अपनी चाल है,
गांधी के नाम पर लूट की ही दुकान है,
रियाया बदहाल है, सियासत मालामाल है,
ये जो चार साल हैं, सचमुच बेमिसाल हैं।

धन्यवाद, सभापति महोदय।

श्री सभापति: थैंक यू।

सूचना

राजनीतिक पदाधिकारी द्वारा प्रधान मंत्री के बारे में कथित अशोभनीय टिप्पणी

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): पाइंट आफ इनफोर्मेशन। +++

श्री सभापति: आप बैठिये। श्री जगदीश चन्द्र।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): +++ (व्यवधान)

श्री सभापति: ...(व्यवधान) आपने जो बोला है, उसे सुन लिया। Let him speak now. उन्हें बोलने दीजिये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): +++ ... (व्यवधान)

श्री पदमाराम (चौहटन): आपको किसानों पर चर्चा नहीं करनी है, आपको विवाद करना है। आपकी फोटो आ गयी, अब बैठ जाओ। (व्यवधान)

सदन कूप में

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों का सदन कूप में आगमन एवं नारे)

श्री सभापति: प्लीज, आप सब बैठिये।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): कल आदवासियों पर चर्चा थी तो इन्होंने ड्रामा किया है। आज किसानों की चर्चा पर ड्रामा कर रहे हैं। कभी शिक्षा पर चर्चा होती है तो ये ड्रामा करते हैं।

श्री सभापति: सुनिये।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। उन्होंने यह कहा था कि मोदी जी को हराओ और देश को बचाओ। सभापति महोदय, उन्होंने मोदी जी को खतम करने के लिए नहीं कहा था, बिलकुल नहीं कहा था। (व्यवधान)

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, ये रोज ड्रामा करते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप सुनें तो सही, क्या बोल रहे हैं? आप सुनिये तो सही। माननीय सदस्य, सुनिये। सुनिये, क्या बोल रहे हैं? (व्यवधान) आप सुनिये। आपको सुनना पड़ेगा। आप बोलिये।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): आन ए पाइंट आफ आर्डर। सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों में यह प्रावधान है कि अख़बार की कटिंग के आधार पर कोई बात यहां पर नहीं रखी जा सकती। मैं वहां मौजूद था। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही। इसलिए कृपा करके इनको बोलें कि ये अपने स्थान पर विराजें। (व्यवधान)

श्री सभापति: हो गयी बात, प्लीज अपनी सीट पर जाइये, हाउस को चलने दीजिये। बेहद महत्वपूर्ण सब्जेक्ट कृषकों के बारे में, खेती के बारे में चर्चा हो रही है, किसान के बारे में चर्चा हो रही है। कृपया सुनिये। किसान के बारे में चर्चा हो रही है। खेतीबाड़ी के बारे में चर्चा हो रही है। आप सुनिये। (व्यवधान) माननीय उप नेता महोदय, किसान के बारे में चर्चा हो रही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, जिस प्रकार की टिप्पणी कांग्रेस के प्रभारी +++ ने देश के प्रधान मंत्री जी के लिए की, वह निन्दनीय है। मैं और मेरा दल इसके विरुद्ध में बहिर्गमन करते हैं।

बहिर्गमन

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री पदमाराम (चौहटन): आपकी भावना, आप किसानों के, दलितों के विरुद्ध होकर हमेशा विवाद करते हैं। महिलाओं के विरुद्ध विवाद करते हैं।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): आपको किसानों की चिन्ता नहीं है।

श्री सभापति: श्री जगदीश चन्द्र, शुरू कीजिये।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 46-कृषि व 47-पशुपालन एवं मत्स्य

पर विचार

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार ने पिछले साढ़े चार साल में किसानों के लिए जो फैसले किये हैं वे हिस्टोरिकल फैसले किये हैं। इस देश की 75 परसेंट आबादी खेती पर निर्भर रहती है, गांवों में निवास करती है, उसी भावना को ध्यान रखते हुए राजस्थान की सरकार ने खेती को प्रोत्साहन देने के लिए नवाचार स्टार्ट किया है। पिछले बजट में हमने पहली बार कृषि का अलग से बजट पेश किया। इस साल हमने फिर 12 संकल्प के साथ बजट पेश किया। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार ने खेती का जो 2023-24 का बजट है, हमने टोटल बजट का 5.74 परसेंट एस्टिमेट दिया हुआ है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह भी आग्रह करना चाहूंगा कि किसानों के बिजली के बिलों में 2023-24 में 60,755 करोड़ की सब्सिडी राजस्थान की सरकार ने दी है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सुनो प्लीज, माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): मैं आपसे यह आग्रह करना चाहूंगा। अभी आमेर से आने वाले माननीय सदस्य भारत सरकार के बजट की चर्चा कर रहे थे। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि केन्द्र सरकार ने बजट का 2.8 परसेंट कृषि के लिए रखा है। इसके साथ-साथ मुझे यह भी निवेदन करना पड़ रहा है कि पहली बार हिन्दुस्तान की सरकार जो कि अपने आपको

(श्री जगदीश चन्द्र)

किसानों की सरकार शो करने में लगी हुई है, जिस सरकार ने 15 परसेंट सब्सिडी हमारे फर्टिलाइजर पर कम कर दी और किसान की कमर तोड़ने की तैयारी भारत सरकार ने की हुई है। भारत सरकार का जो यूनियन बजट है, उसमें नया कुछ भी नहीं था। एम.एस.पी. की कोई चर्चा नहीं की गयी, सब्सिडी की कोई बात नहीं की गयी और न ही किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात सरकार ने की है, जिस सरकार ने 2014 में स्टार्ट किया था। न स्वामीनाथन कमीशन की बात की गयी, न ही किसान को दूसरी प्रकार से संबल प्रदान करने की बात की।

सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा। लखीमपुर खीरी में जो हुआ था, किस प्रकार से धरने पर बैठे किसानों को कुचलने का प्रयास किया, उसकी चर्चा भी इन लोगों ने नहीं की। ये लोग सरकार के कामकाज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं इसलिए इनके पेट दर्द हो रहा है।

सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार ने जो किसानों की सबसे बड़ी समस्या का समाधान किया, वह बिजली का मामला था। बिजली के मामले में सरकार ने 90 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से एक साल में बिजली दी है। इसके साथ-साथ 12 हजार का अनुदान किसान को दिया है और इस साल उसको बढ़ाकर दो हजार यूनिट फ्री बिजली देने का हमने फैसला किया है, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के माध्यम से।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार पर 20 हजार करोड़ का व्यय प्रतिवर्ष होगा, जिसमें 15 लाख 78 हजार किसानों को इसका लाभ दिया जा रहा है। सभापति महोदय, आगामी 2023-24 में 11 लाख किसानों को नि:शुल्क बिजली, बगैर पैसे के बिजली। दो हजार यूनिट फ्री बिजली देने की योजना सरकार बना रही है और खासकर सिंचाई, जिसके माध्यम से खेती होती है, इस सरकार ने 3 हजार 600 करोड़ रुपये का अलग-अलग योजनाओं का प्रावधान खेती के लिए किया है। सभापति महोदय, कृषि बजट 2023-24 में हमारी नीतियों और कृषि के प्रति फोकस्ड अप्रोच के कारण कृषि क्षेत्र में 2017-18 और 2021-22 की अवधि में Gross Trade Value Added प्रतिवर्ष 13.12 परसेंट के हिसाब से राजस्थान में वृद्धि हुई है।

सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा और कृषि मंत्री सदन में बैठे हुए हैं पहली बार किसान कल्याण कोष की 5 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था हमने पिछले साल की थी, जिसको

(श्री जगदीश चन्द्र)

बढ़ाकर इस साल 7500 करोड़ के आसपास किया है, जिसमें किसानों को सीधे तौर पर फायदा होना चाहिए। मैं राजस्थान सरकार के सिंचाई मंत्री जी का धन्यवाद करना चाह रहा हूं। पिछली सरकार की जो किसानों की डिग्गी की योजनाएं थीं, 2700 डिग्गी की वित्तीय स्वीकृति, जाते-जाते 5700 डिग्गी पास कर गये, जिसका किसानों का बकाया था। 98 लाख जो पैसा था, हमारी सरकार ने किसानों का भुगतान किया। जो किसानों की कमर टूटी हुई थी, उसको संबल प्रदान करने का हमारी सरकार ने प्रयास किया।

(समय: 13.00 बजे)

सभापति महोदय, हमारे 12वें संकल्प के साथ में राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्द्धन मिशन का प्रारम्भ करना प्रस्तावित मुख्य मंत्री जी ने किया है। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि पिछली सरकार में, जो पांच साल की सरकार थी 2013 से 2018 तक और जो 2018 से 2023 तक की सरकार है, उसमें फसल बीमा योजना के अंतर्गत पालिसी वितरण, पिछली सरकार ने 5 करोड़ 45 के आसपास पालिसी वितरण की थी और हमारी सरकार ने 8 करोड़ 80 लाख पालिसी वितरण की हैं। फसल बीमा योजना के अंतर्गत राज्य प्रीमियम राशि का भुगतान पिछली सरकार ने 3 हजार 376 करोड़ रुपये किया था और हमारी सरकार 10 हजार 771 करोड़ भुगतान कर चुकी है अब तक। इसके साथ-साथ फसल बीमा योजना अंतर्गत वितरित बीमा क्लेम राशि, पिछली सरकार ने 7 हजार 170 करोड़ और हमारी सरकार ने 18 हजार 500 करोड़ के आसपास वितरित किया है। कृषि में अध्ययनरत जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर विषय की पढ़ाई कर रहे हैं, पिछली सरकार ने 55 हजार 261 बच्चों को फायदा पहुंचाया, हमारी सरकार ने 80 हजार 459 बच्चों को फायदा पहुंचाया है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि खेतों में सबसे ज्यादा आवारा पशुओं की दिक्कत थी, नील गाय की दिक्कत थी। पिछली सरकार ने इस पर 3 लाख 52 हजार मीटर के लगभग तारबंदी का प्रावधान किया था, जबकि हमारी सरकार ने 37 लाख 45 हजार मीटर। यह साधारण बात नहीं है, यह बहुत बड़ा फैसला है। किसानों का कितना इससे फायदा होगा, इस बात का यह लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। फार्म पोंड में 21 हजार 353 इन्होंने किये और हमने किये 21 हजार 755, यह तुलना है पिछली सरकार की और इस सरकार के चार साल की। पिछली पांच साल की सरकार थी और यह चार साल की सरकार है।

(श्री जगदीश चन्द्र)

सभापति महोदय, होर्टिकल्चर राजस्थान की खेती का एक बहुत बड़ा सोर्स है। होर्टिकल्चर में फव्वारा पद्धति के माध्यम से 1 लाख 38 हजार 254 हैक्टेयर पिछली सरकार ने प्रावधान किया था और हमारी सरकार ने 2 लाख 30 हजार 819 हैक्टेयर के आसपास सिंचाई का प्रावधान किया गया है। ड्रिप एवं मिनी फव्वारा सिस्टम, पिछली सरकार ने 92 हजार 364, हमारी सरकार ने 1 लाख 28 हजार 156 के आसपास किया। सोलर पम्प, एक नया किसानों को संबल देने के लिए, किसानों को ताकत देने के लिए सोलर पम्प का हमने स्टार्ट किया। पिछली सरकार ने मात्र 30 हजार 619 पांच साल के अंदर, हमने साढ़े चार साल में 60 हजार 410 और कम लागत के प्याज भंडारण का जो था उसमें 3 हजार 232 और हमारी सरकार ने 4 हजार 662 किया।

सभापति महोदय, मैं आग्रह करना चाहूंगा, पशुपालन का एक छोटा-सा आंकड़ा मैं पेश कर रहा हूं पिछली पांच साल की सरकार का और हमारी सरकार का। पशुधन बीमा योजना अक्टूबर, 2018 को बंद ही कर दी इन्होंने। बीमा योजना ही बंद कर दी। जो पशुओं की बात कर रहे थे, पशुओं की बात करने वाले चले गये यहां से। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा जब लम्पी की बीमारी चली थी, ये लोग सदन में उपस्थित थे, हमारी सरकार ने जिस तरीके से कोरोना का ट्रीटमेंट किया था, जिस तरीके से प्राथमिकता के आधार पर पशुओं को बचाने का जो प्रयास किया, क़ाबिल-ए-तारीफ है। मुख्य मंत्री जी ने बजट में घोषणा भी की है, वह इम्प्लीमेंट भी होगी। ये एग्जिक्यूशन की चिंता कर रहे हैं, चिंता तो हमें करनी चाहिए। ये लोग क्यों चिंता कर रहे हैं? ये खामख़्वाह पब्लिक डोमेन में अपनी बात अख़बार में छपवाने के लिए बात कर रहे थे, जो वास्तविकता से बहुत दूर है। सभापति महोदय, बीमा योजना को पुन: प्रारम्भ किया गया। वर्ष 2023-24 के लिए बजट घोषणा में मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना के तहत प्रदेश के 20 लाख पशुपालकों को दो-दो दुधारू पशुओं का 40 हजार रुपये राशि का बीमा किया जाना प्रस्तावित है।

सभापति महोदय, ऊंट के बारे में तो चर्चा ही नहीं करते हैं। हमारे बाड़मेर से आने वाले सदस्य हमेशा चर्चा करते हैं। हमारे स्टेट का पशु भी है। इस सरकार ने ऊंटों को भी अनुदान देना बंद कर दिया था, जबकि हमारी सरकार ने उष्ट्र संरक्षण योजना के तहत उष्ट्र पालकों को टोडियों के जन्म पर दो-दो किस्तों में कुल 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर वर्ष

(श्री जगदीश चन्द्र)

2022-23 में योजना को दोबारा हमने स्टार्ट किया। इसके लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके साथ-साथ जो एक पुरस्कार राशि दी जाती थी पशुपालकों को, ऊंट पालकों को पुरस्कार राशि पिछली सरकार ने तो बंद ही कर दी ताकि वह काम ही नहीं करें। लोग दूर हो गये। उनको प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह योजना को पुन: प्रारम्भ किया, जो नियमित रूप से आयोजित किया जा रहा है।

सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि 200 पशु चिकित्सा उप केन्द्रों को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया है। यह हमारी सरकार ने किया है। पिछली सरकार ने नहीं किया था। इस साल सरकार ने उसको बढ़ाकर कुल 215 पशु चिकित्सा उप केन्द्रों को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जा चुका है। बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार 100 को क्रमोन्नत किया जाना प्रस्तावित है। पिछली सरकार ने किसी भी पशु औषधालय को पशु चिकित्सालय को क्रमोन्नत नहीं किया। कितने बड़े अफसोस की बात है। यह बातें बड़ी-बड़ी करते हैं और एक भी हास्पिटल को अपग्रेड नहीं किया, जबकि हमारी सरकार ने कुल 215 पशु चिकित्सालय उप केन्द्रों को पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया है। बजट घोषणा वर्ष 2023 के अनुसार 100 को क्रमोन्नत किया जाना प्रस्तावित है।

सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि पिछली सरकार में किसी भी पशु औषधालय को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत नहीं किया गया। हमारी सरकार में 198 पशु औषधालयों को, पशु चिकित्सालयों को क्रमोन्नत किया जा चुका है। पिछली सरकार ने किसी भी पशु चिकित्सालय उप केन्द्र को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत नहीं किया, जबकि हमारी सरकार ने कुल 31 उप केन्द्र पशु चिकित्सालय को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया है। पिछली सरकार ने किसी भी प्रथम श्रेणी के जो हास्पिटल थे, उनको मल्टीपरपज के लिए क्रमोन्नत नहीं किया। हमारी सरकार द्वारा कुल 03 प्रथम श्रेणी के पशु चिकित्सालय को बहूद्देशीय पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया जा चुका है। बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार 09 को क्रमोन्नत किया जाना प्रस्तावित है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जनभावना के हिसाब से कुछ फैसले किये। पिछली

(श्री जगदीश चन्द्र)

सरकार में एक वेटेरिनरी कालेज खोला गया था, हमारी सरकार ने 08 नये वेटेरिनरी कालेज खोले हैं। इसकी स्वीकृति सरकार जारी कर चुकी है। पिछली सरकार में कोई भी डेयरी लाइसेंस एवं टेक्नोलोजी कालेज नहीं खोला गया, हमारी सरकार में 02 डेयरी लाइसेंस टेक्नोलोजी कालेज खोले गये हैं। पिछली सरकार में कोई वेटेरिनरी विश्वविद्यालय नहीं खोला गया, जबकि राजस्थान की इस मौजूदा सरकार ने एक वेटेरिनरी विश्वविद्यालय को इस कार्यकाल में वर्ष 2023-24 में खोले जाने की घोषणा मुख्य मंत्री जी ने की है।

सभापति महोदय, पिछली सरकार में पंचायत स्तर पर कोई भी प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय को ब्लाक वेटेरिनरी हैल्थ आफिस में क्रमोन्नत नहीं किया गया, जबकि हमारी सरकार में 352 पंचायत समिति स्तर पर प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय को ब्लाक वेटेरिनरी हैल्थ आफिस में क्रमोन्नत कर आवश्यक नये पद सृजित किये गये हैं। जो सरकार 2013 से 2018 में थी, उसके अंदर पशु रोग निदान एवं पशु आहार विश्लेषण प्रयोगशालाओं का विस्तार भी नहीं किया गया, जबकि हमारी सरकार में 252 पंचायत समिति स्तर पर प्रथम श्रेणी के पशु चिकित्सालयों को पशु रोग निदान केन्द्र, प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों पर पशु आहार विश्लेषण प्रयोगशाला विकसित की गयी है, पशु रोग की मृत्यु पर भी पिछली सरकार ने कोई मुआवजा नहीं दिया, हमारी सरकार ने पशु रोग लम्पी से मृत्यु दर की राशि, मुआवजे के तौर पर 40 हजार रुपये की घोषणा की गयी है।

सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि राजस्थान के हमारे आमेर से आने वाले सदस्य ने बड़े विस्तार से केन्द्र सरकार की चर्चा की। बहुत अच्छी-अच्छी बातें, किसानों की बातें की हैं। अगर यूनियन बजट आप देखेंगे, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हिन्दुस्तान के किसान के साथ सबसे बड़ा धोखा इस सरकार ने किया है। उस बजट में कुछ भी नहीं है। उस बजट में यह कहा गया है कि मिट्टी का परीक्षण किया जायेगा। पांच हजार साल से हम लोग खेती कर रहे हैं, हमें पता है कि कौनसी मिट्टी में फसल हो रही है या किसमें नहीं हो रही है। यह किस प्रकार का फैसला है?

पानी के बारे में चर्चा कर रहे थे। भाखड़ा की चर्चा कर रहे थे। अभी गंग कैनाल के बारे में उन्होंने चर्चा की। वह 27 क्यूसेक्स नहीं है। 2700 क्यूसेक्स की गंग कैनाल 1927 में बनी थी, महाराजा गंगासिंह ने बनायी थी। अगर ये थोड़ा बहुत किसान के प्रति दर्द रखते हैं तो बी बी एम बी के अंदर

(श्री जगदीश चन्द्र)

राजस्थान का मैम्बर बनाना चाहिए क्योंकि भारत में इनकी सरकार है। इनको तय करना चाहिए। अभी तक फैसला नहीं कर पाये। चार साल की दिल्ली की सरकार हो गयी है और अब तक कोई फैसला नहीं कर पाये। राजस्थान के हितों का ध्यान रखने वाला कोई सदस्य बी बी एम बी में हमारा नहीं है।

सभापति महोदय, 500 करोड़ की घोषणा की है किसानों के खालों के लिए। 200 करोड़ की पिछले बजट में घोषणा की थी, जो जमीनी स्तर पर आ गयी है। पहली बार सरकार ने बजट बनते के साथ में, 3 हजार करोड़ की सरहिन्द फीडर की जो बात कर रहे थे, हमारी सरकार ने मरम्मत करने का प्रयास किया। कर्जे माफी की इनको बड़ी चिंता हो रही है। बार-बार ठाकरी की बात कर रहे हैं, रायसिंहनगर की बात कर रहे हैं, हमारी सरकार ने 22 लाख किसानों का 14 हजार करोड़ का कर्जा माफ किया है। जबकि भारत सरकार ने जो केन्द्र सरकार के बैंक थे, बार-बार मुख्य मंत्री जी ने आग्रह किया कि केन्द्र सरकार कर्जा माफ करे या एनपीए डिक्लीयर करे। हिन्दुस्तान के किसान के प्रति सरकार की सोच है कि हिन्दुस्तान का किसान डिफाल्टर है। अडानी जैसे लोग जो देश को लूट कर चले गये हैं, मेहुल चौकसी जैसे लोग जो देश को लूट कर चले गये हैं, वे तो एनपीए डिक्लीयर हो गये और किसान को कहा कि डिफाल्टर हो गया है। अगर इतना ही पेट में दर्द है तो भारत सरकार एकमुश्त फैसला करे। राजस्थान की सरकार कर्जा माफ करने के लिए तैयार है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है। ये किसान की बात ही करते हैं। ये पार्टी कभी किसानों की थी ही नहीं। ये पार्टी हमेशा से किसानों से नफरत कर रही है। अगर किसानों की बात करती तो, 700 किसानों का अब तक सरकार मुआवजा नहीं दे रही है। एम एस पी की बात कर रहे थे। भारत सरकार और किसानों के बीच क्या समझौता हुआ है, आज तक पब्लिक डोमिन में नहीं आया। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से भी आग्रह करूंगा, वह बताए एम एस पी पर क्या फैसला हुआ? जबकि राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि हम राजस्थान के किसानों का एक-एक दाना एम एस पी पर खरीद करने की कोशिश करेंगे। यह हमारी सरकार का फैसला है, इनकी सरकार का फैसला नहीं है। यह तो किसानों की जमीन कुर्क करने की तैयारी कर रहे थे। भूमि अधिग्रहण बिल भी लेकर आये थे। हमारी सरकार ने अथोरिटी बनाई है, किसान की जमीन को रोकने के लिए। 5 एकड जमीन का, हमारी सरकार ने जो कानून बनाया था, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमारा वह कानून

(श्री जगदीश चन्द्र)

महामहिम राष्ट्रपति के पास आज तक साइन के लिए पड़ा हुआ है। यह हमारी सरकार के फ़ैसले हैं।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, बार-बार डीएपी व यूरिया की बात कर रहे थे। यूरिया और डीएपी भारत सरकार का फैसला है, हमारी सरकार थोड़े ही देती है। लम्बी लाइन क्यों लग रही है? हमारे कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जी बैठे हैं, मैं बधाई देना चाह रहा हूं, जब भी खाद की कमी आई, एक टेलीफोन पर राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को यूरिया उपलब्ध कराई गई। जब दिल्ली से ही आप नहीं भेजोगे, आपकी मंशा राजस्थान की सरकार को बदनाम करने की है। आपने सरकार तोड़ने की कोशिश की। सरकार को बदनाम करने की कोशिश की। फाइनेंशल असिस्टेंस केन्द्र सरकार से मिलता है, आपने उसको रोकने का प्रयास किया। आपकी नीयत ठीक नहीं है। आप किसानों पर चर्चा भी नहीं चाह रहे थे। यह सरकार किसानों की नहीं है। यह सरकार शिड्यूल्ड कास्ट के प्रति स्नेह नहीं रखती; एस टी के प्रति नहीं रखती; महिलाओं के प्रति स्नेह नहीं रखती; इसलिए चर्चा ही नहीं चाह रहे। अगर चर्चा करते तो हाउस में बैठते। सुनने का माद्दा भी रखना चाहिए। अपनी बात सुना कर चले गए। हिम्मत नहीं है इन लोगों की। सभापति महोदय, असत्य के कभी पांव नहीं होते।

सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा। कृषि मंत्री जी बैठे हैं, मंत्री जी, आपने डिग्गियों पर पिछली बार पैसा दिया, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, मेरा सुझाव है, तीन लाख अनुदान देते हो, उसमें पांच लाख करने की कृपा करें ताकि किसानों को फायदा हो सके। महंगाई हो गई है, महंगाई भारत सरकार की वजह से हुई है। 33 परसेंट महंगाई बढ़ गई है। जो ईंट बाजार में 5 हजार मिलती है, राजस्थान की सरकार 3 हजार 500 के हिसाब से ले रही है, इसलिए कोई सामान देने के लिए तैयार नहीं है। महंगाई केन्द्र सरकार की वजह से बढ़ी है। स्टील बढ़ गया, सीमेंट बढ़ गई। सब चीजें बढ़ गई हैं।

सभापति महोदय, मैं आग्रह करना चाहूंगा, यह कैसी सरकार है। गुप्त काल के अन्दर 3100 साल पहले आचार्य चाणक्य ने कहा था कि सरकार की टैक्स की नीति जनता के हित में होनी चाहिए। यह तो वह सरकार है, जिसने कफन पर भी 16 परसेंट टैक्स लगा दिया। यह दिल्ली की सरकार मरे हुए आदमी पर टैक्स लगाने वाली सरकार है। इनको शर्म आनी चाहिए, इस तरह

(श्री जगदीश चन्द्र)

की बात करते हुए। क्या यह किसानों की बात करने वाले लोग हैं? देश का अन्नदाता, देश का 85 परसेंट किसान जिसके पांच परसेंट से कम जमीन है, उसकी बात कर सकते हैं यह लोग? सभापति महोदय, यह घड़ियाली आंसू हैं। यह चले गये, इनकी सुनने की ताकत नहीं है।

सभापति महोदय, हमारी साधुवाली मण्डी, गंगानगर में किसान गाजर बहुत ज्यादा पैदा करता है। उत्तर भारत में सबसे ज्यादा गाजर पैदा होती है। पिछली बार भी मैंने कृषि मंत्री जी से आग्रह किया था कि गंगानगर की गाजर मण्डी को तुरन्त शुरू कराएं, ताकि किसानों को फायदा हो सके। इसके साथ-साथ मेरी एक छोटी-सी मांग है, मेरे विधान सभा क्षेत्र मोरजण्डखारी की, जहां पशु अस्पताल को बड़ा करना है। दोदाखिचड़े गांव में किसान सेवा केन्द्र खोला जाना है।

सभापति महोदय, गंगानगर का किसान टोटली नहर के पानी पर डिपेंड है। नहर के पानी की समस्या है। निश्चित तौर पर नहरों की मरम्मत के लिए बंदी करनी पड़ती है। 70 दिन की बंदी है, बिजाई भी होनी है। राजस्थान की सरकार, हम लोग निरन्तर कोशिश कर रहे हैं कि पांच-सात दिन में, जैसे ही पानी अवेलेबल होगा, हम किसानों को राहत देंगे। मैं आपके माध्यम से दिल्ली सरकार से आग्रह करूंगा, प्रधान मंत्री से आग्रह करूंगा कि पंजाब सरकार से इंटरवीन करे, पंजाब सरकार को रोके। पंजाब के मुख्य मंत्री जी 135 गांवों में पीने के पानी की सप्लाई वाली बात कर रहे हैं, वह इनकी शह पर कर रहे हैं। वह हमारा हिस्सा नहीं ले रहे। वह पंजाब के पानी का हिस्सा है। हमारा पानी का हिस्सा है, उसमें राजस्थान की सरकार पहरेदारी करेगी, किसान का किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने देगी, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): राजस्थान की सरकार ने हमेशा किसानों की बात की है, किसानों के साथ खड़ी है। मुझे वह समय भी याद है जब राजस्थान के मुखिया ने सारी कैबिनेट के साथ व 100 एमएलएज के साथ किसानों को सम्बल प्रदान करने के लिए, ताकत प्रदान करने के लिए, तीन खेतीबाड़ी कानून वापस करने के लिए एक दिन का पूरा धरना दिया, राजस्थान के मुख्य मंत्री धरने पर बैठे। यह सामान्य बात नहीं है कि केन्द्र सरकार के खिलाफ सरकार का मुख्य मंत्री धरने पर बैठे। केन्द्र सरकार ने राजस्थान सरकार के हित को कमजोर करके, खेतीबाड़ी के कानून बनाए। देश

(श्री जगदीश चन्द्र)

में लॉकडाउन था। लोग मर रहे थे, जान बचा रहे थे। 53 परसेंट जो खेती का व्यापार था, केन्द्र सरकार पांच उद्योगपतियों को देना चाह रही है। इन लोगों को खेती से कोई मतलब नहीं है। भूमि अधिग्रहण बिल की बात हो, दूसरी बातें हो। भारत सरकार से अगर बजट की तुलना करें, राजस्थान सरकार ने बजट में महत्वपूर्ण फ़ैसले किये हैं वह ऐतिहासिक फ़ैसले हैं।

सभापति महोदय, आमेर से आने वाले हमारे सदस्य ने बड़ी लम्बी-चौड़ी बात की है। बार-बार किसानों की बात करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, जयपुर में जमीन की पैमाइश क्या होती है और गंगानगर में जमीन की पैमाइश का क्या पैमाना है? इनको यही नहीं पता कि जयपुर में जमीन का आंकड़ा क्या है और गंगानगर में जमीन का आंकड़ा क्या है, राजस्थान में कितनी खेती हो रही है, इनको इस बात का पता नहीं है। किसानों की बात करते हैं, इन लोगों ने कभी खेत नहीं देखा कि खेत क्या होता है, किसान किस तरीके से फसल काटता है, किस तरह बिजाई करता है। सभापति महोदय, यह सदन को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। इतना शानदार डिस्कशन सरकार खेती पर कर रही है, अलग से मुख्य मंत्री जी ने बजट पेश किया है, इसकी तारीफ होनी चाहिए। पिछले बजट में भी 48 हजार करोड़ का हमने प्रावधान किया था, जिसका फायदा राजस्थान का किसान ले रहा है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से आग्रह करूंगा, गंगानगर में हमारे काफी बाग़ हैं, बागों पर ध्यान दें, बागों को पानी की जरूरत है। आप कृपा करके प्राथमिकता के आधार पर उसका बन्दोबस्त करें।

इसके साथ-साथ, फ़सली मुआवजे की बात कर रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए। आज गंगानगर, हनुमानगढ़ के किसान, जिनका नुकसान हुआ था, वह राहत महसूस कर रहे हैं कि सरकार ने हमारी बात सुनी है। इतनी ही बात कहकर, अपनी बात समाप्त करूंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री बिहारीलाल जी।

सूचना

राजसमन्द के आमेट में रेती माफिया द्वारा कारित हत्या

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): सभापति महोदय, राजसमन्द ज़िले में आमेट में आज रात को 30 साल का मनीष अपने खेत पर गया था, वहां रेती

(श्री धर्मनारायण जोशी)

माफिया अपने ट्रैक्टर भर रहे थे, उसने उनको मना किया। ट्रैक्टर को उसके ऊपर चढ़ा दिया गया और वह मर गया। उसके चार साल का बेटा है। आमेट में एक हजार लोग अस्पताल में इकट्ठे हो रहे हैं। पुलिस उनसे जबरदस्ती कर रही है। उसका पिता नंदलाल हलवाई की सामान्य दुकान करता है। मेरी सरकार से विनम्र प्रार्थना है कि तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाकर सदन में वक्तव्य दे। यही निवेदन है, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बिहारीलाल जी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 46-कृषि व 47-पशुपालन एवं मत्स्य पर विचार

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति जी, आज कृषि व पशुपालन की डिमांड पर आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

"पैर हों जिनके मिट्टी में, दोनों हाथ कुदाल पर रहते हैं,
सर्दी-गर्मी या फिर बारिश, सब कुछ ही वह सहते हैं,
आसमान पर नजर हमेशा, वह आंधी तूफान सब सहते हैं,
खेतों में हरियाली आए, दिन और रात लगे रहते हैं,
मेहनत करके अन्न उगाते, पेट सभी का भरते हैं,
वह है मसीहा मेहनत का, उसको किसान हम सब कहते हैं,
खुद की परवाह किये बिना, दिन रात अन्न उपजाता है,
उसी के भरोसे हम और हमारा शरीर मुसकुराता है।"

ऐसे किसान को नमन करते हुए मैं कहना चाहूंगा, वर्तमान सरकार ने अंतिम बजट पेश किया है। पिछले दो-तीन बजट से इस बात को बहुत प्रचारित किया जा रहा है कि एग्रीकल्चर अलाइड एक्टीविटीज का अलग से बजट लेकर आये हैं। माननीय सभापति जी, उसकी बानगी देखिये, 2021-22 में 5.4 परसेंट टोटल एक्सपेंडीचर का एग्रीकल्चर पर इन्होंने प्रावधान रखा। वह तो बजट एस्टीमेट था, एक्चुअल में आते-आते माइनस में दस प्रतिशत चले गए, यह स्थिति है। 2022-23 में बजट एस्टीमेट 5 प्रतिशत टोटल एक्सपेंडीचर का और आर.ई. में घटकर 4.2 हो गए और एक्चुअल की स्थिति तो अभी आएगी तो पता चलेगा। 2023-24 में बजट एस्टीमेट 4.3 प्रतिशत, 2022-23 से भी कम है। हम अगर प्रदेश का देखें, आल स्टेट एवरेज 5.8

(श्री बिहारीलाल)

प्रतिशत देश भर में है, कहां 5.8 प्रतिशत और कहां 4.3 प्रतिशत। एक्चुअल में आर.ई. आएगा तो स्थिति और भी दयनीय होगी। यह एग्रीकल्चर बजट की स्थिति है।

'यो धोरां रो देश, देश में चांदी भरणी रेत, रेत में मोती निपजे'

माननीय मंत्री जी, यह मोती है बाजरा, ग्वार, मूंग, मूंगफली, उड़द, सोयाबीन, कपास और चावल। यह मोती है, सरसों, गेहूं, चना, जीरा और अनार। इस धोरों की धरती को कर रहे हैं गुलजार। परन्तु इन मोती रूपी फ़सलों में, उनको उगाने वाले अन्नदाता की हालत अलग-अलग ज़िलों में अलग-अलग फ़सलों के हिसाब से क्या है, वह मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा।

माननीय मंत्री जी, जिस प्रधान मंत्री के प्रस्ताव पर यू.एन., एफ ए ओ ने 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया, उस प्रधान मंत्री के लिए दुआ मांगी जा रही है कि यह मोदी खतम होगा तो देश बचेगा। जिस मोदी ने किसान के हित के लिए सोइल हैल्थ कार्ड, फसल बीमा योजना, अटल जी ने व मोदी जी ने जो काम किसान हित में किये हैं वह किसान उनके लिए दुआ करता है कि वह हज़ारों साल जीएं।

यू.एन. ने जब देश के नेतृत्व को, देश के आग्रह को स्वीकार करते हुए 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया तो, माननीय सभापति महोदय, मोटे अनाज में बाजरा पूरी दुनिया की सबसे पहली पसंद है और देश में राजस्थान बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक स्टेट है जहां पर 35 लाख हैक्टेयर में बुवाई होती है और राजस्थान में सालभर में बोई जाने वाली खरीफ और रबी की जो फसलें हैं उनमें सर्वाधिक क्षेत्रफल अगर किसी फसल का है तो वह बाजरे का है। अभी माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि एक-एक दाना सरकार खरीदेगी। यह स्थिति देखिये कि सबसे ज्यादा उत्पादक प्रदेश राजस्थान है, मिलेट ईयर में हम चल रहे हैं, दुनिया का हम नेतृत्व कर रहे हैं, उस बाजरे की स्थिति का क्या माजरा सरकार के अन्दर है? आप यह बानगी देखिये कि जब पिछले साल किसानों का बाजरा खरीदने की बात सरकार से की गयी, मांग हुई, धरने-प्रदर्शन हुए तो केन्द्र ने इस सरकार को कहा कि एक चिट्ठी लिख दीजिए सरकारी खरीद के लिए, लेकिन राजस्थान की सरकार ने नहीं लिखी और एक दाना किसान का बाजरे का सरकार ने नहीं खरीदा। एम.एस.पी. जिसकी 2300 रुपये से ज्यादा है वह किसान को

(श्री बिहारीलाल)

1200-1300 रुपये में बेचने पर मजबूर होना पड़ा, यह स्थिति राजस्थान की सरकार की है।

माननीय सभापति महोदय, बाजरे की बीज की वैरायटी की किस्म है, राजसीड जो 100 से 150 रुपये किलो का बीज है, राजस्थान सरकार के वैज्ञानिकों ने मई, 2022 में भारत सरकार की बिना परमिशन के अन्तरराष्ट्रीय बाजरा महोत्सव करवा लिया और उसमें निजी सीड कम्पनी पाइनियर की पैरवी भी कर दी कि किसान पाइनियर का बीज लगाये। जो बीज पाइनियर 700 रुपये किलो बेचता है वह हमारी स्टेट की एजेंसीज, हमारे फार्म, हमारे एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट उसको 100 से 150 रुपये किलो में बेचते हैं, तो इसमें भी क्या राज है? माननीय मंत्रीजी, इसकी तहकीकात करवायें।

आपने बाजरे की सरकारी खरीद के लिए केन्द्र को नहीं लिखा, यह तो मैंने आपको जिक्र कर दिया पर एक सुझाव मैं आपके माध्यम से सरकार को, माननीय मंत्रीजी को देना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा आयरन बाजरे में है। माननीय सभापति महोदय, आप भी इससे वाकिफ हैं और एम.डी.एम., मिड डे मील में निश्चित तौर पर बाजरे को भी शामिल किया जाये ताकि किसान को भी ताकत मिले और हमारी आने वाली पीढ़ी एनीमिया से मुक्त हो, उसके ब्लड में आयरन की कोई कमी नहीं रहे, हमारी पीढ़ी मजबूत हो। एन.एफ.एस.ए. में भी गेहूं के साथ बाजरे का वितरण किया जाये, यह भी सरकार प्रावधान करे।

संसद में, पार्लियामेंट के सेशन में सभी सांसदों को, दक्षिण से आने वालों को, उत्तर से आने वालों को, पूर्व-पश्चिम से आने वालों को बाजरा खिलाया गया और सभी ने इस मिलेट ईयर में, यह एक नई शुरुआत हुई है तो हमारे बाजरे के काश्तकारों को ताकत मिलनी चाहिए और उनका एक-एक दाना खरीदा जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, बात करें तो बाजरा तो बहुत बड़ी फसल है परंतु एक छोटी-सी फसल है मोठ और बीकानेर का नमकीन भुजिया जिसकी दुनिया में ख्याति है, वह मोठ से ही बनता है और जिस विधान सभा क्षेत्र से मैं आता हूं, वह एशिया की सबसे बड़ी मोठ मंडी है नोखा और उस मोठ की स्थिति आप देखिये कि अभी दुबई में एक फूड फेस्टिवल हुआ और वहां दस बाई दस की एक-एक स्टाल लगाने के लिए भी पचास-पचास लाख रुपये और तीन-तीन साल की वहां पर वेटिंग है, व्यापारियों को वहां पर जगह नहीं मिल रही है। वहां पर बीकानेर का बीकाजी, हल्दीराम, बीकानेर वाला भीखाराम

(श्री बिहारीलाल)

चांदमल, सोनगरी का हनुमान भुजिया, नोखा का मारुति उद्योग, जी.के.जी. जैन भुजिया, इन्होंने धाक जमायी है वहां दुबई में, गल्फ कंट्रीज में भी और देश और दुनिया में भी तो जब नमकीन का स्वाद देश और दुनिया में बीकानेर राजस्थान के लिए बड़ी गौरव की बात है तो मोठ को एम.एस.पी. में शामिल इसीलिए नहीं किया गया कि इसको मात्र रीजनल फसल माना गया है जो मात्र बीकानेर, चूरू और जैसलमेर के हिस्से में होती है और छोटी सी फसल है, मात्र 60 दिन में फसल तैयार हो जाती है। आर.एम.ओ. 40 इसकी स्पेशल वैरायटी है जो बहुत कारगर है, उत्पादन भी अच्छा है, तो हमारी यह मांग है कि जिस तरह पश्चिम बंगाल में छोटे से एरिया में जूट होता है तो जूट आयोग बनाकर किसानों की मदद की जाती है, तो वैसे ही माननीय मंत्रीजी जो किसानों के साथ उठते-बैठते हैं, वे स्वयं भी किसान हैं, विधान सभा में आने से पहले भी खेती-किसानी करके आये हैं, रोज करके आते हैं तो हमारी सरकार से यह मांग है कि छोटी रीजनल फसल देखते हुए मोठ को एक मोठ संवर्धन आयोग बनाकर इसकी एम.एस.पी. मूंग की जैसे 7500-7700 एम.एस.पी. है, उससे भी बढ़ाकर दस हजार रुपये मोठ की एम.एस.पी. तय करें आयोग बनाकर राजस्थान की सरकार, तभी मोठ की मिठास, किसान को मिठास मिल पायेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं यहां पर जिक्र करना चाहूंगा प्याज का। मंत्रीजी मेरे यहां नोखा में आते रहते हैं, बीकानेर के प्रभारी मंत्री हैं। वे जसरासर भी आये तो हमारे जो जसरासर जो सीकर से लगता हुआ क्षेत्र है। हमारे बीकानेर का नोखा में जसरासर, सादासर, उठसर, रूताबमदेसर, झाडेली, तावरिया, काकड़ा और साजनवासी गुजड़ी, मसुरी, इस बेल्ट में प्याज की फसल किसान बहुत बोता है और प्याज की मंडी कहीं पर नहीं है। किसान को अपनी फसल बेचने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो जसरासर में राजस्थान की सरकार प्याज की मंडी खोले ताकि किसानों को फायदा मिले और प्याज भंडारण के लिए जो 87 हजार रुपये का अनुदान शैड बनाने के लिए सरकार देती है, वह बहुत कम है, तो कम से कम 3 लाख रुपये प्याज भंडारण का शैड बनाने के लिए सरकार किसानों को देने का काम करे।

माननीय सभापति महोदय, आज किसान पर चर्चा हो रही है तो हम शुरुआत में बोल रहे हैं तो तड़का लगा रहे हैं। अब बिना जीरे का कोई तड़का लगता है? अब जीरा सबसे कीमती फसल है। पश्चिमी राजस्थान में महिला

(श्री बिहारीलाल)

किसान द्वारा एक गीत बहुत ही पुराने समय से गाया जाता है और आप सबने भी सुना होगा कि- जीरो जीव रो बैरी रे मत बाओ म्हारा परण्या जीरो। परण्या मतलब, वह अपने पति से, किसान से यह अरदास करती है कि जीरे की फसल मत बोओ, परंतु माननीय सभापति महोदय, किसान तो स्वभाव से जिद्दी है, उसका परण्या तो उसकी बात नहीं मानता और उसका परण्या मतलब, किसान ने पूरे प्रदेश में करीब सात लाख हैक्टेयर में जीरा बो दिया है। अब उस महिला किसान ने एक नया गीत गा दिया कि- पाणत करता-करता जीरे में पड़ गयी पगडंडियां, पण म्हारा परण्या रो जीरो नहीं बिक रहा राजस्थान की मंडियां, स्थिति यह है जीरे की। सात लाख हैक्टेयर में जो फसल है, वह जीरे की मंडी राजस्थान में मात्र एक जोधपुर में सिर्फ डेढ़ बीघा में है, पूरे पश्चिम राजस्थान में कम से कम 25 मंडियों में जीरे की मंडियां खोली जायेंगी तब जाकर किसान को फायदा होगा। इससे परेशान होकर उस महिला ने सुंधा माता से एक अरदास करी है, माननीय मंत्रीजी, आप भी उस अरदास को सुनें। हे सुंधा माता, मैं मिश्री चढ़ाऊंगी कुंजा में, कुंजा मिश्री आप जानते हैं, माननीय सभापति महोदय, बिना धागे वाली मिश्री। हे सुंधा माता, मैं मिश्री चढ़ाऊं कुंजा में, म्हारा परण्या रो जीरो बिका दे ऊंझा में। अब गुजरात की ऊंझा में जीरा बिकाने की अरदास वह कर रही है सुंधा माता से। हम उसकी अरदास पर आपसे यह अरदास कर रहे हैं कि राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में 25 मंडियां जीरे की खोली जायें ताकि राजस्थान का जीरा किसान को ऊंझा नहीं ले जाना पड़े और जी.एस.टी. का करोड़-अरबों रुपये का फायदा गुजरात को होता है, राजस्थान को नुकसान होता है, मंडी टैक्स का फायदा गुजरात को होता है, राजस्थान को नुकसान होता है, तो इस बात का भी संज्ञान माननीय मंत्रीजी लेंगे।

माननीय मंत्रीजी, राजस्थान की कृषि उपज मंडियों की स्थिति हमारे सामने है। हमारी यह मांग है कि नोखा में मोठ मंडी एक अलग से खोली जाये, फल सब्जी मंडी खोली जाये और डूंगरगढ़ से मामासर, सूरसर में कृषि मंडी की आवश्यकता है। नरमे का एरिया कोलायत में बहुत बड़ा है लेकिन कोलायत में कोई मंडी नहीं है। अभी गंगानगर से आने वाले साथी ने साधुवाली का जिक्र किया, मैं भी संगठन के नाते गंगानगर जाता रहता हूं, तो गाजर की मंडी भी साधुवाली में शुरू की जाये, मैं उसका समर्थन करता हूं। बेमौसम बरसात से किसान की फसलें मंडी में आयी हुई, पकी हुई फसल बह जाती है, खराब हो जाती है इसलिए बड़ी मात्रा में मंडियों में टीन-शैड भी बनाये जायें

(श्री बिहारीलाल)

और अतिरिक्त तिरपालों की व्यवस्था भी की जाये। मूंगफली के लिए अलग से व्यवस्था की जाये।

माननीय सभापति महोदय, एक बहुत बड़ी फसल जो रबी की मुख्य फसल है, उसमें आती है सरसों की। पंजाबी में हमने यह सुना है कि सरसों का साग और मक्के की रोटी। अब राजस्थान को मस्टर्ड स्टेट कहा जाये तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि पूरे देशभर का लगभग 45 प्रतिशत मस्टर्ड राजस्थान में उत्पादित होता है और राजस्थान में पिछले दिनों शीतलहर और पाले से 15 जिलों में सरसों का बड़ा नुकसान हुआ है, चने का नुकसान हुआ है, जीरे का नुकसान हुआ है और 15 जिलों में ओलावृष्टि से नुकसान हुआ। आपने गिरदावरी की बात तो की है लेकिन फील्ड में जो बातें हुईं, मात्र खानापूर्ति, महज खानापूर्ति हुई और अगर आप उसको सही तरीके से करवाते तो मिड सीजन एडवरसिटी का लॉ अगर इम्प्लीमेंट हो जाता फसल बीमा का, अगर वह लॉ इम्प्लीमेंट होता तो किसान को गारंटीड यील्ड का 25 प्रतिशत तुरंत उसके खाते में आता। अब सरसों की गारंटी यील्ड, माननीय 55 हजार रुपये है, सरसों की गारंटी यील्ड 55 हजार रुपये है। अगर उसको मिड सीजन एडवरसिटी एक्ट लागू होता, सही गिरदावरी सरकार करती तो किसान को 3500 रुपये प्रति बीघा उसके खाते में जाता। माननीय सभापति महोदय, इससे कितनी बड़ी ताकत किसान को मिलती और उसके बाद फसल कटाई प्रयोग में उसको मुआवजा दस हजार रुपये प्रति बीघा के हिसाब से किसान को ताकत मिलती, इसलिए आपने सिर्फ खाना पूर्ति की।

दूसरी बात, अभी कृषि शिक्षा की बात हुई है। माननीय सभापति महोदय, कृषि शिक्षा कौन पढ़ने जाता है? किसान का बेटा ही जाता है। अधिसंख्यक किसान का बेटा कृषि की शिक्षा में जाता है, स्नातक और स्नातकोत्तर करना चाहता है। कृषि शिक्षा की स्थिति हमने क्या कर दी है? पांच यूनिवर्सिटीज थीं, नई यूनिवर्सिटीज हम खोलते जा रहे हैं, कालेज खोलते जा रहे हैं और इस बजट में 29 कालेज खोल दिये। माननीय सभापति महोदय, आपको आई.सी.ए.आर. क्या कहता है? उसकी परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। आई.सी.ए.आर. यह कहता है कि कालेज के पास तीस हैक्टेयर की जमीन होनी चाहिए, टीचिंग एवं नॉन टीचिंग में 45 का स्टाफ होना चाहिए, बाउंड्री-वाल होनी चाहिए, होस्टल, लाइब्रेरी, फील्ड प्रैक्टिकल के लिए उपयुक्त संसाधन होने चाहिए। प्रैक्टिकल के लिए सभी विषयों के लिए अलग-अलग प्रयोगशालाएं होनी

(श्री बिहारीलाल)

चाहिए। किस कृषि महाविद्यालय के पास यह सारी बातें हैं? माननीय सभापति महोदय, जो महाविद्यालय यूनिवर्सिटीज के अन्दर चल रहे हैं, उनमें यह सुविधाएं तो मान सकते हैं। जब विश्वविद्यालय ने मना कर दिया कि यह बातें हम नहीं कर पाएंगे प्रैक्टिकली धरातल पर तो कृषि विभाग से हटाकर कालेज शिक्षा में उन कालेजों को दे दिया।

माननीय सभापतिजी, मेरे से पूर्व वक्ता कह रहे थे कि धीरे-धीरे सब हो जायेगा। मैं उसकी भी आपको बानगी बता देता हूं कि बांसवाड़ा का एग्रीकल्चर कालेज 2018-19 से चल रहा है, वहां पर 45 का स्टाफ चाहिए, 3 का स्टाफ है। उनियारा का 2007-08 से चल रहा है, वहां पर 45 का स्टाफ का चाहिए, 5 का स्टाफ है। चिमनपुरा का 1982-83 से चल रहा है, वहां पर 45 का स्टाफ चाहिए, 10 का स्टाफ है। सवाई माधोपुर का तो 1971-72 से चल रहा है, वहां पर 45 का स्टाफ चाहिए, 6 का स्टाफ है। किस तरह से आप कृषि की शिक्षा लोगों को दे पायेंगे? इससे सबसे ज्यादा प्रभावित किसान का बेटा ही होगा। वही किसान का बेटा होगा जो उन्नत कृषि को और मजबूत करने के लिए नयी प्रौद्योगिकी सीखने हेतु एग्रीकल्चर में एडमिशन लेगा। आप किसान का भला नहीं कर रहे हैं। ऐसा करके आप किसान का नुकसान कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा बीकानेर की एसकेआरएयू जो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है राजस्थान की, उस एसकेआरएयू में इंजीनियरिंग का पाठ्यक्रम शुरू किया जाये। पेमेंट सीटों की संख्या कम की जाये। पेमेंट सीट पर एडमिशन लेने पर किसान का बहुत पैसा लगता है। जिस तरह से आपने कालेज खोले हैं, कृषि शिक्षा को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। इसमें मेरा सुझाव है कि पांच यूनिवर्सिटीज के जो संगठक कालेज हैं, उन्हीं में बीएससी की सीटें 50 परसेंट बढ़ा दीजिये। आप 20 सीटें और बढ़ा दीजिये, आप पीएचडी में 10 सीटें और बढ़ा दीजिये, तब तो आप उनके साथ न्याय कर पायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, हमारी इस यूनिवर्सिटीज की सबसे बड़ी समस्या एक और है। बीकानेर में उसके पड़ौस में इण्डस्ट्रियल एरिये के गन्दे पानी की बदबू आती है। छात्र-छात्राओं को मास्क लगा कर क्लासेज में बैठना पड़ता है यह आज की नहीं, वर्षों की समस्या है। इस बात को माननीय मंत्रीजी ने भी महसूस किया है। मंत्रीजी वहां जाकर आये हैं लेकिन अभी तक समाधान

(श्री बिहारीलाल)

कुछ नहीं निकल पाया। हमारी यह यूनिवर्सिटी सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा पाने के सारे मापदण्ड पूरा करती है इसलिए राजस्थान की सबसे पुरानी और ज्यादा संशोधन करने वाले कृषि विश्वविद्यालय को सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी के लिए राजस्थान सरकार केन्द्र को लिखे।

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय सदस्य।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति महोदय, मेरा 15 मिनट का समय है।

श्री सभापति: हां, टाइम तो हो गया लेकिन आप एक मिनट और बोल लीजिये।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति महोदय, एक और स्थिति मैं बताना चाहूंगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 2018 की भर्ती में एमएससी के सभी विषयों को शामिल किया जाता था। अभी नियुक्तियां दी जा रही हैं लेकिन 2022 की भर्ती में मात्र तीन विषयों को लागू किया गया है। इस बाध्यता को हटाया जाये और न्याय किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, राजीव गांधी कृषक साथी योजना में किसान को मात्र दो लाख रुपये का मुआवजा मिलता है। आपने चिरंजीवी में 10 लाख का दुर्घटना बीमा कर दिया है। इस योजना में में भी किसान के लिए बीमा की राशि को बढ़ा कर 25 लाख रुपये मौत हो जाने पर किसान को दिया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको जिक्र करना चाहूंगा। अभी यूरिया, डीएपी की बात हुई। सेन्टर पर बहुत बड़े आरोप लगाये गये कि एलोकेशन नहीं किया। आपके सामने चार्ट रखता हूं। खरीफ में 2020-21 में आपकी डिमाण्ड 4.5 लाख मीट्रिक टन की थी, आपको मिला 4.6 लाख मीट्रिक टन। खरीफ 2021-22 में आपकी डिमाण्ड 4.5 लाख मीट्रिक टन थी, आपको मिला 4 लाख मीट्रिक टन। रबी 2021-22 में आपकी डिमाण्ड 3 थी, आपको 3 मिला। 2022-23 खरीफ में आपकी डिमाण्ड 4.40 लाख मीट्रिक टन थी, आपको मिला 4.48 लाख मीट्रिक टन। 2022-23 रबी में आपकी डिमाण्ड 4.5 लाख मीट्रिक टन थी, आपको मिला 4.85 लाख मीट्रिक टन। कहां गया वह? यूरिया भी आपने इस बार 14.5 लाख मीट्रिक टन मांगा, आपको 15.5 मीट्रिक टन मिला। जितना मांगा उससे ज्यादा एलोकेशन आपको दिया। कालाबाजारी कहां हुई? अव्यवस्था कहां हुई? उसकी भी आपको चिन्ता करने की जरूरत है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, थैंक यू वैरी मच। श्री मेवाराम जैन।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट का समय दे दीजिए।

श्री सभापति: समय आपका हो गया।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति महोदय, पशुपालन पर लम्पी पर पिछले सत्र में चर्चा कर चुके लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि 900 वेटेरिनरी के छात्रों की भर्ती कोर्ट में अटकी पड़ी है, पांच महीने से उसका डिसीजन पेंडिंग है। माननीय मंत्री महोदय, आप सरकार के एजी, एएजी को लगाकर पूरी ताकत से भर्ती को निकलवाइये और वेटेरिनरी के डाक्टर्स को लगाइये क्योंकि सारे अस्पताल खाली पड़े हुए हैं। आपने 40 हजार रुपये दो गायों के लिए कहा है, उसकी कोई कार्ययोजना धरातल पर नहीं है। आपने सिर्फ 76 हजार गायों की मौत मानी है जबकि लाखों गायें लम्पी से काल कवलित हुई हैं। उसके लिए जो जिम्मेदार हैं, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करें तब ही किसान को ताकत मिलेगी। धन्यवाद।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय सभापति महोदय, आज बहुत ही महत्वपूर्ण मांग संख्या 46- कृषि विभाग एवं मांग संख्या 47- पशुपालन विभाग पर चर्चा करने के लिए आपने समय दिया। आपको धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, किसी भी राज्य के चहुंमुखी विकास के लिए युवा और किसान महत्वपूर्ण धुरी होते हैं। पूरे सदन और राजस्थान की जनता के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सकारात्मक सोच के कारण वर्ष 2022-23 में पहली बार किसानों के लिए कृषि बजट अलग प्रस्तुत किया जिसमें आमजन, किसान, पशुपालक एवं दुग्ध उत्पादकों को अत्यन्त लाभ मिला। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, हमारी कृषि आधारित नीतियों के प्रति कृषि क्षेत्र में वर्ष 2017-18 से 2021-22 के मध्य ग्रोस स्टेट वेल्यू एडेड में प्रतिवर्ष 13.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई। किसान भाइयों के गहरे प्रयासों एवं माननीय मुख्य मंत्रीजी की संवेदनशीलता से कल्याणकारी योजनाएं हरित क्रांति के अग्रज डा. एमएस स्वामीनाथन का सपना साकार होने जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, किसान देश की वह धुरी हैं कि आज उनको अन्नदाता के नाम से कहा जाता है और चाहे दिन हो, रात हो, चौबीस

(श्री मेवाराम जैन)

घंटे मेहनत कर हम सबको अन्न की पूर्ति करते हैं। मुझे याद है संवत् 2025 और 26 में भयंकर अकाल था। अमरीका से लाल ज्वार यहां लायी गयी थी और वह हमने खायी थी जिससे आंखों में रतौंधी रोग भी हो गया था। आज हम कहां पहुंच गये हैं। हमारे यहां तो कोई कमी नहीं है। हम निर्यात करते हैं मेरे से पूर्व प्रतिपक्ष के नेता कह रहे थे। माननीय मुख्य मंत्रीजी जो 11 सूत्री मिशन लेकर आगे बढ़े हैं, उनके द्वारा एक-एक मिशन पर चर्चा करें, तो किसानों के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। हमारे कृषि मंत्रीजी द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वह बहुत ही सराहनीय है।

मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने आते ही कहा था कि किसानों के लिए पांच साल तक बिजली के दाम नहीं बढ़ायेंगे, पहली घोषणा यह की गई। उसके बाद किसानों के लिए प्रतिमाह एक हजार रुपये का अनुदान देने की बात कही और अभी किसानों का बिजली का बिल दो हजार यूनिट तक का फ्री किया जायेगा। किसानों का कृषि का बिल शून्य आयेगा और घरों के बिजली के बिल भी शून्य आयेंगे। यह महत्वपूर्ण निर्णय माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किसानों के लिए लिया।

माननीय सभापति महोदय, अभी बहुत बड़ीबड़ी बातें कर रहे थे कि हमने यह किया, वह किया। कर्जा माफ करने के लिए कहा, वह किया नहीं। 14 हजार करोड़ रुपये का कर्जा हमने माफ किया। केन्द्रीय बैंकों का आपने माफ करने नहीं दिया। आप किसानों के खिलाफ हैं। बातें तो आप कुछ भी कर लो। आप सहयोग कर नहीं रहे हो। आपने क्या किया? माननीय प्रधान मंत्रीजी ने कहा कि हम किसानों की आय दुगुनी कर देंगे। हो गयी दुगुनी? प्रधानमंत्री निधि योजना में किसानों को एक साल के छह हजार रुपये दिये जा रहे हैं। प्रतिदिन 16 रुपये। 16 रुपये में क्या होता है? (व्यवधान) आप पता कर लो कि क्या दे रहे हो। आपने क्या दिया और हम क्या दे रहे हैं, पता कर लो आप, बातें मत करो। किसानों का 14 हजार करोड़ रुपया माफ किया हमने। आप बार-बार बात कर रहे हो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप मेरी तरफ देखकर बोलो।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि किस तरह से किसानों को योजनाओं का लाभ मिले, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में उनका कल्याण कोष 5 हजार से बढ़ा कर साढ़े सात हजार कर दिया और उनको राजस्थान में कैसे आगे बढ़ायें, उनकी कौशल एवं क्षमता का संवर्धन किस प्रकार हो, यह मिशन प्रारम्भ किया। आने वाले एक

(श्री मेवाराम जैन)

वर्ष में स्नातक युवाओं एवं संविदा के नियमों के तहत कृषि मित्र के रूप में भी 75 करोड़ का प्रावधान किया ताकि उन युवाओं को कैसे लाभ हो सके।

माननीय सभापति महोदय, कृषि लोन भरने की तारीख इन्होंने 31 मार्च रखी है, उसके लिए मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि उसको 30 जून तक करें ताकि किसानों को भरने में आसानी होगी।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है, चाहे पौण्ड निर्माण की बात करो, सिंचाई पाइपलाइन के लक्ष्य को बढ़ाते हुए 40 हजार कृषकों के लिए 16 किलोमीटर पाइपलाइन का अनुदान देने की बात करें, चाहे जैविक खेती में आगे बढ़ाने का प्रयास करें। जैविक खेती हेतु 50 हजार किसानों को पांच हजार रुपये की इनपुट सब्सिडी देने की बात करें, कृषि को मनरेगा से जोड़ने की बात करें, किसानों को 6 घंटे बिजली देने की बात करें और बेमौसम की जो बरसात हो रही है और अभी ओलावृष्टि और बरसात हुई, जिसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और माननीय मंत्रीजी ने तुरंत ही आदेश दे दिया कि आप गिरदावरी कराकर कैसे किसानों की भरपाई हो, तुरंत ही कार्यवाही शुरू कर दी है।

माननीय सभापति महोदय, चाहे किसानों के लिए जोधपुर में 100 करोड़ रुपये का आर्गेनिक प्रोडक्ट मार्ट स्थापित करने की बात हो, किसानों के बीज के लिए बात कर रहे थे, खाद के लिए बात कर रहे थे कि केन्द्र सरकार यूरिया दे रही है, वह समय पर दे नहीं रही है। आप यहां लम्बी-चौड़ी बातें कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, इन्होंने जो वादा किया था, देश की जनता को गुमराह किया, किसानों की आय को दुगुनी कर देंगे, महंगाई कम कर देंगे। महंगाई का तो आपने देखा होगा, हमारे समय में डीजल और पेट्रोल की क्या दरें थीं? उस समय क्रूड आयल का भाव 134 रुपये प्रति बैरल था और आज उसके आधे भाव हो गये हैं, उसके बाद में भी डीजल 100 रुपये है। यह किसानों को आगे बढ़ाने का ही तो काम कर रहे हैं। महंगाई खतम करने की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार खतम करने की बात यह कर रहे थे और किस तरह से...(व्यवधान)

श्री पब्बाराम (फलौदी): पाकिस्तान में तो सस्ता मिल रहा है।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): पाकिस्तान में सस्ता मिल रहा है, वहीं जायेंगे। बाकी आपके हिसाब से तो क्या कर रहे हो, यह सब जनता आपको देख रही है। इतना शानदार बजट, अब आपके पास बोलने के लिए तो कुछ है

(श्री मेवाराम जैन)

नहीं और विरोध करने की आप बात कर रहे हो, बाकी इस बजट में आप देख क्या रहे हो?

श्री सभापति: आप उधर ध्यान मत दीजिये, आप इधर देखिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय सभापति महोदय, किसानों के लिए जिस तरह से माननीय मुख्य मंत्रीजी और हमारे मंत्रीजी काम कर रहे हैं, हर क्षेत्र में आप देखो, चाहे आप सब्जियों के लिए कहो, तारबंदी योजना की बात करें और एस.सी., एस.टी. के लिए करो, एक लाख किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराने की बात करें, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कोई कसर किसानों के लिए नहीं छोड़ी। हमारा किसान कैसे समृद्ध बने, किसानों को हम किस तरह से मजबूत कर सकें, यह माननीय मुख्य मंत्रीजी किसानों के लिए प्रयास कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसान का माल मंडियों में अच्छे पैसों पर बिके, उनकी भंडारण क्षमता कैसे बढ़े, इसके लिए 500-500 मीट्रिक टन के गोदामों का निर्माण करने की बात हो, 100 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम बनाने का प्रावधान इसमें किया।

माननीय सभापति महोदय, जीरे की बात अभी कही। मैं भी कहना चाहूंगा कि जीरा मंडी होनी चाहिये। बाड़मेर के अंदर निर्णय भी हो चुका। मैंने अभी प्रश्न लगाया था, उसके जवाब में मंत्रीजी ने कहा था कि 30 दिन में हम उसको शुरू कर देंगे। चार साल से वह मामला पेंडिंग ही पड़ा है। जीरे की शानदार फसल हो रही है, यह हकीकत की बात है। मैं चाहूंगा कि जीरे की मंडी की पूरी कार्यवाही कम्प्लीट है, वहां पर प्लाट आक्शन हो चुके हैं, सिर्फ उनको कब्जा देना है, आप वह कब्जा तुरंत दें ताकि जीरे की मंडी शुरू हो सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और भी करूंगा कि जो कृषि मंडी है, उसके अंदर सड़क जो टूटी-फूटी हैं, प्रस्ताव भी यहां आये हुए हैं पैसा मंडी के अंदर है, वह जल्दी से ठीक हो जायें, यह भी मैं निवेदन करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं मैन तो किसानों की बात करना चाहूंगा कि पशुपालन और गोपालन, जिस तरह से अभी चर्चा कर रहे थे, लम्पी वायरस की बीमारी पशुओं में आयी। जिस तरह से कोविड का आपने देखा होगा कि कोविड किस तरह से आया और कोई पता नहीं रहा, जनता ने उसको किस तरह झेला, उसी प्रकार यह लम्पी की बीमारी गायों में आयी और न तो

(श्री मेवाराम जैन)

केन्द्र के पास इसकी कुछ दवाई थी, न स्टेट को इस बीमारी का पता लगा। जब पता लगा तो हम सबने तैयारी की। इसमें कोई पीछे नहीं रहा और राजस्थान सरकार ने तो अच्छी तरह से मेहनत की। अब आप उस पर भी राजनीति कर रहे हो। गायों की बीमारी पर भी राजनीति कर रहे हो। गायों पर वोटों के लिए तो आप राजनीति करो, वह बात तो जंचती है, पर गायों के लिए जो वास्तव में काम कर रहे हैं, उनको तो आपको धन्यवाद देना चाहिये। हमने क्या नहीं किया? समय पर पशुधन को बचाने के लिए आपने देखा होगा कि कितने सब-सेंटर स्वीकृत किये, कितनों को क्रमोन्नत किया, कितने हास्पिटल पशुओं के लिए खोले। पशुओं की दवाई कितने समय से फ्री दे रहे हैं। अब पशु तो वोट दे नहीं रहे हैं, उसमें भी आप राजनीति कर रहे हो।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि अभी इस बीमारी के बाद मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट के अंदर घोषणा की है कि जो दुधारू गाय खतम हुई हैं उसको 40 हजार रुपये प्रति गाय देंगे। आज दिन तक कहीं किसी स्टेट में आपने किया है क्या? आपके पड़ोस में गुजरात है, वहां आपने कोई पैसे देने की घोषणा की है क्या? गायों के नाम से आपको वोट लेना है, यह जरूर आप करते हो, पर गायों के लिए आपने किया कुछ नहीं।

माननीय सभापति महोदय, मैं यहां निवेदन करना चाहूंगा कि इसके साथ-साथ बीमे की भी व्यवस्था की गयी। दुधारू पशुओं के लिए 40 हजार तक की कामधेनु बीमा योजना लागू की।

माननीय सभापति महोदय, पशुधन बचे। अभी गौशालाओं की बात चली। गौशालाएं, नन्दीशाला खोलने के लिए राज्य सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपकी नीयत खराब है, आप खोलना ही नहीं चाह रहे हो। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि नन्दीशाला के लिए एक साल का अनुदान...(व्यवधान)

श्री सभापति: सुनिये प्लीज, सुनिये। आप बोलिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): एक साल का अनुदान नन्दीशाला के लिए और गायों के लिए 9 महीने का अनुदान दिया है। पूरे भारत के अंदर किसी स्टेट में हो तो मुझे बता दो। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि हमने अनुदान बढ़ाया, 6 महीने से 9 महीने किया। नन्दीशालाओं के लिए पूरे एक साल का किया। अंधे, लंगड़े, असहाय हैं, उनके लिए एक साल का अनुदान हमने किया। जमीन की शर्तें थीं। पहले 20 हैक्टेयर जमीन की बात थी, उसकी

(श्री मेवाराम जैन)

जगह हमने 5 हैक्टेयर की, कि 5 बीघा तक जमीन में आप गौशाला खोल सकते हो, नन्दीशाला खोल सकते हो, उसके लिए अनुदान की व्यवस्था की। ग्राम पंचायत लेवल पर एक करोड़ रुपये का अनुदान कंस्ट्रक्शन के लिए दिया जायेगा और पंचायत समिति लेवल पर एक करोड़ 57 लाख रुपये दिये जायेंगे। सरकार के पास बजट की कोई कमी नहीं है। आप खोलो, आपने एक भी खोली हो तो बताओ। न तो आप खोलना चाहते हो, न इसमें कोई मदद करना चाहते हो। हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी, हमारे पशुपालन मंत्रीजी, गौपालन मंत्रीजी से आप कहकर प्रयास तो करो, एक-दो खोलो तो सही, यह तो पुण्य का काम है, धर्मादा का काम है। आप गौमाता का सिर्फ नाम मत लो, इसमें आप आगे आओ और यह खुलवाओ। नहीं खुलते हैं तो आप बात करो और कहो कि सरकार यह काम नहीं करना चाह रही है। असत्य वाहवाही लेने का काम मत करो।

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय सदस्य।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी वाले बातें कर रहे हैं कि क्या हो रहा है? किसानों के लिए क्या किया?

माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां इन धोरों के अंदर, बाड़मेर के अंदर अनार, खजूर, जामुन, अंजीर, नींबू और पता नहीं क्या-क्या हो रहे हैं। यह प्रोग्रेस अब हुई है या पहले हुई है? आपके टाइम पर नहीं हुई, यह अब हो रही है। आपको तो इस बात का पता ही नहीं है।

सभापति महोदय, किसानों के लिए जो सरकार कर रही है वह मैं निवेदन करना चाहूंगा। जिस प्रकार से कर्जे की बात है तो 20 हजार करोड़ के ब्याज मुक्त ऋण को इस साल बढ़ाकर 22 हजार करोड़ किया है। राजस्थान की सरकार ने पानी, बिजली, चिकित्सा, शिक्षा सभी में किसान कैसे खुशहाल हो, किसान के बच्चे कैसे पढ़ें, वह आगे कैसे बढ़ें, यह सोचा।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री सुमित गोदारा। धन्यवाद, माननीय सदस्य।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): जिस तरह से कृषि महाविद्यालय खोले हैं, वह इसलिए खोले हैं कि इस पश्चिमी राजस्थान में और इस एरिये में लोगों को कैसे खेती की, उत्तम खेती की जानकारी हो। कैसे नौजवान आगे बढ़ें....

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): किस तरह हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर बने...

श्री सभापति: श्री सुमित गोदारा।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): किस तरह से किसान खुशहाल हो। यही कहता हुआ, आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 46- कृषि विभाग व 47- पशुपालन विभाग पर बोलने का अवसर दिया, आपका आभार।

अभी बाड़मेर से आने वाले माननीय विधायक पश्चिमी राजस्थान की बात कर रहे थे, उसी पश्चिमी राजस्थान के थार के धोरों से हम आते हैं। लूणकरणसर क्षेत्र, जहां हमारे पूर्वज किन विषम परिस्थितियों में रहे। पशुपालन ही हमारा मुख्य व्यवसाय था। ऊंटों के टोले होते थे, गायें होती थीं। हमारे यहां एक कहावत प्रसिद्ध है कि पीने का पानी तो मिले या नहीं मिले, पर ऊंटों को डालने के लिए घी जरूर मिलता था। उस क्षेत्र से हम आते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि हमारा क्षेत्र जो पशुपालन का क्षेत्र था, वह अब कृषि प्रधान की ओर बढ़ रहा है। बाड़मेर से आने वाले माननीय विधायक जी, आप भी इस बात को मानेंगे कि आपका क्षेत्र, हमारा क्षेत्र, राजस्थान आगे बढ़ा वह देन स्वर्गीय भैरोंसिंह जी शेखावत साहब की है, जिन्होंने 1990 में गांवों में ट्यूबवैल खोदने के लिए प्रोत्साहन दिया, जिससे पश्चिमी राजस्थान में गांव-गांव में ट्यूबवैल खुदने लगे। डूंगरगढ़ से आने वाले विधायक मेरे सामने बैठे हैं, इनके यहां भी क्षेत्र में क्रांति उसी समय आई। यह क्रांति भैरोंसिंह जी शेखावत की योजना के कारण आई। उसको आगे लेकर गये, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधान मंत्री बने। किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी की योजना लेकर आये तो उन किसानों का हौसला बढ़ा। जो किसान ऋण के लिए अपनी जमीनें गिरवी रखता था, कभी किसी के जमीन रखता था, जमीनें खो देता था, यह केसीसी उसके लिए लाइफ सेविंग योजना आई। जिससे किसान बैंक में जाता, लोन लेता और उसने अपने यहां ट्यूबवैल बनाये। ऐसे ट्यूबवैल बने कि हमारा क्षेत्र, बीकानेर का लूणकरणसर क्षेत्र आज खेती में इतना आगे है कि आज हमारे वहां की जो मूंगफली है, जो राजकोट आफ इंडिया कहा जाता है, वह हमारा क्षेत्र है।

उससे पहले मैं आपको और जवाब दूंगा, बाड़मेर से आने वाले माननीय विधायक जी, केसीसी से क्रांति आई, आपकी आत्मा मानती है,

(श्री सुमित गोदारा)

पश्चिमी राजस्थान के हम सारे किसान मानते हैं। लेकिन एक योजना और है जिसको आप भूल रहे हो, केसीसी योजना के बारे में कि जब आपकी सरकार, मनमोहन सिंह जी की 10 साल थी, पर आपने यह प्रयास नहीं किया, ठीक है कोई नई योजना लेकर आये वाजपेयी जी, उसमें एक छोटी-सी त्रुटि रही थी कि किसानों को हर 6 महीने में रोल ओवर कराना पड़ता था। रोल ओवर के लिए जब किसान के पास पैसे नहीं होते थे तो किसी से ब्याज पर लेता था। वह एक-एक दिन का ज्यादा ब्याज लेते थे। 10 साल आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया। जब मोदी जी की सरकार आई, उसने रोल ओवर को बंद किया, जिससे किसानों को और फायदा मिला। आपने 10 साल इसलिए बंद नहीं किया कि वह कांग्रेस के दलाल थे जो पैसे लेकर खड़े होते थे और ब्याज पर पैसे देते थे। आप मोदी जी को गालियां इसीलिए देते हो क्योंकि यह दलाली की दुकानें जो मोदी जी ने बंद कीं, वह सबसे ज्यादा कांग्रेसियों पर ही चोट पहुंची।

आप योजना देखिये, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आप 10 साल थे, मनमोहन सिंह जी ने उस योजना में सुधार क्यों नहीं किया? क्यों मोदी जी को आकर इस योजना में सुधार करना पड़ा? उस सुधार का मैं छोटा-सा विवरण दूं कि खरीफ 2020 में हमारे लूणकरणसर में 126 करोड़ किसानों को मिले। 2021 की खरीफ में 107 करोड़ रुपये मिले। हकीकत में कई किसान भाई तो कहते हैं कि हमने खेती से इतना नहीं कमाया जितना हमें फसल बीमा से पैसा मोदी जी भेज रहे हैं। मोदी जी किसान सम्मान निधि योजना से 6 हजार रुपये भेज रहे हैं। हो सकता है, आप तो बड़े सेठ हो, आपको 6 हजार रुपये कुछ नहीं लगते, लेकिन गांव में जो लघु सीमांत किसान है, जो बारानी जमीन लेकर बैठा है, 6 हजार रुपये में उसका महीने का खर्चा भी चलता है। आप यह बात नहीं जान रहे हो क्योंकि आप बड़े सेठ हो। किसान का दर्द हम जानते हैं।

माननीय सभापति महोदय, एक योजना का लाभ और हुआ। मैं एक गांव में गया, वहां एक बुजुर्ग ने कहा कि इस योजना का मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। उसने कहा, मेरे तो बहुत जोरदार है, 24 हजार रुपये आ रहे हैं। मैंने कहा कि आपके 24 कैसे आ रहे हैं? कहा, मेरे 3 लड़के हैं, मैंने उनका खाता विभाजन कर दिया। देखो, मोदी जी कितनी बढ़िया योजना लेकर आये कि पारिवारिक विवाद ही नहीं रहा। समय पर पैसा भी आता रहे और समय

(श्री सुमित गोदारा)

पर खेतों की जमीन का बंटवारा भी होता रहे। ऐसी मोदी जी की सोच है। ऐसी सोच आप नहीं कर सकते, तभी तो भारत में किसान पीछे रहे।

अब सादुलशहर से आने वाले विधायक कहें कि किसानों को लाइट मिल रही है। अब कहां से लाइटें मिल रही हैं? हमारे क्षेत्र में ट्यूबवैल की लाइनें लग रही हैं। किसान मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, धरती से सोना उगल रहा है, लेकिन जीएसएस एक ही नहीं बन रहा है, लाइटें मिल नहीं रही हैं क्योंकि आपकी थोथी घोषणाएं हैं। घोषणावीरों की सरकार है। घोषणा करने में क्या जाता है? लेकिन काम करने में जोर आता है।

माननीय सभापति महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया कि हमारा क्षेत्र मूंगफली, सरसों, गेहूं कोई ऐसी फसल नहीं जहां लूणकरणसर क्षेत्र के किसान उत्पादन में नये कीर्तिमान स्थापित नहीं कर रहे।

सभापति महोदय, मैंने आपसे निवेदन किया कि हमारा क्षेत्र राठी गायों के लिए प्रसिद्ध है। हमारे क्षेत्र की राठी गायें विश्व में प्रसिद्ध हैं। एक-एक गाय लाख, लाख, डेढ़-डेढ़ लाख तक की आगे जाती है। तमिलनाडु तक के लोग लेकर जा रहे हैं। हमारे वहां बहुत सारी प्राइवेट डेयरियां आयी हुई हैं। भारत की सारी नामी डेयरियां वहां लूणकरणसर क्षेत्र में हैं। एग्रो बेस्ड में आप देखें कि नरमा हमारे क्षेत्र में हो रहा है, सरसों हो रही है। मेरा निवेदन माननीय कृषि मंत्री जी से, सरकार से यह है कि लूणकरणसर में मिनी फूड पार्क खोला जाये।

माननीय कृषि मत्री जी तो हमारे बीकानेर जिले के प्रभारी हैं। वैसे वह बीकानेर जिले में आते नहीं हैं, मीटिंग नहीं लेते हैं। वहां पर चर्चा यह है कि कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के कारण माननीय मंत्री जी का बीकानेर आने के लिए मन नहीं करता है इसलिए प्रभारी मंत्री ने पिछले एक-डेढ़ साल में कोई भी मीटिंग जिले में नहीं ली। अब ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को भी सरकार वहां से हटाये कि प्रभारी मंत्री जी बीकानेर में आते हुए, मीटिंग लेते हुए संकोच करें, तो इससे किसानों का और जिले के लोगों का क्या भला होगा?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि जो डिग्गी निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो हमारे क्षेत्र में क्रांति लेकर आयी। उसके लिए वर्तमान सरकार ने आते ही किसानों के साथ बड़ा अन्याय किया। इसमें पहले प्रायोरिटी वाइज नंबर था। हर चीज में सरकार प्रायोरिटी करती है। आप चाहे बिजली का कनेक्शन लो तो उसमें प्रायोरिटी, इसमें राजस्थान सरकार की ऐसी क्या मजबूरी थी कि इन्होंने इसमें लाटरी सिस्टम किया? एक

(श्री सुमित गोदारा)

किसान ने 4-5 साल पहले लगाया, उसका नंबर नहीं आ रहा और एक किसान कल लगा रहा है, उसका नंबर आ रहा है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इसमें लाटरी की जगह प्रायोरिटी वाइज रखो। जो महंगाई आ रही है, उसमें आपने 3 लाख की राशि बढ़ाई नहीं। मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि मैं किसान बजट लेकर आ रहा हूं लेकिन, माननीय मुख्य मंत्री जी आप सिर्फ कागजों में बात करते हो, जमीन पर जो किसान को असली फायदा मिल रहा है उसमें आपने कोई क्रियान्वयन नहीं किया।

हमारे बीकानेर में डिग्गी निर्माण के लिए कम से कम साढ़े 6 हजार फाइलें लगायी हुई हैं। आपने टार्गेट सिर्फ 1110 का दिया है। डिग्गी निर्माण आज 4 लाख से कम में होता नहीं है उसका अनुदान बढ़ाया जाये।

माननीय मंत्री जी, पॉली हाउस, ग्रीन हाउस की जो क्रांति हमारे क्षेत्र में आ रही है, बहुत से किसानों ने हमारे वहां पॉली हाउस लगाये हैं, जिसमें मैं एक नाम लेना चाहूंगा, एक प्रोग्रेसिव फार्मर आत्माराम जी विश्नोई का, इतना शानदार उनका खीरे का प्रोडक्शन है कि उनका सारा माल बाहर जाता है। उनको देखकर अनेक किसानों ने वहां पर ग्रीन हाउस, पॉली हाउस लगाये हैं। पॉली हाउस का हमारे लूणकरणसर में टार्गेट बढ़ाया जाये।

दूसरा, एक जो हाई वैल्यू कल्टिवेशन में जो ढाई लाख की सब्सिडी सरकार देती है, किसान को बीज के लिए, लेबर के लिए, पर बड़ी विडम्बना है इस सरकार की कि यह सारा हाई वैल्यू कल्टिवेशन जो ढाई लाख की राशि दी जा रही है, वह सिर्फ जयपुर के आसपास के किसानों को ही दी जा रही है, पश्चिमी राजस्थान में नहीं दी जा रही है। बाड़मेर से आने वाले विधायक, आप भी इस बात को उठाते तो मुझे अच्छा लगता।

सोलर में बीकानेर में साढ़े 10 हजार फाइलें पैंडिंग हैं। पिछले 4 साल से 5 एचपी के कोई कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं। अब यह सरकार कहेगी कि केन्द्र को कि आप किसान हितैषी हो, आप अपने आप पर गर्व करते हो कि हम किसान बजट लेकर आये, पर आपने किसान को दिया क्या? आपने न डिग्गी की योजना बनाई, न सोलर में दी, न पॉली हाउस में कुछ दिया।

माननीय सभापति महोदय, मैं खुद किसान हूं, खुद खेती करता हूं। कई किसान भाइयों के देखते हैं तो कई नवाचार हमारे वहां साथी कर रहे हैं। वहां पढ़े-लिखे युवा साथी ड्रिप सिस्टम से नरमा बीज रहे हैं, ड्रिप सिस्टम से सरसों कर रहे हैं। यील्ड उसकी पर बीघा में बहुत शानदार हो रही है। बढ़ रही

(श्री सुमित गोदारा)

है। ड्रिप सिस्टम, बूंद-बूंद में सरकार जो 3 साल पहले यूनिट कोस्ट मानकर चल रही थी, एक हैक्टेयर में 1 लाख 45 हजार, कंपनी एक हैक्टेयर पर 1 लाख 45 हजार मान रही है और सरकार 1 लाख 27 हजार मान रही है। उस पर सब्सिडी देते हैं 70 प्रतिशत, जो कि 60 हजार रुपये ही होती है इसलिए किसान इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस सब्सिडी को बढ़ाया जाए जिससे किसान को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले।

(समय: 14.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन जल हौद को लेकर है, जो ट्यूबवैल पर है, जिस तरह डिग्गी नहरी क्षेत्र में होती है, जल हौद ट्यूबवैल पर बनते हैं, 45 गुणा 45 और 10 फीट गहरे, 2 लाख की लागत है, उसमें सरकार ने अभी सब्सिडी बढाई है, पर दु:ख इस बात का है कि बीकानेर जिले में पिछले चार साल में एक भी जल हौद का आपने टार्गेट नहीं दिया है। इस बजट को पढ़कर हम खुश जरूर हो जाते हैं लेकिन जब जमीन पर किसान को कुछ नहीं मिलता है तो वह कहता है कि मोदी-वाजपेयी ने काम किया है।

माननीय सभापति महोदय, बीजों की गुणवत्ता ऐसी है, मैं खुद किसान हूं, मैंने मूंगफली बीजी, सरसों बीजी, विडम्बना यह है कि हमारे इतने बड़े मंत्रालय हैं पर बीज प्राइवेट कम्पनियों के लाने पड़ते हैं। मूंगफली का बीज गुजरात से आता है, उससे यहां पर मूंगफली उत्पादित होती है, बीज आता है गुजरात से। अभी हमारे नोखा से आने वाले, 900 रुपये में मैं लेकर आया। हमारे विभाग कर क्या रहे हैं? कहीं भी हमारा प्रचार नहीं, कहीं भी हमारी बात नहीं। आपने डीएपी, यूरिया की बात की, कालाबाजारी हो रही है वह एक अलग विषय है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं दो-तीन निवेदन करूंगा। कार्यालय, सहायक निदेशक, कृषि विस्तार, लूणकरणसर में खोला जाए। महाजन में कृषि मंडी खोली जाए। किसानों को कृषि सिंचाई हेतु जो फव्वारा पाइपलाइन और ड्रिप है, प्रत्येक पांच वर्ष में वापस खरीदने हेतु अनुदान दिया जाए। जैविक खेती के प्रोत्साहन की बात यह सरकार करती है। माननीय सभापति महोदय, मैंने खुद के अपने खेत में जैविक खेती करके देखा, नतीजा कुछ नहीं, विभाग से कोई मदद नहीं। इनके अधिकारी तो कुछ जानते ही नहीं हैं। हालत यह है कि मुझे वापस उसमें डीएपी, यूरिया डालना ही पड़ा। मतलब इनके सारे अधिकारियों से पूछ-पूछकर फसलें जल गईं, सिर्फ वैज्ञानिक

(श्री सुमित गोदारा)

हैं, साइंटिस्ट हैं, कृषि यूनिवर्सिटी हमारे बीकानेर में है, पर कहीं लाभ नहीं, उसके आगे से लूणकरणसर हम रोज जाते हैं पर उस यूनिवर्सिटी का लाभ क्या मिला, वो हमें आज तक समझ में नहीं आया है। खजूर के पेड़ सिर्फ यूनिवर्सिटी में खड़े हैं पर क्षेत्र में कहीं हमें खजूर के पेड़ देखने को नहीं मिलते हैं।

माननीय सभापति महोदय, अंतिम बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। लम्पी में सरकार ने बड़े-बड़े वायदे किये पर कड़वी हकीकत यह है कि जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, उसके कई गांव ऐसे हैं जहां हजार-हजार गायें एक गांव में खतम हुई हैं, मेरे सामने कई गांवों में दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह गायें एक दिन में तड़पती देखी हैं, यह आंकड़ा पूरा असत्य आंकड़ा राजस्थान सरकार ने दिया है। आंकड़ा तो असत्य दिया ही, आप गांवों में लड़ाई करा रहे हैं। वो आंकड़ा जो कर्मचारी भेज रहे हैं वो सिर्फ कांग्रेस के जो नेता हैं उनके कहने पर जिन किसानों के गायें बता रहे हैं उनकी गायें हैं, बाकी दूसरों की गायों की मृत्यु बता नहीं रहे हैं। सरकार उस समय कहां गई जब गायों की मृत्यु हुई थी? तब तो इन्होंने कोई कार्य किया नहीं। बड़ी विडम्बना है कि न तो उस समय सरकारी तंत्र का कोई संभागीय आयुक्त, बीकानेर कलक्टर, कहीं नहीं गए, क्षेत्र में सबको छोड़ दिया, न कहीं कर्मचारी गए, वो तो गांव के नौजवानों और पशु प्रेमियों को मैं धन्यवाद दूंगा जिन्होंने उन गायों को बचाने का बीड़ा उठाया। सरकार ने तो जिस तरह से किसानों की तरफ आंख मींची हुई है उसी तरह से पशुपालन विभाग आंख मींचकर बैठा रहा। न हमारे वहां डाक्टर, न हमारे वहां कम्पाउंडर, ऐसा पशुपालन विभाग का हमारे यहां पर हाल है, जैसा कृषि का हाल है। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री पदमाराम।

श्री पदमाराम (चौहटन): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में पूरे विश्व का पालन करने वाले हमारे अन्नदाताओं के कृषि विभाग की मांग संख्या 46 और मांग संख्या 47-पशुपालन एवं मत्स्य विभाग पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, चर्चा हो रही है कृषि के ऊपर, चर्चा हो रही है किसानों के ऊपर, आज भारत कृषि प्रधान देश है और भारत की आत्मा गांवों में रहती है। किसानों के हित के अंदर राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री,

(श्री पदमाराम)

माननीय गहलोत साहब और हमारे कृषि मंत्री, माननीय लालचन्दजी कटारिया साहब ने किसानों की उन्नति करने के लिए, कृषि को आगे बढ़ाने के लिए, किसानों को मजबूती देने के लिए जो शानदार योजनाएं लागू की हैं और पहली बार कृषि बजट पेश करके साबित कर दिया कि किसानों की हितैषी सरकार यदि कोई है तो वह राजस्थान की कांग्रेस सरकार है, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत साहब हैं, राजस्थान के कृषि मंत्री, माननीय लालचन्दजी कटारिया साहब हैं। उन्होंने किसानों को मजबूती देने के लिए, कृषि को बढ़ावा देने के लिए वे 11 मिशन लेकर आगे बढ़े हैं। आज इस बजट के अंदर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 12वां मिशन और देकर यह साबित कर दिया कि किसानों के हित में यदि कोई कार्य कर सकता है तो राजस्थान की लोकप्रिय सरकार कर सकती है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि किसान कल्याण कोष के अंदर पहली बार पांच हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस बार उस कोष को बढ़ाकर साढ़े सात हजार करोड़ रुपये कर दिया है। माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत माननीय कृषि मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने कृषि को बढ़ावा देने के लिए, किसान दिन में, रात में, सर्दी में, गर्मी में कड़ी मेहनत करके अपना खून-पसीना बहाकर जमीन का पेट चीरकर अनाज पैदा करता है और उस अनाज से ही पूरे देश का, विदेश का भरण-पोषण हो रहा है। आज हमारा देश खाद्य सामग्री के अंदर आत्मनिर्भर है। आज हम विदेशों के अंदर भी यहां से अनाज निर्यात करते हैं, उसका मेन अधिकार हमारे किसानों का है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों की फसलों की सुरक्षा करने के लिए माननीय मंत्री महोदय ने, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने तारबंदी की व्यवस्था की, फव्वारों की व्यवस्था की, पाइपलाइन की व्यवस्था की, पौण्ड की व्यवस्था की, उनकी संख्या बढ़ाई, बीमा की व्यवस्था की।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या अंतर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फसल बीमा योजना के अंदर पिछले पांच साल के अंदर 5 करोड़ 48 लाख रुपये किसानों को फायदा दिया और हमारी सरकार ने 8 करोड़ 80 लाख रुपये का फायदा दिया। फसल बीमा

(श्री पदमाराम)

योजना के अंदर राज्य प्रीमियम राशि में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3 हजार 376 करोड़ रुपये का अंशदान दिया और हमारी सरकार ने 10 हजार 671 करोड़ रुपये का अंशदान दिया। फसल बीमा योजना में वित्तीय बीमा क्लेम राशि पिछले पांच साल में 7 हजार 171 करोड़ रुपये और हमारे इन चार साल के अंदर 18 हजार 500 करोड़ रुपये दिये हैं। उनसे हमारी तुलना करो तो हमारी सरकार की भावना है कि हम किसानों को मजबूती कैसे दें। ये किसानों को आगे बढ़ाने के लिए बात बहुत बड़ी करते हैं। सुमित गोदारा साहब, माननीय सदस्य चले गये, बात प्रधान मंत्रीजी की करते हैं, बहुत अच्छी बात है, देश के प्रधान मंत्री हैं, चार-चार रुपये देते हैं, क्या मायने रखते हैं? हम एक किसान को पेंशन के मार्फत 24 हजार रुपये देते हैं, वो 6 हजार रुपये दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि हमने किसानों की आय दुगुनी कर दी, ऐसा कौन इस बजट के अंदर पिछले 9 साल में ऐसी योजना लागू की जिससे किसानों की आय डबल हो जाएगी?

बात करते हैं यूरिया की, यूरिया वितरण तो ये करते हैं, हमारी सरकार ने, हमारे मंत्रीजी ने, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने कड़ी मेहनत करके किसानों को समय पर यूरिया और डीएपी उपलब्ध कराने की कोशिश की। व्यवस्था वो करते हैं, उनकी मंशा है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, इनको प्रताड़ित कैसे करें। इनका एक ही उद्देश्य है कि किसानों को परेशान करो, गरीब को परेशान करो, दलित को परेशान करो, वो परेशान होकर हमको वोट देगा और हम कुर्सी पर आसीन होंगे, यही नीति इनकी है। किसान के विकास की बात नहीं करेंगे। किसान का अच्छा करने की बात नहीं करेंगे, किसान को रोजगार देने की बात नहीं करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बहुत अच्छी योजना है, प्रधान मंत्रीजी का नाम आया, हमारे सभी साथी, यह कोई नहीं कहता है कि प्रधानमंत्री बीमा योजना में जो कंडीशन डाली है, उस कंडीशन के आधार पर हमारे राजस्थान के किसानों का हित नहीं हो सकता है। इस कंडीशन के कारण ये लोग क्या करते हैं, राजस्थान सरकार को कोसने की बात करते हैं। प्रदेश अध्यक्षजी इनके अभी कहकर चले गये कि राजस्थान सरकार ने गिरदावरी करवाई, राजस्थान सरकार ने गिरदावरी नहीं करवाई। राजस्थान सरकार यदि गिरदावरी नहीं करवाती तो आपके 329 करोड़ रुपये की घोषणा करने के बाद

(श्री पदमाराम)

में जब किसानों ने हड़ताल की, हल्ला किया, उसके दूसरे दिन आपने 229 करोड़ रुपये वापस कैसे जारी किये, यह राजस्थान सरकार की देन है, राजस्थान सरकार हितैषी है किसानों की, वो कोशिश करना चाहती है परंतु आपकी नीति में खोट है। आपके मित्र जो बीमा कम्पनियां हैं उनको आप पनपाना चाहते हैं, आप किसानों को मजबूती देना नहीं चाहते हैं, आप किसानों के हित की बात नहीं करना चाहते।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि 2020-21 के अंदर किसानों का खराबा हुआ, हमारी सरकार ने जो गिरदावरी की, 70 प्रतिशत, 80 प्रतिशत नुकसान भेज दिया। कृषि विभाग के साथ बीमा कम्पनी ने खिलवाड़ किया। उन्होंने अपनी क्रोप कटिंग के आधार पर सिंचित खसरों का मुआवजा करके किसानों के साथ भारी नुकसान किया, आज, माननीय मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप थोड़ा दिखाएं।

(समय: 14.10 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

कई ग्राम सेवा सहकारी समितियों में बड़े किसानों का प्रीमियम आ गया और छोटे किसान आज भी तरस रहे हैं। हमारी ऐसी कई सोसाइटियां, ग्राम पंचायतें हैं, जहां किसान हमेशा चक्कर लगाते रहते हैं और ज्ञापन देते रहते हैं। मेहरबानी करके आप उन्हें दिखाएं। उनका नुकसान हुआ था। उनका 70 परसेंट नुकसान होने के बाद भी उन्हें प्रीमियम क्यों नहीं मिला, उसकी जांच करें।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कृषि फसल सुरक्षा मिशन लागू किया। मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरा निवेदन है कि बेमौसम बरसात होने के कारण किसानों की पूरी फसल चौपट हो जाती है। उसके बाद जिन किसानों ने बीमा कराया, उन्हें तो बैनिफिट मिल जाता है, बाकियों को मात्र कृषि अनुदान दिया जाता है। लाखों रुपयों की फसल बर्बाद होने के बाद उन्हें कृषि अनुदान मिलता है।

सभापति महोदय, आपके मार्फत मेरा माननीय कृषि मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि अभी मेरे क्षेत्र में जो ईसबगोल की फसल हुई थी, वह बहुत शानदार थी। लोगों को लाखों रुपयों की आस थी कि भगवान ने मेहरबानी की है, हमारी फसल आयेगी और उससे आने वाले पैसे से हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, हमारे घर की अच्छी व्यवस्था करेंगे, शादी-ब्याह करेंगे।

(श्री पदमाराम)

आज भगवान रूठ गया है। बारिश हो गयी, पूरी फसल नष्ट हो गयी। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने स्पेशल गिरदावरी की घोषणा कर दी, परन्तु मेरा आपसे निवेदन है, उसका आकलन करके, जिस किसान को जितना भी हो सके, ज्यादा से ज्यादा बैनिफिट देने की कृपा करें।

आपने मेहरबानी करके किसानों के बिजली के बिल माफ कर दिये। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे साथी कह रहे हैं बिजली आ नहीं रही है। बिजली पैदा करने का काम राजस्थान सरकार का है, कोयला देने का काम भारत सरकार का है। क्या आप में से किसी की हैसियत है कि आप कह सकें कि किसानों के हित में हमारे हिस्से का कोयला हमें दिया जाये?

ऋण माफी की बात थी। माननीय प्रदेशाध्यक्ष महोदय पधार गये। मैं अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये किसानों के बारे में बात करते हैं, अच्छी बात है, परन्तु इनकी हर चीज में राजनीति होती है, राजनीति करना इनके लिए बहुत जरूरी है हर चीज में। मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान सरकार ने कर्जा माफ करने की घोषणा की। अपने बैंकों की की थी। राष्ट्रीकृत बैंकों की व्यवस्था तो आप मेहरबानी करके कर दें। राजस्थान के हिस्से का पैसा हम देंगे। आप शुरुआत तो करें, पहल तो करें। माननीय प्रधान मंत्री जी ने पिछले 8-9 साल में वैट में कितना धन वसूल किया।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): घोषणा माननीय मोदी जी ने नहीं की।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री पदमाराम (चौहटन): भाई साहब, आप महान ज्ञाता हैं, आपके समान कोई नहीं है। मेरे हिसाब से राजस्थान में आपके समान ज्ञाता कोई नहीं है। आप या तो चुम्बक लगा दें। क्या तकलीफ है? जब आप बोलते हैं, उस समय कोई उठता है? कल हमारे अनुसूचित जनजाति के मंत्री बोल रहे थे, आप सब चिल्ला रहे थे। वे अपनी बात रख रहे थे। आप अपनी बात रखें न, जब आपको समय मिले। दूसरे के समय में बीच में टोकने की क्या जरूरत है? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, क्या हो रहा है यह?

श्री पदमाराम (चौहटन): मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रीकृत बैंकों का कर्जा, यदि बड़े-बड़े उद्योगपतियों के पैसे माननीय प्रधान मंत्री जी माफ कर सकते हैं तो किसान के पैसे क्यों नहीं माफ कर सकते?

(श्री पदमाराम)

केन्द्र में यूपीए की सरकार थी, 71 हजार करोड़ हमने माफ किये। आप मेहरबानी करवा दें न, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। राजस्थान सरकार के हिस्से के लिए हमारे मंत्री जी अभी यस कर देंगे। आपने वादा किया था कि आप किसानों की आय दुगुनी करेंगे। आपने इस बजट में ऐसा कौन-सा प्रावधान किया जिससे किसानों की आय दुगुनी होगी?

किसानों की हड़ताल तीन काले कानूनों के विरोध में सवा साल तक चली। आजादी से आज दिन तक इतनी लम्बी कोई हड़ताल नहीं चली। उसके बारे में ये कोई नहीं कहेंगे, क्योंकि वह माननीय प्रधान मंत्री जी की बात है। वे तो अपने मित्रों के लिए निर्णय करेंगे। गरीब, मजदूर, किसान के लिए नहीं करेंगे। उनके मित्र कैसे मजबूत हों, उसके लिए करेंगे। 700 किसानों ने अपनी जान दे दी, उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे, उनके बारे में एक शब्द भी नहीं बोलेंगे, उनके घर श्रद्धांजलि देने नहीं जाएंगे, उन्हें मुआवजा नहीं देंगे। दूसरों को कोसने की बात करेंगे। उनकी आदत है। यह वे हमेशा करते आये हैं।

माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। लम्पी बीमारी आयी, खतरनाक वायरस था, कोरोना के समान था। पूरे क्षेत्र में हाहाकार मच गया था। सभी जन प्रतिनिधियों, पशुपालकों ने कड़ी मेहनत की। उसकी कोई दवाई नहीं थी। टीका जारी करने का अधिकार तो सैंट्रल गवर्नमेंट का है। राज्य सरकार के पास ऐसी कौन-सी दवा उपलब्ध थी जिसके लिए उसने कोशिश नहीं की। राजस्थान सरकार ने अच्छा काम किया। शानदार बजट पेश किया। आज पूरे राजस्थान में सरकार के विरोध का कोई नाम नहीं है। क्या कहें? कहने के लिए कुछ नहीं है। बहुत शानदार व्यवस्था की। यह बात सही है कि गोवंश का भारी नुकसान हुआ। उसके उपरान्त भी राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने आगे बढ़कर घोषणा की कि जिन किसानों की गायें खतम हुई हैं, उनके दो पशुओं के लिए 40-40 हजार रुपये दिये जाएंगे। उसके उपरान्त अभी बीमा की व्यवस्था की। हमारी सरकार ने पशुपालन के लिए दवाई फ्री कर दी।

मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने सभी ग्राम पंचायतों पर उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की बात की है। उप-स्वास्थ्य केन्द्रों को हास्पिटल में क्रमोन्नत किया। जो हास्पिटल थे, उन्हें 'ए' श्रेणी का बनाया। नये डाक्टरों की व्यवस्था की। पशुधन सहायकों की व्यवस्था की। ऐसे कई काम किये, जिनसे राजस्थान के किसानों को खुशहाल बनाया जा सके,

(श्री पदमाराम)

पशुपालकों को मजबूत बनाया जा सके। साथ ही, किसान को अपनी उपज का उचित मूल्य मिले, उसके लिए मण्डियों के अन्दर व्यवस्था की, गोदाम निर्माण की व्यवस्था की। माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने राजस्थान के किसानों को खुशहाल बनाने के लिए, मजबूती देने के लिए, किसान उन्नति कैसे करे, वह सबल कैसे बने, वह मेहनत करके पूरे विश्व का पेट कैसे भरे, उसके लिए नयी-नयी योजनाएं लागू कीं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। बहुत-बहत धन्यवाद।

श्री सभापति: मैं माननीय मदन दिलावर द्वारा उल्लिखित +++ और +++ के बारे में जिस किसी का नाम लिया गया है, उसे विलोपित करने का निर्देश देता हूं।

श्री कन्हैया लाल चौधरी।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): +++

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। कुछ अंकित नहीं होगा। पूरे को विलोपित करने का निर्देश देता हूं। माननीय मदन दिलावर द्वारा जो भी कुछ कहा गया है, पूरे को विलोपित किया जाये।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: विराजिये, अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, विराजिये। प्लीज।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: कुछ अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, आप इतने वरिष्ठ हैं, इतनी अपेक्षा तो आसन आपसे कर सकता है।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: प्लीज, थोड़ा संयम रखें। विराजिये आप। पूरा राजस्थान आपके इस आचरण को देख रहा है।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 46 - कृषि और मांग संख्या 47 - पशुपालन पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, मुझसे पहले अभी बाड़मेर से आने वाले और चौहटन से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे कि देश के प्रधान मंत्री मोदी जी ने कृषि के लिए कुछ भी नहीं किया, न ही

(श्री कन्हैया लाल)

आय दुगुनी की। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब से 2014 में हमारे देश के प्रधान मंत्री मोदी जी आये हैं, उन्होंने हर क्षेत्र में किसान की आमदनी बढ़ाने का काम किया है।

सबसे पहले उन्होंने जमीन की जांच करने के लिए, इसमें कौन-से तत्व की कमी है, सॉयल हैल्थ कार्ड चालू किया। जब आपदा आ जाती थी तो किसान आंसू बहाता था। पूरे उप-खण्ड में कहीं नुकसान होता था तो नाममात्र के किसी के सौ रुपये, किसी के दो सौ रुपये आते थे। वे उस एरिया को खेत पर लेकर गये। इसके साथ-साथ, उन्होंने 33 परसेंट किया और उसी की बदौलत है कि आज हजारों-लाखों रुपये किसानों के खातों में आपदा के समय में आ रहे हैं। किस तरह से उन्होंने आंसू पोंछने का काम किया।

दूसरा, सबसे बड़ा जो, पहले किसानों के लिए फसल के इंश्योरेंस के लिए, पहले 6 परसेंट और 8 परसेंट रबी और खरीफ, दोनों का अलग-अलग जो इंश्योरेंस का पैसा लगता था, उन्होंने घटाकर 1.5 और 2 परसेंट किया। इसी के साथ, इंश्योरेंस के जो पैसे आज मिल रहे हैं, किसानों का भला जो हो रहा है, शायद पहले कभी नहीं हुआ। एक्चुअल देना चालू किया। पहले पूरे उप-खण्ड में कहीं नुकसान होता था, तब इंश्योरेंस का पैसा मिलता था। बाकी आज पर्टिकुलर किसी के खेत में कोई नुकसान होता है तो उसको भी पैसा मिलता है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जब इंश्योरेंस की बात आ गयी तो शीतलहर का पैसा आपदा में मिलता नहीं है और इंश्योरेंस का पैसा जब मिलेगा जब क्रोप कटिंग सही हो। इस बार जहां पांच बोरी सरसों की होती थी, वहां पर एक बोरी ही एक बीघा में सरसों की हुई है, तो आप क्रोप कटिंग के लिए डायरेक्शन दें। वैसे तो वे कर रहे हैं पर यहां सरकार से डायरेक्शन जाएं कि ओरिजिनल क्रोप कटिंग करें तो उनको काफी बड़ा बैनिफिट होगा।

इसके साथ-साथ, एमएसपी, समर्थन मूल्य के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि पहले बाजार में औने-पौने दामों में फसल बिकती थी और पिछले 65 साल में कभी भी समर्थन मूल्य 10 रुपये, 50 रुपये से ज्यादा किसी भी जिन्स का नहीं बढ़ाया पर 2014 के बाद में हर फसल का समर्थन मूल्य 200 रुपये से लेकर 500 रुपये तक बढ़ाये हैं, चाहे सरसों ले लो, मूंग ले लो, चना ले लो, किसी को भी ले लें। इसके साथ-साथ अगर आमदनी की बात करें तो अभी कह रहे थे कि डीजल की रेट बढ़ गयी पर समर्थन मूल्य कुछ भी नहीं

(श्री कन्हैया लाल)

बढ़ाया, तो मैं 1995-96 की बात करता हूं जब हमारे सरसों, चना, मूंग लगभग 1800 से 2000 रुपये में बिकते थे और तब डीजल लगभग 10 रुपये लीटर था। जब 2014 में आये तब 3200 रुपये के आसपास ये तीनों फसलें बिकती थीं और डीजल 70 रुपये हो गया। 20 साल में डीजल की रेट 60 रुपये बढ़ गयी और फसल का समर्थन मूल्य सिर्फ 1200 रुपये बढ़ा। आज 2014 के बाद में डीजल 20 रुपये बढ़ा है, आज 90 रुपये है, क्योंकि 4-5 रुपये तो यहां राज्य सरकार के ज्यादा पैसे हैं बाकी 20 रुपये बढ़ा और किसी भी फसल का मूल्य 3 हजार रुपये से कम नहीं बढ़ा। आज 5500 से लेकर 8000 रुपये के समर्थन मूल्य पर माल बिक रहा है। इसके साथ-साथ समर्थन मूल्य पर खरीद की गांरटी थी, 2014 तक नैफेड को केवल 8 हजार करोड़ रुपये थी जिसको केन्द्र सरकार ने बढ़ाकर 50 हजार करोड़ रुपये किया है। आज सबसे ज्यादा खरीद की जा रही है तो यह मोदी जी की बदौलत की जा रही है।

इसके साथ-साथ, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पहले कभी भी कांग्रेस ने किसान के भले की नहीं सोची। 65 साल में 5 साल अगर अटल जी के देखें तो उन्होंने पहली बार केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के लिए चालू किया, नहीं तो पहले किसान अपनी फसल या खाद-बीज के लिए सेठ-साहूकारों के पास जाता था और वहां से 24 परसेंट ब्याज, जिसको मल्टीप्लाई करें तो उसका 40 परसेंट के आसपास खर्चा लगता था, उस पर पैसा लेता था पर अब 4 परसेंट ब्याज पर पैसा देने का काम किया तो देश के प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चालू किया और आज हमारे प्रधान मंत्री मोदी जी इसको आगे लेकर जा रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो फार्म पौंड पर, ग्रीन हाउस पर, पॉली हाउस में लाटरी सिस्टम शुरू किया है उसके कारण लाटरी में मर्जी आये वैसे लोग फार्म भर देते हैं और वह आदमी लेता भी नहीं है। उसके कारण से जिसको जरूरत है वह आदमी ले नहीं पाता है इसलिए इस सिस्टम को बन्द करें। कई लोगों को जरूरत है, उनका दो-दो साल तक नम्बर नहीं आता और जिनको जरूरत नहीं है उनका नम्बर आ जाता है तथा वे सरकारी योजना का बैनिफिट नहीं लेते जिससे वह लिंगर-आन होती रहती है इसलिए इसको भी आप चैंज करें।

इसके साथ-साथ मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के अन्दर बीकानेर यूनिवर्सिटी के तहत डिग्गी नुक्कड़ पर आपका

(श्री कन्हैया लाल)

केन्द्र है जिसमें लगभग 120 बीघा के आसपास जमीन है। वहां पर सारे क्वार्टर्स भी बने हुए हैं। वहां पर अगर कृषि महाविद्यालय खोला जाता है तो आपको सिर्फ स्टाफ लगाने की जरूरत पड़ेगी, बाकी पूरा इन्फ्रास्ट्रक्चर वहां पर है तथा उस क्षेत्र में पूरे उपखण्ड में कहीं पर भी एग्रीकल्चर की कालेज नहीं है तथा एग्रीकल्चर पर आधारित ही मेरा मालपुरा क्षेत्र है, इसलिए आप यह करें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। इसके अलावा मेरे क्षेत्र में बागड़ी, कुराड़, सोडा बावड़ी, बरोल, छबराना, थड़ोली, कुहाड़ा बुजुर्ग व बरजार नगर में नये कृषि पर्यवेक्षक के पद सृजित करें तब जाकर नई पोस्टिंग हो पाएगी। फार्म पौंड वगैरह की जो राशि आपने बढ़ायी इसके लिए भी मैं किसानों की तरफ से और मेरे क्षेत्र की जनता की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं। पहले जो फार्म पौंड का अनुदान 90 हजार रुपये था इसको बढ़ाकर आपने 1 लाख 20 हजार रुपये किया, उसके लिए तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जो भी मेरे यहां पर पशुपालन या कृषि के पद थे वे सारे पद भरे हैं और इसके लिए भी मेरी जनता की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

इसके साथ-साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का नोडल अधिकारी प्रधान मंत्री मोदी जी ने चालू किया तो इसका कृषि विभाग था। पहले जब हमारी सरकार थी, तब भी मैं बोला था कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है और इसकी वजह से कई छोटे तालाब हैं जिनका 2002 के अन्दर एक आदेश आया था कि 300 हैक्टेयर तक के जो छोटे तालाब थे वे सारे पंचायतों में चले गये और वे सारे जीर्ण-शीर्ण पड़े हैं। इसलिए इनकी मानिटरिंग करके इनको भेजा जाए और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत इसमें काफी तालाबों का काम हो सकेगा।

इसके साथ-साथ निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के मालपुरा और टोडारायसिंह में दो पुराने पशु चिकित्सालय हैं जो नगरपालिका के आबादी क्षेत्र में, मार्केट में हैं। वहां पर कोई पशु नहीं ले जा सकते हैं और ले जाएं तथा भीड़ में वह पशु गड़बड़ कर दे तो जान-माल की हानि होती है। मेरे दोनों जगह की नगरपालिका जगह आबंटित करने के लिए तैयार हैं, भवन भी हम बनाकर दे दें तो यहां से आदेश निकालें कि अगर हमें नगरपालिका जमीन देकर भवन बनाकर देती है तो विभाग स्थानान्तरित करने के लिए तैयार है, तो इससे किसानों का भी भला होगा तथा व्यापारी लोग व मार्केट में आने वाले लोगों को भी सुविधा होगी। इसलिए आप यह भी मेरे क्षेत्र में करने की कोशिश करें।

(श्री कन्हैया लाल)

इसके साथ-साथ, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में काफी बड़े-बड़े गांव हैं जिनमें हजारों पशु हैं पर इनमें पशु चिकित्सा उप केन्द्र ही हैं। इनमें सवारिया, मोड़ला, आवड़ा और झाड़ली हैं जिनके उप केन्द्र को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करेंगे तो उन लोगों को लाभ मिलेगा।

मेरे से पूर्व माननीय सदस्यों ने डाक्टर्स के पदों के लिए कहा था कि जो आपके 900 पदों की भर्ती कोर्ट में काफी समय से अटकी हुई है, उसका भी जल्दी से जल्दी निस्तारण हो तो इसका बैनिफिट भी मिलेगा।

इसके साथ-साथ मेरी कुछ पंचायतों में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने बाकी हैं जिनको खोलने की कृपा करें। राजपुरा, मलिकपुर, इन्दोली व पथराज कलां में खोलना जरूरी है। वैसे तो पिछले चार साल के अन्दर मेरे क्षेत्र में खूब पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले हैं जिसके कारण हमारे लोगों का मूल काम कृषि आधारित होने के साथ पशुधन से भी लोगों का जीवनयापन होता है और इनके कारण से लोगों का काफी भला हुआ है।

इसके साथ-साथ, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे थड़ोली में पिछली हमारी सरकार में नारियल और पिंडखजूर के केन्द्र के लिए 85 बीघा जमीन का आबंटन हुआ था जिसमें 45 बीघा में तो काम हो गया और 30 बीघा जमीन पड़ी हुई है, उसके लिए आप खुद इंस्पेक्शन करें और वहां नये सिरे से कोई ऐसी चीज लेकर आयें। वह बीसलपुर डैम की अपस्ट्रीम में है और वहां पर पानी की कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छी जमीन है, जिसमें ऐसा केन्द्र खोलें जिससे किसानों का बैनिफिट हो सके। वहां एप्रोच रोड के लिए पिछली बार 10 करोड़ रुपये का बजट भी दिया था पर उसके बाद एप्रोच रोड नहीं जाने की वजह से काफी तकलीफ हुई थी, इसलिए उसका भी बजट दिलाया जाये।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के अन्दर दो कृषि मण्डी हैं। मुख्य कृषि मण्डी मालपुरा थी और उसी का भाग टोडारायसिंह को भी कृषि मण्डी में पिछली सरकार ने ही डिक्लेयर कर दिया था, उस कृषि मण्डी का गजट नोटिफिकेशन भी निकाल दिया लेकिन वह अभी तक संचालित नहीं हो पा रही है। इन दोनों कृषि मण्डियों के डवलपपमेंट के लिए रोड और प्लेटफार्म के जो प्रस्ताव आपके पास आये हैं उनको भी आप जल्दी से करें।

इसके साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से अभी

(श्री कन्हैया लाल)

कह रहे थे कि खाद की कमी है तो खाद की कोई कमी नहीं है, खाद केन्द्र सरकार खूब दे रही है पर उसको बांटने में कहीं न कहीं व्यवस्था बिगड़ी है। अभी पदमाराम जी कह रहे थे कि जब खाद 1150-1250 रुपये में आता था तब सब्सिडी 500 रुपये मिलती थी और 1750 रुपये में आता था। आज 3 हजार रुपये में जब डीएपी का कट्टा आ रहा है तब भी किसान के केवल 100 रुपये बढ़ाये हैं। पहले खाद की सब्सिडी केवल 50 हजार करोड़ रुपये थी वह आज ढाई लाख करोड़ रुपये केन्द्र सरकार वहन कर रही है, तो मैं ऐसे हमारे प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं किसानों के भले के लिए। किसानों पर बोझ नहीं डालते हुए सारा बोझ केन्द्र सरकार ने अपने सिर पर लिया है।

पीएम किसान समृद्धि योजना के तहत भी आज कह रहे थे कि 6 हजार रुपये से क्या होगा। कई किसान ऐसे हैं जिनके 8 बीघा जमीन है और उनके खातेदार अलग-अलग हैं, भाइयों का बंटवारा देखें तो कम से कम 5-5, 6-6 खाते हैं....

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): एक ही परिवार का करें तो कम से कम 30-30, 40-40 हजार रुपये उस परिवार के खाते में आ रहे हैं तो उनको बहुत बड़ी सहायता मिल रही है। अगर उसकी 8 बीघा जमीन की पैदावार का आकलन करें तो 40 हजार की पैदावार नहीं होगी जितना तो दो हजार रुपये के हिसाब से मिल रहा है जिससे उसको काफी बड़ा सम्बल मिल रहा है। अगर टोटल मिलाकर गणना करें तो ढाई लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का यह बजट उसको मिला है तो मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने जो मांग की है इनको पूरा करें और मेरे क्षेत्र के किसानों का भला करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जे. पी. चन्देलिया।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): महोदय, अगर मैं यह कहूं कि बजट मानव का पूरा शरीर है तो उसमें एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंडरी उस शरीर का हार्ट है। जैसे दिल का महत्व है, वैसे ही हमारी इस राज्य की इकॉनोमी में एग्रीकल्चर और एनिमल हसबेंडरी का है। इसलिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय हमारे इस हाउस के सामने है। किसी व्यक्ति की, किसी शासक की किसान वर्ग के प्रति किस तरह की भावना है, इस बात का जजमेंट उसके व्यवहार से होता है। बहुत निकट समय की ही बात है जब किसान दिल्ली में पड़ा था, सड़कों पर परेशान हो रहा था। उस समय वह माननीय प्रधान मंत्री

(श्री जे. पी. चन्देलिया)

महोदय की सहानुभूति चाहता था कि वे आकर के हमें सुनें। मुझे यहां कहते हुए बड़ी तकलीफ हो रही है कि हमारे देश के प्रधान मंत्री जी उस समय किसानों से मिलने तक नहीं आये। इससे उनकी भावना किसानों के प्रति कैसी है, सिम्पैथी है या एम्पैथी है, यह आप अंदाज लगा लीजिये। कृषि मंत्री तोमर जी को आगे कर दिया, बातें बड़ी मीठी-मीठी करते हैं, लेकिन देने को कुछ नहीं था और किसान परेशान हुए और अन्ततोगत्वा केन्द्र सरकार को झुकना पड़ा, वह झुका किसान की ताकत पर, अपने मन से नहीं झुका। जब देखा कि किसान मानने वाला नहीं है, इस देश में किसान सबसे बड़ी ताकत है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं दूसरी भावना का, हमारे साथी जो विपक्ष में बैठते हैं वे कई बार किसानों का ऋण माफ करने की बात करते हैं। यहां को-आपरेटिव मिनिस्टर साहब भी बैठे हैं। जो इनके बस में था, राज्य सरकार के बस में था, किसान के वे सारे लोन माफ कर दिये । नेशनलाइज्ड बैंक्स का कंट्रोल दिल्ली के पास है, केन्द्र सरकार के पास है। अगर माननीय प्रधान मंत्री जी और वहां जो गवर्नमेंट में बैठे हैं, उनकी किसानों के प्रति थोड़ी-बहुत भी सहानुभूति होती, थोड़ा-बहुत भी लगाव होता तो जैसे अरबों रुपयों का लोन बड़े-बड़े लोगों का कर रहे हैं, वैसे किसानों का भी कर देते, बहुत छोटी मात्रा थी, लेकिन भावना। कहना यह चाहता हूं कि राजस्थान सरकार के माननीय मुख्य मंत्री की, यशस्वी मुख्य मंत्री की, हमारे कृषि मंत्री की और पशुपालन मंत्री की किसान के प्रति बहुत अच्छी भावना है। वे खुद किसान के बेटे हैं और खुद किसान परिवार से आते हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय कृषि मंत्री महोदय, कि वह दिन दूर नहीं जब राजस्थान में, विशेषकर शेखावाटी क्षेत्र में, जहां से मैं आता हूं, वहां ड्रिंकिंग वाटर की, पेयजल की बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र पिलानी की बात करता हूं। जब भी पानी की समस्या आयेगी तो पीएचईडी डिपार्टमेंट गांववाइज योजना बनाता है, खेतवाइज योजना नहीं बनाता है। वह योजना जब बनेगी तो उन किसानों का क्या होगा, जिन्होंने अपने खेत में जाकर अपना मकान बना लिया है और वे वहीं रहते हैं? गांवों में उनके जो मकान थे, वे टूट गये हैं, धराशायी हो गये हैं, वापस जाने की स्थिति में नहीं रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं कि किसानों के लिए किसान कुण्ड कृषि मंत्री महोदय की तरफ से भी रिकमंड किया जाना चाहिए कि प्रत्येक

(श्री जे. पी. चन्देलिया)

किसान को, जिसने अपना मकान अपने खेत में बना लिया है, उसको एक-एक किसान कुण्ड स्वीकृत किया जाये। वह मेहनत कर लेगा लेकिन मैटेरियल का पैसा दीजिए, कहीं से, किसी योजना से डवटेल करना हो तो उसे डवटेल कीजिए, लेकिन यह बहुत जरूरी है कि आगामी पेयजल संकट जो बिलकुल सामने दिख रहा है, वह किसान और उसका परिवार कहां से पानी पीयेगा? इसके लिए आपकी तरफ से अभिशंसा, चूंकि आप किसान परिवार से आते हैं और सौभाग्य से इस राज्य के कृषि विभाग के मंत्री भी हैं, आप यह जरूर रिकमंड कीजिए, यह मेरा आपसे निवेदन है।

मैं एक बानगी हाउस के सामने पेश करना चाहता हूं कि कृषि और किसान के प्रति, ये जो हमारे सामने साथी बैठे हैं, बहुत सहानुभूति और बहुत अच्छी भावना प्रकट कर रहे हैं जुबान से, लेकिन व्यवहार में हमारा यह चार साल और उनके पूरे पांच साल।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): बाजरे की खरीद का क्या हुआ?

श्री सभापति: विराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): उनके पूरे पांच साल हैं, हमारे मात्र चार साल, उसका कम्पेरिजन कर रहा हूं। इन चार सालों में कृषि विभाग की परफोर्मेंस उनके पांच साल से अधिक हो तो मेरे विचार से हाउस को यह प्रिज्यूम करने में कोई दिक्कत नहीं है कि किसान के प्रति, खेती के प्रति राजस्थान की कांग्रेस सरकार की भावना बहुत अच्छी है। एक्टीविटीज एक्सीलरेट हो रही है, गति पकड़ रही है। फसल बीमा योजना के अन्तर्गत पालिसीज, पूरे पांच साल में आपने बांटी 5 करोड़ 45 लाख और हमने चार साल में ही 8 करोड़ 80 लाख बांट दी। फसल बीमा योजना राज्यांश प्रीमियम राशि, आपने पूरे पांच साल में भुगतान की 3 हजार 376 करोड़ और हमने मात्र चार साल में 10 हजार 671 करोड़, आपने फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा क्लेम की राशि भुगतान की, वह 7 हजार 177 करोड़ और हमने चार साल में 18 हजार 500 करोड़। यह तो रिकार्ड पर है, खाली आंकड़े नहीं हैं।

कृषि में अध्ययनरत प्रोत्साहन राशि, जिससे हमारी बच्चियों को लाभ हुआ, जो एग्रीकल्चर एजुकेशन में पढ़ती हैं। आपके पांच साल में 55 हजार 261 बच्चियों को फायदा हुआ, हमारे चार साल में 80 हजार 459 बच्चियों को फायदा मिला। इसी प्रकार खेतों पर तारबन्दी 3 लाख 52 हजार मीटर

(श्री जे. पी. चन्देलिया)

आपके पांच साल में बनी, हमारे मात्र चार साल में 37 लाख 45 हजार मीटर बनी। फार्म पौंड का निर्माण, आपने पूरे पांच साल में 21 हजार 353 का किया और हमने खाली चार साल में 21 हजार 755 का किया। इससे स्पष्ट है कि एग्रीकल्चर एक्टीविटीज को बहुत ज्यादा गति दी जा रही है, महत्व दिया जा रहा है, उस परफोर्मेंस पर जोर दिया जा रहा है।

माननीय कृषि मंत्री महोदय, आप यहां विराज रहे हैं, मैं आपका और माननीय मुख्य मंत्री महोदय का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में आपने एक कृषि महाविद्यालय गत बजट में स्वीकार किया था, वह कृषि महाविद्यालय प्रारम्भ हो गया है। मैंने एक टेम्परेरी भवन की व्यवस्था कर दी है और वह वहां चल रहा है। मेरे यहां आपने जो एग्रीकल्चर कालेज दी है, उसमें शत-प्रतिशत एडमिशन हो गया है, लेकिन उस कालेज का भवन भी बनाना है, वहां लड़के और लड़कियों का अलग-अलग हॉस्टल भी बनाना है और 300 बीघा का रिसर्च फार्म भी बनाना है। ये नोर्म्स यूनिवर्सिटी के और कृषि कालेज को रेगुलेट करने वाली संस्थाओं के हैं। इसके लिए जमीन अलाटमेंट करने का प्रकरण जिला कलेक्टर से, माननीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर महोदय, मैं आपका ध्यान चाहता हूं, जिला कलेक्टर, झुंझुनूं द्वारा एग्रीकल्चर कालेज, पिलानी के लिए अलाटमेंट का प्रस्ताव डीएलबी को भेजा हुआ है। वहां पर एक जमीन है, भगिनिया जोहड़ा के नाम से, जोहड़ा नहीं है, प्राचीनकाल से उसका यह नाम चल रहा है। पहले वहां पर म्युनिसिपैलिटी ने रेजीडेंशियल कॉलोनी बना दी थी, लेकिन रेजीडेंशियल कालोनी की जरूरत नहीं थी। इसलिए वह कैंसिल हो गई और उस जमीन का अलाटमेंट एग्रीकल्चर कालेज के लिए जिला कलेक्टर, झुंझुनूं ने भिजवाया है, चूंकि आबादी लैण्ड है, इसलिए वह डीएलबी के पास आई है। मैं आपका हस्तक्षेप चाहता हूं और माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय और जो सम्बन्धित अधिकारी हैं, उनको आप हमारी तरफ से रिकमंड करें कि वह प्रस्ताव जल्दी से जल्दी अनुमोदित हो ताकि आपके माध्यम से, माननीय मुख्य मंत्री महोदय के माध्यम से, फाइनेंस डिपार्टमेंट के माध्यम से, जो एग्रीकल्चर कालेज आपने दी है हम उसका भवन बनायें, लड़के, लड़कियों का हॉस्टल बनायें और हमारा जो रिसर्च फार्म बनाने का सपना है तीन सौ बीघा में, वह सफल हो।

दूसरा, एक निवेदन करना चाहता हूं कि फैकल्टी की अभी दिक्कत है

(श्री जे. पी. चन्देलिया)

फैकल्टी के लिए आपको जो भी व्यवस्था करनी है आप करिये। अभी तो टेम्परेरी व्यवस्था कर रखी है। बिना लैबोरेटरी के एग्रीकल्चर साइंस को पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलता है। आपसे निवेदन है कि मेरे एग्रीकल्चर कालेज को भी और दूसरे विधायक महोदय चाहे इधर के बोलें चाहे उधर के बोलें, उनके लिए भी कम से कम लैब की व्यवस्था शीघ्रातिशीघ्र करें। मैंने तो इस साल के लिए टेम्परेरी व्यवस्था श्रीधर यूनिवर्सिटी में की है, लेकिन हमेशा के लिए यह नहीं चल सकता है।

एक निवेदन और करना चाहता हूं। पशु चिकित्सा उप केन्द्र है सरदारपुरा, ग्राम पंचायत सुरजोला, मेरे विधान सभा क्षेत्र में, मैंने माननीय कृषि मंत्री महोदय, आपको पत्र लिखा and I am grateful to you कि आपने भी वह मेरा जो पत्र था इसमें सरदारपुरा में सब सेन्टर को पशु चिकित्सालय बनाने के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय को रिकमंड भी कर दिया, उसकी कापी आपने मेरे को दी लेकिन अगेन 17 तारीख आ रही है बहुत नजदीक इसलिये मैं चाहता हूं कि कम से कम वो एक मेरा जो सब सेन्टर है क्योंकि उसमें कई गांव हैं, उसमें हैं बेरी है, छापड़ा है, लीखवा है और सूजडोला है, अनेक ढाणियां हैं, बोर्डर की हैं, हरियाणा के बोर्डर से लगती हुई कांस्टिट्यूएंसी है आपको पता है, तो वहां है ही नहीं कोई सिस्टम इसलिये एक पशु चिकित्सालय सरदारपुरा को आप रिकमंड कर दें। एक उम्मेद सिंह जी चौधरी हैं, उन्होंने अपने पैसे से भवन बना दिया है, भवन आपको हैंडओवर कर दिया है। आपको भवन बनाने की जरूरत नहीं है। आप उसको अपग्रेड करके अपना स्टाफ लगाइये ताकि पूरे गांव को यह सुविधा मिल सके।

सभापति महोदय, दूसरा निवेदन है कि यह सरदारपुरा बिलकुल बोर्डर पर है। माननीय कृषि मंत्री महोदय, बहुत जरूरी है यह। आपने जब रिकमंड कर दिया तो थोड़ा-सा और इंटरवेन्शन करके 17 तारीख को इसकी घोषणा भी करवा दीजिये। दूसरा मैं कहता हूं कि बेरी, वनगोठड़ी बिलकुल उधर चूरू सीमा लगती है और उधर हरियाणा सीमा लगती है, वहां आपके विभाग का कोई अधिकारी है ही नहीं, तो एक छोटी-सी पोस्ट मांगी है मैंने सहायक कृषि अधिकारी की। सहायक कृषि अधिकारी वनगोठड़ी के नाम से एक पद दे दें तो वह उन किसानों को एजुकेट करता रहेगा। वहां कोई है ही नहीं। आपकी नयी-नयी पद्धति आ रही है। एग्रीकल्चर साइंस बहुत आगे बढ़ रही है, तो वह आप थोड़ा एक पोस्ट दे दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी।

(श्री जे. पी. चन्देलिया)

सभापति महोदय, पशुपालन का जहां तक सवाल है, मेरी ये दो ही थीं, एक तो वनगोठड़ी में सहायक कृषि अधिकारी का और सरदारपुरा में पशु चिकित्सा केन्द्र बनाने का और एग्रीकल्चर के सम्बन्ध में मैं निवेदन कर चुका हूं कि मेरा जो यह कृषि महाविद्यालय आपने दिया है वह बिलकुल चालू हो गया है। सेंट परसेंट एडमिशन हो गया है। रिपीट कर रहा हूं, वह ठीक चल रहा है, लैबोरेट्री की व्यवस्था आपको करनी होगी। टेम्परेरी व्यवस्था करायी है मैंने तो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से लेकिन वह हमेशा के लिए नहीं चल सकती और माननीय धारीवाल साहब जो हमारे स्वायत्त शासन मंत्री हैं और डीएलबी साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी लोकल बाडीज हैं, उनको आपके हस्तक्षेप से वह जो प्रस्ताव आया हुआ है जिला कलेक्टर का अलाटमेंट का इस कालेज के लिए वह जरूर आप क्लियर करवायें।

माननीय सभापति महोदय, आपने इतना समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वैरी मच।

श्री सभापति: श्रीमती संतोष।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या...

श्री सभापति: एक मिनट, माननीय सदस्या, आप विराजिये। श्री अर्जुन लाल जीनगर।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 46 - कृषि विभाग, मांग संख्या 47 - पशुपालन एवं मत्स्य पर बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद। आज ये दोनों मांगें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इन दोनों महत्वपूर्ण मांगों पर चर्चा हो रही है और सत्तर प्रतिशत आबादी प्रदेश की जो किसानी का काम करती है और हाउस के अन्दर दो सौ मैंबर होते हैं और उसके अन्दर मात्र 30-35 माननीय सदस्य विराजमान हैं, तो हमारा सदन किसानों के प्रति कितना गम्भीर है, यह स्पष्ट दिखायी देता है।

सभापति महोदय, कृषि और पशुपालन के बिना जीवन ही सम्भव नहीं है। आज हम धरती मां, धरती पुत्र और गोमाता की बात करेंगे। धरती पुत्र किसान है जो धरती मां का सीना चीर करके अन्न पैदा करता है और दुनिया का पेट भरता है। किसी ने ठीक ही कहा था, 'जिसके श्रम से खा रहा खाना हिन्दुस्तान, श्वेत रक्त से सींच कर खेती करे किसान। गर्मी, पावस, शरद में पाये कष्ट तमाम, कहे आराम कहां है श्रम ही पूजा है मान।' यह उस किसान के लिए किसी ने कहा। वास्तव में किसान बड़ी मेहनत करता है और दुनिया

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

का पेट भरता है और खुद का पेट खाली रहता है। ऐसी स्थिति में किसान की माली हालत, राजस्थान की माली हालत ठीक है लेकिन किसान की माली हालत ठीक नहीं है, इसके ऊपर चिन्ता और चिन्तन करने का विषय है। मैं चाहूंगा कि किसान कर्जे में डूब रहा है किसान के कर्जे को माफ किया जाये। आपने माफ करने की बात कही। वादा खिलाफी कर दी, कोई बात नहीं। आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए हमको प्रयास करने पड़ेंगे।

सभापति महोदय, किसान कर्ज में डूब रहा है, किसान की माली हालत ठीक नहीं है। किसान फंदे पर झूल रहा है, किसान की जमीनें नीलाम हो रही हैं, इस पर हमको चिन्ता करने की जरूरत है। किसान को हर कोई ठगता है। माननीय सभापति महोदय, मैं बार-बार देखता हूं कभी-कभी किसान को हर कोई ठगता है। कोई भाव में ठगता है, कोई तौल में ठगता है, कोई किसी में ठगता है। कृषि घाटे का सौदा है फिर भी करता किसान है। कभी बीज खराब मिलता तो कभी नकली खाद, कभी बिजली नहीं मिलती, कभी मौसम खराब। कभी किसान की खेती पानी में तैरती है तो कभी धंस जाते हैं मण्डी के भाव। यही किसान की आत्मकथा के हैं भाव।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी पिछली भाजपा सरकार में जब बजट सत्र था और मैं सदन में था और बेमौसम बरसात और ओले गिरे थे तो हमारी यशस्वी माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन की दो दिन तक कार्यवाही रोककर कहा कि सभी विधायक अपने-अपने क्षेत्र में जायें और कितना फसल खराबा हुआ है, स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिये और उस समय राजस्थान के सभी काश्तकारों को फसल खराबे का मुआवजा देकर के किसान की माली हालत को ठीक करने का काम किया और हमारी सरकार ने पचास-पचास हजार तक के कर्जे माफ करने का काम किया। किसानों के बिजली बिल माफ करने का काम हमने ही किया। आपने उन बिलों को रोक दिया और अब जाकर दो साल बाद बिजली के बिल माफ करने का काम किया है।

सभापति महोदय, आज यदि हम देखें तो राजस्थान में कुल खेती योग्य जमीन 342.37 लाख हैक्टेयर है जिसमें खेती मात्र 133 लाख हैक्टेयर जमीन पर ही हो रही है और 20 लाख पर वन भूमि है और 138 लाख हैक्टेयर जमीन है उसमें पानी और बेकार जमीन पड़ी हुई है। राजस्थान में कृषि की उत्पादन क्षमता भी ठीक है। कुल हमारे पास 271.33 लाख टन हम

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

खाद्यान्न पैदा करते हैं। खरीफ का खाद्यान्न हमारा 110.42 लाख टन है और रबी का 160.91 लाख टन है। आज हमारे पास गेहूं पैदा करने के लिए खाद्यान्न पैदा करने की स्थिति हमारी ठीक है, उसमें हम अनाज, दलहन, तिलहन, कपास, गन्ना ये सब पैदा करते हैं। आज से लगभग नब्बे साल पहले भोपालसागर के अन्दर खूब गन्ना होता था और 1932 के अन्दर मेवाड़ शुगर मिल लगी थी लेकिन बरसात की कमी होने के कारण धीरे-धीरे गन्ने का उत्पादन कम हुआ और वह शुगर मिल भी बन्द हो गयी।

माननीय सभापति महोदय, कृषि, किसान और पशुपालन एक दूसरे के पर्याय हैं। किसान की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रदेश की सरकारों ने और देश की सरकारों ने समय-समय पर काम किये हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसान की माली हालत ठीक हो। इसके लिए सबसे पहले मुझे यह ध्यान आता है कि किसान की माली हालत ठीक करने के लिए, किसान को कर्जे से उबारने के लिए देश के यशस्वी प्रधान मंत्री तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किसान क्रेडिट कार्ड प्रारम्भ किया था और माल को आसानी से मण्डी तक ले जाने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का काम किया। आधुनिक खेती के प्रति रुझान हो काश्तकारों का इसके लिए काम किया। देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने भी अभी किसान सम्मान निधि योजना प्रारम्भ की थी। अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे कि 6 हजार रुपये देने से क्या होता है। आपकी सरकार तो 55 साल तक देश में रही, भारत में राज किया, आपने किसान के लिए एक रुपया देने का काम नहीं किया लेकिन मोदी जी ने आते ही दो-दो हजार रुपया तीन किस्तों के रूप में देने का काम किया है। खाते में सीधा रुपया जाता है और आप तो वो प्रधान मंत्री थे हमारे राजीव जी, उन्होंने कहा था कि मैं एक रुपया वहां से भेजता हूं और 15 पैसा नीचे जाते-जाते तक आता है लेकिन मोदी जी जब से आये हैं तो सीधा का सीधा सारा पैसा खाते में आता है, यह आप देख लो। (व्यवधान) कोई पन्द्रह लाख की घोषणा नहीं की है।

श्री सभापति: आपस में वार्ता नहीं।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): आपके समय में जो करप्शन होता था, आज उस करप्शन को खतम करने का काम मोदी जी ने किया है, आप चाहते थे कि करप्शन चालू रहे, करप्शन हो नहीं सकता। एम एस पी योजना लागू करने का काम मोदी जी ने किया। समर्थन मूल्य पर फसलें खरीदी जायें

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

लेकिन राजस्थान सरकार फसलें खरीदती नहीं है, समय पर स्टार्ट नहीं करती है जिससे सस्ते दामों में किसानों को अपनी फसलें बेचने पर मजबूर होना पड़ता है। यूरिया खाद को आपने देखा है, मोदी जी ने यूरिया खाद को नीम कोटेड किया और आपने अभी यूरिया की स्थिति देखी होगी लाइनें लगानी पड़ीं यूरिया की, समय पर खाद नहीं मिला। बिजली नहीं मिलती, रात को बिजली देते हो आप। रात को बिजली देने पर क्या करेगा, काश्तकार की समस्या को सुनो और खेत पर जाओ। ऐसी ठंड के अन्दर खेती करके जो काश्तकार अन्न पैदा करता है उसकी आप सुध लो तो ठीक रहेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रारम्भ करने का काम मोदी जी ने किया और 33 प्रतिशत फसल खराबे पर भी मुआवजा देने की बात हमारी सरकार ने की है। इस तरह से कई काम हमारे मोदी जी ने किये हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा किसानों को समय पर बिजली मिले, खाद मिले और मंडी का भाव मिले। जब तक हम यह काम नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता।

मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में कुछ बड़ेबड़े बांध हैं और बनास नदी से एक फीडर आती है, उनको भरने की आवश्यकता है। भोपाल सागर, कपासन, धमाना, डिडोली बांध हैं, बनास नदी की नहर को बंद कर रखा है, वह नहर यदि चालू हो जाये तो हमारे यह बांध भर जायेंगे और सिंचाई के लिए किसानों को पानी मिल जायेगा। इसी तरह आज से 50 साल पहले मातृकुंडिया में एक बांध बनाया गया है, उसका पानी सीधा भीलवाड़ा जिले में जाता है, भीलवाड़ा में पानी की आवश्यकता नहीं है, वह पानी कपासन विधान सभा क्षेत्र को मिले तो मैं समझता हूं कि सारा काम अच्छा हो जायेगा।

मैं पशुपालन की बात करूं, उससे पहले एक निवेदन और करना चाहूंगा, यदि पशुपालन को ...

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): मैं दो मिनट में मेरी बात करूंगा। कृषि मंत्री जी, विशेष निवेदन करना चाह रहा हूं, सदन के ध्यान में यह बात लाना चाह रहा हूं कि यदि हम वास्तव में किसान का भला करना चाहते हैं, पशु का भला करना चाहते हैं, गौ वंश का भला करना चाहते हैं तो हमें एक काम जरूर करना पड़ेगा कि हमें खेती को और पशुपालन को नरेगा के साथ जोड़ना पड़ेगा। यदि आपने खेती और पशुपालन को नरेगा के साथ जोड़ दिया,

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

हकाई, निराई, गुड़ाई के लिए, फसल कटाई के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए यदि हम काश्तकार को नरेगा में एक-एक हाज़िरी दे दें, रबी की फसल में 125 दिन की हाजिरी नरेगा से उसको मिल जाये तो उसको 25 हजार रुपये मिलेंगे। खरीफ में भी 125 हाजिरी उस काश्तकार को मिल जाये तो उसमें भी 25 हजार मिलेंगे, तो 50 हजार रुपये उस काश्तकार के खाते में जायेंगे तो काश्तकार का भला होगा। इसी प्रकार से गौ वंश के लिए भी, जो काश्तकार दो गौ वंश पालेगा, उसको भी 125 हाजिरी सालाना हम देंगे तो 25 हजार रुपये उसको भी मिलेगा, तो हमारे रोड पर जितना भी गौ वंश मिलता है, वह गौ वंश रोड पर नहीं मिलेगा और घर-घर में गौशाला खुल जायेगी। लम्पी बीमारी में आपको जो प्रयास करने चाहिये, सरकार ने नहीं किया, लेकिन मैं सदन के माध्यम से उन समस्त गौ भक्तों का धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा जिन्होंने लम्पी बीमारी में गौ वंश को बचाने के लिए गायों की सेवा करने का काम किया।

नंदी शाला खोलने के लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हैं। 2019 में आपकी सरकार बनते ही आपने कहा था कि हम नंदी शालाएं खोलेंगे, लेकिन मुझे तो मेरे क्षेत्र में कहीं नंदी शालाएं दिखाई नहीं दे रही हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर हम गांव, गरीब, मजदूर, किसान, वंचित, पीड़ित, शोषित का भला करना चाहते हैं तो हम सब मिलकर यहां पर सकारात्मक चर्चा करेंगे तब जाकर काम ठीक होगा। किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए...

श्री सभापति: श्री गिर्राज सिंह।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): एक मिनट। यदि किसान की स्थिति हमको ठीक करनी है तो हम सबको खेती के लिए एम एस पी भी लागू करनी पड़ेगी, भाव अच्छे देने पड़ेंगे और दूध के भाव भी अच्छे देने पड़ेंगे और गाय को बचाने के लिए...

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए, विराजिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): गौ माता के दूध पर स्पेशल बोनस हम देंगे तो गाय बचेगी।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपने स्थान पर विराजें।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 46 और 47 पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे विपक्ष के लोग बोल रहे थे, हमारे बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष भी बोल कर गये और इधर से भी काफी लोगों की आवाज आई है कि इस सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। एक साल तक किसान दिल्ली में रोड पर बैठे रहे, लगभग एक हजार किसानों की मृत्यु हो गई, उसके बाद किसानों की बात करने का हक इनको किसने दिया? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपने स्थान पर विराजें चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): यह तो किसानों के हत्यारे हैं। इनको किसानों की इतनी बद्दुआ लगी है और आगे आने वाले समय में इनका इतना बुरा हाल होगा कि यह सोच भी नहीं सकेंगे और यही किसान इनका हाल खराब करेंगे। असत्य बोलना सीखना है तो माननीय प्रधान मंत्री जी से सीखें। 2022 में किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, 2022 की जगह 2023 हो गई, कौनसी आय इन्होंने दोगुनी कर दी? हां, इन्होंने एक काम जरूर कर दिया जो 1125 रुपये में डाई का कट्टा आता था, उसमें 50 किलो वज़न आता था, वह 1350 रुपये बिक रहा है, पांच किलो वज़न कम कर दिया और पैसे भी बढ़ा दिये। कितनी चतुराई से इन्होंने बेईमानी की है और फिर कह रहे हैं कि हम किसान के बहुत बड़े हितैषी हैं। केन्द्रीय सरकार ने कभी किसान के लिए कोई ऐसी योजना बनाई है, एक योजना अडानी और अंबानी जी के लिए इन्होंने जरूर बनाई है, कि किसानों की सब जमीन खरीद लो और जगह-जगह गोदाम बना दो और मंदा माल हम खरीदेंगे और फिर हम 100 रुपये किलो में आटा बेचेंगे। इन्होंने जो किसानों का हाल किया है, इनको तो किसान के नाम पर बोलना नहीं चाहिये।

अभी हमारी सरकार ने 14 हजार करोड़ के लोन माफ किये हैं और यह कह रहे हैं कि सरकार ने कुछ किया ही नहीं। मनमोहन जी की सरकार ने सब किसानों का लोन माफ किया, यदि आप किसानों की इतनी चिंता करने वाले लोग हो तो आप करा दो मोदी जी से कह कर। आपके 24 सांसद हैं, एक आपके पैक्ट में जीते हुए हनुमान बेनीवाल जी हैं, वह जरूर किसानों के लिए थोड़ी आवाज उठाते हैं, पर आप लोग तो कुछ करते ही नहीं हो। आपके सांसद कभी लोक सभा में बोले तो पता लगे कि यह कहां से सांसद हैं, पता ही नहीं है। इनका एक भी सांसद आवाज ही नहीं उठाता है। किसान की कोई भी बात

(श्री गिर्राज सिंह)

आ जाये, तब भी यह नहीं बोलते। असत्य बोलने का सर्टिफिकेट जरूर इनके पास है। 15 लाख रुपये की बात आई तो अमित शाह जी ने कहा कि वह तो चुनावी जुमला था। इनसे असत्य बुलवा लो। कहने के बाद भी बदल जाते हैं और किसान के लिए इतने आंसू बहा रहे हैं। किसान के लिए एक साल में 24 हजार यूनिट फ्री हो गई, यह इनको नहीं दिख रहा है। जिन लोगों का सिर्फ आरोप लगाने का काम है, वह लगाते रहेंगे।

मंत्री जी, कुछ किसान के ऐसे काम हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पिछली बार बिजली ठीक मिली थी, अबकी बार बिजली दिन के बजाय रात को ज्यादा मिली है, तो एक तो इस बिजली में सुधार हो जाये। इतनी सर्दी पड़ती है और बिजली रात को मिलती है तो किसान कैसे पानी दे पायेगा, एक तो आप इसमें ऊर्जा मंत्री जी से बात करें। दूसरा, बार-बार कहीं ओले आ जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, इसमें गिरदावरी थोड़ी ठीक तरीके से करावें और उसमें जो 60:40 का रेशो कर रखा है, 30 का कर रखा है, उसको हटाकर हम इसमें एक प्रावधान करें कि किसी का 20 परसेंट नुकसान होता है, किसी का 10 परसेंट नुकसान होता है, किसी का 50 परसेंट नुकसान होता है, तो नुकसान तो होता ही है, यह तो आप भी मानते हैं कि 30 परसेंट, 40 परसेंट से कम होगा, उसको हम नहीं देंगे, लेकिन उनका नुकसान तो हो ही गया, उसकी हम पूर्ति करें कि जिसका जितना नुकसान होता है, उसको उतना मुआवजा देने का तय करें।

मंत्री जी, जिन्होंने गांव से हटकर खेतों पर मकान बना लिए, अब उनको वहां लाइट की समस्या है। लाइट लगाने के लिए वह चार्ज किसान से वसूल करते हैं। इसमें छूट दी जाये कि किसी खेत पर पर्सनल लाइट के लिए कनेक्शन लेते हैं तो उसका पैसा नहीं लगना चाहिये। किसान के पास इतना पैसा नहीं है। अभी वर्तमान में जो फसल खराबा हुआ है, उसकी गिरदावरी करा कर इन किसानों को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिया जाये।

(समय: 15.00 बजे)

सभापति महोदय, चम्बल में से जो बाढ़ आती है उससे किसानों को नुकसान होता है, उसमें भी हम बहुत कम मुआवजा देते हैं उस मुआवजे को बढ़ाया जाये, किसानों का मुआवजा बढ़ाकर हम ज्यादा से ज्यादा किसानों को कैसे फायदा पहुंचाएं। सरकार ने अच्छे काम किये हैं, किसानों के लिए 24 हजार यूनिट फ्री की है, घरेलू कनेक्शन के लिए आपने 100 यूनिट फ्री किये

(श्री गिर्राज सिंह)

हैं। काम काफी अच्छे हुए हैं। मुख्य मंत्री जी ने बजट भी अलग से रखा है यह भी किसानों के लिए एक फायदा है।

सभापति महोदय, किसानों के लिए जो पशुओं वाली समस्या है, जो आवारा गायें हैं, वे खेतों में घूमती हैं, मंत्री जी, उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था करें। बहुत से लोगों को अभी यह नहीं मालूम कि अपने नियम क्या हैं? आप आज क्लियर करें कि गोशाला बनाने या नन्दीशाला बनाने के लिए अपन ने कितना बजट रखा है? पंचायत लेवल पर हम कितना कर रहे हैं? पंचायत समिति पर हम कितना कर रहे हैं? जिला लेवल पर हम कितना देना चाहते हैं? एक बात लोगों को मालूम हो जाये। गायों के कारण किसान परेशान होते हैं, उनको रात भर खेतों पर जगना पड़ता है, वे लाठी लेकर गायों के पीछे भागते रहते हैं, तो किसानों का भी नुकसान हो रहा है और हमारी गोमाता का भी नुकसान हो रहा है, जिसके कारण हम कोई ऐसी ठोस नीति बनायें कि किसान के लिए हम कैसे ज्यादा से ज्यादा काम करें और हम गौमाता का भी ध्यान रखें। नंदीशाला बना दें और गोशाला बना दें, पंचायत लेवल पर बना दें, तो उसके लिए हम सरकार की तरफ से क्या पैसा दे रहे हैं? इसके लिए जिले लेवल पर इसका प्रचार कराया जाये तो जो किसान रात को खेतों में घूमते हैं, उसके लिए हम ठीक से काम करें। इससे उनकी फसल बर्बाद नहीं होगी और किसान को इसका फायदा होगा।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): सभापति महोदय, अभी कह रहे थे कि लम्पी बीमारी आयी थी। यह बात सही है कि उसमें गायों की मृत्यु तो हुई है। आपकी केन्द्र की सरकार ने गाय के नाम पर सिर्फ राजनीति की है, कोई एक भी काम नहीं किया है। आपने कभी गाय के लिए एक पैसा नहीं बढ़ाया। जब आपकी सरकार थी, तब भी हमने देखा है। आपने गाय के चारे के लिए एक पैसा नहीं बढ़ाया। हमारी सरकार ने आते ही पैसा बढ़ाया, हम लोगों ने गाय के लिए काम किया। आप गाय के नाम पर सिर्फ ढकोसले करते हैं।

सभापति महोदय, मेरी कुछ मांगें हैं। मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि मेरे यहां नवीन पशु चिकित्सालय केन्द्र स्वीकृत करें। ग्राम पंचायत दोनारी सपेऊ, ग्राम पंचायत बुनहेरा सैपऊ, हांसी ग्राम पंचायत, बाड़ी, ग्राम घड़ीसुक्का, बाड़ी। उप स्वास्थ्य केन्द्रों को चिकित्सालय में क्रमोनत करने के लिए सुरोठी,

(श्री गिर्राज सिंह)

धनोरा, तोड़पुरा, नगला विदोरा, बहादुरपुर नोहरा। सभापति महोदय, प्राथमिक चिकित्सालय, बाड़ी व पोलीटेक्निक कालेज को क्रमोन्नत किया जाये।

सभापति महोदय, गोशाला खोलने के लिए मैं फिर दोबारा से मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि आपको गोशाला के लिए सबसे ज्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। किसानों की हालत बहुत खराब हो रही है। दोनों मंत्री जी यहां बैठे हैं। मेरे यहां बाड़ी में कृषि उपज मंडी में लगभग 55 बीघा जमीन है और कृषि उपज मंडी 8 से 10 बीघा में चल रही है, वह जमीन आपके कुछ काम नहीं आ रही है। मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि सरकार की जमीन है, सरकार के काम में ही जा रही है। वह सिटी के अन्दर है। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज ही सदन में घोषणा करें, वह जमीन हमें हास्पिटल के लिए उपलब्ध करायी जाये। हमारे बाड़ी में मुख्य मंत्री जी ने बजट घोषणा में 300 बेड का हास्पिटल दिया है, उसके लिए मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद।

सभापति महोदय, जो भी लोग हैं और जो गाय के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, वे गाय के लिए कुछ करें। राम मन्दिर के नाम पर राजनीति कर रहे हैं तो राम मन्दिर के लिए कुछ करें। यहां पर सिर्फ असत्य घोषणाएं करने के अलावा और प्रधान मंत्री जी की तारीफ करने के अलावा उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। उनकी तारीफ ये लोग इतनी करते हैं कि सिर्फ असत्य बोलने का सर्टिफिकेट लें तो बीजेपी वालों से लें। सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती संतोष।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 46-कृषि और मांग संख्या 47 - पशुपालन एवं मत्स्य विभाग पर बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। सभापति जी, किसान सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं और आर्थिक स्थिति आज भी अच्छी नहीं है, हम सबको पता है। किसान का जो दर्द है, उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। राजस्थान में आज किसान कर्ज की वजह से परेशान है और सरकार कह रही कि हम किसानों को समृद्ध कर रहे हैं और सरकार किसान बजट भी लेकर आयी है, लेकिन हकीकत में स्थिति क्या है? बजट में जो घोषणाएं की हैं, वे खाली घोषणाएं हैं, उनका लाभ किसानों को धरातल पर आज भी नहीं मिल पा रहा है। माननीय सभापति जी, कभी सोचा है कि एक किसान नहीं होगा तो जिन्दगी क्या होगी? ध्यान रहे कि शरीर अत्याचार तो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन पेट की

(श्रीमती संतोष)

भूख नहीं। हर किसान को हमें सम्मान देना चाहिए और किसान को खुशहाल एवं समृद्ध बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए।

सभापति जी, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूं। हमारा क्षेत्र कृषि पर आधारित है और आज सबसे बड़ी चुनौती जो हमारे सामने है, वह अन्नदाता की घटती जोत को लेकर है। खेती की लागत में लगातार बढ़ोतरी भी होती जा रही है। छोटी जोत में किसानों का खर्चा निकालना भी मुश्किल होता जा रहा है। किसानों को खेती के साथ-साथ पशुपालन एवं अन्य कार्यों से भी जोड़ा जाये।

सरकार बजट में जो योजनाएं लेकर आयी है, मैं यह कहना चाहूंगी कि यहां हम सदन में बात कर रहे हैं, महत्वपूर्ण विषय है और हमारे जो माननीय सदस्य हैं वे बार-बार केन्द्र सरकार की बात कर रहे हैं, हम यह पूछना चाहते हैं कि किसानों के लिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान में क्या किया है? इसको अगर बतायें तो ज्यादा सही रहेगा क्योंकि योजनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन उनको धरातल पर नहीं उतारा गया है।

मैं हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी जो किसान सम्मान निधि योजना लेकर आये, जिन्होंने लघु एवं सीमान्त कृषकों की समस्याओं को जानते हुए दो हैक्टेयर से कम जोत वाले किसानों को कृषि के प्रति प्रोत्साहित किये जाने हेतु, बुआई से ठीक पहले जो नकदी का संकट किसान के सामने आता है, उन किसानों को किसान सम्मान निधि के द्वारा चार माह के बाद सहायता राशि उपलब्ध करवायी जा रही है। जो छोटे किसान हैं, इससे उन किसानों को बहुत लाभ मिल रहा है। इसी के साथ जो केसीसी योजना लेकर आये, उससे भी किसानों को बहुत लाभ मिला है। माननीय प्रधान मंत्री जी के द्वारा तो एक से बढ़कर एक कार्य किसान के लिए किये गये हैं और किसानों को खुशहाल एवं समृद्ध करने के लिए हमारी केन्द्र की सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन हकीकत में राजस्थान में स्थिति क्या है? कर्ज माफी का वादा करके आज किसानों के साथ जो धोखा किया है, वह हम सबके सामने है।

अभी मैं मेरे क्षेत्र की बात करूं। आईजीएनपी, सिंचाई के पानी के विषय में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आईजीएनपी नहर बन्दी अभी 21 मार्च से प्रस्तावित है। अगर यह नहर बन्दी होती है तो जो पकाव पर हमारी गेहूं की फसल है, वह एक पानी के अभाव में खराब हो जायेगी। मैं सरकार से

(श्रीमती संतोष)

मांग करती हूं कि जो यह नहर बन्दी प्रस्तावित है, इसको 15-20 दिन के लिए स्थगित करके आगे किया जाये, ताकि किसान की जो फसल है वह समय पर पक कर, उनको अच्छा लाभ मिल पाये।

इसी के साथ जो मेरे क्षेत्र में एक समस्या भी सामने आयी। सिंचाई विभाग की लापरवाही कहें या कोई और कारण, किसानों को जो बार-बार पानी दिया जा रहा है, वह लेट छोड़ा जा रहा है। उस वजह से अनूपगढ़ शाखा के जो किसान हैं उनकी बारियां पिट जाती हैं, समय पर उनको पानी नहीं मिल पाता है, इससे उनको बहुत नुकसान होता है। इसकी भरपाई भी सरकार करे।

माननीय सभापति महोदय, हाल ही श्रीगंगानगर जिले में दो दिवसीय अखिल भारतीय रबी तिलहन सेमिनार आयोजित की गई थी, जिसमें प्रदेश को सरसों प्रदेश घोषित किये जाने की मांग की गई है। सरसों की फसल कम पानी में तैयार हो जाती है। सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5450 रुपये प्रति क्विंटल होते हुए भी किसान 4 हजार या 4 हजार 200 रुपये प्रति क्विंटल बेचने को मजबूर है। सरकार द्वारा अभी तक समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद नहीं की जा रही है। मेरी मांग है कि इस समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद की जाए।

सभापति जी, हम डिग्गी की बात करते हैं। डिग्गी निर्माण के लिए किसानों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे, ऑनलाइन में लाटरी सिस्टम होने के कारण पात्र व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन तो हो गया लेकिन लाभ से वंचित है। दोबारा ऑनलाइन आवेदन पर पहले से रजिस्ट्रेशन की सूचना बताने के कारण पुन: रजिस्टर्ड नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे में किसानों के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, उनको समय पर डिग्गी नहीं मिल पा रही है। मैं मांग करती हूं कि डिग्गी निर्माण का अनुदान भी बढ़ाया जाए और इसमें सरलीकरण किया जाए, ताकि किसान इसका लाभ उठा पाएं।

सभापति जी, एक बहुत बड़ी समस्या हमने देखी। फसल बिजाई होती है, फसल तैयार होती है, डीएपी और यूरिया की समस्या हमारे सामने है। अभी हमारे माननीय सदस्य बोल रहे थे, डीएपी और यूरिया के लिए किसानों को लम्बी-लम्बी लाइनें लगानी पड़ रही हैं, उसके बावजूद भी उनको समय पर खाद नहीं मिलने के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ा।

सभापति महोदय, मैं यह बता देना चाहूंगी कि राज्य सरकार द्वारा मांग के अनुसार यूरिया की डिमांड केन्द्र सरकार से नहीं की गई थी, यह हमारे

(श्रीमती संतोष)

सामने बात आई। किसानों की बात करने वाली हमारी सरकार से मैं यह कहूंगी कि किसानों को राहत देने के लिए समय पर उनकी मांग के अनुसार उनको राहत दी जाए।

सभापति महोदय, अभी भयंकर शीतलहर और पाले के कारण फ़सलें खराब हुई हैं, उसका मुआवजा भी अभी तक नहीं दिया गया है। नाममात्र की गिरदावरी की बात इन्होंने कही है। नाममात्र का मुआवजा है, उससे किसान को राहत नहीं मिलेगी। मेरी आपसे यह मांग है कि किसानों को उचित मुआवजा देकर उनको जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए।

सभापति महोदय, मैं इसी में एक बात और बताना चाहूंगी कि लगभग दो साल पहले नरमे की फसल खराब हुई थी, 12 एच और 3 एनडी हमारे ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत ज्यादा वहां नुकसान हुआ था। उसका मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है, पैंडिग है, किस कारण से हैं, उसको भी ध्यान में रखा जाए और उन किसानों को भी राहत दी जाए।

सभापति महोदय, खेतों में तारबंदी की एक योजना है। 400 रनिंग मीटर की सीमा तक तारबंदी किये जाने पर अनुदान दिया जाता है। अनुदान की अधिकतम सीमा 48 हजार रुपये निर्धारित है, जो बहुत ही कम है। लघु एवं सीमांत कृषक के पूरे खेत की तारबंदी इससे नहीं हो पाती है। मैं सरकार से मांग करती हूं कि तारबंदी का अनुदान बढ़ाया जाए।

मेरा विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़, मेरा गंगानगर जिला पूरा का पूरा कृषि पर निर्भर है। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए मांग करती हूं कि वहां एक एग्रीकल्चर कालेज खोला जाए, ताकि हमारे वहां के बच्चों को इसका लाभ मिल सके। खेती में नई तकनीक को काम में लेकर किसान इसका लाभ उठा सकें।

अभी गेहूं की फसल तैयार हो जाएगी, इस समय भी हमारे सामने एक समस्या आती है, बिजली फाल्ट के कारण किसानों की फसल जल जाती है। किसान को इसका बहुत नुकसान होता है, क्योंकि पूरी तैयार फसल नष्ट हो जाती है। उसके लिए उचित प्रावधान करके उन किसानों को राहत दी जाए।

माननीय सभापति महोदय, सोलर सिस्टम की हम बात करते हैं। किसानों के खेतों में ट्यूबवैल व कुओं पर सोलर एनर्जी पम्प लगा रहे हैं। किसानों को तीन या पांच-सात एचपी का सोलर एनर्जी पम्प लगाने पर सब्सिडी दी जा रही है। सब्सिडी समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है, इसलिए

(श्रीमती संतोष)

किसान इंतजार करते रहते हैं। इसमें भी सरलीकरण करके किसानों को सोलर पम्प की सुविधा समय पर दी जाए।

हम पशुपालन विभाग की बात कर रहे हैं। हमारे माननीय सदस्य अभी गाय पर बोल रहे थे। मैं बता देना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी गाय पर राजनीति नहीं की है। आप लोगों के पास शायद बोलने के लिए कोई विषय नहीं है, इसलिए बार-बार गाय पर बात करके आप लोग अपनी बात रख रहे हैं। गाय के लिए जितना सरकार व भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया है, उतना शायद ही आप लोग कर पाएं। अभी लम्पी जैसी बीमारी हमारे सामने थी, हमने देखा कि विधायक कोष से पैसा देने के बाद भी हमें समय पर दवाइयां उपलब्ध नहीं हुईं और हज़ारों-लाखों पशु मर गए।

श्री सभापति: श्री गणेश घोघरा।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि.

श्री सभापति: विराजिए।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र की डिमांड रखना चाहूंगी। मेरे क्षेत्र में..

श्री सभापति: विराजिए।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): बकरियां मरी थी, उनका मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है। पशुपालन की बात करते हैं, उसका मुआवजा किसान को दिया जाए।

श्री सभापति: विराजिए।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): पशु चिकित्सा उप केन्द्र, मेरे विधान सभा क्षेत्र की कई ऐसे पंचायतें...

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): 000

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति जी, मुझे मांग संख्या 46 व मांग संख्या- 47 पर बोलने का बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

आज बहुत ही गम्भीर विषय है, किसान और पशु। भारत देश कृषि प्रधान देश है। भारत गांवों का देश है। गांवों में किसान अधिकतर खेती करता है और खेती पर ही निर्भर रहता है, उससे अपनी आजीविका चलाता है, अपने

(श्री गणेश घोघरा)

परिवार का भरण-पोषण करता है। बची हुई फसल वह बाजार में बेचकर अपने परिवार का पेट पालन करता है। विपक्ष की पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ अन्याय किया है भले ही मोदी जी हों। इन्होंने तीन काले कानून बनाए लेकिन लागू नहीं करा सके। किसान एक साल तक दिल्ली की सड़कों पर धरने पर रहे। एक हजार किसानों को इन्होंने कुचला, मारा, बारिश, गर्मी व ठण्ड में और यह बताते हैं कि हम किसानों के हितैषी हैं। इन्होंने किसानों के शोषण के अलावा कोई काम नहीं किया।

हमारी राजस्थान की सरकार ने, लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने कोआपरेटिव बैंक में, मिनी बैंक होती है, उसमें किसानों का कर्जा दस दिन में माफ किया, लेकिन आप मोदी जी से कर्जा माफ नहीं करा सकते हैं। हमारे विपक्ष के साथी कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तो मांग क्यों कर रहे हो? कोई कह रहा है कि हमारे कृषि महाविद्यालय खोल दो, कोई कह रहा है हमारे पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र खोल दो। जब सरकार काम ही नहीं कर रही है तो आप किस बात की मांग कर रहे हो? आप खाली गाय के नाम पर वोट मांगते हो। किसानों व पशुओं के हितैषी नहीं हो।

माननीय सभापति जी, गत इनकी सरकार थी, आज हमारी सरकार है। मैं तुलना करना चाहूंगा, इन्होंने गत सरकार में क्या काम किये, कितना बजट दिया। हमारी सरकार ने, दो साल कोरोना था उसके बाद भी इतना विकास किया है। फसल बीमा योजना के अन्तर्गत पालिसी वितरण संख्या गत वर्ष की 5 करोड़ 45 लाख है, अभी वर्तमान 8 करोड़ 80 लाख है। यह विकास हुआ है या नहीं हुआ? उसके बाद फसल बीमा योजना अन्तर्गत राज्यांश प्रीमियम राशि का भुगतान 3 हजार 376 करोड़ आपके कार्यकाल में, अभी हमारी वर्तमान सरकार, कांग्रेस के कार्यकाल में 10 हजार 671 करोड़। क्या यह काम नहीं हुआ? उसके बाद फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा क्लेम राशि आपके कार्यकाल में 7 हजार 177 करोड़ थी, हमारी सरकार में 18 हजार 500 करोड़। यह देख लीजिए कितना अंतर है, कौन काम कर रहा है और कौन काम नहीं कर रहा है। आप जनता को बेवकूफ मत बनाओ, जनता सब समझ रही है।

सभापति महोदय, कई काम हैं। पशुधन बीमा योजना को आपने 2018 से बंद कर दिया। हमारी सरकार ने बीमा योजना को पुन: प्रारम्भ किया। वर्ष 2023-24 के लिए की गई बजट घोषणा में मुख्यमंत्री कामधेनु

(श्री गणेश घोघरा)

बीमा योजना के तहत प्रदेश के 20 लाख पशु पालकों के दो-दो दुधारू पशुओं का 40 हजार रुपये का पशु बीमा किया जाना प्रस्तावित है। यह काम कोई कर सकता है तो कांग्रेस कर सकती है। यह काम कोई कर सकता है तो अशोक गहलोत कर सकता है। आप खाली बातें करना जानते हैं।

माननीय सभापति महोदय, किसान पूरे देश का पेट पालता है, सभी वर्गों का पेट पालता है लेकिन किसान की कई समस्याएं भी आती हैं। आज हम कितना भी धन कमा लें, कितना भी पैसा कमा लें लेकिन हमारा पेट किसान द्वारा की गई मेहनत की दो रोटी से ही भरता है, पैसे से नहीं भरता है। किसान गर्मी में, सर्दी में हमेशा परेशान रहता है। कभी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, कहीं ओले पड़ जाते हैं, कई बरसात आ जाती है, किसानों का लाखों करोड़ का नुकसान हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले ओलावृष्टि हुई। हमारे टीएसपी क्षेत्र में भी ओलावृष्टि हुई। हमारे लघु सीमान्त कृषकों की गेहूं की फसल, चने की फसल खराब हो गयी लेकिन आज तक पटवारियों और ग्राम सेवकों ने गिरदावरी रिपोर्ट नहीं दी। मैं माननीय मंत्रीजी से मांग करना चाहूंगा कि टीएसपी क्षेत्र में जितना भी नुकसान हुआ है उन किसानों को उनका उचित मुआवजा दिया जाये।

माननीय सभापति महोदय, जो मक्का का बीज मिलता था, आपकी सरकार ने बन्द करने का काम किया लेकिन हमारी सरकार ने आते ही मक्का का किट वितरण करने का काम किया। हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया।

माननीय सभापति महोदय, सौ यूनिट बिजली फ्री। किसानों के लिए दो हजार यूनिट तक बिजली फ्री। आपके राज में किसानों को बिजली नहीं मिलती थी।

श्री सभापति: आपस में बातें नहीं करें। माननीय सदस्य, आसन की तरफ देख कर बोलें।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): आपके राज में तो बिलों में करंट आता था। केन्द्र सरकार समय पर कोयला नहीं दे रही है फिर भी राजस्थान सरकार सही समय पर बिजली दे रही है और माफ कर रही है, चाहे घरेलू बिजली हो, चाहे किसानों की हो। आपके समय में बिजली तो गुल, बिलों में करंट। वह समय याद करो आप। लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी ने ऐसी व्यवस्था की है। (व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा किसी का भी। आप आसन की तरफ देख कर बोलो।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): सर, इधर ही देख रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, सिंचाई हेतु जल संग्रहण के लिए पानी की टंकी का निर्माण करवाया जाना है। डूंगरपुर में पूर्व के वर्षों में सूक्ष्म सिंचाई प्रोजेक्ट के तहत किसानों के लिए सिंचाई हेतु व पशुधन के पीने व किसानों के नित्य कार्यों के लिए उपयोगी साबित हुआ, जिसकी मांग जिले में सर्वाधिक है। एक हजार लीटर की क्षमता की पानी की टंकी का निर्माण करने पर राशि 30 हजार रुपये का अनुदान दिया जावे। प्रतिवर्ष एक हजार टंकी का लक्ष्य आबंटन किया जाये। सिंचाई लाइन पाइप पर अनुदान में वृद्धि एवं वर्तमान में पीवीसी पाइप लाइन पर 35 एवं एचपीबीपीई पाइप लाइन पर 50 रुपये प्रति मीटर अनुदान देय है। बढ़ती महंगाई में दिनों-दिन पाइप लाइन की कीमतें प्रति मीटर बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में अनुदान सीमा बढ़ा कर क्रमश: 50 एवं 80 रुपया किया जावे। यह मैं माननीय मंत्री महोदय और सरकार से मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, 50 एमएम सिंचाई पाइप लाइन पर अनुदान अनुमत किया जावे। डूंगरपुर जिला जनजाति बहुल क्षेत्र है, टीएसपी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है। जिला डूंगरपुर ही नहीं पूरा टीएसपी क्षेत्र, अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। जल स्रोत कुआं व ट्यूबवैल नीचे के क्षेत्र में होता है और खेती पहाड़ी पर की जाती है, जो वर्तमान में पाइपलाइन 63 एमएम से ऊपर है। इस क्षेत्र के लिए कृषकों द्वारा 50 एमएम की सिंचाई पाइपलाइन पर अनुदान की मांग की जा रही है। यह मांग मैं मंत्रीजी से करना चाहता हूं। प्रेशर इतना बन नहीं पाता है क्योंकि हमारे वहां पर पहाड़ों पर खेती होती है। इसलिए आप इस पर विशेष ध्यान दें।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): अभी टाइम नहीं हुआ मेरा पूरा।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): सर, अभी तो दो मिनट ही नहीं हुए। अभी तो बोलना बाकी रह गया मेरा।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): राज्य सरकार ने तारबन्दी पर अनुदान दिया, उसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

(श्री गणेश घोघरा)

मेरे विधान सभा क्षेत्र में बजट घोषणा में कृषि महाविद्यालय दिया था, महाविद्यालय दूसरे भवन में चल भी रहा है, भूमि भी अलाट हो गयी, पैसा भी अलाट हो गया लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से अभी तक भवन का निर्माण चालू नहीं किया है, इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे अधिकारी जो विकास में बाधा अटका रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। पाल बड़ा में प्रशासन ने जो जमीन अलाट करके दी है, वहां पर जल्दी से जल्दी कृषि महाविद्यालय हेतु भवन बनाया जाये।

माननीय सभापति महोदय, मक्का का बीज और जो भी मिलते हैं, टीएसपी क्षेत्र में सभी के पास खेती है, एसटी के पास भी है, ओबीसी के पास भी है, एससी के पास भी है, जनरल कैटेगरी के लोगों के पास भी खेती की जमीन है, उनको भी बीज दिया जाये।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जैविक खेती पर ज्यादा जोर दिया जाये। आज बीमारियां हो रही हैं, कैंसर, बीपी, शुगर, कई प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। ये बीमारियां क्यों हो रही हैं? बीमारियां इसलिए हो रही हैं कि यूरिया, डीएपी जैसे दुनियाभर का केमिकल खेत में पड़ रहा है, उससे जो अनाज उपज रहा है, उसी से बीमारियां हो रही हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जैविक खेती पर ध्यान दिया जाये। पहले लोग सौ-सौ, डेढ़-डेढ़ सौ साल जीते थे क्योंकि वे देशी खेती करते थे। आज घास मारने की दवाई केमिकलयुक्त आ गयी है, उस दवाई से कई प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। डीएपी यूरिया बन्द होना चाहिए। जैविक खेती पर ध्यान देना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। यह मेरा मानना है।

श्री सभापति: श्री गुरदीप सिंह।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): सर, एक मिनट। मेरे दस मिनट पूरे नहीं हुए। टीएसपी क्षेत्र में लोगों के पास एक ही मकान है, उसमें लोग भी रह रहे हैं, जानवर भी बंध रहे हैं, बकरी भी उसमें बंध रही है, गोबर भी उधर ही कर रहे हैं, तो उसके लिए अलग से कैटल शैड की व्यवस्था होनी चाहिए। इंसानों के लिए तो मकान की व्यवस्था है, सरकार दे रही है, तो कैटल शैड पशुओं के लिए होना चाहिए सभी वर्गों के लिए। यह जरूर सैंक्शन करें। यह मैं मंत्रीजी से मांग करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, आजकल नकली दूध बहुत आ रहा है।

(श्री गणेश घोघरा)

रोजाना हम अखबारों में पढ़ते हैं, नकली मिठाई, नकली मावा। इस प्रकार से ऐसा कानून बनाना चाहिए जो नकली दूध बेच रहा है, जो नकली मावा बना रहा है, उसके खिलाफ साल भर की सज़ा या जुर्माना होना चाहिए।

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप विराजिये। श्री गुरदीप सिंह।

श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 46 और 47 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

मैं सबसे पहले कॉटन का जो बीज है बीटी नरमे का, उस पर बोलना चाहूंगा। अभी उसके लिए सरकार ने अनुमति नहीं दी। हमारे यहां 21 तारीख से नहर की बन्दी का टाइम आ रहा है। किसान उसकी 01 अप्रैल से बिजाई चालू करना चाहते हैं लेकिन हमें अभी तक उसकी अनुमति नहीं मिली। इसकी अनुमति जल्दी दिलायी जाये।

दूसरा मेरा आपसे निवेदन है कि पिछली बार बीटी कॉटन नरमे का जो बीज हमें मिला था, पैकिंग के अन्दर नॉन बीटी की उसके साथ अलग से पैकिंग आती थी, उसका मिक्सिंग करके बीज दिया गया था जिससे हमें नुकसान हुआ। जहां फसल 6 या 7 क्विंटल बीघा की होती थी, वहां 2 या 3 क्विंटल बीघा की एवरेज आयी क्योंकि उसके अन्दर गुलाबी सुंडी ने मार की, जिसके कारण लोगों ने स्प्रे भी बहुत किया। इस कारण से हमारे यहां नरमा बहुत कम हुआ, इसलिए मेरी मांग है कि जो नॉन बीटी कॉटन का बीज है, वह अलग से आये जैसे पहले आती थी। कई बार बरसात आ जाती है। जब नरमा हम बीजते हैं और यदि उगने से पहले ही बरसात आ जाती है तो उगने से पहले ही वह खराब हो जाता है या गर्मी से जल जाता है। इस कारण किसान को बार-बार महंगा बीज उगाना पड़ता है। जिस प्रकार से पंजाब सरकार उसके अन्दर 30 परसेंट सब्सिडी दे रही है, उसी प्रकार राजस्थान सरकार को भी बीज के अन्दर सब्सिडी देनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, सरसों, चना और गेहूं का जो बीज वितरण किया जाता है, वह हमें सही समय पर नहीं मिलता है। वह हम प्राइवेट कम्पनी से लाते हैं, उसके बाद हमारे यहां वह बीज आता है। ग्राम सेवक भी हर गांव के अंदर हैं, वह न प्रचार करते हैं और न ही वह टाइम से आते हैं।

(श्री गुरदीप सिंह)

किसानों को जो सरकार बीज दे रही है उसका कोई फायदा नहीं मिलता है। मैं यह कहूंगा कि उसका जो बीज है वह बिजाई से पहले मिलना चाहिए, हमारी सोसायटियों में जाना चाहिए। उसका पूरा प्रचार-प्रसार होना चाहिए ताकि हमें वह सही मिल सके।

हमारे किसानों को ट्रैक्टर के साथ जो यंत्र मिलते हैं, चाहे वह कल्टीवेटर है, रोटावेटर है, बिजाई की मशीनें हैं, ड्रिल हैं, थ्रेशर हैं, उनके लिए कुछ दुकानों को ही अनुमत कर रखा है। हमारे यहां बहुत अच्छे-अच्छे मिस्त्री हैं जो अच्छी-अच्छी कल्टीवेटर, रोटावेटर, थ्रेशर आदि बनाते हैं। उन पर यह पाबंदी हटाकर के, किसान जहां भी बनाना चाहता है वहां से किसान को इजाजत दी जाये ताकि किसान अपने हिसाब से बढ़िया यंत्र बना सके।

डिग्गियों में लाटरी सिस्टम किया हुआ है। पहले प्रायोरिटी पर मिलती थी, पहले आओ, पहले पाओ। अब एक किसान तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में एप्लाई कर देता है और एक दिसम्बर में करता है लाटरी के अंदर उसका नाम आ जाता है। इसके लिए मेरी सरकार से मांग रहेगी कि प्रायोरिटी पर लेकर, उन डिग्गियों का लाटरी सिस्टम बंद किया जाये। किसानों को उसका फायदा पहुंचाया जाये। 2018, 2019 और 2020 के अंदर किसानों ने जो डिग्गियां बनाई थीं, उनका अनुदान नहीं मिला। मेरे गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में एक हजार से 1500 डिग्गियां किसानों ने खुद बनाईं और उनका पैसा नहीं मिला। मेरी सरकार से मांग है कि उनको भी, आप विभाग को पूछकर उनका भी पैसा देने का काम करें ताकि किसानों को उसका बेनिफिट मिल सके।

इस बार जो शीतलहर चली, उसके अंदर हमारी सरसों, चना, आलू की फसलें खराब हुईं उसके लिए यहां विधान सभा में भी मांग उठायी गयी। पटवारियों ने जो सर्वे किया, वह सही नहीं किया। अब जब उनका झाड़ निकल रहा है तो हमको पता चल रहा है कि जो अगेती सरसों है वह पहले हमारे 6-7 क्विंटल की खेती थी, इस बार ढाई, 3 क्विंटल की एवरेज आ रही है। उसका भी मुआवजा सरकार को देना चाहिए ताकि किसानों की भरपाई हो सके। जो बारानी एरिया था, उसके अंदर तो लगभग चना और सरसों खतम हो चुकी है। उसकी गिरदावरी रिपोर्ट क्या आयी है, यह हमें तो पता नहीं है। हमने बार-बार पूछा तो हमें लैटर जरूर मिला कि हम आपके यहां सर्वे करवा रहे हैं, किसान ने फसल निकाल ली, सर्वे पता नहीं कब होगा। उसका भी मुआवजा दिलाया जाये।

(श्री गुरदीप सिंह)

अभी मार्च के अंदर जो बंदी आनी है, हमारे एरिये में किन्नू के बाग़ बहुत लगे हुए हैं मालटे के बाग़ लगे हुए हैं। पिछले साल पानी न मिलने के कारण, गर्मी होने के कारण बाग़ भी जल गये और बाग़ का जो फ्रूट था, अगेती गर्मी आने के कारण, फरवरी के अंदर गर्मी पड़ने लग गयी, मार्च के अंदर पड़ने लग गयी, जो फ्लावर आया तो वह वहीं सूख गया, बाग़ खाली रह गये। मेरी मांग है कि जब सरकार पीने का पानी देगी तो साथ-साथ 50-100 क्यूसेक्स पानी फालतू देकर जो किसानों की डिग्गियां बनी हुई हैं बाग़ की वह पानी उनमें भरवाया जाये। बच्चों की तरह हमने बाग़ पाले हैं, 10-10 साल के बाग़ हैं, हमारे आधे से ज्यादा बाग़ सूख चुके हैं। किसान बड़ा परेशान हो रहा है। इतना खर्चा करके, अपना पेट बांधकर के बाग़ पाले थे, पानी देकर उन बागों को बचाया जाये।

हमारे यहां जो सरसों की खरीद है, उसका एमएसपी रेट 5450 रुपये है। अब हमारे बाजार में सरसों आज से 10 दिन पहले आनी चालू हो गयी, वह औने-पौने भाव में बिक रही है, कोई 4600 दे रहा है, कोई 4700 दे रहा है, कोई 4800 रुपये दे रहा है। मेरी सरकार से मांग है कि सरसों की जो सरकारी खरीद है, वह जल्द से जल्द चालू कराई जाये ताकि किसानों को उसकी एमएसपी का लाभ मिल सके।

अभी बात चल रही थी डीजल की। अगर सबसे महंगा डीजल है तो पंजाब से जो हमारा रेट का फर्क है वह 10 रुपये है। हरियाणा से हमारे यहां रेट का फर्क 7 रुपये है। मेरी सरकार से मांग है कि किसानों को फायदा देने के लिए डीजल का जो वैट है वह कम करे, ताकि किसानों को फायदा मिल सके।

डीएपी और यूरिया के बारे में विभाग को पता है कि कब चाहिए। जब जरूरत हो तो उस समय मिलती नहीं है। हमारे वहां नोहर में एक फैक्टरी पकड़ी गयी, वहां नकली खाद बन रही थी। किसानों को नकली खाद मिली, उसके कारण फसलें कमजोर हुईं। मेरी मांग है कि अब की बार खाद वगैरह टाइम पर दी जाये ताकि किसानों को उसका बेनिफिट मिल सके।

एक 17.05.2010 को सिंचाई विभाग के लिए कैबिनेट के अंदर निर्णय लिया गया था कि जो काम आउटलेट वगैरह हैं, जहां नया खाला निकालना है, जहां नक्का मंजूर करना है, तो कलेक्टर की कमेटी बनाकर गवर्नमेंट में आता है। मेरी आपसे मांग है कि इन छोटे-छोटे कामों के लिए किसानों को जयपुर

(श्री गुरदीप सिंह)

आना पड़ता है, बार-बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, यह 17.05.2010 का जो आर्डर है, वह आर्डर विथ्ड्रा किया जाये ताकि किसानों को वहां मोगों का, खालों का, सिंचाई का जो छोटा-छोटा काम है, वह वहां पर ही होता रहे।

एक सबसे बड़ी जो हमारी समस्या है, जो पानी पर टैक्स लगता है, जिसको आबियाना बोलते हैं। भाखड़ा और आईजीएनपी के अंदर, हमारे यहां 2003 के अंदर जैसे-जैसे नहरें पक्की होने लगीं, अध्यक्ष बने और अध्यक्षों के पास चार्ज आया, हमारे वहां जो आबियाना था, वह उन्होंने जमा नहीं करवाया। सरकार ने हर विभाग में छूट दी है 31 मार्च तक पैसा जमा कराने की। मेरी सरकार से मांग है कि सिंचाई विभाग का जो आबियाना है भाखड़ा का, आईजीएनपी का या गंग कैनाल का, उसके अंदर भी ब्याज में छूट दी जाये। मूल से ब्याज तीन गुना ज्यादा हो गया, इतना ब्याज किसान भर नहीं सकता है। आप 31 मार्च की बजाय उसको 15 मई तक उसके ब्याज में छूट दे दें तो किसान एकमुश्त पैसा जमा कराने के लिए तैयार है।

मेरे यहां एक पटवारी था साबूवाना, खाराखड़ा, गुडिया, बसीर, सालिवाड़ा, कुलचंदर, साहरणी, इन गांवों का जो पटवारी था, उसने ग्राम वालों से आबियाना वसूल लिया। उसने रसीद नहीं दी। उसकी उसके बाद डैथ हो गयी। वह पूरा का पूरा जो टैक्स है, जो आबियाना है, उसका किसानों के ऊपर भारी दबाव बन रहा है। मेरी सरकार से मांग है कि आप अगर ब्याज की छूट दे दो तो किसान वह भरने के लिए तैयार है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री राजकुमार गौड़।

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 46 व 47 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्य मंत्री लगातार 2 वर्षों से किसानों के लिए अलग बजट ला रहे हैं। इसकी केवल राजस्थान में ही नहीं, पूरे देश में किसान तारीफ कर रहे हैं। किसानों के हितों के लिए राज्य सरकार ने जो 4 साल में काम किये हैं, उन कामों को लेकर किसानों में बेहद खुशी है।

राजस्थान सरकार ने इस बार 2 हजार यूनिट फ्री देने की बात की, 2008 से कांग्रेस सरकार ने निर्णय लिया कि किसानों की बिजली की रेट नहीं

(श्री राजकुमार गौड़)

बढ़ायी जायेगी। गत वर्ष निर्णय लिया कि 1000 रुपये प्रति माह किसान को दिये जायेंगे। इस बार जो निर्णय लिया है वह अद्भुत निर्णय लिया है कि 2 हजार यूनिट प्रति माह, जिस दिन बजट की घोषणा हुई, मैं मेरे साथियों के साथ किसी जगह बैठा था। साथी बात कर रहे थे कि शायद यह 2 हजार यूनिट पूरे साल की हैं। मंत्री महोदय, आपस में विधायक चर्चा कर रहे थे कि यह 2 हजार यूनिट प्रति माह नहीं हो सकती, यह पूरे साल की है। जब पढ़ा, मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की उसमें सही पाया कि यह 2 हजार यूनिट प्रति माह हैं। किसानों में कितनी खुशी है, किसानों में कितना उत्साह है, किसानों को इससे कितना फायदा हुआ है, यह किसान ही समझ सकता है। आज किसान पूरी तरह से कांग्रेस सरकार से और माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्णय से खुश हैं।

मैं मंत्री महोदय का और मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि गंगानगर जिले में खालों की बहुत डिमांड थी। चाहे वह गंग कैनाल की बात करें, भाखड़ा कैनाल की बात करें, आईजीएनपी की बात करें, आपने जो खालों के लिए बजट दिया, बरसों पहले आपके ही राज में खाले बने थे, वापस उनका पुनर्निर्माण करने का आपने जो निर्णय लिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा।

अभी संगरिया से मेरे विधायक साथी बोल रहे थे कि गंगानगर जिले में बी.टी. कॉटन हाई ब्रिड जो है, इसके लिए राज्य सरकार स्वीकृति देती है। इस बार नहरों की बंदी आ रही है। मैं भी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि गत वर्ष अप्रैल में इसकी स्वीकृति मिली थी। राज्य सरकार इसकी स्वीकृति देती है। आप अगर इसकी जल्दी स्वीकृति दे देंगे तो हमारे जिले को फायदा होगा क्योंकि हमारे जिले में आईजीएनपी की भी बंदी आ रही है, भाखड़ा की भी बंदी आ रही है, गंग कैनाल की भी बंदी आ रही है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसका जल्दी निर्णय करवा दें बंदी से पहले जिससे हमारे यहां नरमें और कपास की बुवाई हो सके।

मंत्री महोदय, गत वर्ष राज्य सरकार ने 15 हजार डिग्गियां सैंक्शन कीं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि गंगानगर कृषि प्रधान जिला है, गंगानगर में डिग्गियां ज्यादा बनती हैं। हनुमानगढ़ जिले में भी हैं। गत वर्ष गंगानगर जिले में 1500 डिग्गियां बन पायीं। मंत्री महोदय, 15 हजार डिग्गियों की स्वीकृतियां आपने 3 साल के लिए दी हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि अभी

(श्री राजकुमार गौड़)

भी करीब 13 हजार के करीब प्रार्थना-पत्र हमारे पास पैंडिंग हैं। मैं राज्य सरकार से और आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जिले में कम से कम इस वर्ष आप 5 हजार डिग्गियां स्वीकृत करें, जिससे किसानों को फायदा होगा।

अभी मेरे साथी सदस्य कह रहे थे कि 2018 में जो डिग्गियों के लिए अनुदान स्वीकृत हुआ था तत्कालीन भाजपा सरकार के शासन में, उसका पेमेंट नहीं मिला। मैं अपने साथी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसे चैक कर लें, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने 2020 में ही इस आदेश के साथ डिग्गियों का भुगतान किया था कि केन्द्र सरकार से जब भी पैसा आयेगा, आ जायेगा, परन्तु राजस्थान सरकार उन तमाम डिग्गियों का भुगतान कर देगी। यदि किसी डिग्गी का भुगतान नहीं होगा तो राज्य सरकार का वह अधिकारी उसके लिए जिम्मेवार होगा, इसलिए मैं नहीं सोचता कि किसी की डिग्गी का भुगतान बाकी रहा है। यदि आपकी नॉलेज में है तो आप सरकार को इससे अवगत कराएं, जिससे ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। आज मेरी अधिकारियों से बात हुई है, अब वाली डिग्गियों का भुगतान भी पहुंच गया है। आपने 2018-19 का जिक्र किया, इसलिए मैं यह बात आपकी नॉलेज में लाना चाहता था।

महोदय, गंगानगर जिले में सिंचाई की तीन योजनाएं हैं- आईजीएनपी, गंग कैनाल, भाखड़ा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब भी हमारे यहां कोई आन्दोलन होता है तो किसान को लेकर होता है, पानी को लेकर होता है, राज्य सरकार को चाहिये कि पंजाब सरकार से बातचीत करके हमारे हक का पानी दिलाये। अभी हम चाहते थे कि गंग कैनाल में 01 अप्रैल से बन्दी लें, परन्तु पंजाब सरकार चाहती है कि 25 मार्च से 13 अप्रैल तक बन्दी हो। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जब किसान बन्दी चाहे, उस समय बन्दी लें तो उसका हमें फायदा होगा।

सर, मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूंगा, हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी और आपने, गत वर्ष जो किसान का बजट आया था, फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये की बजट स्वीकृति दी थी, यह एक बहुत बड़ा निर्णय था। 1927 में महाराजा गंगा सिंह जी गंग कैनाल लाये, उसके बाद उसकी हालत जर्जर हो गयी थी। यदि उसे ठीक करने और पुनर्निर्माण करने का काम किसी ने किया तो राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने किया। जब वे पहली बार मुख्य मंत्री बने, तब निर्णय करके

(श्री राजकुमार गौड़)

राजस्थान की गंग कैनाल को ठीक करने के लिए 446 करोड़ रुपये स्वीकृत किये, जो बाद में 750 करोड़ रुपये हो गये थे। अब फिर गत वर्ष 200 करोड़ रुपये आपने बजट में रखे। उस फिरोजपुर फीडर की डीपीआर तैयार है। पंजाब उसमें कुछ आना-कानी कर रहा है, लेट कर रहा है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप पंजाब सरकार पर दबाव बनाकर इस काम को जल्द से जल्द शुरू कराएं जिससे हमें अपने हक का पूरा पानी मिल सके।

समय-समय पर ओलावृष्टि, पाला पड़ने, अत्यधिक बारिश होने से किसानों को नुकसान होता है। इसके लिए भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसान को जल्द से जल्द उसका मुआवजा दें।

मैं जिंस की बात कर रहा था। अभी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर बात हो रही थी। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, सरसों की फसल आ गयी है, किसान सरसों को मण्डी में बेचने के लिए लाने लग गया है, परन्तु अभी तक सरकारी खरीद चालू नहीं हुई। भारत सरकार से कितनी बार कहा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर किसान दुखी हैं। पूरे हिन्दुस्तान के किसान दुखी ही हैं। कई जिंस हैं, जिन पर सपोर्ट प्राइस आपकी मिलती नहीं, मिलती भी है तो फसल पहले आ जाती है और आपकी सरकारी खरीद बाद में शुरू होती है। नुकसान इससे किसान को होता है। सरकार उसे पूरा खरीद नहीं पाती। फसल प्रकृति के अनुसार चलती है। फसल कई बार आगे आ जाती है, कई बार दस दिन लेट हो जाती है, इसलिए इस तरह की कोई व्यवस्था की जाये कि जब भी फसल आये, उसमें यह नियम होना चाहिये कि हम लोग उसकी खरीद शुरू करें।

आज भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी किसानों के लिए बड़ी-बड़ी चर्चा कर रहे थे। यह नहीं सोचा हमने कि चार साल पहले किसान क्यों बोर्डर पर बैठा रहा, कोविड में किसान क्यों बोर्डर पर बैठा रहा? मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए पूरे हिन्दुस्तान का किसान एकजुट हो गया, परन्तु इनके सिर पर जूं नहीं रेंगी। ये केवल किसानों के भले की बात करते हैं, पर मैं इन्हें ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब लोगों के बीच में जाएंगे तो मालूम लगेगा, 750 किसानों ने अपनी शहादत दी है, 750 परिवार उजड़ गये, वे लोग आपको माफ नहीं करेंगे। आप अपने मन में कितने ही आज राज़ी हों, परन्तु जो आपने यह किया है किसान के विरुद्ध और जिस तरह आप तीन काले कानून लाये, आपने नादिरशाही करनी चाही, हिटलरशाही करनी चाही, किसान ने आपकी हिटलरशाही सही नहीं, आखिर में आपको झुकना पड़ा। जिन किसानों ने

(श्री राजकुमार गौड़)

शहादत दी है, उनकी शहादत आपको हमेशा बतायेगी कि आपने उनके साथ क्या निर्णय किया था, उनके साथ कैसा व्यवहार किया था।

सर, पशुपालन के बारे में छोटी-सी बात कहना चाहूंगा। आवारा पशुओं से फसल बचाने के लिए राज्य सरकार ने 200 करोड़ का प्रावधान किया है। इसके लिए तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, परन्तु मैं नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आवारा पशुओं से न केवल किसान दुखी हैं, बल्कि आज जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, चाहे आप नेशनल हाईवे पर जाएं, चाहे स्टेट हाईवे पर जाएं, गाड़ी चलाना आदमी के लिए मुश्किल हो रहा है। उसे मालूम नहीं है कि वह अपने स्थान पर पहुंच पायेगा या नहीं। इसके लिए सरकार को बहुत सीरियसली प्लान बनाना चाहिये। कम से कम आवारा पशु बाहर न घूमें, सड़कों पर न घूमें। बच्चों की, आदमियों, महिलाओं की मौत हो जाती है। सड़क पर चलना मुश्किल है। आप जा रहे हैं, पता नहीं आप कहां पहुंचेंगे, कहां पशु आगे आ जायेगा? इसके लिए सरकार को कोई न कोई ऐसा सिस्टम बनाना चाहिये, चाहे आप नन्दीशाला ज्यादा बनाएं, चाहे गौशाला ज्यादा बनाएं। इनसे निपटने के लिए 200 करोड़ रुपये किसानों की तारबन्दी के लिए सही निर्णय लिया आपने, परन्तु आवारा पशुओं से बचाने के लिए इन लोगों की मदद करने की आवश्यकता है। सरकार को चाहिये कि जल्दी से जल्दी हो सके, वह निर्णय करे।

सर, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, पंजाब से जो पानी आ रहा है, मैंने कई बार पूर्व में भी यह बात कही है कि जो जहरीला पानी आ रहा है, उसका पंजाब ने अभी तक एक एसटीपी बनाया है। चाहे आज 'आप' पार्टी की सरकार आ गयी, बातें वे कितनी-कितनी करें, आगे जाकर जयपुर में कोई रैली कर लें, उन रैलियों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यदि मेरी बात उन तक पहुंचे तो छह महीने में वहां के लोग आप सरकार से दुखी हो गये। पूछिये, वहां पर क्या हालात हैं, क्या लॉ एंड आर्डर की स्थिति है। जहरीले पानी के लिए वे बात करते थे कि हमारी सरकार आने पर हम स्वच्छ पानी दे देंगे, अभी तक मेरी नॉलेज में केवल एक एसटीपी बना है। अत: सर, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस बारे में सरकार को सीरियस होकर बात करनी चाहिये और कोशिश करनी चाहिये कि हमें स्वच्छ पानी मिले। जहरीले पानी के कारण हमें बहुत नुकसान है। न जाने कितने लोगों को कैंसर होता है, दूसरी बीमारियां होती हैं, इसलिए सरकार पंजाब सरकार से बात करे। जो उन्होंने

(श्री राजकुमार गौड़)

वादा किया था, पूर्व सरकार ने जो वादा हमसे किया था, उस वादे पर वे खरे उतरें, इस बात की हमें कोशिश करनी चाहिये।

महोदय, मैं आपको इस बात के लिए भी बधाई दूंगा कि 50 हजार कृषकों को जैविक खेती हेतु प्रति कृषक 5 हजार रुपये की इनपुट सब्सिडी दी जायेगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा, हम जानते हैं कि किस प्रकार जहरीली खेती हो रही है, यदि वाकई हम चाहते हैं, जिस तरह से निरोगी राजस्थान की कल्पना माननीय मुख्य मंत्री जी ने की है और सदन में भी जितने मेरे साथी बैठे हैं, वे भी चाहते हैं, जैविक खेती अगर हो तो उसके लिए 5 हजार रुपये से काम चलने वाला नहीं है। जब तक किसान का जो नुकसान होने वाला है, उत्पादन एक बार उसका कम होगा, उसकी जब तक हम भरपाई नहीं करेंगे तब तक मैं सोचता हूं कि जैविक खेती की जो हमारी यह कल्पना है, सोच है, उसमें हम शायद इतनी जल्दी कामयाब नहीं हो पाएंगे। हमें इस तरह की कोशिश करनी चाहिये कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को प्रेरित करें, उन्हें आगे लाएं, किसानों की समस्याओं को समझने की कोशिश करें।

इसके साथ ही, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्व में भी कई वक्ताओं ने इस बात की चर्चा की कि नरेगा को भी किसी तरह से किसान से जोड़ा जाये। इससे हमें फायदा होगा। हमारे इलाके में तो अभी भी यह स्थिति है कि लोकल लेबर मिलना बहुत मुश्किल है।

श्री सभापति: श्री नारायण बेनीवाल।

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): अगर नरेगा को किसान से जोड़ देंगे तो निश्चित रूप से हमें फायदा होगा। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, आज आपने मुझे मांग संख्या 46 - कृषि और मांग संख्या 47 - पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

मैं सबसे पहले तो यह कहना चाहूंगा, आज सुबह से इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हो रही है। आज जब देश में राजनीति की बात करते हैं और राजनीति की बात जब टिकट के बंटवारे से शुरू होती है तब हर नेता अपना जो बायोडेटा बनाता है, उसमें यह जरूर लिखता है कि मैं किसान का बेटा हूं।

(श्री नारायण बेनीवाल)

आज इस प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हो रही है। मैं इस बात के लिए मंत्री जी को जरूर धन्यवाद दूंगा कि आज बड़ी गम्भीरता से सुबह से इस मामले में इनकी कलम काफी चल रही है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं, चाहे विपक्ष के साथी हों अथवा पक्ष के, जो महत्वपूर्ण सुझाव होंगे, उन्हें वे जरूर शामिल करेंगे। मैं आपके माध्यम से इतना जरूर कहूंगा कि आज दोनों महत्वपूर्ण मुद्दों पर जिससे चाहे पूरे देश की जीडीपी की बात करें या लोगों के रोजगार की बात करें और कहते हैं कि देश की आत्मा गांवों में बसती है, किसान के अन्दर बसती है। यदि आज अधिकारी दीर्घा में अधिकारियों की बड़ी उपस्थिति रहती, क्योंकि सरकार का काम है कानून बनाना, नीतियां बनाना, लेकिन सरकारें विपक्ष में इसलिए बैठती हैं कि एग्जीक्यूट जिन लोगों का करने का काम है, वे लोग ईमानदारी से उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं और जनता उसका फल, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वह सत्ता पक्ष को देती है। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि जो भी योजनाएं हैं, उनका एग्जीक्यूशन समय पर हो।

माननीय सभापति महोदय, सीमा पर शहीद हो रहा जवान, खेतों में आज दुःखी है किसान, फिर भी अन्नदाता कह रहा है कि मेरा भारत महान, बहुत बड़ी बात है। आज यदि सहृदयता कहीं देखने को मिल रही है, तो इस देश में किसान के अन्दर मिल रही है।

आज सत्ता पक्ष के लोगों ने भी बहुत सारी बातें किसान के उत्थान के लिए, दिल्ली की सरकार को कोसा, अपना राजधर्म निभाया, विपक्ष के लोगों ने भी अपना राजधर्म निभाया यहां के सत्ता पक्ष को कोस कर। हालांकि मैं तो नया व्यक्ति हूं, पहली बार विधान सभा में चुनकर आया हूं, लेकिन मैंने एक चीज देखी कि यदि हम बजरी माफियाओं की बात करें, हम परिवहन घोटालों की बात करें, हमने पक्ष और विपक्ष को एक जाजम पर बैठे देखा है। पूरे प्रदेश ने देखा है कि किस तरह पक्ष और विपक्ष की जुगलबन्दी ने इस प्रदेश के अन्दर कई उदाहरण पेश किये हैं, तो क्यों नहीं किसान के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर, कृषि के महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम ईमानदारी से प्रयास करें।

योजना चाहे केन्द्र सरकार की हो, चाहे राजस्थान सरकार की हो, उन योजनाओं से किसानों को अधिकाधिक लाभ कैसे मिले। प्रधान मंत्री जी ने भी सत्ता में आने से पहले बड़ी बातें कहीं कि किसान की आय को दुगुना करूंगा, हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपये आ जायेंगे। हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष

(श्री नारायण बेनीवाल)

राहुल गांधी जी ने भी यही बात कही कि एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, दस तक गिनती होगी और किसानों का सारा कर्जा माफ हो जायेगा। आज दबी जुबान में कई सत्ता पक्ष के व्यक्ति कह रहे हैं कि हमने सहकारी ऋणों को माफ किया। सहकारी ऋणों को माफ तो कर दिया, लेकिन यदि हम कृषि की बात करें, किसान की बात करें माननीय सभापति महोदय, और भी कई विभाग जैसे को-आपरेटिव का विभाग हुआ, कृषि विपणन का विभाग हुआ, जब तक इन सारे विभागों से मिलकर चर्चा नहीं करेंगे तब तक किसान को सशक्त बनाना हमारी कोरी कल्पना है, कोरी बातें हैं। हमें आज तक 75 वर्षों में जो किसान को देना चाहिए था, वह हम नहीं दे पाये। आज एक तरफ प्रदेश के अन्दर, प्रदेश सरकार द्वारा किसानों से वादाखिलाफी की गई तो दूसरी तरफ केन्द्र सरकार द्वारा किसानों पर जबरदस्ती तीन काले कानून थोपे गये।

मैं हरियाण और पंजाब के किसानों को धन्यवाद दूंगा। हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नागौर से आने वाले सांसद हनुमानजी को, जिन्होंने सर्दियों के अन्दर भी, माइनस डिग्री टेम्प्रेचर में शाहजहांपुर बोर्डर पर धरना दिया, सैकड़ों लोगों ने अपनी शहादत दी और फलस्वरूप माननीय प्रधान मंत्री जी को झुकना पड़ा। इसमें कांग्रेस की भी कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं रही प्रधान मंत्री जी को झुकाने में, यह हम दिल पर हाथ रखकर कहें। (व्यवधान) माननीय विधायक महोदय, आप जब अपनी बात कह रहे थे तो मैं सुन रहा था।

श्री सभापति: आपस में वार्ता नहीं। किसी का भी अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, इधर देखें।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय सदस्य, अन्दर सच सुनने और सच बोलेने का माद्दा पैदा करें। सिर्फ अपने नेताओं की बड़ाई, चढ़ाई, आपको टिकट तो मिल जायेगा। आप बोलेंगे तो आपको टिकट तो मिल जायेगा, लेकिन जनता सब जानती है कि आप लोगों ने, कांग्रेस वालों ने क्या किया है। वादाखिलाफी मोदी जी ने की है, यह सही बात है, लेकिन आपने क्या किया, वह भी पूरा देश जानता है।

मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि ईआरसीपी के लिए इस बार माननीय मुख्य मंत्री जी ने, जो केन्द्र की योजना थी, बहुत बड़ा पैसा आना चाहिए था, नहीं आया, फिर भी साढ़े बारह हजार करोड़ का, कल मैंने अख़बार में पढ़ा, मुझे बहुत खुशी हुई। हम अच्छे काम के लिए मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद भी देंगे।

(श्री नारायण बेनीवाल)

किसान के सम्पूर्ण कर्ज माफी के लिए भी सारे कांग्रेसी विधायकों को और जो विपक्ष में बैठे लोग हैं, हम सबका यह प्रयास होना चाहिए कि कर्ज मुक्त किसान बनें। हम बार-बार कर्ज मुक्ति की बात करते हैं, हम कर्ज माफी की बात करते हैं, हमें ऐसी योजनाएं लागू करनी हैं कि प्रदेश का किसान कर्ज मुक्त कैसे हो।

आज बड़े व्यापारियों को क्यों कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं है और यदि कर्ज लेने की आवश्यकता हो तो उसको आसानी से कर्ज मिल जाता है। आज यदि हम किसान की बात करें, सहकारी सिस्टम के अन्दर किसानों को अल्पकालीन ऋण मिलते थे, वह भी बन्द हो गये। किसानों को डिफाल्टर की श्रेणी में डाल दिया। आज किसान की जो हालत है, उस पर ईमानदारी से चर्चा करके और यहां से ऐसा कोई मक्खन निकलकर जाये जिससे किसान को यह महसूस हो कि सरकारें और सरकारों में बैठे लोग हमारे प्रति संवेदनशील हैं, तब तो इन चर्चाओं का कोई न कोई बहुत बड़ा महत्व निकलकर आयेगा।

माननीय सभापति महोदय, एमएसपी आज किसान की सबसे प्रमुख मांग है, लेकिन कोई भी इसके लिए तैयार नहीं है। विधायक, सांसद, हम जब यहां बैठते हैं, हमारे वेतन-भत्तों को बढ़ाना हो तो हम दो मिनट में पास कर देते हैं, लेकिन आखिर किसान की चिन्ता कौन करेगा? जब यहां पर किसान का बेटा चुनकर आता है देश और प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में तो यह हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम कोई न कोई ऐसी नीति प्रदेश और देश के अन्दर लागू करें।

आज हमारे किसान आये दिन आत्महत्या कर रहे हैं। आज किसान दु:खी हो रहा है, उसकी जमीनें नीलाम हो रही हैं। सरकार कहने को कुछ भी कहे, यदि मैं नागौर की बात करूं, अभी कलेक्टर के माध्यम से कई प्राइवेट बैंक किसानों की जमीनों की नीलामी के आदेश लेकर आ गये और किसानों को बेघर कर दिया।

माननीय सभापति महोदय, आप इस मामले में बड़े संवेदनशील हैं। इसके लिए सरकार को भी निर्देशित करें कि ऐसे जो भी प्रकरण हैं, उन प्रकरणों के ऊपर भी रोक लगे।

किसानों की सबसे बड़ी समस्या उनके कृषि उत्पादों की कम कीमत है। हाल के एक अध्ययन से पता चला है कि उत्पादन की ऊर्जा पर आधारित उचित मूल्य निर्धारण और कृषि मजदूरी को औद्योगिक मजदूरी के बराबर

(श्री नारायण बेनीवाल)

करना किसानों के लिए फायदेमन्द हो सकता है। आज मूंग की कीमत 7700 और 8000 तक है, लेकिन वही मूंग की दाल किसान बाजार से खरीदे तो उसको दुगुनी कीमत चुकाकर उस दाल को खरीदना पड़ रहा है जबकि किसान अपनी एमएसपी के लिए सड़कों पर है। प्रदेश में आज प्याज की कीमत न्यूनतम स्तर पर है। आज अखबारों के माध्यम से पढ़ने को मिलता है कि कभी किसान आलू को सड़क पर डाल रहा है, कभी प्याज को सड़क पर डाल रहा है, तो कहीं न कहीं किसानों के ये मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। इनके ऊपर हम सब लोग कोई ऐसी ठोस कार्ययोजना बनाये, जिससे किसान को दुखी न होना पड़े।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि सरकार द्वारा प्रदेश में काश्तकारों को अपनी फसल को आवारा पशुओं से बचाव के लिए तारबन्दी योजना चलाई गई है। माननीय मंत्री जी विराजमान हैं, इसका जो राइडर है, इसको भी हटायें। जैसे हमारा पहाड़ी क्षेत्र है या कहीं कच्चे पत्थर ईजिली उपलब्ध हैं, वहां मैं मांग करूंगा कि तारबन्दी की जगह यदि वह दीवार बनाना चाहता है तो उसको भी इस योजना के अन्दर लाभ मिले। यह मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, प्राकृतिक आपदा, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और पाले आदि से हुए नुकसान की भरपाई हेतु प्रतिवर्ष फसल बीमा योजनान्तर्गत किसानों द्वारा फसल का बीमा करवाया जाता है, लेकिन बीमे का हाल क्या है? मंत्री महोदय, मैं नागौर की बात करूंगा, आपने एक प्रश्न के माध्यम से मुझे अवगत कराया था कि एक महीने के अन्दर उन किसानों को हम फसल बीमा का लाभ दे देंगे, लेकिन एसएलबीसी की मीटिंग हो गई, आज तक वे प्रकरण दिल्ली के अन्दर पेंडिंग पड़े हैं, क्योंकि उनका पोर्टल हम लोग खोल नहीं सकते हैं। इसके लिए भी कोई ठोस कार्ययोजना बने।

सभापति महोदय, मुझे पता है कि आप समय का कहकर अभी बिठा देंगे। इससे पहले मैं मेरे इलाके की जो महत्वपूर्ण मांग है, आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि, माननीय मंत्री महोदय, एक तो प्रत्येक उपखण्ड मुख्यालय पर किसान भवन का निर्माण करवाया जाये। दूसरा, नागौर जिला मुख्यालय पर सहायक निदेशक, कृषि विस्तार कार्यालय खोला जाये, क्योंकि

(श्री नारायण बेनीवाल)

नागौर बहुत-बड़ा भू-भाग है। यहां सिर्फ मेड़ता और कुचामन में दो एडी आफिस हैं, तो नागौर, मूण्डवा, खींवसर और जायल को मिलाकर एक नया एडी ऑफिस खोला जाये।

कृषि कार्य हेतु दी जाने वाली बिजली 6 घंटे से बढ़ाकर 8 घंटे की जाये। खींवसर विधान सभा क्षेत्र में रिक्त पड़े कृषि पर्यवेक्षकों के पदों को भरने और नागौर में बहुतायत में उत्पादित होने वाले मसाला उत्पादों के लिए नागौर जिला मुख्यालय पर हाट बाजार की स्थापना करने की भी आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करूंगा।

पशुपालन के लिए मैं मंत्री जी से मांग करूंगा कि हम जैविक खेती की बात करते हैं, अभी गंगानगर से आने वाले माननीय विधायक ने बहुत अच्छी बात कही, जब पशुपालन धीरे-धीरे इतना घट रहा है तो हम जैविक खेती कैसे करेंगे? इसके लिए हम कहीं न कहीं गोशालाओं में अनुदान दे रहे हैं।

मैं मंत्री जी से मांग करूंगा कि यदि किसान अपने घर पर भी गाय पालता है तो उसको भी कोई न कोई अनुदान की राशि, इसको हम कहीं न कहीं स्वार्थ से जोड़ेंगे, गाय माता को तो बीजेपी वालों ने जोड़ दिया। माता के नाम से वोट भी बहुत ले लिए और अभी दिल्ली के अन्दर आपकी सरकार है। हमारे माननीय उप नेता, प्रतिपक्ष भी बैठे हैं। आप सब लोगों का यह प्रयास रहे कि गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले और इसके लिए कोई न कोई हमारी ठोस कार्ययोजना बने।

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि तीन साल से कम उम्र के बछड़ों के परिवहन पर रोक लगने से नागौर जैसे सारे मेले बन्द हो गये हैं।

श्री सभापति: श्री राजकुमार रोत।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): इनके ऊपर कमेटी भी बनी, लेकिन आज तक उसका कोई नतीजा नहीं निकला। उस कमेटी की रिपोर्ट को लेकर, इस बार कुछ ऐसा करें कि अगली बार जो मेला भरे, उससे पहले ट्रेन की भी समुचित व्यवस्था हो, यह मांग मैं मंत्री महोदय से करूंगा।

एक बार पुन: मैं मंत्री जी से यही मांग करूंगा कि मेरी मांगें बहुत सारी हैं, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को सीधे ही दे दूंगा। हमारा सभी का ईमानदारी से पक्ष और विपक्ष के लोगों का यह प्रयास रहे कि किसान की माली हालत को कैसे सुधारें। कैसे हम एक मैसेज राजस्थान के अन्दर दें कि

(श्री नारायण बेनीवाल)

सत्ता पक्ष और विपक्ष सब एकजुट होकर किसान के मामले में बिना कोई राजनीतिक भेदभाव किये, हम हमेशा किसान के साथ खड़े मिलेंगे। धन्यवाद, राम-राम साहब।

श्री सभापति: श्री राजकुमार रोत।

(समय: 16.00 बजे)

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): धन्यवाद, सभापति महोदय, मांग संख्या 46 व 47 पर बोलने का अवसर प्रदान किया। आज कृषि विभाग एवं पशुपालन विभाग पर इस सदन में चर्चा हो रही है पक्ष और विपक्ष दोनों साथियों द्वारा। अभी पिछले दो से तीन बजटों में और इस बार के बजट में किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए राज्य सरकार ने कुछ प्रयास किये, कुछ सफल भी रहे, कुछ असफल भी रहे। विशेषकर जो कृषि बजट आया, इस कृषि बजट से राज्य के किसानों को कहीं न कहीं काफी बेनिफिट हुआ। साथ ही, कोरोना महामारी के बाद, जो पशुपालक थे उनके लिए एक और महामारी आयी, जो लम्पी वायरस आया, उसमें भी राज्य सरकार और पक्ष और विपक्ष के सभी विधायकों ने अपने विधायक कोटे से भी इस बीमारी के लिए अनुशंसा की।

माननीय सभापति महोदय, अभी बात हो रही थी विद्युत बिल की कि किसानों को राहत प्रदान की गयी है, की भी गयी है, लेकिन कई बार लोकल लेवल के अधिकारी, टेक्निकल हैल्परों द्वारा इन किसानों को बेवजह परेशान किया जाता है तो मैं इस सदन के माध्यम से मंत्री महोदय को अवगत कराना चाहूंगा कि इस तरह से जो परेशानी किसानों को आ रही है ऐसे अधिकारियों को, ऐसे टेक्निकल हैल्परों को आप चिह्नित करें और इन पर कार्यवाही करें।

माननीय सभापति महोदय, लम्पी वायरस के दौरान जो पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र पर लगे हुए पशुधन सहायक थे, उन्होंने अपनी मांग को लेकर एक आन्दोलन छेड़ दिया था और कार्य का बहिष्कार भी किया था, तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनमें लम्पी वायरस से पशुओं की डैथ हुई, लेकिन पशुधन सहायकों ने उनकी गिनती नहीं की है तो अभी राज्य सरकार द्वारा जो उनको राहत प्रदान की जा रही है उसके लिए पशुपालन विभाग के पास उनकी सूची नहीं है तो उन लोगों को बेनिफिट नहीं हो पा रहा है। हमारे ग्राम पंचायत सरथूना में बीस से पच्चीस ऐसे पशु थे जिनकी डैथ हो गयी, लेकिन इनकी गणना विभाग के पास नहीं है, तो हम चाहेंगे कि हमारी ग्राम पंचायत सरथूना के अन्दर जो लम्पी वायरस से पशु मर गये थे, उनके पशुपालकों को आर्थिक सहायता मिले।

(श्री राजकुमार रोत)

माननीय सभापति महोदय, पशुधन सहायकों को 2,800 ग्रेड पे दिया जा रहा है। उनकी लम्बे समय से मांग है कि इसको 3,600 या 4,200 ग्रेड पे किया जाये और उसको लेकर पिछले 3-4 साल से मांग चल रही है और इसी को लेकर निराकरण समिति के समक्ष 01.10.2018 को प्रस्ताव भेजा हुआ है तो हम चाहेंगे कि पशुधन सहायक हैं, उन पशुधन सहायकों का 2,800 ग्रेड पे से 4,200 ग्रेड पे किया जाये, क्योंकि वे हमारे गांवों में, इन पहाड़ों में घर-घर जाकर इन पशुपालकों को फायदा पहुंचाते हैं।

माननीय सभापति महोदय, किसान क्रेडिट ऋण, हमारे डूंगरपुर जिले की बात करें, अगर पिछले 3-4 सालों का आंकड़ा निकालें तो बहुत कम लोगों को, मतलब न के बराबर है, किसान क्रेडिट ऋण का फायदा नहीं मिल पाया है, तो स्थानीय अधिकारी जो पशुपालक हैं उनको चिह्नित करके उनको गाइड करें और गाइड करने के बाद इस योजना का फायदा पहुंचायें।

हमारे विशेषकर डूंगरपुर जिले की बात की जाये तो पशुपालन विभाग की कई योजनाएं एनजीओ के माध्यम से संचालित होती हैं। हमारे डूंगरपुर जिले में एक जे.के. ट्रस्ट करके एनजीओ काम करता है और एक आईआईसी फाउन्डेशन करके एनजीओ काम करता है। इन एनजीओ के माध्यम से केन्द्र और राज्य की कई योजनाएं हैं, वहां पर हमारे पशुपालकों तक पहुंचायी जाती हैं, तो हमने देखा, मैंने तीन से चार साल का आंकड़ा निकाला। हमारे सिरोही नस्ल के बकरे एनजीओ के माध्यम से पशुपालकों को देने का प्रावधान है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2019-20 के अन्दर यह थाना है, बलवाड़ा, बिछीवाड़ा ब्लाक में बासोर, ओड़ावल, आतरसोभा, संचिया, भगोराफला, नवलसाम, इन ग्राम पंचायतों में 30 से 40 सिरोही नस्ल के बकरे दिये गये, लेकिन इनका आज हम पता करायेंगे तो वो बकरे कहीं न कहीं किसी न किसी राजनेता की पार्टी के बलि चढ़ गये हैं, किसानों को नहीं मिले। हमने पशुपालक के नाम से वितरित किया लेकिन वास्तविक पशुपालक तक नहीं पहुंचे हैं, जो प्रभुत्व वाले लोग होते हैं उन तक ये बकरे पहुंचते हैं और उन बकरों का पता नहीं क्या हुआ। मैं इस सदन में इस बात को नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन जो वास्तविक पशुपालक हैं, उन पशुपालकों को सिरोही नस्ल के जो बकरे हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि इसकी जांच भी हो कि वो बकरे आज हैं कि नहीं है या किसी राजनेता की पार्टी की बलि चढ़ गये हैं?

माननीय सभापति महोदय, दुधारू पशु हमारे इलाके के अन्दर हमें...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): ...(व्यवधान) कौनसी पार्टी के राजनेता हैं?

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): वो सभापति महोदय अधिकारी के माध्यम से पता करा लेंगे कि वो कौनसी पार्टी के नेता हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य भी उस पार्टी में गये थे। माननीय सदस्य, आप भी उस पार्टी में गये थे, मेरे को मालूम है। बताऊं कब गये थे?

श्री सभापति: विराजिये।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, हमारे पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, परिवार में जो बच्चे हैं, उनको सुबह उठ कर हम बकरियों का दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध पिलाते हैं लेकिन आदिवासी बहुल क्षेत्र में एक जहरीला ऐसा पौधा है जिसे लोकल भाषा में गेबरा बोलते हैं और हमारी जो वानस्पतिक भाषा है उसमें लेटिना जो शब्द है उस पौधे को बोलते हैं, उस पौधे को बकरियां, गाय, भैंस खाती हैं और इसकी वजह से वो बकरी एक विकलांग की तरह हो जाती है, मानसिक असंतुलन हो जाता है उस बकरी का जो दूध है उसको हमारे बच्चे और हमारे जो लोग हैं उनके द्वारा सेवन करने से उस बीमारी का कहीं न कहीं बच्चों पर भी प्रभाव पड़ रहा है और बच्चों में भी कहीं न कहीं उनका रिएक्शन होता है और कई प्रकार की बीमारियां होती हैं तो हम चाहेंगे कि पशुपालन विभाग यह जो गेबरा, जो लेटिना जो वनस्पति है जिससे हमारे पशुपालक को नुकसान पहुंच रहा है, पशु मर रहे हैं, इनका सर्वे कराये और नरेगा से जोड़ कर या पशुपालन विभाग की अलग से एक योजना संचालित करके पूरे आदिवासी इलाके से इस वनस्पति को खतम किया जाये, ताकि हमारे जो पशुपालक हैं उनको जो नुकसान पहुंच रहा है, वह नहीं पहुंचे।

माननीय सभापति महोदय, अभी बजट घोषणा में 429 नये पशु उप स्वास्थ्य केन्द्रों की घोषणा हुई है। मैं माननीय मंत्री महोदय से चाहूंगा और मंत्री महोदय ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है, जो डिमाण्ड की है उसको पूरा किया है, तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में 25 से 28 ग्राम पंचायतें हैं जिनके ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है, जैसे कि साकरोदा, सिसोद, ओधड़िया, गोरमाता, डूंगर, पाडली गूजरेश्वर, रोड़ा, बाणियाताला, बेजा, गोरादा, हड़मतिया, माल, गुवेड़, कनबा, लिखीबड़ी, रतनपुर, इस तरह से 25 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं, मैं चाहूंगा कि इस बजट में आपने जो घोषणा की है, उसमें अधिक से अधिक मेरे चौरासी विधान सभा क्षेत्र में जो ग्राम पंचायतें हैं उनमें पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की कृपा करें।

(श्री राजकुमार रोत)

माननीय सभापति महोदय, हम जब कम्पीटिशन एग्जाम की तैयारी करते थे तो राजस्थान में यह सुनने में आता था कि राज्य का पहला जिला जिसे जैविक जिला घोषित किया गया है, तो नाम आता था डूंगरपुर जिला। 2016 के अन्दर मेरी जानकारी के अनुरूप राज्य का पहला जैविक जिला डूंगरपुर घोषित किया गया। कागजों में तो कर लिया लेकिन इसके बाद उस जैविक जिले को बरकरार रखने के लिए राज्य सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की विशेष कोई योजना नहीं चलायी गयी। आज भी वहां केमिकल वाली चीजें डीएपी है, यूरिया है सारी चीजें हैं। हम कागजों में कहते हैं कि हमारा जैविक जिला है, तो मैं चाहूंगा कि जैविक जिला है तो उसमें जो केमिकल वाली चीजें हैं और हम डीएपी और यूरिया के पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि उससे कई प्रकार की बीमारियां हमारे लोगों को हो रही हैं।

माननीय सभापति महोदय, सहायक निदेशालय जो सीमलवाड़ा मेरे विधान सभा क्षेत्र में उप खण्ड कार्यालय है, उसकी लम्बे समय से मांग चल रही है कि वहां पर सहायक निदेशालय कृषि विस्तार खोला जाये।

माननीय सभापति महोदय, तारबन्दी को लेकर मैं जब सदन में आया तो उस समय तारबन्दी योजना के बारे में जानकारी ली। पहले था दो से तीन हैक्टेयर, फिर किया गया 1.5 हैक्टेयर। हमारा पहाड़ी इलाका है और किसान के पास मुश्किल से दो से तीन बीघा जमीन मिलेगी पहाड़ी इलाके में, तो इस बार जो 0.5 हैक्टेयर किया है उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और एक चीज इसमें की है कि 70 प्रतिशत अनुदान है लेकिन इसमें एक शर्त रखी है कि इसमें कम से कम दस किसान टाइप की कोई एक लाइन है...

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): तो मैं चाहूंगा कि इसमें अनुदान की जो राशि है वह बढ़ायी जाये और साथ ही सौ रुपये जो है पर स्क्वायर फीट पर, उसको दो सौ रुपये किया जाये। फार्म पोंड के लिए पूरे राजस्थान के लिए एक कॉमन बजट जारी किया है लेकिन हमारा इलाका पथरीला है, पहाड़ी इलाका है तो उसकी जो राशि है शिड्यूल्ड एरिया में विशेषकर उस राशि को बढ़ाया जाये।

माननीय सभापति महोदय, हाल ही पशुधन सहायक भर्ती 2022 हुई, उस पशुधन सहायक भर्ती के अन्दर शिड्यूल्ड एरिया में जो प्रावधान है 45 प्रतिशत एसटी, 5 प्रतिशत एससी, 50 प्रतिशत ओपन कैटेगरी, तो अभी

(श्री राजकुमार रोत)

पशुधन सहायक भर्ती 2022 की जो मेरिट जारी की तो 45 प्रतिशत एसटी, 5 प्रतिशत एससी की मेरिट जारी कर दी, 50 प्रतिशत जो ओपन कैटेगरी है, उसकी मेरिट जारी नहीं की तो जो एसटी/एससी का बन्दा, जो ओपन कैटेगरी में जनरल मेरिट टोप कर रहा था उनको भी एसटी/एससी के अन्दर डाला गया है और इसी का परिणाम है कि गैर अनुसूचित क्षेत्र में हम देखें 2016, 2018 की भर्ती की मेरिट और 2022 की मेरिट में 4-5 प्रतिशत वृद्धि हुई है और हमारे अनुसूचित क्षेत्र में देखा जाये तो 2016 और 2018 की जो भर्ती थी और 2022 की भर्ती में 15-16 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इसलिए हम चाहेंगे कि जो एससी, एसटी के बच्चे ओपन कैटेगरी में जा रहे थे, उनकी गणना वहां हो और वेटिंग लिस्ट निकालकर पात्र लोगों को लिया जाये।

माननीय सभापति महोदय, मेवाड़ का गंगरार, चित्तौड़गढ़ एक विश्वविद्यालय है, उसमें एनिमल हस्बेंडरी डिप्लोमा कोर्स के नाम से 3-4 वर्षों से बच्चों का एडमिशन लिया जा रहा है। उस यूनिवर्सिटी का पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर से कोई संबंध नहीं है और न ही उन्होंने अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया है। बच्चों ने डिग्रियां की हैं, लेकिन इन डिग्रियों को बीकानेर विश्वविद्यालय वेलिड नहीं कर रहा है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): ऐसे विश्वविद्यालयों की जांच करा कर उन पर कार्यवाही की जाये। माननीय सभापति महोदय, मेरी एक-दो चीजें रही हैं। आदिवासी बहुल क्षेत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ...

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। श्री रामप्रताप कासनियां।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): हम दो से तीन जिलों का निकालें और विशेषकर डूंगरपुर का निकालें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए, विराजिए, हो गया।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, मांग संख्या 46 और 47 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, मेरे पर थोड़ा रहम भी रखना, धीमी गति के समाचार हैं, पूराराम जी वाला समय मुझे दे देना।

श्री सभापति: उप नेता महोदय, इनको पहला वक्ता बनाओ तो इनको कम से घंटा, आधा घंटा मिल जाये। आप इनको लास्ट में बुलाते हो तो आपकी भी इनसे कोई दुश्मनी है। ये आपके और हमारे पुराने साथी हैं। मुझे भी दु:ख होता है कि इनको बीच में बैठाना पड़ता है। माननीय सदस्य, जो आप मुझे कह रहे हो, यह अपने उप नेता से कहो या अपने जोगेश्वर गर्ग जी को कहो, समय ये तय करते हैं।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। कृषि और पशुपालन किसान के लिए जीवन निर्वहन करने का साधन है। सभापति महोदय, सरकार बात तो बहुत बड़ी-बड़ी कर रही है, मैं गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले की बात कर रहा हूं, अभी शीतलहर से सरसों की फसल में 40 परसेंट, 50 परसेंट तक खराबा हो गया, पर सरकार ने पटवारियों को यह आदेश दे रखा था कि आप 33 से ऊपर निकलना ही मत, खराबा ही 33 परसेंट से कम बता दिया और सरकार ने कह दिया कि यह नोर्म्स में नहीं आता। सभापति महोदय, बारानी क्षेत्र में ट्यूबवैल की फसल, चना और सरसों में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी भी सर्वे करवाकर किसानों का जो नुकसान हुआ है, कम से कम बीज और खाद की तो भरपाई कर दो। खाली किसान-किसान करने से किसान का पेट नहीं भरता।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि समय पर किसान को बीज उपलब्ध कराया जाये। समय निकलने के बाद सरकारी बीज मिलता है तो प्राइवेट वाले लूट खसोट भी कर लेते हैं। मंत्री महोदय, अभी बिजाई का समय है, अभी कपास के बीज के लिए आपने प्राइवेट वालों पर बैन लगा रखा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार समय पर बीज उपलब्ध करवाये, अन्यथा प्राइवेट वाले सब चोर नहीं हैं, जो चोर हैं, उसको दंड मिलना चाहिये, सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिये।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पड़ोस के राज्य हरियाणा और पंजाब से लोग सस्ते के लालच में पेस्टीसाइड खरीद कर लाते हैं, उसमें नकली दवाइयां देते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप हरियाणा और पंजाब के बराबर पेस्टीसाइड पर टैक्स लगाएं, इससे एक तो सरकार की बिक्री बढ़ेगी, जो नुकसान होगा उसकी भरपाई करने का मैं आपको भरोसा देता हूं कि कम से कम 60 परसेंट भरपाई हो जायेगी। आपकी बिक्री ही नहीं हो रही है

(श्री रामप्रताप कासनियां)

और यही हालत डीजल की है। आज पूरे राजस्थान में जैसलमेर तक पंजाब और हरियाणा का डीजल जाता है। सरेआम बिकता है और डीजल वाले बंधी देते हैं। यह कारोबार बहुत बड़ा है। खनिज विभाग की तरह ही यह है।

सभापति महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि पशुपालन पर मेरे से पूर्व वक्ताओं ने काफी चर्चा की कि बीजेपी वाले गाय पर राजनीति करते हैं, आप कौनसा यज्ञ करते हो? यह पांचवां बजट है, आप बराबर नंदी शाला खोलने की बाते करते जा रहे हो। आपने गौशालाओं में जो पैसा बढ़ाया है वह कोई मुफ्त में नहीं बढ़ाया, शराब पर टैक्स लगाया और स्टांप ड्यूटी बढ़ाई, उस पैसे का आप हिसाब करो, अभी तक जो दिया है, उसी पैसे में से पैसा दिया है, सरकार ने कोई अपने पास से पैसा नहीं दिया। सभापति महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि नंदी शाला खोलो, नहीं खोलोगे तो आने वाली सरकार खोलेगी, यह काम होकर रहेगा। मैं आपको समय रहते हुए चेताना चाहता हूं कि मौका है, आपने हर पंचायत पर गौशाला खोलने का बजट में ऐलान किया है, इस बजट को आप पूरा करें। अगर पूरा नहीं करोगे तो गांव में आपको यह भुगतना पड़ेगा। थोथी घोषणा करने से कुछ नहीं होने वाला है। डिग्गियों और फव्वारों पर सब्सिडी और बढ़ाई जाये।

सभापति महोदय, सरकार बाजरे की खरीद अवश्य करे। खाद वाला आपने केन्द्र पर थोप दिया। आप मांग करते नहीं, केन्द्र सरकार से आप मांग करो नहीं और खाद किसानों को मिले नहीं, लाठीचार्ज तक हुआ है। सभापति महोदय, मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने पूरी डिटेल दी थी कि आपने मांग इतनी की और आपके पास खाद मांग से डेढ़ी आई, फिर भी बार-बार आप केन्द्र सरकार पर आरोप लगाते जा रहे हो। आप कौनसे संन्यासी हो? अगर हो तो राजस्थान में जितनी भी जिन्स हैं, चाहे मूंग, मोठ, बाजरा, की खरीद सरकार को करनी चाहिये और केन्द्र को भी समय रहते सूचना उपलब्ध करानी चाहिये।

सभापति महोदय, कृषि उपज मंडियों में आपने राष्ट्रपति शासन लगा रखा है, नाग बनकर बैठे हो। 4-5 वर्ष के कार्यकाल में एक भी रोड का कार्य नहीं हुआ है। हर कृषि उपज मंडी में बजट फालतू पड़ा है पर खर्च करने की अनुमति आप नहीं दे रहे हो। सभापति महोदय, यह अकेले मेरे क्षेत्र में नहीं है, पूरे राजस्थान में ही यह बीमारी है। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि विपणन बोर्ड को आप आदेश देकर जिस मंडी में जितना पैसा है, उससे विकास के कार्य करवाने का काम करें। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

(श्री रामप्रताप कासनियां)

सभापति महोदय, सरकार इस पर भी ध्यान दे कि विदेशी नस्ल की गायें लाकर इस देश का बेड़ा गर्क करने का काम, मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूं कि कौनसी सरकार ने किया है, कौनसी ने नहीं किया है। ये विदेशी नस्ल की गायें हमारे बीमारी पैदा करने का काम करती हैं। आप राजस्थान की साहीवाल, राठी, थारपारकर, इन नस्लों को बढ़ावा दें, ताकि राजस्थान के किसानों का भला हो और देश की जनता का भी भला हो।

इसी तरह से ऊंट के बारे में चर्चा चली थी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ऊंट लूणकरणसर यानी भंडान का ऊंट सबसे बढ़िया है। शायद सरकार ने उसी को चयनित कर रखा होगा। अभी जो ऊंट का पशुधन है, वह नष्ट होने के कगार पर है। बहुत बुरी हालत है। ऊंट गाड़ी को राजस्थान का हवाई जहाज बोलते थे, वह नष्ट होने के कगार पर है। आप इसको समय रहते हुए संभालें।

मेरा दूसरा निवेदन है कि राजस्थान को अगर पनपाना है तो जो आपके पास वन विभाग है, यह राजस्थान की धरती फोग के बिना उपजाऊ नहीं रही। फोग नष्ट होने के बाद राजस्थान की जो जमीन है, उसकी उपजाऊ क्षमता घट गयी है। सभापति महोदय, मैं सरकार से छोटा-सा निवेदन करना चाहता हूं। आप प्रैक्टिकल करके देख लें। जिस भूमि पर आप फोग लगायेंगे, उसमें पैदावार ज्यादा होगी। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सभापति महोदय, सरकार ने सफेदा, बिलायती बबूल, ये विदेश से लाकर सारी वन भूमि को नष्ट कर दिया। दोनों ही पौधे बहुत खराब हैं, जहरीले हैं, किसान के दुश्मन हैं। किसान के ही नहीं, मवेशियों के भी दुश्मन हैं। सरकार ऐसी कोई न कोई व्यवस्था करे।

श्री सभापति: श्री पानाचन्द मेघवाल।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): बीटी-बीज के बारे में मैंने बोल दिया, मंत्री जी से कह दिया। पर्चियां दे रहे हैं। समय रहते हुए बीटी बीज या तो सरकार कराये, अन्यथा प्राइवेट से।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: एक मिनट रुकें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): एनओसी मंत्री जी जारी करेंगे, मैं नहीं करूंगा।

श्री सभापति: अपनी बात को समाप्त करें। कन्क्लूड करें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): ...(व्यवधान) क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? मैं फिर इतना विद्वान नहीं हूं।

सभापति महोदय, नवाचार यानी बीज वगैरह पैदा करने के लिए रिसर्च करने के लिए पैसा और बढ़ायें। डेमोंस्ट्रेशन लगाने के लिए जो सब्सिडी किसानों को देते हैं, वह समय पर नहीं दी जाती है। पहले किसान अपने पास से खाद-बीज डालता है, सभापति महोदय, दो-तीन महीने बाद वह सब्सिडी मिलती है। खाद वगैरह जो भी मिलते हैं, वे समय पर नहीं मिलते हैं। सभापति महोदय, पेस्टिसाइड के बारे में मैंने निवेदन कर दिया।

लम्पी बीमारी में सरकार ने किसान को दो गायों तक भरपाई करने की जो घोषणा की है, सभापति महोदय, लड़ाई करने का यह काम सरकार ने कर दिया है। आपने लम्पी बीमारी के समय, मैं मेरे क्षेत्र की बात कर रहा हूं। वहां 9 डाक्टरों की पोस्ट है, वहां एक डाक्टर था। पशु धन सहायक, बिलकुल ही खतम, एक भी पद भरा हुआ नहीं था। गाय की मृत्यु हो गयी, उसका रिकार्ड कौन देगा? गांव के नौजवानों ने टोली का गठन करके इलाज करने का काम प्राइवेट के लोगों ने अपने कंधों पर लिया है। आप और हम तो बहुत बाद में आये हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें, सहयोग करें। श्री पानाचन्द मेघवाल।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): आप इसकी व्यवस्था के लिए गांव के सरपंच या मुख्य आदमियों को पूछकर लम्पी बीमारी का जो मुआवजा है, हर काश्तकार का मिलना चाहिए, कोई वंचित नहीं रहना चाहिए। जय हिन्द, जय भारत।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 46-कृषि और मांग संख्या 47-पशुपालन एवं मत्स्य विभाग पर बोलने का जो मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने जिस प्रकार से दूसरी बार कृषि का अलग बजट पेश करके किसान के हित में जो निर्णय लिए, वे आपके सामने हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरे पूर्व के वक्ताओं ने कई प्रकार की बातें की हैं। मैं आपके माध्यम से बैठे हुए विपक्ष के सदस्यों से पूछना चाहूंगा कि देश के प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि 2022 में किसान की आय दुगुनी करूंगा। 2022 खतम हो चुका है और 2023 चल रहा है, आज भी वह किसान, जिसका सरसों का भाव हो, चने का भाव हो, लहसुन का भाव हो, जो जिन्स, चाहे वह रबी की हो या

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

खरीफ की हो, आज भी वे वहीं की वहीं हैं, लेकिन जो चुनावी एजेंडा होता है, उसमें इनकी कथनी और करनी में अन्तर है।

राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री सम्माननीय गहलोत साहब का और कृषि मंत्री महोदय का मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से वे हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी की बार-बार बात करते हैं कि उन्होंने कहा था कि एक, दो, तीन, चार, पांच, छह और ऋण माफ हो गया। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने जो ऋण माफ किया है, वह आप लोगों के सामने है। आप गांव के चौपाल पर जाकर और वेबसाइट पर इस चीज का आकलन कीजिये कि किस किसान का कर्जा माफ हुआ है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इसी सदन में तीन बार कहा है कि जो भारतीय बैंक हैं, जो केन्द्र सरकार के अधीन आते हैं, हम समझौते योजना के तहत किसान के हिस्से की जो राशि है, वह राजस्थान सरकार वहन करने के लिए तैयार है। आप भारत सरकार से निवेदन कीजिये और किसानों का भला करने के लिए सहयोग कीजिये लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि हिन्दुस्तान की आत्मा गांवों में निवास करती है। हिन्दुस्तान की आत्मा गांवों में नहीं, किसान के अन्दर निवास करती है। जिस दिन किसान अन्न पैदा करना छोड़ देगा, न गांव बचेगा, न शहर बचेगा। आज उस किसान की जो दुर्दशा है, वह आप और हम से छिपी हुई नहीं है। चाहे शीतलहर की बात हो, प्राकृतिक ओलावृष्टि की बात हो, आंधी-तूफान की बात हो या गर्मी के समय करंट से उसकी फसल जलने की बात हो, वह इस आशा और विश्वास के साथ उस खेत में काम करता है कि फसल तैयार होगी, मैं मेरी बेटी की शादी करूंगा, मैं पक्का मकान बनाऊंगा, मैं ट्रैक्टर लाऊंगा, लेकिन जिस प्रकार से उस पर जो प्राकृतिक प्रकोप का पहाड़ टूटता है, किसान उससे उबर नहीं पाता है। फिर अगली बार वही सपना लेकर, वही आशा लेकर खेत में चला जाता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, हमारे हाड़ौती में सबसे बड़ी समस्या है। चूंकि हमारे यहां पर धनिये की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, सरसों की खेती होती है। जमींकन्द, जमीन में पैदा होने वाली जो फसलें हैं। हमारे यहां पर चाहे सूअर हों, रोजड़े हों, हिरण

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

हों, तीन तरह के जानवरों से इतने परेशान हैं कि रात भर किसान खेत पर रहता है। आपने तारबन्दी के माध्यम से किसान की फसल के लिए योजना लागू की है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो रोजड़ा होता है, जो हिरण होता है, वह चार-पांच-छह फीट की तारबन्दी को एक फलांग में कूद जाता है। रात भर में एक-एक और पांच-पांच के झुंड में हिरण आते हैं, 10-10, 15-15, 20-20 के झुंड में रोजड़े आते हैं। एक किसान जो खेत पर रखवाली करता है, उसकी बस की नहीं होती है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से और कृषि मंत्री महोदय से निवेदन है कि हिरण, रोजड़े हैं, उनको किसी भी प्रकार से जंगल में छोड़ने का प्रयास किया जाये ताकि वहां पर उनको चरने के लिए चारा मिल सके, पीने के लिए पानी मिल सके, रहने के लिए छाया की व्यवस्था हो सके, जो किसान इसकी पीड़ा से जूझ रहा है, उसको इससे निजात मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने किसान को गणेश मानकर जिस प्रकार से काम किये हैं, वे आपके सामने हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय का भी बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा और विपक्ष में बैठे हुए नेताओं को बताना चाहूंगा कि आपका जो पांच साल का कार्यकाल था, उसमें जो काम किये और हमारे साढ़े चार साल में जो काम हुए, वे आप लोगों के सामने हैं। फसल बीमा योजनान्तर्गत आपके टाइम पर 5 करोड़ 45 लाख की संख्या थी, हमारे टाइम पर अभी साढ़े चार साल में 8 करोड़ 80 लाख है। फसल बीमा योजनान्तर्गत प्रीमियम राशि में राज्यांश का जो भुगतान हुआ, आपके टाइम पर पूरे पांच साल में 3376 करोड़ का था, हमारे टाइम पर 10671 करोड़ है। फसल बीमा योजनान्तर्गत बीमा क्लेम की राशि आपके टाइम में पूरे पांच साल में 7177 करोड़ थी, वह हमारे साढ़े चार साल के टाइम में 18500 करोड़ है। कृषि में अध्ययनरत छात्रों को जो राशि प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाती है, आपके टाइम में 55 हजार 261 थी, हमारे टाइम में साढ़े चार साल में 80 हजार 459 है। खेत की तारबंदी में आपने पूरे पांच साल में 3 लाख 52 हजार हैक्टेयर में तारबंदी की थी, हमारे साढ़े चार साल में 37 लाख 45 हजार मीटर हैक्टेयर में दी गयी है। फार्म पोंड की बात करें तो आपके टाइम पर 21 हजार 353 थे, हमारे टाइम में 21 हजार 755 हुए। इसी प्रकार से फव्वारा संयंत्र योजना के तहत आपके टाइम पर पूरे पांच साल में 1 लाख 38 हजार 254 हैक्टेयर में किया गया, हमारे समय में साढ़े चार साल में

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

2 लाख 30 हजार 829 हैक्टेयर में किया गया। मिनी ड्रिप एवं मिनी फव्वारा योजना में आपके समय में 92 हजार 364 हैक्टेयर में दिया गया, हमारे टाइम पर साढ़े चार साल में 1 लाख 28 हजार 156 हैक्टेयर में। आपके टाइम पर पूरे पांच साल में सोलर पम्प सैट 30 हजार 619 दिये गये, हमारे साढ़े चार साल के कार्यकाल में 60 हजार 410 दिये गये। कम लागत के प्याज भंडार गृह, आपके टाइम पर 3 हजार 232 संख्या थी, हमारे साढ़े चार साल के कार्यकाल में 4 हजार 662 हैं। जो आंकड़ा है, आपका पांच साल का उठाकर देखिए और हमारा अब तक का देखिए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का और माननीय कृषि मंत्री महोदय का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारे जिले में कृषि महाविद्यालय नहीं था, माननीय मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी को निवेदन किया, उन्होंने पिछले बजट में दो-दो जगह, एक शाहबाद में और एक बारां में कृषि महाविद्यालय खोला। हमारे यहां पर चाहे पशुधन सहायक की बात हो, कृषि पर्यवेक्षक की बात हो, सुपरवाइजर की बात हो, जितनी संख्या में हमें आवश्यकता थी, माननीय मंत्री महोदय ने और माननीय मुख्य मंत्री महोदय के द्वारा देने का प्रयास किया गया।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे पशुधन सहायक हैं, डाक्टर्स हैं, लेकिन जहां उप स्वास्थ्य केन्द्र या चिकित्सालय हैं वहां पर दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पाती है। हमारे यहां पर एक्स-रे मशीन है, सोनोग्राफी मशीन है, लेकिन उनको चलाने के लिए पर्याप्त स्टाफ नहीं है। जानवरों में भी उसी प्रकार की बीमारी आ रही है, क्योंकि जो खाद्यान्न इंसान खाता है, वही खाद्यान्न उनको मिल रहा है। उसमें भी पेस्टीसाइड वे ही हैं, जो इंसान के खाद्य पदार्थों में उपयोग किया जाता है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जो जिला चिकित्सालय है या उप खण्ड स्तर के चिकित्सालय हैं, वहां पर जो लैब है, वहां पर रेडियोग्राफर की बात हो या सोनोग्राफी के डाक्टर की बात हो या जो उनके समस्त प्रकार के टेस्ट होते हैं, उसके लैब टेक्निशियन की बात हो, उन पदों को भरा जाए, ताकि पशु जो बोल नहीं सकता है, अपनी पीड़ा को बता नहीं सकता है, उनका समय पर इलाज हो सके।

सभापति महोदय, मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो फसल बीमा योजना है, इसमें कई प्रकार की त्रुटियां हैं। एक ही गांव में, एक ही

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

पटवार मंडल होता है, एक ही राजस्व गांव होता है, जब क्लेम आता है तो एक काश्तकार के तो ज्यादा आता है और दूसरे के कम आता है। फसल भी एक होती है। इसमें कहीं न कहीं भिन्नता होती है। वर्ष 2021 का हमारे बारां जिले में फसल बीमा आ चुका है, लेकिन 2022 का अभी बाकी चल रहा है। लगभग 55 हजार किसानों का ये आना बाकी है।

साथ ही, अभी जो मौसम विभाग की चेतावनी है, हमारे यहां पर सरसों की, चने की, गेहूं की कटाई भरमार चल रही है। मंडी में रखने की जगह नहीं है, किसान अपनी फसल को कहां रखे? वह मंडी में ले जाता है, प्लेटफार्म पर रखता है, अतिवृष्टि हो जाती है, उसकी फसल बह कर निकल जाती है। लेकिन उसको मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकार की जो गाइड लाइन है, इस प्रकार की जो खामियां हैं, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से एवं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इनमें सुधार करने की आवश्यकता है।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): माननीय सभापति महोदय, जो पशुओं की स्थिति है, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आज रात के समय पर आप निकलेंगे, हाईवे पर निकलेंगे, स्टेट हाईवे पर निकलेंगे या गांव की सड़कों पर निकलेंगे, किसान मोटर साइकिल से जाता है, असमय उसकी मृत्यु हो जाती है। जब उसको क्लेम देने की आवश्यकता आती है तो कहते हैं कि इसका रोड में एक्सीडेंट हुआ है। हमारे कृषि उपज मंडी के अंतर्गत नहीं आता है। वह रात में खेत में पानी देता हुआ आता है, फसल काटकर आता है, रखवाली करके आता है। यह जो मापदंडों में दोहरापन है, इनमें भी कहीं न कहीं शिथिलता देने की आवश्यकता है क्योंकि किसान रात के समय में, दिन के समय में आता है, खेत से रोड पर निकलता है। रोड के एक्सीडेंट को कृषि उपज मंडी से जोड़ने का हमें प्रावधान करना चाहिए।

साथ ही हमारे हाड़ौती में और विशेषकर बारां जिले में जो खेती होती है, वह ट्यूबवैल की खेती है। पानी 400-500 फीट की गहराई से लाया जाता है। किसान को 5 घंटे बिजली मिलती है। डीजल समय पर नहीं मिलता है, खाद समय पर नहीं मिलता है। इतनी महंगी खेती करके उसको फसल का भाव समय पर नहीं मिल पाता है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से व माननीय कृषि मंत्री महोदय से निवेदन है कि आज नकली

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

पेस्टीसाइड बाजार में है, किसान यूरिया के नाम पर ठगा जा रहा है, डीएपी के नाम पर ठगा जा रहा है, पेस्टीसाइड के नाम पर ठगा जा रहा है। उसको बिल नहीं दिया जाता है। वह खेत में जाकर डीएपी डालता है, यूरिया डालता है, वह गलता नहीं है। जो बीज लाता है, वह उगता नहीं है। जो दवाई लाता है, वह काम करती नहीं है। वह दर-दर की ठोकरें खाता रहता है और उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। मेरा निवेदन है कि जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं, जो हमारे कृषि पर्यवेक्षक होते हैं, जो हमारे अधिकारी होते हैं, समय-समय पर इनकी जांच करें। उनके पास जो दवाइयां होती हैं, उनकी जांच की जाए ताकि किसान को जो नकली खाद, नकली बीज, नकली पेस्टीसाइड दिया जा रहा है, उससे निजात मिल सके।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है, चूंकि आप किसान की पीड़ा को समझ सकते हैं। आपने बजट में घोषणा की है कि राजस्थान के किसान को मैं परिवार का सदस्य मानता हूं...

श्री सभापति: समाप्त कीजिए। श्री पूराराम।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, उसको खेत में पानी देने की आवश्यकता होती है, कम से कम उसको 8 घंटे बिजली दी जाए और वह भी दिन में देने का प्रयास करना चाहिए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 46 व 47 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। भारत एक बहुत बड़ा कृषि प्रधान देश है। देश की आजादी के 75 साल बाद हम इस सदन में बैठे हैं, 95 परसेंट किसान हैं। पूरा जो कारोबार है, पहले के जमाने में भी होता था, किसानों पर ही निर्भर है। देश का किसान तब तक ऊपर नहीं आयेगा जब तक देश के किसान को समय पर बिजली नहीं मिलेगी, देश के किसान को अपनी पैदावार का उचित मूल्य नहीं मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, जब देश आजाद हुआ, इस देश के तत्कालीन प्रधान मंत्री माननीय जवाहर लाल जी नेहरू, गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि देश में प्रमुख नदियां जोड़ दो, प्रमुख सड़कें जोड़ दो, नदी से नदी जोड़ दो तो शायद आज ये परिस्थिति नहीं होती। हम अनाज तो पकायेंगे, पकायेंगे किससे, हमारे पास पानी नहीं है। उसके बाद यदि भारत के

(श्री पूराराम चौधरी)

किसी प्रधान मंत्री ने सोच की थी तो वह की थी लाल बहादुर शास्त्री जी ने, उन्होंने कहा था कि हम बाहर से अनाज नहीं मंगायेंगे। हमारा किसान समृद्ध होगा, हमारा भारत समृद्ध होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर पानी के बिना किसान समृद्ध नहीं हो सकता। तीसरे प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि नदी से नदी जोड़ दो। यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। सब मिलकर हम यदि प्रस्ताव पास करके भारत सरकार के पास भेजें कि यदि देश का किसान समृद्ध होगा, देश के किसान को पानी, बिजली समय पर मिलेगा तो शायद ये भारत, एक बार जैसा पहले कहते थे कि सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज भी वह सोने की चिड़िया बन सकता है।

आज देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी को धन्यवाद देता हूं। अच्छा बजट दिया है। माननीय राजस्थान के मुख्य मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं। इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे धन्यवाद देने में कोई डर नहीं है लेकिन वास्तव में आपने जो सब्सिडी दी है, वह किसान तक नहीं पहुंचती है। यह हकीकत बात है। कुछ ऐसे लोग बीच में हैं, दलाल हैं, वह दलाली भी इसमें खा जाते हैं। जन-प्रतिनिधियों को पता ही नहीं रहता है कि इसमें क्या है, कौनसी सब्सिडी है, किसमें फव्वारे की सब्सिडी है? आपने 30 हजार से लेकर एक लाख बढ़ा दी। बढ़ाया, उसके लिए धन्यवाद है, लेकिन किसान तक वह सब्सिडी नहीं पहुंच रही है। इससे किसान को फायदा क्या है? इस बजट में कहा है कि युवाओं को प्रशिक्षण देंगे, युवाओं को कृषि के माध्यम से रोजगार देंगे। कृषि के माध्यम से वास्तव में यदि युवाओं को रोजगार दिया तो मैं समझता हूं बहुत बड़ा रोजगार होगा।

किसान देश का अन्नदाता है। जो अन्नदाता है, किसान के घर में जो भी फसल पकती है, किसान खुद भी खाता है, पशु-पक्षी भी उस पर निर्भर रहते हैं, पशुओं को सहारा भी उसी से मिलता है। हमारा पशुधन धीरे-धीरे नष्ट होता जा रहा है। आज कई गोशाला वालों को धन्यवाद देना चाहूंगा, कई गौ माताओं को पाल रखा है और उन्होंने व्यवस्था कर रखी है। देशी गाय पालकर सबको दूध-दही खिलाते हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। एक कानून बनाना पड़ेगा। आज कृषि के अन्दर जो बीज आता है, वह डुप्लीकेट है। ऐसा बीज आता है, एक बार मैं गया, मैंने पूछा कि अभी बाजारा बोया था हुआ क्या, उसने कहा कि वह तो है ही नहीं। मैंने कृषि वालों को बुलाया कि यह क्या है, तो उन्होंने कहा कि, साहब, बीज में गड़बड़ है। बीज में भी गड़बड़, दूध में भी गड़बड़।

(श्री पूराराम चौधरी)

खाद्य पदार्थ जो मनुष्य के जीवन में काम आ रहे हैं, डुप्लीकेट डिशेज बनाकर, पूरे मानव जीवन को नष्ट कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, आज हम इस सदन में बैठे हैं। सबसे पहला प्रस्ताव, किसान को कम से कम 6 घंटे बिजली मिले और रेगुलर मिले। हमारा प्रस्ताव पहले से बना हुआ है। जालौर, सिरोही, पाली, नोर्म्स पहले से बने हुए हैं। हमारे हक का पानी मिलना चाहिए। आज अगर पानी नहीं मिला तो मैं कह रहा हूं, हम और आप शायद सदन में रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस धरती पर भी रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। मैं यह बता रहा हूं। जब सैकण्ड वर्ल्ड वार हुआ था, तब भी यह बात थी, जर्मनी हार गया था। देश का बहुत बड़ा खतरनाक, हिटलर, उसने घुटने टेक दिए थे। उसने कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध होगा तो पानी के लिए होगा, इसलिए नदी से नदी जोड़ने का समय है। अभी हम राजस्थान सरकार से भारत सरकार को प्रस्ताव भेजें। सब मिलकर, राजनीति से दूर हटकर, पानी हमारे पास नहीं आया तो पीने का पानी भी नहीं बचेगा, यह, सभापति महोदय, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं।

सभापति महोदय, सौ वर्ष पहले एक सूफी सन्त ने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा कि आपको पानी भी पैसे से खरीदना पड़ेगा और आज वह स्थिति आ गई है। माननीय धारीवाल साहब बैठे हैं, मेरे से पहले धारीवाल साहब सदन में आये थे। मैं पहली बार आया था, आप भी थे, सदन में धारीवाल साहब, गर्ग साहब भी थे, इस सदन में बैठे कई माननीय सदस्य भी थे। (व्यवधान) अगली बार तो देखेंगे कि कौन जिंदा रहता है, कौन मरता है, यह बाद की बात है। अगली बार भी धारीवाल साहब आ जाएंगे, कौनसी बड़ी बात है। धारीवाल साहब कभी बूढ़े होते ही नहीं हैं। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य गिना जाता है। हमारे पास कमी है तो सिर्फ पानी की। परिस्थिति बनी बीच में लाइट की, लोगों में हा-हू हो गया, हंगामा हो गया। हमारे भीनमाल में तो होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बीच में हमारे सुखराम जी विश्नोई जी ने हंगामा कर दिया, मैंने हाथ जोड़े कि मुख्य मंत्री जी से बात करेंगे, जिला बनेगा तो भीनमाल भी बन जाएगा। एक ने कहा कि भीनमाल जिला बनना चाहिए। भीनमाल जिला बनेगा, बाकी बने, राजधानी बने, मुझे काई टेंशन नहीं है। मैंने कहा कि हम तो प्रस्ताव करते हैं कि माननीय मुख्य

(श्री पूराराम चौधरी)

मंत्री हमारा जोधपुर सम्भाग है, मरु प्रदेश अलग से ही बना दें, ताकि दो राज्य हो जाएंगे। माथाफोड़ी ही बंद हो जाए, ज़िले वाली।

माननीय सभापति महोदय, किसान को आज फसल में नुकसान हुआ। कल मैंने रात को मेरी मिसेज को फोन किया कि स्थिति क्या है, तो बताया कि रायड़ा 60 बोरी होनी है वह 30 बोरी ही हुई है। किसान को नुकसान हुआ और अधिकारी लीपापोती कर देते हैं। गिरदावरी समय पर नहीं होती है। इस बार चाहे अरंडी हो, हमारे पश्चिमी राजस्थान में एकदम छीजत है। जीरा, ईसबगोल, रायड़ा, राई, अरंडी की फसल इस सीजन में ज्यादा होती है, लेकिन आज जीरे की फसल नष्ट हो गई। ईसबगोल ऐसी फसल है, मैं एक दिन खेत में गया, किसान को पूछा कि क्या स्थिति है, उसने कहा ठीक है। मैंने कहा ठीक नहीं है, पूरा जीरा खराब हो गया। ईसबगोल पूरा खराब हो गया। किसान बीमा के पैसे भरता है, वह बीमा कम्पनियां कोई न कोई बहाना बनाकर किसान का पैसा खा जाती हैं। उन बीमा कम्पनियों को भी पाबंद किया जाए। माननीय मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन है, सदन में नहीं हैं, कृषि मंत्री जी भी नहीं हैं, उनको रहना चाहिए था। धन्यवाद दूंगा, कम से कम धारीवाल साहब बैठे तो हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। श्रीमती गायत्री देवी।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): माननीय सभापति महोदय, एक नया कृषि कानून है। कृषि कानून के हिसाब से एक ही मेन रखना चाहिए। किसान का बीज है उसकी जांच अधिकारियों से कम करवाई जाए। यदि कोई बीज, खाद, दूध, डुप्लीकेट चीज़ें हों, उसको कम से फांसी की सज़ा होनी चाहिए, नहीं तो दस वर्ष की सज़ा तो जरूर होनी चाहिए, यह प्रावधान किया जाए। धन्यवाद।

श्रीमती गायत्री त्रिवेदी (सहाड़ा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 46- कृषि विभाग एवं मांग संख्या 47- पशुपालन एवं मत्स्य विभाग पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के गांधी माननीय अशोक जी गहलोत द्वारा जो बजट पेश किया गया है वह दमदार है, शानदार है, जानदार है, वजनदार है। यह बजट बचत, बढ़त और राहत के साथ आम आदमी, गृहिणी एवं किसान एवं व्यापारी सहित अन्य सभी वर्गों के लिए पेश किया है। कांग्रेस सरकार हमेशा किसानों की हितैषी रही है।

(श्रीमती गायत्री त्रिवेदी)

पर्यावरण एवं मानव के हित में प्राकृतिक खेती ही धरती पर जीवन का आधार है। पुराने समय में बैलों के माध्यम से प्राकृतिक खेती की जाती थी, उससे आम आदमी का शरीर स्वस्थ रहता था। आज मानव जाति सहित सारे जगत को जिंदा रखने के लिए शुद्ध हवा, पीने का पानी, पौष्टिक भोजन प्राकृतिक खेती से ही उपलब्ध हो सकता है। प्राकृतिक खेती जीवन रेखा है। वर्तमान समय में कारपोरेट, माडर्न ने आम जन को रासायनिक खेती की ओर धकेल दिया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए अलग से कृषि बजट पेश कर देश में एक नई मिसाल पैदा की है। पर्यावरण संकट, जलवायु परिवर्तन एवं पहले से गम्भीर संकट ग्रस्त किसान बिरादरी एवं आम जनता की खाद्य असुरक्षा, कुपोषण, महामारियां आदि रासायनिक खेती से पैदा हुई। जटिल समस्याओं के लिए 50 प्रतिशत बजट जैविक खेती के लिए आबंटित किया जाए तो स्वस्थ राजस्थान की कल्पना साकार हो सकती है।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी एवं कृषि मंत्री जी से मांग करती हूं कि राजस्थान को जैविक खेती वाला राज्य घोषित करने की नीति प्राथमिकता से लागू करवाकर, जैविक खेती हेतु कृषकों को प्रोत्साहित किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से मांग करती हूं कि वर्तमान में सोलर पैनल एवं ग्रीन हाउस के टार्गेट के मुकाबले आवेदन करने वाले किसानों की तादाद ज्यादा है, अत: सोलर पैनल एवं ग्रीन हाउस के टार्गेट बढ़ाने की मांग करती हूं।

अन्त में मैं सदन के माध्यम से माननीय कृषि मंत्रीजी से कृषि विभाग में कृषि पर्यवेक्षक के वर्तमान कार्य को ध्यान में रखते हुए प्रारम्भिक वेतनमान काफी कम है, राजस्थान के लगभग पांच हजार कृषि कर्मचारियों को पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी की तरह हार्ड ड्यूटी अलाउंस एवं अतिरिक्त भत्ता दिया जाये एवं साथ ही 2400 पे-ग्रेड की जगह 2800 पे-ग्रेड वेतन सहित क्रोप कटिंग के दौरान आवश्यक सुरक्षा उपकरण दिलाने की भी मांग रखती हूं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में शीतलहर एवं बारिश से खेतों में खड़ी फसलों को काफी नुकसान हुआ है। एक तरफ महंगाई की मार है, वहीं दूसरी ओर फसलों के नुकसान से किसान काफी

(श्रीमती गायत्री त्रिवेदी)

व्यथित एवं परेशान हैं। मैं मुख्य मंत्रीजी एवं कृषि मंत्रीजी से सदन के माध्यम से किसानों को हुए नुकसान के मुआवजे की मांग करती हूं।

माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस सरकार किसानों की हितैषी सरकार है। मेरे विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति रायपुर में गौण कृषि मंडी रायपुर की स्थापना 1989-90 में हुई थी, उस समय दुकानें एवं प्लेटफार्म भी बनाये गये थे, लेकिन आज तक वे बंद पड़े हैं, जिसके कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है एवं बिचौलिये फायदा उठा रहे हैं। मैं सदन के माध्यम से कृषि मंत्रीजी से किसानों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक दृष्टिकोण रखते हुए गौण कृषि मंडी रायपुर को पुनः प्रारम्भ करवाने की मांग करती हूं।

माननीय सभापति महोदय, कोरोना की भांति ही लम्पी रोग के आने के पश्चात् पशुपालकों द्वारा पशु बीमा के लिए बैंक में सम्पर्क किया जा रहा है और बैंक कर्मचारियों द्वारा पशु बीमा करने में आना-कानी की जा रही है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पशु बीमा करवाने के लिए पशुपालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में लम्पी रोग से मृत गो-वंश की पशुपालकों को सहायता के लिए प्रति गाय 40 हजार रुपये देने की घोषणा की थी। इस घोषणा में दुधारू गो-वंश को ही शामिल किया है, जबकि पशुपालकों के पास में जो गायें दुधारू नहीं थीं, लेकिन गर्भवती थीं, उनकी भी लम्पी रोग से मृत्यु हुई थी। लम्पी रोग से मृत गर्भवती गोवंश के मुआवजे के लिए मैं सदन के माध्यम से माननीय पशुपालन मंत्रीजी से मांग करती हूं।

वर्तमान में राजस्थान में 70 प्रतिशत पशु चिकित्सा अधिकारियों के पद रिक्त चल रहे हैं, जिसमें 900 पशु चिकित्सकों की भर्ती विगत पांच वर्षों से न्यायालय में लम्बित चल रही है, इस कारण से पशुपालकों को काफी परेशानी हो रही है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी एवं पशुपालन मंत्रीजी से यह मांग करती हूं कि राजस्थान में रिक्त चल रहे पशु चिकित्सकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरवाकर पशुपालकों को राहत प्रदान की जाये।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्रीमती गायत्री त्रिवेदी (सहाड़ा): अन्त में इस सदन के माध्यम से पशुपालन मंत्रीजी से मेरे विधान सभा क्षेत्र में चीडखेड़ा, ढोसर, गोवलिया, सालेरा, शिवरती, उल्लाई, उम्मेदपुरा, सातलियास, बिलिया कलां, नारायणखेडा, पालरा, पीथा का खेडा में नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोलने की मांग करती हूं।

(श्रीमती गायत्री त्रिवेदी)

अन्त में मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी के सम्मान में चंद लाइनें कहना चाहूंगी कि- पिछड़े क्षेत्र की हर तस्वीर बदल दी, राजस्थान के भाग्य की लिखी हर तकदीर बदल दी, जनता के विश्वास पर आप खरे उतरे हैं, आपने खुशियां में जनता की हर पीर बदल दी।

(समय: 16.54 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे बढ़ाकर सात बजे तक कर दिया जाये।

श्री सभापति: कर दिया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय सात बजे तक बढ़ाया गया।

श्री अभिनेश महर्षि।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 46-कृषि व 47-पशुपालन एवं मत्स्य पर विचार

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 46 एवं 47 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, यह कृषि प्रधान देश है और हमारी आमदनी हो, 95 परसेंट लोग गांवों में रहते हैं। हम सब लोग गांव की पृष्ठभूमि से आते हैं, चाहे बाद में जाकर शहरों में बस जायें, लेकिन हमारा उद्गम गांवों से है। किसान की दुर्दशा के ऊपर बात तो सब लोग करते हैं, लिप सिम्पैथी तो सब लोग रखते हैं लेकिन वह होठों से आगे उनके प्रति सिम्पैथी बढ़ती नहीं है।

मेरे से पूर्व वक्ताओं ने यह सही कहा है, चाहे इधर पक्ष हो या चाहे

(श्री अभिनेश महर्षि)

उधर पक्ष हो, हम लोग किसान की बात करेंगे तो एक दूसरे के ऊपर आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित रह जायेंगे, लेकिन क्या वास्तव में हम लोगों ने कभी यह सोचा है इस बारे में कि किसान की दशा सुधारने के लिए कृत संकल्पित सरकारें आज तक किसान की दशा को सुधार नहीं सकी हैं। गांव में रहने वाले लोगों के चाहे खाद-बीज की बात की, चाहे उनके बिजली की बात की, मैं सबसे पहले जो सब लोगों ने बात की है उसके ऊपर, उस बिंदु के ऊपर मेरा पक्ष रखना चाहूंगा।

कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष ने किसान के सम्पूर्ण कर्जे के माफी की बात करी थी। उसमें उस समय यह नहीं कहा था कि केन्द्रीय बैंकों का कर्जा हम लोग माफ नहीं करेंगे और यदि सम्पूर्ण कर्जे की बात करी तो सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह सम्पूर्ण कर्जा माफ करने के लिए चाहे किसी से लोन ले, किसान के साथ किये गये वादे को पूरा करे। किसानों ने यह सोच लिया कि हमारा सम्पूर्ण कर्जा माफ होगा और उसका माफ नहीं होने का परिणाम यह हुआ कि 200 से ज्यादा किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा।

माननीय सभापति महोदय, समय पर किसान को बिजली नहीं मिलती है। रात के पाले में, मैं एक दिन मेरे रतनगढ़ विधान सभा क्षेत्र के गांव गोरीसर में चला गया। रात को वहां पर बिजली आई डेढ़ बजे और डेढ़ बजे जब बिजली आयी तो बिजली मोटर चालू करने के बाद में उन पाइप्स में से बर्फ के टुकड़े निकले, यह हालत किसान की होती है। हम लोगों ने आठ घंटे बिजली देने का वादा किया लेकिन छह घंटे भी किसान को सही मायने में बिजली नहीं मिली है। चाहे सत्ता पक्ष के लोगों ने सरकार को, मुख्य मंत्रीजी को राज़ी करने के लिए कह दिया हो कि हम छह घंटे से ज्यादा बिजली दे रहे हैं, लेकिन चाहे जब एल.डी. के नाम पर बिजली काट ली जाती है, किसान को छह घंटे भी प्रोपर बिजली मिली नहीं है, यह सत्यता है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता है।

यूरिया की बात की तो यूरिया के लिए लम्बी-लम्बी लाइनें लगीं और हम एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते रहे, लेकिन क्या सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं बनती है कि यूरिया सही समय पर किसान को मिले? किसान को यूरिया नहीं मिलता है, खाद समय पर मिलती नहीं है, बिजली मिलती नहीं है, इन हालात के अन्दर किसान अपने आपका कैसे बचाव करेगा?

(श्री अभिनेश महर्षि)

कृषि कनेक्शनों की बात करें तो बहुत लम्बी-लम्बी बातें सत्ता पक्ष के विधायकों ने कही हैं कि हमारे दो हजार यूनिट माफ कर दिये हैं। बिजली देंगे ही नहीं तो माफ किस बात की कर दोगे? आप लोगों के पास में बिजली है नहीं और जब बिजली नहीं होती है तो केन्द्र के ऊपर डाल देते हो कि केन्द्र हमको कोयला नहीं देता है। कोयले की मांग आप समय पर नहीं करते हो, समय के ऊपर आप पैसा जमा नहीं करवाते हो और उसके बाद में केन्द्र सरकार के ऊपर दोषारोपण करते हो। किसान को सही समय पर बिजली नहीं मिलेगी तो किसान किस तरह से रहेगा?

कृषि कनेक्शनों की बात की तो कृषि कनेक्शन के लिए मुझे खेद के साथ में यह कहना पड़ता है कि आज डेढ़ वर्ष, दो वर्ष के लम्बित कनेक्शन चल रहे हैं। लाखों की संख्या में कनेक्शन लम्बित हैं। अब आप अन्दाजा लगाइये, माननीय सभापति महोदय, किसान कर्जा लेकर कृषि कनेक्शन लेने के लिए पैसा जमा करवाता है और वह कर्जा लेकर जब उसके डेढ़ साल, दो साल में भी, ढाई-ढाई साल तक भी यदि उसको कनेक्शन नहीं मिलता है तो वह कर्जे में डूबते चला जाता है और ब्याज के ऊपर चक्रवर्ती ब्याज लगता है और उस किसान के हालात खराब हो जाते हैं, वह किसान आत्महत्या करने पर मजबूर होता है, यह हालात हैं। राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी बनती है। आप

(समय: 17.00 बजे)

यहां से घोषणा कर देते हैं। मैं आपको प्रेक्टिकल बताता हूं। अधिकारियों से बात करते हैं, अधिकारी कहते हैं कि हमारे पास में सामान नहीं है। आप लोगों से यहां पूछते है, सैक्रेटरी से बात करते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास सामान की कोई कमी नहीं है। प्रिंसिपल सैक्रेटरी कहते हैं कि हमारे पास में सामान की कोई कमी नहीं है। आपका एसई कहता है कि हमारे पास सामान नहीं है। नीचे के इंजीनियर्स कहते हैं कि सामान नहीं है तो आप बतायें कि किसान कहां जायेगा?

आज हम इस सदन में किसान की बात कर रहे हैं, किसान की बहबूदी के लिए बात कर रहे हैं। सरकार संकल्प लेती है कि हम किसान की बहबूदी के लिए काम करेंगे और जमीनी स्तर पर हालात इतने खराब हैं कि आज किसान एक तरफ तो कृषि के लिए लोन लेता है, कृषि कनेक्शन के लिए लोन लेता है, दूसरी तरफ वह अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लोन लेकर कर्जे में डूबता चला जाता है। आज किसान की यदि हमको स्थिति सुधारनी है तो

(श्री अभिनेश महर्षि)

निश्चित रूप से, जैसा मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, यह पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, हम सब किसान के हितैषी हैं। किसान की कोई जाति नहीं होती है। किसानी का काम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति किसान है। मैं ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ लेकिन मैंने और मेरे छह भाइयों ने, सबने खेत में हल चलाया है। हमें पता है कि तंगड पटिया किस तरह बांधे जाते हैं और चऊ को कैसे लगाया और निकाला जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि किसान की जाति नहीं है, किसान का कोई धर्म नहीं है। किसान जाति, धर्म और सम्प्रदाय से ऊपर उठ कर किसानी का काम करता है। वह धरती माता का सीना चीर कर पैदावार करके इस देश के लोगों को पालने का काम करता है। ऐसी स्थिति में हम सब लोगों को इस पर विचार करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, किसानों को यूरिया मिलता नहीं है बल्कि उनको लाठी मिलती है। यह भी इस सरकार के अन्दर हुआ है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात सब लोगों ने की। कम मात्रा मिले, ज्यादा मिले लेकिन देश के प्रधान मंत्री ने चिन्ता की कि किसान का सम्मान होना चाहिए और छह हजार रुपये प्रतिवर्ष किसान सम्मान निधि के रूप में मिल रहा है और वह संख्या करोड़ में नहीं, लाखों करोड़ में है, अरबों के अन्दर वह संख्या है।

माननीय सभापति महोदय, अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से किसान का जितना नुकसान हुआ है, उसका आकलन नहीं हुआ। गिरदावरी के नाम पर कह दिया कि गिरदावरी करायी जा रही है लेकिन उसका परिणाम इतना खराब है कि गिरदावरी के नाम पर इतिश्री कर ली जाती है। किसान को जो हक मिलना चाहिए वह किसान को नहीं मिल पाता है।

माननीय सभापति महोदय, बहुत सारी बातें और भी हैं लेकिन मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात भी करना चाहता हूं। इस मांग में पशु चिकित्सा विभाग की बात भी की गयी है। मेरे रतनगढ़ में हालांकि 'ए' श्रेणी का हास्पिटल है, वह जंक्शन है और वहां पशु महाविद्यालय नहीं है इसलिए सरकार से मेरी विनम्र मांग है कि रतनगढ़ में पशु महाविद्यालय खोला जाये।

भरपालसर, लाछड़सर, लूंछ के पशु चिकित्सालयों को प्रथम श्रेणी में क्रमोन्नत किया जाये। पशु चिकित्सा उप केन्द्र जेगणियां बीकान, भोजासर, गोरीसर, करवारी, लोहा, नुंआ, लधासर, परसनेऊ, सांगासर, जोगलिया, जैतासर,

(श्री अभिनेश महर्षि)

खुड़ी, न्यामा, चाड़वास, ढढेरू गोदारान में पशु चिकित्सालय खोले जायें। जालेऊ, आबड़सर, मालपुर, ढाणी कुम्हारान, खारिया, रूखासर बुद्धवाली में पशु उप केन्द्र भी नहीं है, इन जगहों पर उप केन्द्र खोले जायें।

माननीय सभापति महोदय, सरकार कृषि उपज मण्डियों में पहले सड़कें बनाती थी। पिछले साढ़े चार सालों में कृषि उपज मंडियों के माध्यम से सड़कें नहीं बन रही हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि कृषि उपज मंडियों में खूब पैसा पड़ा है, उस पैसे का उपयोग करके सड़कें बनाने का काम करे जिससे सहायता हो जाये।

माननीय सभापति महोदय, पशु चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरा जाना चाहिए। माननीय कृषि मंत्रीजी भी आ गये। पशु चिकित्सकों के जो 900 रिक्त पद हैं, उसकी भर्ती के अन्दर आप सरकार से बात करके एजी, एएजी जिसको भी लगायें, उस मुद्दे को सुलझायें और पशु चिकित्सकों के रिक्त स्थानों को तुरन्त भरा जाये।

इन सब बातों को कहते हुए एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश के वंचित ग्राम पंचाचत मुख्यालय जो हैं उनके ऊपर किसान सेवा केन्द्र भी जल्दी से जल्दी खोले जायें। प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के मुख्यालय में आईपीएम, एकीकृत कीट प्रबन्धन लैब खोलने के सम्बन्ध में भी मैं सरकार से मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे चूरू जिले में और रतनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में भी खारा पानी है। वहां पर झींगा मछली के उत्पादन का नया प्रकल्प आया है, उसमें भी मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो भी लोग इसके अन्दर काम करना चाहते हैं उनको सब्सिडी भी दी जानी चाहिए। उनको सही समय पर बिजली और पानी की व्यवस्था हो जाए, इसकी भी सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए।

इन्हीं सब बातों को कहते हुए कहता हूं कि किसान के लिए सिर्फ बात मत करो, किसान के लिए काम करो, नहीं तो आने वाले समय में आप सब लोग इधर की साइड में बैठोगे और हम किसान की चिन्ता करने वाले लोग उस तरफ बैठेंगे, धारीवाल साहब। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 46 और 47 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले मेरे विधान सभा क्षेत्र के

(श्री बलवान पूनियां)

फसल बीमा क्लेम की बात करना चाहूंगा। फसल बीमा योजनान्तर्गत सरकार ने जो प्रतिवेदन जारी किया है, यह बात सही है कि गत सरकार की पांच वर्ष की उपलब्धियों में 3 हजार 376 करोड़ का प्रीमियम इन्होंने जमा करवाया और इन्होंने 10 हजार 671 करोड़ रुपये प्रीमियम दिया है। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि बीमा क्लेम 18 हजार करोड़ रुपये किसान को वितरित किया है। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 2018 रबी से लेकर अब तक 3 हजार 400 करोड़ रुपये बीमा क्लेम आया। जब बीमा क्लेम आना शुरू हुआ और जब बीमा पर एक-एक बात करना शुरू हुई तो बीमा कम्पनी के पेट में दर्द शुरू हो गया। बीमा कम्पनी ने बेईमानी करनी शुरू कर दी। मंत्री महोदय, आपके द्वारा जारी प्रतिवेदन में बहुत गलत आंकड़ा है, मैं उसको दुरुस्त करवाना चाहूंगा। उसमे यह लिखा है कि पालिसी वितरण 5 करोड़ 45 लाख से 8 करोड़ 80 लाख। कागजों में कर दिये होंगे क्योंकि थोड़े दिन पहले मेरे यहां एक कागज जारी किया कि भादरा में 35 हजार 52 पालिसी वितरित हो गयी। मैंने कहा कि पता करो कि पालिसी वितरण करने कौन आया। बोला कि कोई नहीं आया तो फिर किसको वितरित कर दी? मैं मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि आप गलत आंकड़े देने वाले अधिकारियों को भी चैक करिये क्योंकि 2020 रबी में फसल बीमा क्लेम, फ्राड हुआ भादरा में, फ्राड पर कार्यवाही करने की बजाय बेईमानों ने उन किसानों की पालिसी रिजेक्ट कर दीं जिन किसानों का डबल बीमा चला गया। सोसायटी ऑनलाइन नहीं थीं। डबल बीमा प्रीमियम कट गया। उनकी डबल की 1800 पालिसी गत दिनों में रिजेक्ट कर दी जबकि जिन लोगों ने बेईमानी करी उनके खातों में पैसे डाल दिये। बीमा कम्पनी में बेईमान लोग आज भी विराजमान हैं।

आज भी मुझे पटवारियों का ज्ञापन प्राप्त हुआ है। राजस्थान पटवार संघ ने कहा है कि क्रोप कटिंग के वक्त बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि नहीं जा रहे हैं क्योंकि पूरे राजस्थान में किसी भी ब्लाक में फालतू प्रतिनिधि नहीं हैं। बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि क्रोप कटिंग के वक्त जाते नहीं। राठौड़ साहब, आपके जिले चूरू में भी 2021 खरीफ में बेईमानों ने यह कह दिया कि मूंग मोठ की फसल बर्बाद होगी और बीमा कम्पनी ने एक उज्र कर दिया कि हमारा तो कोई वितरण नहीं हुआ, हमारे तो बीमा के प्रतिनिधि ही नहीं गये इसलिए बीमा के प्रतिनिधियों की गैरहाजिरी में जो क्रोप कटिंग हुई वह गलत हो गयी। आपके पास प्रतिनिधि है ही नहीं। आपके प्रतिनिधि आज नहीं जा रहे। मेरे विधान सभा क्षेत्र में हमने पारदर्शिता से तय करवाया है कि वीडियोग्राफी होगी

(श्री बलवान पूनियां)

लेकिन बीमा कम्पनी का प्रतिनिधि नहीं जा रहा है क्योंकि प्रतिनिधि है ही नहीं। बीमा कम्पनी ठगी मार रही है। सैटेलाइट से आंकड़े तय होंगे। कहां गया आपका सैटेलाइट? पूरे के पूरे इलाके में चने थे, बर्बाद हो गये और ऊपर से यह कागज निकाल दिया कि 10 हैक्टेयर से ज्यादा किसी का चना है तो लिख कर मत लाना। मैंने मेरे साथियों को लगाया। एक-एक पटवारी को साथ ले जाकर एक-एक खेत दिखाया। चना की तो उम्र है, चना तो फरवरी में तेज धूप होने से खतम हो गया। आज कहेंगे कि हमें वहां फसल नहीं मिली। आपका आदमी गया था इसलिए मेरी मांग है कि जो चना का प्रीमियम कटा है उसका बीमा क्लेम लेंगे और बीमा क्लेम क्रोप कटिंग से लेंगे। सैटेलाइट बन्द करो और 2020 की जो पालिसीज रिजेक्ट की हैं, उनमें सिंगल पालिसी में आप डालिये। मत दीजिये डबल पालिसीज में। हमें कोई फ्राड पसन्द नहीं है लेकिन फ्राड करने वालों के खिलाफ भी तो कार्यवाही करो। बीमा कम्पनी में भी ऐसे एजेंट बैठे हैं जो फ्राड करते हैं और फ्राड करने वाले लोगों से मिले हुए हैं। मैं मांग करना चाहूंगा कि एक-एक किसान का बीमा क्लेम दिया जाये। 2022 रबी का बीमा क्लेम अभी तक नहीं दिया। आज डेढ़ साल हो गया। क्यों नहीं दे रहे हो? बाद में कहोगे कि यह नहीं है, वह नहीं है। इसलिए बीमा क्लेम जारी करो। तुरंत प्रभाव से मय ब्याज जारी करो। यह कुछ मेरी फसल बीमा से संबंधित बातें थीं, जो मैं सदन में रखकर यह एतराज भी दर्ज कराना चाहता हूं कि बीमा के संबंध में जैसा गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू का किसान समझता है, उसके बाद पूरे राजस्थान में साथियों ने चर्चा की है, लेकिन उसके बाद जाकर बाड़मेर में बीमा क्लेम की बात आती है, बीच में कोई बीमा क्लेम का जिक्र नहीं जानता, बीमा क्लेम की पालिसी की बात नहीं जानता, प्रीमियम की बात नहीं जानता, क्रोप कटिंग की बात नहीं जानता। जानता तो यह कहीं भी जागरूकता के शिविर नहीं लगाते।

माननीय सभापति महोदय, इतना बड़ा प्रीमियम है, चूरू जिले के किसान का 50-55 हजार रुपये प्रीमियम कटता है। माननीय सभापति महोदय, किसान का सिर्फ दो प्रतिशत प्रीमियम कटता है। बीमा कम्पनियां कितना बड़ा खेल करती हैं। बचा हुआ प्रीमियम केन्द्र सरकार और राज्य सरकार वहन करती हैं। कई अधिकारियों के दिमाग में फितूर है कि बीमा कम्पनियां आयेंगी नहीं। बीमा कम्पनी कोई सगी नहीं लगती जो हमारे यहां रिश्तेदारी डालने आयी हैं। बीमा कम्पनी पैसा कमाने के लिए आयी हैं और पूरे देश में हजारों

(श्री बलवान पूनियां)

करोड़ रुपये बीमा कम्पनियों ने खाये। आप बिहार का जिक्र कर लो, आप यू.पी. का जिक्र कर लो, आप मध्य प्रदेश का जिक्र कर लो, आप उड़ीसा का जिक्र कर लो, आप पश्चिम बंगाल का जिक्र कर लो, चाहे आप कहीं का भी जिक्र कर लो, बीमा कम्पनी हर जगह फायदे में है। राजस्थान के तीन जिलों से फालतू निकलो, चार जिलों से फालतू निकलो तो बीमा कम्पनी फायदे में है। बीमा कम्पनी हमारे यहां कोई रिश्तेदारी करने नहीं आयी। मेरे किसी अधिकारी को डरने की जरूरत नहीं, बीमा कम्पनियां आयेंगी नहीं। बीमा कम्पनियां तो दुनिया भर की हैं और कम्पनियों से डर लग रहा है। मैं तो कह रहा हूं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तरह मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना बनाइये और सरकार की कम्पनी पैदा करिये। इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। आप तो छोड़िये इतना क्लेम देना, आप तो क्षतिपूर्ति की राशि घटा दीजिये, लेकिन दीजिये। बीमा कम्पनी के दबाव में आने की कहां जरूरत है? मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं, जो अधिकारी बीमा कम्पनी के दबाव में हैं, उनको कहो कि आप ठीक हो जाओ, नहीं तो ठीक करना हम जानते हैं, हम करेंगे। आज तो मैं बीमे की हां करवाये बिना जाऊंगा भी नहीं।

माननीय सभापति महोदय, मैं इसके साथ यह भी कहना चाहूंगा। अभी यूरिया की बात आयी, खाद की बात आयी। हमारे देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डाक्टर वीरेन्द्र सिंह कह रहे हैं नैनो यूरिया क्या है? आप हमें क्यों सप्लीमेंट दे रहे हो? न सिर्फ दे रहे हो, सप्लीमेंट हमारे पर थोप रहे हो। एक तो यूरिया नहीं मिलती, ऊपर से फिर कह रहे हो कि नैनो यूरिया का 450 रुपये का बैग देंगे हम। यह क्यों दोगे? हम इसको काम क्या लेंगे? नहीं, साहब, देंगे, यह गलत है, आप नैनो यूरिया मत थोपिये। अधिकारियों और मंत्री महोदय से हम कहना चाहते हैं। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, अभी मेरी दो बातें और बची हैं। मैं एक बात का जिक्र करना चाहूंगा। मेरे साथी अभी बात कह रहे थे कि प्रधान मंत्रीजी ने यह कर दिया, प्रधान मंत्री ने वह कर दिया। ठीक है, बढ़िया बात है। आपको मैंने सुना, आप हमें भी तसल्ली से सुनिये। प्रधान मंत्रीजी ने जिन 750 किसानों की कुर्बानी ली और उनके साथ समझौता कराया, पर अभी तक उस समझौते को लागू नहीं किया। अजय मिश्रा ने हमारे बैठे हुए किसानों को कुचल दिया गाड़ी से, वह आज भी मंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। 750 लोगों की कुर्बानी से जिन लोगों के हाथ रंगे हुए हैं वह कह रहे हैं कि हम किसान हित

(श्री बलवान पूनियां)

की बात करते हैं। आप कहां बात कर रहे हो? आपने 15 हजार करोड़ रुपये उर्वरकों में सब्सिडी घटायी है। आपने खेतिहर मजदूर का 33 प्रतिशत नरेगा का पैसा खतम किया है। आप उस किसान और मजदूर की कमर तोड़ना चाहते हो और यह कह रहे हो कि आप बड़े किसान हितैषी हैं। किसान हितैषी आप होते तो आप काले कानून न लाते। काले कानून आप लाये और वापस लिए तो यह तो बताते कि हमने मुकदमे वापस कर दिये। आने वाली 5 अप्रैल को दिल्ली में पूरे देश से किसान आ रहे हैं और हिन्दुस्तान की सरकार को चैलेंज करेंगे।

हम कहना चाहते हैं, जैसे अभी एक साथी बोल रहे थे सिर्फ लिप प्रेम, होठों का प्रेम किसान से मत रखिये, लेकिन यह बात हम सब पर लागू होती है। हम जब दूसरे की तरफ अंगुली करते हैं तो हमारी तरफ भी होती है। आज मैं कहना चाहता हूं मेरी पार्टी की केरल सूबे में सरकार है वहां पर सब्जी खरीदती है सरकार। राजस्थान में हम प्याज क्यों नहीं खरीदते, हम बाजरा क्यों नहीं खरीदते? अभी मेरे साथी मांग कर रहे थे कि बीटी बीज को आपने अभी तक मान्यता नहीं दी, जिसको पानी लग गया, अभी सरसों में पानी लग गया तो वह बीटी बीज बो लेता। बीज है ही नहीं तो फिर कहां बो पायेंगे? गंग नहर में बंदी, इंदिरा गांधी कैनाल में बंदी तो फिर किसान क्या करेगा? किसान बाजरा बोयेगा तो बाजरे की सरकारी खरीद हम क्यों नहीं कर रहे हैं? आज कह रहे हैं कि बाजरा बोइये। बाजरे की आमदनी कोई कम नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं कह रहा हूं नरमे से कम लागत में और कम से कम 25-30 हजार रुपये बीघा होगा, बशर्ते बाजरा राजस्थान की सरकार खरीद ले। माननीय सभापति महोदय, यह किसान का दर्द है।

माननीय सभापति महोदय, अभी मेरे साथी कह रहे थे कि भारत सरकार ने यह कर दिया। आपने CAD बंद कर दी। एक साथी बार-बार विधान सभा में प्रश्न लगा रहे हैं कि हमारे खालें कब बनेंगे? खालों के लिए तो अशोक गहलोत का धन्यवाद करो, जो खालें बनने शुरू हो गये। मोदीजी ने तो CAD खतम ही कर दी। सिंचित क्षेत्रीय विकास विभाग खतम कर दिया और आप ताली बहुत जोर-जोर से बजा रहे हो। आप कह रहे हो अच्छे दिन आ गये। किसके अच्छे दिन आ गये, किसकी आमदनी बढ़ गयी? 6 हजार में आप आमदनी बढ़ाना चाहते हो, सिर्फ 6 हजार रुपये। आप सोचिये और किसी भी किसान से पूछिये। माननीय सभापति महोदय, मुझे दो मिनट और दीजिये।

(श्री बलवान पूनियां)

आप पूछिये किसी भी किसान से कि तेरा किसान क्रेडिट कार्ड कैसे बनता है? किसान क्रेडिट कार्ड आज के दिन बनाना इतना मुश्किल है जितना मुश्किल किसी बच्चे का रिश्ता करना है, वह भी बेरोजगार बच्चे का। यह नहीं बन रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, तहसील के बैंक से जायेगी AGM बैंक में और तीन-तीन महीने फाइल धूल फांकती है, क्योंकि किसान को आसान किस्तों में कोई ऋण नहीं देना चाहता। माननीय सभापति महोदय, एक किस्त भी किसान अगर ड्यू कर दे तो उसको 12 प्रतिशत और दूसरी किस्त दुर्भाग्य से ड्यू हो जाये तो उसको 24 प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार ऑनलाइन का दंश झेला है न किसान ने, बहुत सारे किसान साथी इस बात को नहीं जानते। पासबुक लेकर बैंक में जाते नहीं, ऑनलाइन का जो दंश झेला है, मैं ब्याज देकर आ गया। अगर मैंने वहां खड़े रहकर उसको रिन्युअल नहीं कराया तो मुझे 24 प्रतिशत ब्याज देना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, मैंने साढ़े सात करोड़ रुपये ब्याज वापस दिलवाया है, मैं इसलिये कह रहा हूं। मैं यह बात रिकार्ड पर बोल रहा हूं। मुझे राजस्थान की जनता सुने। माननीय सभापति महोदय, यह किसान का दर्द है।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आप डिग्गी की बात करते हो, फार्म पौण्ड की बात करते हो, आप यह सारी बातें कह रहे हो। मैंने बार-बार मांग की है, और भी बहुत सारे साथियों ने भी कहा है। अभी कन्हैया लाल जी भी मांग कर रहे थे। आपने अब लाटरी शुरू कर दी। आप किस बात की लाटरी निकाल रहे हो? 'पहले आओ पहले पाओ' मैंने फार्म लगाया है, डिग्गी बनाऊंगा, भुगतान कर दो। डिग्गी नहीं बनाऊंगा तो फार्म रिजेक्ट कर दो।

माननीय सभापति महोदय, तारबंदी की बात, लाटरी से मिलेगा। आप हमें लाटरी पर मत छोड़िये और हमारी भावनाओं की कद्र करिये और आर्डर निकालिये। जैसे आपने लाटरी का आर्डर कर दिया, वैसे ही आप आर्डर करिये कि पहले जो फार्म भरेगा उसको डिग्गी मिलेगी। माननीय सभापति महोदय, खेत अब खाली होंगे, खेत खाली होंगे तब ही लोग डिग्गी बनायेंगे। आप आठवें महीने में उसको कह रहे हो कि जा डिग्गी बना ले। वह कैसे बना लेगा? वहां से मिट्टी उठाकर कहां पर डालेगा? आप मजाक क्यों कर रहे हो? Be serious. हम चाहते हैं किसान की मदद करो।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इस

(श्री बलवान पूनियां)

बात के लिए तो धन्यवाद। मंत्री महोदय, हम और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, बर्दाश्त की लिमिट होती है। मेरा बीमा क्लेम दो, मैं यहां बैठूंगा। जब तक बीमा क्लेम की हां नहीं भरोगे, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि विधान सभा सत्र में कृषि के बाद अब कोई बात नहीं बचेगी। मैं फसल बीमा की बात करूं, आप फसल बीमा क्लेम क्यों नहीं दे रहे? (व्यवधान) मैं आपके कहने से नहीं बैठ रहा, आपमें तो कोई दम ही नहीं है। आप तो असत्य बात करके दो मिनट में इधर आ जाते हो। मैं बैठूंगा और बीमा क्लेम लिए बगैर जाऊंगा नहीं। मैं आपके राज में भी बैठा था। मैं बीमा क्लेम लिए बगैर गया ही नहीं। यह राज़ी हो रहे हैं कि यह उकसा रहे हैं? मैंने तो बात भी लीक नहीं की कि मैं बीमा क्लेम लेऊं। माननीय सभापति महोदय, बीमा क्लेम हमारा हक है। हम कोई दया नहीं मांग रहे आपसे। बीमा क्लेम हमारा राइट है। हम प्रीमियम देते हैं। हमारी फसल बर्बाद हो गयी है तो हम क्लेम मांग रहे हैं और बीमा कम्पनी को देना पड़ेगा। हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि समय पर बीमा क्लेम दिलवाइये और उस किसान के साथ मत खेलिये जिसकी दो साल पहले फसल बर्बाद हो गयी। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप खेत-खेत पर चलिये, आप चूरू के खेतों में जाइये, आप भादरा-नोहर के खेतों में जाइये, पूरी की पूरी चने की फसल तबाह हो गयी। आप मजाक करते हो कि आपका इतना क्लेम कैसे बन गया? हमारा जो क्लेम बनता है वह क्लेम लेंगे। धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: श्री गिरधारीलाल।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 46 और 47 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। आजादी के बाद हर कोई किसान की बात करता है। जो किसान की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा। सब किसान की बात जरूर करते हैं, राज भी करते हैं, पर राज में आने के बाद किसान की कोई बात नहीं करता। माननीय सभापति महोदय, आज किसान के क्या हालात हैं? किसान तेरे छान में आज भी अंधेरा है, किसान के बदन पर फटे हुए कपड़े हैं, पैरों में फटी हुई जूतियां हैं। आजादी के 75 साल के बाद आज भी किसान दर-दर की ठोकरें खा रहा है।

मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए यही कहूंगा, माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार कृषि बजट अलग से लायी है, इसके लिए उनको धन्यवाद है। मगर मैं कृषि मंत्रीजी से यह भी कहना चाहूंगा कि बीकानेर जिले के अंदर जल हब बन गये हैं। बीकानेर में 3 लाख की सब्सिडी मिलती है, दूसरी तरफ डूब वाले क्षेत्र के

(श्री गिरधारीलाल)

अंदर, बीकानेर में रहते हैं, 90 हजार की सब्सिडी मिलती है तो नया बजट, अलग से कृषि बजट देने का क्या फायदा? वह तो पहले से ही मिल रहा था।

आज के दिन कृषि मंत्री, ऊर्जा मंत्री, कृषि उपज मंत्री, तीनों के सवाल जुड़े हुए हैं। आज सदन का महत्वपूर्ण दिन है। तीनों का कामन होता। कृषि पर बात होती। बिजली कम मिलती है। एग्रीकल्चर में सब्सिडी कम मिलती है। कृषि मंडियों में सुविधा कम मिलती हैं। उस सूरत में तीनों विभागों का कम्युनिकेशन होना चाहिए।

सभापति महोदय, लम्पी महामारी में गायें खतम हुई थीं। बजट में कहा गया था कि हम 40 हजार का अनुदान देंगे। मगर मैं सदन में कहना चाहता हूं कि बीकानेर जिले के अंदर ऐसा आपने क्या क्राइटेरिया लिया है कि लम्पी में इतनी गायें खतम हुईं? डूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में इतनी गायें खतम हुईं, लूणकरणसर में इतनी खतम हुईं। किससे सर्वे करवाया? लम्पी से मरने वाली गायों की कितनी संख्या हुई बीकानेर जिले में?

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि जो सर्वे हुआ है, लम्पी में जो गायें मरी हैं, 40 हजार रुपये का अनुदान देने की घोषणा की गई थी। इसके लिए सरकार को धन्यवाद देता हूं। मगर गांव में लम्पी बीमारी से गायों की मृत्यु का सही सर्वे नहीं हुआ है। मेरा सरकार से आग्रह है कि लम्पी से मृत गायों का पुन: सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा दिया जाये। अब चाहे सरपंच से, ग्राम सेवक से, पटवारी से, किसी एजेंसी को पकड़कर सर्वे करवाया जाये। अन्यथा इसका कोई मापदंड भी नहीं होगा।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांवों में पशु उप केन्द्र खोलने की मांग स्थानीय ग्रामीणों द्वारा लंबे समय से की जा रही है, इसलिए गांव मेऊसर, जोधासर, केऊ में नवीन पशु उप केन्द्र खोले जायें। इसके अलावा गांव मेसूरी, सांवसर के पशुपालकों के लिए प्रथम श्रेणी केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाये ताकि पशुपालकों को फायदा मिल सके।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए यही कहूंगा कि बीकानेर जिले के अंदर सबसे ज्यादा कृषि कुएं हैं। सबसे महंगी खेती है। जो ट्यूबवैल लगभग सूख गये हैं, जिन ट्यूबवैलों को खोदते समय पानी नहीं आता, उसमें लाखों रुपये किसान के लगते हैं। एक ट्यूबवैल खोदते हैं तो 15 लाख रुपये खुदाई के लगते हैं। नई कृषि नीति के तहत ट्यूबवैल खोदते समय पानी नहीं आये या चलते हुए सूख जाता है उसको बीमा पालिसी की नीति में

(श्री गिरधारीलाल)

शामिल कराया जाये। यह मेरी आपसे मांग है। उस सूरत में पानी नहीं आने से, कुआं सूखने के कारण किसान को आत्महत्या करनी पड़ती है। किसान आर्थिक रूप से दब जाता है, उसकी जमीन नीलाम हो जाती है।

हमारी सरकार ने 2 हैक्टेयर पर रोक लगा रखी है कि जमीन को नीलाम नहीं करेंगे। मैं मांग करता हूं कि कम से कम 5 हैक्टेयर पर रोक लगाई जाये। ऐसी नीति बनाई जाये कि किसान कितना ही कर्जदार हो जाये, 5 हैक्टेयर जमीन नीलाम नहीं हो तो बीकानेर जिले का, चूरू जिले का, जोधपुर जिले का, पूरे राजस्थान का किसान जो ट्यूबवैल पर निर्भर है, जो गहरा पानी निकालता है वह जिंदा रह पायेगा। यही मेरा कहना है। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री बलजीत यादव।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मांग संख्या 46 और 47 पर बोलने का मौका दिया।

धरना

(मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपकी भावना माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में आ गयी। प्लीज। आपकी बात उनके नोटिस में आ गयी। आपकी भावना नोटिस में आ गयी, मंत्री जी के ध्यान में आ गयी। प्लीज। आ गयी बात, नोट कर ली उन्होंने। एक मिनट रुकना। माननीय मंत्री महोदय।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): सभापति महोदय, तय तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन माननीय सदस्यों ने जो बात उठायी है, यह सही बात है कि काफी लंबे समय से यह प्रकरण विचाराधीन है। मैं दोनों से निवेदन करूंगा कि 2 दिन का टाइम और दें, क्योंकि इसमें भारत सरकार के अधिकारियों से भी बात करनी पड़ेगी। हमारे अधिकारी लगातार संपर्क में हैं। यह जो इनका विवाद है, वह भारत सरकार के यहां पैंडिंग है। मैं चाहूंगा कि आज जो डिमांड है इसको पूरा होने दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): जिला स्तर पर जो कमेटी बनी थी उसने क्रोप कटिंग का फार्मूला कब बदला? उसने सैटेलाइट के फार्मूले के आधार पर, क्रोप कटिंग को मान्यता देकर, यह जो सर्वे हुआ, उसमें किसान बर्बाद हुआ है। यह आपके स्तर पर है और आपका राज्यांश भी बाकी है। भारत सरकार की बात मत करिये।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): नहीं, नहीं, मैं यह नहीं कह रहा। वह दोनों बातें मेरे नोटिस में हैं। जो आप कह रहे हो, वह भी है और जो दूसरा विवाद है वह भी है। लेकिन पालिसी में यहां का जो विवाद था, उसमें भी हमने आब्जेक्शन वहां भेजा था, उसमें वापस क्या हुआ, वह मुझे अभी मालूम नहीं है। अभी मैं सदन को बता नहीं सकता। लेकिन 2 दिन का टाइम दें, इसमें बैठकर बात करेंगे।

श्री सभापति: ठीक है। हो गयी बात। प्लीज। श्री बलजीत यादव।

धरना समाप्त

(मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया के माननीय सदस्यों का धरना समाप्त)

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मांग संख्या 46 और 47 पर बोलने का मौका दिया।

सभापति महोदय, किसान का दर्द कहां से शुरू करूं? मैं 72 विधान सभाओं में अभी जाकर आया हूं, मैंने किसान को रोते देखा, किसान के बेटे को रोते हुए देखा। किसान बेटे को दिलासा दिला रहा था कि मैं और मेहनत करूंगा, घबराओ नहीं बेटा और बेटा अपने पिता को दिलासा दे रहा था। दोनों की आंखें नम थीं कि मैं और मेहनत करूंगा। लेकिन अफसोस इस बात से हुआ कि देश को आजाद कराया इन्हीं किसान पुत्रों ने फांसी के फंदे को चूमकर, अंग्रेजों की यातनाएं सहकर, इन 75 साल के बाद भी वह इतना मजबूर है, इतना असहाय है और उसे लगता है कि जैसे शायद उसकी चिंता किसी को नहीं है।

सभापति महोदय, मैं भीनमाल में गया तो मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि हमने एग्जाम की खूब तैयारी की, हमारा सलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन पड़ौस के 2 ट्रक चलाने वाले थे, 10-10 लाख में पेपर खरीद लाये और वह पुलिस कांस्टेबल बन गये। कोई सैकण्ड ग्रेड टीचर बन गया। साल, 2 साल, 5 साल कोचिंग कर रहा है, तैयारी कर रहा है। किसान कर्जा ला-लाकर दे रहा है। कुछ-कुछ भर्तियां तो 9-9 साल हो गयी। वैसे ही या तो भर्ती निकलती नहीं हैं, या तो पेपर लीक हो जाता है या कोर्ट में भर्ती फंस जाती है। इन कोचिंग सेंटर्स की लूट पर सरकार की कोई लगाम नहीं है। मनमानी फीस उनसे वसूली जाती है। न ही प्राइवेट स्कूलों की लूट पर सरकार की कोई लगाम है।

सभापति महोदय, सदन में चर्चा होती है। एक पक्ष कहता है कि हमने

(श्री बलजीत यादव)

कर्जा माफ किया, दूसरा पक्ष कहता है कि हमने कर्जा माफ किया। चर्चा इस बात की होनी चाहिए कि 75 साल के बाद भी यह किसान कर्जदार क्यों है? आपसे कोई भीख नहीं मांग रहा कि उसका जरा-सा कर्जा माफ कर दिया, ऐसे दिखाया जाता है कि पता नहीं क्या कर दिया।

सभापति महोदय, जब तक उसकी फसल का दाम नहीं मिलेगा, तब तक उसकी स्थिति सुधर नहीं सकती। जब तक उसके खेत को पानी नहीं मिलेगा, उसे बिजली समय पर नहीं मिलेगी, उसे बीज खाद नहीं मिलेगा, तब तक अपन केवल सहानुभूति नहीं बटोर सकते कि हमने जरा-सा कर्जा माफ कर दिया। वह ऊंट के मुंह में जीरा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ आंकड़े सदन में रखना चाहता हूं। 1967 में आईएएस की सैलरी हुआ करती थी 250 रुपये, जो आज तीन से साढ़े तीन लाख रुपये महीना हो गई है। वही 1967 में डीजल होता था 20 पैसे लीटर और आज वह 100 रुपये लीटर हो गया है, सोना होता था 200 रुपये का 10 ग्राम यानी एक तोला, आज वो 60 हजार रुपये हो गया है। गेहूं था 70 रुपये का क्विंटल जो आज 1800 रुपये क्विंटल में बिक रहा है। यानी की आईएएस की सैलरी में बढ़ोतरी कितनी हुई, 1500 गुना। डीजल में कितनी बढ़ोतरी हुई 500 गुना। सोने में कितनी बढ़ोतरी हो गई, 300 गुना और किसान के गेहूं की फसल कितनी बढ़ी, मात्र 25 गुना। अब कहां 1500 गुना और कहां 25 गुना, भला कैसे उसकी स्थिति सुधर सकती है? हर चीज की महंगाई बढ़ गई है, कृषि के उपकरणों की महंगाई बढ़ गई हैं लेकिन उसकी फसल को नहीं खरीदती हैं सरकारें। आप गेहूं पर 10 परसेंट बढ़ाइए, 200 रुपये, यह कह दिया कि 2110 रुपये, माननीय सभापति महोदय, हमारे मंत्रीजी खुद किसान हैं, वो जानते हैं कि खर्चा गेहूं पर एक बीघा का किसान का आता है 18000 रुपये और एक क्विंटल पर आता है 1800 रुपये, एक बीघा में लगभग 10 क्विंटल गेहूं पैदा होता है जो 1800 के हिसाब से बेचें तो 18000 का हुआ और उसका खर्चा भी 18000 आता है और पैदा करने में भी 18000 रुपये लगते हैं तो उसकी स्थिति भला कैसे सुधरेगी? सरसों की फसल करो तो उस पर भी वही 11000 के समथिंग खर्चा आ जाता है और वो बिकती है तो वही 18000 या 20000 और कभी पाळा पड़ गया तो बर्बाद हो गया। गेहूं में यदि हवा चल गई, गेहूं गिर गया तो बर्बाद हो गया, तो भला वह किसान कैसे ऊपर उठ सकता है?

(श्री बलजीत यादव)

सिर्फ बातें होती हैं किसान की, 6000 दे दिया, कोई कहता है कि कर्जा दे दिया, कोई कहता है कि यह दे दिया, कोई कहता है कि थोड़ी-सी बिजली दे देंगे। मैं तो यह कहता हूं कि आप पूरा दाम ले लीजिए, मत दीजिए कुछ भी आप लेकिन यह जो 1500 गुना बढ़ी है आईएएस की सैलरी, या तो उस आईएएस की सैलरी को घटाकर 25 गुना ले आओ आप। उस सैलरी को उस किसान की जो बढ़ोतरी हुई है वहीं पर ले आओ उस सैलरी को, यदि वह आईएएस उस पर नौकरी कर ले और अगर किसी सरकार में हिम्मत है कि घटा दे आईएएस की सैलरी, कह दे कि किसान के बराबर रखेंगे क्योंकि देश को आजाद इन किसानों ने कराया था। कोई आईएएस भर्ती नहीं कर रहे थे अंग्रेज इंडिया के अंदर लोगों को, वो तो आप किसानों की बदौलत हो, इन किसानों के बच्चे फांसी पर लटके तब हम आईएएस बन रहे हैं लेकिन पालिसी बनती है तो वही आईएएस राय देते हैं सरकार को कि बजट नहीं है, किसान को पैसा नहीं दे सकते, किसान की फसल को नहीं खरीद सकते। मैं कहता हूं कि एमएसपी 2100 एक क्विंटल गेहूं की क्यों हो, इसकी एमएसपी उतनी करो जिसमें उसका गुजारा हो, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं होगी, उसके लिए कोई पैसा मिलेगा नहीं और ये किसान सहन किये जा रहा है, उसकी सहनशक्ति है, उसकी यह ग्रेटनेस है कि वह सहन कर रहा है और मेरा देश महान कह रहा है।

माननीय सभापति महोदय, फौज में जाता था उसका बेटा, एक्सरसाइज करता था, फौज की भर्ती बंद कर दी। पुलिस में जाता था, दौड़-भाग करता था, खेत में काम करता था, फिजिकल फिट होता है, मजबूत होता है, बहादुर होता है, दौड़-भाग करके पुलिस कांस्टेबल बन जाता था, कोई मिलिटरी में चला जाता था, अब मिलिटरी का भी बंद और पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में आईएएस जैसा पेपर पकड़ा देते हैं। उसकी फिजिकल फिटनेस को कोई देखता ही नहीं है। अब उसमें पेपर में कौन सलेक्ट होता है, वही जो ट्रक चलाने वाला, पेपर खरीद कर दस लाख रुपये में सलेक्ट हो जाता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करता हूं कि केवल किसान, किसान, किसान की बात करने से नहीं होगा। वास्तव में आज किसान को सबसे ज्यादा न्याय की जरूरत है और उसके साथ हमें न्याय करना पड़ेगा कि वो किसान के बच्चे जो अंग्रेजों से लड़े थे, जिस दिन उसने ठान लिया उस दिन आप सोचना कि क्या हाल होगा? इसलिए मैं

(श्री बलजीत यादव)

समझता हूं कि उठा-उठाकर फेंक देंगे और होगा क्या, मूली की तरह पाड़-पाड़कर फेंक देंगे आपको, और क्या होगा? यह होगा। इसलिए कभी उस किसान की हिम्मत को सरकार न ललकारे कि वो लड़ नहीं सकता, वो अपना हक हासिल नहीं कर सकता। वो तो अपने देश में आस्था रखता है इसलिए सहन किये जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं बात करूंगा आवारा पशुओं की। एक बड़ा आंदोलन इन आवारा पशुओं के लिए भी होगा। किसान की फसल को खा रहे हैं ये आवारा रोजड़े-सूअर, मैंने पहले ही कहा कि आदमियों की नसबंदी करते हो, इनकी नसबंदी कर दो, हम छोटे थे तो किसान छोटे बछड़ों की नसबंदी करवाता था। आवारा नंदी की नसबंदी कर दो और गाय को अगर सच में बचाना चाहते हो, गोशाला में अनुदान देते हो, आप किसान को अनुदान दो कि वो घर पर अपने गाय को पाले, इससे किसान की स्थिति भी सुधरेगी और हमारी गाय माता भी बचेगी, लेकिन किसान को तो देना नहीं चाहते क्योंकि सब जानते हैं कि अगर उसके पेट में रोटी आ गई और उसको थोड़ा सहारा जीने का मिल गया तो सोचने लग जाएगा वो कि कौन क्या कर रहा है? वो आईएएस हजारों करोड़ रुपये खा रहे हैं फिर भी 1500 गुना सैलरी बढ़ा रहे हो? जाकर देखो, एक आईएएस बनता है तब क्या घर होता है उसका और पांच साल बाद देखो, उसके बच्चे मर्सिडीज में घूमते हैं, विदेश में पढते हैं। क्या कभी सरकार ने पूछा कि इतना पैसा कहां से आ गया? फार्म हाउस हैं बड़े-बड़े, बड़े-बड़े मंत्री जाते हैं, जाकर फार्म हाउस पर पार्टी करके आ जाते हैं। कभी पूछा है किसी ने कि यह कहां से लिया? लेकिन कोई नहीं पूछा जाता। इसलिए मैं आशा रखता हूं कि किसान के ऊपर स्थिल में उसकी दशा सुधारने के बारे में कोई निर्णय होगा। धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: देखिए, अब बीस माननीय सदस्य और बचे हैं बोलने वाले, समय काफी कम है तो मैं दस-दस मिनट जिनके हैं उनको मैं आपकी इजाजत से आठ-आठ मिनट करता हूं। ठीक है? (व्यवधान) थैंक यू। (व्यवधान) नहीं बंद तो नहीं करेंगे। आप बोलिए, कितने मिनट करना है? आठ-आठ मिनट। छह मिनट में मेरी घंटी बजेगी, दो मिनट में आपको समाप्त करना है, इट इज फोर आल।

श्री कालूराम।

श्री कालूराम (डग): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 46 और मांग संख्या 47 पर आपने बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अभी विगत दिन 7 मार्च को मेरे विधान सभा क्षेत्र में ओलावृष्टि व बेमौसम बारिश हुई है, उसके कारण किसानों की सम्पूर्ण फसलें, गेहूं की फसल गिर गई है, धनिये की फसल बिलकुल खराब हो चुकी है, अफीम की फसल मेरे क्षेत्र में होती है, अफीम की फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है, चने की फसल नष्ट हो चुकी है, सारी फसलें नष्ट हो चुकी हैं।

मैं आपसे मांग करता हूं कि उनकी गिरदावरी करवाई जाए। आपके अधिकारी मौके पर नहीं जाते हैं, गिरदावरी नहीं करते हैं, उनकी गिरदावरी कराकर जो नुकसान हुआ है उन किसानों को उस फसल का मुआवजा दिलाया जाए, इसके साथ-साथ बीमा क्लेम भी दिलाया जाए। बीमा कम्पनी के जो कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि आप टोल फ्री नम्बर पर फोन करो। हमारे पास 72 घंटे हैं, 72 घंटे में जिसका भी टोल फ्री नम्बर पर फोन जाएगा, उसको ही हम बीमा देंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि टोल फ्री नम्बर पर फोन नहीं लगता है। मैंने खुद ने ट्राई की। किसान एप पर जो आप फार्म भरने की कहते हो, किसान इतना जागरूक नहीं है कि वह उस पर अपना फार्म अपलोड करवा सके, इस प्रक्रिया को सरल किया जाए और जो ऑफलाइन फार्म भरने की प्रक्रिया थी, वो प्रक्रिया फिर से अपनाई जाए ताकि किसान अपना ऑफलाइन फार्म तहसील में दे सके या पटवारी को दे सके, अपना फार्म कृषि विभाग में दे सके। किसान ऑनलाइन फार्म नहीं भर सकता है। विगत वर्ष 2022 में हमारे जो फसल खराबा हुआ था सोयाबीन का, उसमें मात्र 20 या 25 प्रतिशत किसानों का ही बीमा क्लेम हो सका। उनको मात्र 72 घंटे ही मिले और उन 72 घंटों में किसान अपना कोई फार्म नहीं भर पाया। जब सरकार मुआवजा दे रही है, सरकार पूरी फसल का मुआवजा देना चाहती है तो बीमा कम्पनी क्यों नहीं बीमा क्लेम देती है?

अभी माननीय सदस्य बता रहे थे कि बीमा कम्पनी बीमा क्लेम राशि नहीं देती है, तो वास्तव में बीमा कम्पनी अपना पल्ला झाड़कर टालना चाहती है। वो किसानों को बीमा नहीं देना चाहती है। बीमा कम्पनी चाहती है कि किसानों को बीमा राशि नहीं मिले। आज तो आपने एक और नया नियम निकाल

(श्री कालूराम)

दिया कि जो बीमा मिलेगा, उस किसान को मुआवजे में से बीमा की वो राशि कम करके दी जाएगी। आज मेरा इसी पर प्रश्न था, माननीय आपदा प्रबंधन मंत्रीजी ने जवाब दिया। बीमा अलग है, क्योंकि बीमा का पैसा सरकारें जमा करती हैं, राज्य सरकार जमा करती है, केन्द्र सरकार जमा करती है और किसान के खाते से कटता है। मैं मांग करता हूं कि किसान को बीमा का पूरा पैसा मिलना चाहिये। जो पैसा किसान का बीमा का बनता है, वह उसका अधिकार है, क्योंकि वह बीमा करवाता है। कई बार फसल खराब हो जाती है, कई बार फसल खराब नहीं होती है। बीमा कम्पनियों को करोड़ का फायदा होता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि बीमा कम्पनी को किसानों को पूरा बीमा देना चाहिये और जो फसल खराब होने पर मुआवजा बनता है, वह देना चाहिये। एक ओर हम पूरी तहसील को यूनिट मानते हैं, एक पटवार हलके में ओलावृष्टि हो गयी, उसे बीमा क्लेम के लिए फार्म भरने के लिए कहा जाता है, बाकी उसे मुआवजा नहीं मिलता है। उस पटवार हलके को यूनिट बनाया जाये, ताकि एक पटवार हलका यूनिट बनेगा तो उस हलके में अगर नुकसान हो तो उस किसान को मुआवजा मिल सके। मुआवजे के लिए भी वही प्रक्रिया होनी चाहिये, जिस प्रकार से हम पूरी तहसील को आधार मानकर करेंगे तो मान लें पूरी तहसील में नुकसान नहीं हुआ, आपदा नहीं हुई तो उस किसान को जो नुकसान हुआ उसे भी फसल का मुआवजा नहीं मिल सकेगा। अतः मैं मांग करता हूं कि उस एक पटवार हलके को यूनिट बनाकर किसान को मुआवजा दिलाया जाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे मांग करता हूं, कृषि मंत्री जी विराजमान हैं, कृषि उपज मण्डी में चार साल से कोई सड़क अभी तक नहीं बनी। हमारी पिछली सरकार में हर क्षेत्र में सड़कें बनी थीं, किसान पथ बनाये गये थे। कृषि उपज मण्डियों में फंड पड़ा हुआ है। बाकी अभी तक कई सड़कें नहीं बनीं। माननीय मंत्री महोदय, कृषि विपणन बोर्ड के मंत्री से कहकर जो फंड पड़ा है, हम देखते हैं कि आधा-आधा, एक-एक किलोमीटर के लिए किसान अपनी फसल मण्डी में नहीं ले जा सकता है, कई जगह ऐसी हैं जहां 250-300 की आबादी है, वे लोग वोटिंग तक नहीं करते हैं, वे कहते हैं हम वोट नहीं डालेंगे क्योंकि हमारी सड़क नहीं बनेगी, ये छोटी-छोटी एक-एक, दो-दो किलोमीटर की सड़कें बनायी जाएं ताकि वहां के किसानों को, लोगों को इसका फायदा मिल सके।

(श्री कालूराम)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे मांग करता हूं कि डेयरी विभाग में जो डेयरियां चल रही हैं उन्हें बढ़ावा देना चाहिये, पशुपालन को बढ़ावा देना चाहिये। डेयरी में जो बीएमसी मशीनें मिलती हैं, उन्हें चेयरमैन अपने चहेतों को दे देते हैं, वे पशुपालकों को मिलनी चाहिये। उसका भी आपको देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से हमें डेयरी पर भी ध्यान देना है।

एक पशु बीमा। माननीय मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चार साल से पशुओं का बीमा नहीं हुआ। (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी) हमारे क्षेत्र का किसान पशुओं पर ही आधारित है। अभी-अभी आपने बीमा चालू किया है तो, माननीय मंत्री महोदय, यह बीमा निरन्तर होना चाहिये और जिस प्रकार से लम्पी में आपने कहा था कि हम 40 हजार रुपये देंगे तो किस आधार से आप बीमा देंगे? जिन किसानों के लम्पी वायरस से पशु मरे हैं, उन्हें उसका पैसा मिलना चाहिये।

जिस प्रकार से लाइटों की स्थिति है, क्षेत्र में 6-6, 7-7 घण्टे लाइटें जाती हैं, रात को जब किसान घर जाता है खाना बनाने के लिए तो लाइटें बन्द हो जाती हैं जब खेत में जाता है तो लाइट नहीं मिलती है। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि एक सुदृढ़ सोलर सिस्टम दिया जाये। सोलर सिस्टम पर जो सब्सिडी है, उसे भी बढ़ाएं। सोलर सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा किसानों को दें ताकि बिजली की खपत भी कम हो। आये दिन कहने में आता है कि कोयला नहीं है। लोड शैडिंग के नाम से लाइट कटती है। किसान अपने खेत में बैठा रहता है। किसान को मात्र चार महीने के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है। उद्योगों को आप लाइट देते हैं और किसान को लाइट नहीं मिलती है। माननीय सभापति महोदय, किसान को सोलर के माध्यम से लाइट दी जाये।

जिस प्रकार से आपने राजस्थान में ग्रीन हाउस दिया है, उसकी संख्या बढ़ायी जाये ताकि ग्रीन हाउस या पॉली हाउस में किसान कम क्षेत्र में अच्छी पैदावार कर सके। जिस प्रकार से ग्रीन हाउस में किसान सब्जी की खेती करता है, उससे अच्छा उत्पादन होता है। आपसे निवेदन है कि ग्रीन हाउस की संख्या बढ़ाएं ताकि किसानों को फायदा हो सके।

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय सदस्य। Thank You very much.

श्री कालूराम (डग): जिस प्रकार से आपने नन्दीशालाओं की घोषणा की थी, वे नहीं खुली हैं। आवारा पशुओं के कारण कितनी फसलें नष्ट हो चुकी हैं। पशुधन सहायक के पद रिक्त पड़े हैं, उन्हें भरने के लिए प्रत्येक पंचायत में उप-केन्द्र खोले जाएं। पंचायत समिति स्तर पर एक कृषि अधिकारी का पद सृजित किया जाये। मुझे ज्ञापन मिला है पूरे राजस्थान से कि हर विभाग में बड़े अधिकारी बैठते हैं, आपके पशु अधिकारी नहीं हैं। माननीय मंत्री महोदय, आप सबकी सुनते हैं, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आप टेलीफोन पर काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है, बाकी आप थोड़ा इन चीजों को नोट करें, काम कराएं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री आलोक बेनीवाल।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 46 - कृषि और मांग संख्या 47 - पशुपालन एवं मत्स्य पालन पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका आभार। खुशहाल किसान, समृद्ध राजस्थान! आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर काफी लम्बे समय से चर्चा चल रही है। निश्चित रूप से यह देश कृषि प्रधान देश है। राजस्थान बहुत बड़ा भू-भाग है, सबसे बड़ा प्रदेश है देश का भू-भाग के हिसाब से, यहां की स्थितियां अलग हैं।

किसान की जो स्थिति है, आजादी से लेकर आज तक, हम भी किसान परिवार से ही आते हैं। सबसे पहले मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय मंत्री जी का आभार प्रकट करूंगा कि प्रदेश में पहली बार कृषि बजट देने का उन्होंने फैसला किया। इसके लिए उनका बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद। कृषि और किसान के सम्बन्ध में बहुत गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। किसान की कर्ज माफी की भी बात की गयी। खाद, बीज और पानी की भी बात की गयी। फसल की कीमत की भी बात की गयी। ये सारी स्थितियां हमारे सामने हैं।

हम जब किसान की बात करते हैं, एक मुद्दा यहां पर आया ईआरसीपी का। मैं समझता हूं, जो विपक्ष के साथी किसान के लिए बोल रहे हैं तो कम से कम उस बात के लिए तो फैसला कर लेते कि इसे बनाना है, इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराना है, वह भी किसान से ही जुड़ा हुआ मुद्दा है लेकिन उसके बारे में कोई नहीं कहेगा। उसमें दो लाख हैक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी और 13 जिलों को पीने का पानी मिलेगा, लेकिन यहां पर उसकी चर्चा कोई नहीं करेगा।

(श्री आलोक बेनीवाल)

किसान की बात तो बहुत बड़ी-बड़ी करेंगे, लेकिन किसान की जो हालत है, गांवों में जाकर पूछिये। किसान को अगर कहें खेती, ''ई खेती टोटा को काम छ भाई''! खेती नहीं करनी। टोटे का काम है, लेकिन मजबूरी है, करनी पड़ती है। यह है किसान की हालत। यह सब जानते हैं जो जीतकर आये हैं, हम भी जीतकर आये हैं किसान के वोटों से। किसान की हालत पर सबको बैठकर विचार करना पड़ेगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा।

आज बार-बार कर्जा माफी की बात होती है, इसके धरातल में जाइये कि यह क्यों होता है बार-बार। किसान क्यों बार-बार कर्जदार बनता है? क्यों उसकी जमीन नीलाम हो रही है? इस बारे में हमें विचार करना होगा, तब जाकर किसान इस कर्जे से मुक्ति पायेगा। सरकारें आती हैं, कर देती हैं। पिछली सरकार ने कर्ज माफी की। काम अधूरा छोड़कर चले गये। दो हजार करोड़ का कर्जा माफ करने की घोषणा की, बाकी हमारी सरकार ने, माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत साहब ने किया। बार-बार कहते हैं, आपने कर्जा माफ नहीं किया। सब चीजों का पता है, लेकिन किसान का दर्द एक ही है कि उसे अगर फसल का अच्छा दाम मिले, खेती से कमाई हो उसकी, वह आपसे कभी कर्जा माफ करने के लिए नहीं कहेगा। चुकाने की कैपेसिटी उसके अन्दर पैदा करिये। माननीय सभापति महोदय, वह खेती से कमाये और उस कर्जे को चुकाये। वह आपके पास कभी भी हाथ फैलाने नहीं आयेगा। बात इतनी-सी नहीं है।

आज किसान की स्थिति क्या है? पानी नहीं है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में हालत इतनी खराब है, हमारे यहां 60 से 70 परसेंट एरिया ऐसा है, जिसमें पानी खतम हो चुका। सिर्फ बरसात के भरोसे, ऊपर वाले भगवान के भरोसे खेती का काम होता है। माननीय सभापति महोदय, किसान की हालत देखिये, उसकी जमीन को देखिये कि उस जमीन में जहां मक्का पैदा होता था, वहां पर आज खेती तक नहीं होती है। माननीय सभापति महोदय, ऐसे-ऐसे क्षेत्र हैं जहां किसी जमाने में पानी था तो वहां क्या-क्या खेती होती थी और वहां से खाद्यान्न कहां-कहां जाता था पर आज वहां स्थिति यह है कि वहां कुछ भी पैदा नहीं होता और जमीन खाली पड़ी है। वहां पर किसानों ने भट्टे लगा लिए, क्यों लगा लिए? किसान के बेटे ने ट्रकों का काम क्यों कर लिया? किसान लोग ट्रांसपोर्ट लाइन में क्यों घुस गये, किसान को क्या जरूरत पड़ी थी? अगर यह खेती फायदेमन्द होती तो आज वह यह धंधा करने नहीं जाता। अगर खेती से कमाई होती तो वह दूसरी तरफ अपना ध्यान नहीं लगाता। आज जो हमारा

(श्री आलोक बेनीवाल)

गांवों की तरफ से शहरों की तरफ पलायन है, उसका भी सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारी खेती नुकसान का सौदा हो गई। अगर यह खेती फायदे का सौदा होती तो मेरी गारंटी है कि शहर की तरफ यह पलायन आज इतना ज्यादा नहीं होता जितना हमारे को देखने को मिल रहा है।

मैं आप सबसे विनती करूंगा कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और हमारे मुख्य मंत्री जी ने हमारे किसानों को काफी सम्बल दिया है। 2 हजार यूनिट बिजली फ्री की है और यह जो 100 यूनिट प्रतिमाह बिजली फ्री की है, इसमें भी किसान को फायदा हो रहा है कि किसान का जो खेत में मकान बना हुआ है उसमें भी उसको फायदा हो रहा है। यह छोटा काम नहीं है। सरकार सब्सिडी दे रही है और हर चीज में राज्य सरकार मदद कर रही है। केन्द्र सरकार भी कहीं कर रही होगी पर मैं केन्द्र सरकार से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जब मनमोहन सिंह साहब प्रधान मंत्री थे तब हजारों करोड़ रुपये का किसान का कर्जा माफ किया, तो फिर इतना-सा कर्जा माफ करने में आपको कहां जोर आ रहा है? आपको बोलने में ही दिक्कत आ रही है कि राजस्थान के किसानों का जो कर्जा है उसको माफ कर दें। उस सरकार ने भी तो सोचा होगा। यह भूमि अधिग्रहण कानून क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया कि किसान की जमीन कौड़ियों के भाव नहीं बिके और जब भी वह जमीन एक्वायर होती है तो उसको उसके अच्छे दाम मिलें और यह मनमोहन सिंह जी और यूपीए की सरकार का दृष्टिकोण था। आज के जमाने में जब हाईवे निकल रहे हैं उसमें, माननीय सभापति महोदय, अगर वह अध्यादेश लागू नहीं होता तो आज किसान की जमीन कौड़ियों के भाव बिकती, इसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, पर इसकी चर्चा कोई नहीं करता।

माननीय सभापति महोदय, सबसे बड़ी एक ही चीज है कि किसान की खेती को आप प्रोफिटेबल बनाइये। उसका उत्पादन ऐसा हो, उसको दाम ऐसे मिले जिसमें उसको कमाई नजर आये।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे इलाके की दो बातें कहना चाहूंगा, मैं माननीय मंत्री जी से काफी बार रिक्वैस्ट भी कर चुका हूं कि मेरे यहां पर सहायक कृषि अधिकारी (उद्यान) के पद की इस बजट में घोषणा करा सकें तो मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करूंगा। वैसे मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से भी और मंत्री महोदय से भी मांग की है कि मेरे यहां खेजरोली में कन्या महाविद्यालय खोलें और अगर वह नहीं होता है तो कम से कम एक कृषि

(श्री आलोक बेनीवाल)

महाविद्यालय हमारे यहां खुलवायें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री गोविन्द प्रसाद।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 46 व 47 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहां की 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। किसान को अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन आज इस प्राकृतिक प्रकोप के कारण किसान खून के आंसू रो रहा है। आज किसान को अपनी आमदनी भी पूरी नहीं हो पाती है क्योंकि कृषि एक मानसूनी जुआ है। आज आवश्यकता इस बात की है कि इस देश के अन्नदाता किसानों को राज्य सरकार कृषि सम्बन्धी उपकरण एवं खाद-बीज सहकारी समितियों के माध्यम से उपलब्ध कराये लेकिन आज की वास्तविकता दूसरी ही है। अधिकारी अपने आफिस में बैठकर खानापूर्ति कर लेते हैं और किसान चक्कर काट-काट कर थक जाता है, उसका कोई धणी-धोरी नहीं है। जब किसान के साथ अन्याय होता है तो आप और हम कभी सुरक्षित नहीं रह सकते, लेकिन देश का अन्नदाता अगर सुखी रहेगा तो यह भारत देश विश्व गुरु की ओर अग्रसर होगा। आज आवश्यकता है किसान को समय पर बिजली और पानी की, आज आवश्यकता है किसान को उसकी उपज का सही मूल्य दिलाने की। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि आज सरसों का समर्थन मूल्य हो या गेहूं का समर्थन मूल्य हो, तो इनका समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए, इन पर किसान को बोनस दिया जाए तभी किसान की माली हालत अच्छी होगी।

मैं माननीय मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि मनोहर थाना और अकलेरा में लहसुन की पैदावार ज्यादा होती है और लहसुन को लेकर किसान 100-125 किलोमीटर छबड़ा-छीपाबड़ौद की मण्डी में बेचने जाता है तो, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मनोहर थाना, अकलेरा में लहसुन की मण्डी खोली जाए।

दूसरी बात, मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि हमारा 2021-22 का मुआवजा अभी तक कई किसानों को नहीं मिला है। मार्च में लगातार चार दिन की बरसात के कारण, ओले गिरने के कारण, अतिवृष्टि से सभी फसलें नष्ट हो चुकी हैं इसलिए उनका मुआवजा भी जल्द से जल्द दिलाया जाए और बीमा क्लेम भी दिलाया जाए।

(श्री गोविन्द प्रसाद)

आज हमें आवश्यकता है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कृषि पर्यवेक्षकों के पद खाली चल रहे हैं, उनको भरा जाए तथा ग्राम पंचायत स्तर पर कृषि पर्यवेक्षक के कार्यालय खोले जाएं ताकि कृषि के क्षेत्र में जो भी विपदा किसान को आती है उसका तुरन्त प्रभाव से हल हो। कृषि अनुदान व बीमा योजना की राशि समय पर देने की और प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कृषि पर्यवेक्षक कार्यालय व किसान भवन बनाने की मांग करता हूं।

उन्नत खेती के प्रोत्साहन हेतु किसानों को आधुनिक तकनीकी शोध एवं संसाधनों के उपयोग हेतु प्रशिक्षित करने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करना चाहिए। उप खण्ड मुख्यालयों पर मिट्टी-पानी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करें। कृषि कार्य करते समय किसान की या तो बिजली के करंट से चिपककर मृत्यु हो जाती है या जहरीले कीड़े काटने के कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस किसान को तुरन्त प्रभाव से बीमा क्लेम, मुआवजा दिया जाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो-दो, तीन-तीन साल होने को जा रहे हैं और कई प्रकरण पैंडिंग हैं जिनको तुरन्त प्रभाव से राहत दी जाए ताकि किसान को उसका उचित लाभ मिल सके।

दूसरी बात, आज जो एक मांग पशुपालन की है उसमें मैं कहना चाह रहा हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 65 ग्राम पंचायतें हैं और पशु चिकित्सा संस्था 44 हैं, तो जो बाकी ग्राम पंचायतें हैं उनमें भी पशु चिकित्सा संस्था खोली जाए। दूसरी बात, कुल मिलाकर मेरे विधान सभा क्षेत्र में 95 पद हैं जिनमें से 49 पद रिक्त हैं इसलिए इनको भी तुरन्त प्रभाव से भरा जाए। जो पशु चिकित्सा संस्थान भवन विहीन हैं उनमें भवन बनाए जाएं और विधान सभा क्षेत्र के पशुपालकों को बेहतर पशुधन प्रबन्धन करने एवं उनकी आय में वृद्धि हेतु पशुपालक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जाए। ये मेरी मुख्य मांगें हैं जिनके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं।

जो मत्स्य विभाग है उसके लिए भी कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई बांध बने हुए हैं तथा तालाब भी हैं जिनमें योजनाबद्ध रूप से मत्स्य पालन किया जा सकता है जिससे काफी लोगों को रोजगार भी मिल सकता है, परन्तु प्रसंस्करण उद्योगों के अभाव में इन योजनाओं की सफल

(समय: 18.00 बजे)

क्रियान्वति होने में सन्देह है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि झालावाड़ में इस प्रकार के उद्योग स्थापित किये जायें, जिससे मछली

(श्री गोविन्द प्रसाद)

पालन करने वाले लोगों को रोजगार मिले एवं आगे बढ़ने का अवसर मिले। मैं इतना ही कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जय हिन्द, जय भारत, धन्यवाद साहब।

श्री सभापति: श्री गोपाल लाल मीना।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 46 एवं 47, कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग पर विचार रखने के लिए मुझे बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं।

कृषि का शानदार बजट, आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश के किसानों को शानदार सौगातें दी हैं। किसानों को उठाने के लिए, किसानों के कल्याण के लिए, किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए, किसान की खुशहाली के लिए जो बजट पेश किया, उसकी मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आज देश में हो क्या रहा है? केन्द्र सरकार ने किसानों की आमदनी दुगुनी करने का वादा किया था, लेकिन उनकी नीयत शुरू से ही गलत थी। इन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल लाकर अपनी मंशा जाहिर कर दी थी। भूमि अधिग्रहण बिल देश के किसानों पर थोपने का काम केन्द्र सरकार ने किया, लेकिन हमारी पार्टी और आदरणीय राहुल गांधी जी ने इसका विरोध किया और फिर पूरे देश में आन्दोलन हुआ। इसी वजह से इन्हें भूमि अधिग्रहण बिल वापस लेना पड़ा।

किसानों के ऊपर कुठाराघात करते हुए तीन काले कानून लेकर आये और तीन काले कानून किसानों के ऊपर थोपने का काम कर ही दिया था, लेकिन किसानों ने जमकर और डटकर विरोध किया, बहुत सारे किसान शहीद हुए। उसके बाद भी जब इनकी पार नहीं पड़ी तो बिल को वापस लेने की इन्होंने बात कही।

यदि हकीकत में किसानों की आय दुगुनी करना चाहते हैं, किसानों को बढ़ावा देना चाहते हैं तो हमारी सरकार ने किसानों के 72 हजार करोड़ रुपये माफ किये थे। 2013 से अब तक केन्द्र सरकार किसानों के बारे में कोई बात नहीं करती, न उनके कर्ज माफी की बात करती है। किसानों के लिए समय-समय पर कोई न कोई कानून लेकर आते हैं, कभी अधिग्रहण बिल लेकर आते हैं, कभी और कुछ लेकर आते हैं, किसान डरे हुए हैं। किसानों को पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहते थे, लेकिन यह देश किसानों का है, इस देश के किसान मजबूत हैं। आज से ही नहीं, आजादी से पहले भी किसानों ने मजबूती से

(श्री गोपाल लाल मीना)

आन्दोलन किये हैं। देश की आजादी के बाद भी किसानों ने मजबूती से आन्दोलन किया है। चाहे कोई सरकार हो, चाहे अंग्रेज सरकार हो, सबने घुटने टेकने का काम किया है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा राज्य है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3 लाख 42 हजार हेक्टेयर है। राज्य का मुख्य व्यवसाय भी कृषि है। खेती मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर करती है। खेती वर्षा पर निर्भर करती है तो हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी कई बार ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का वादा लेकर जनता के बीच में गये थे, लेकिन आज तक उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया। हमारी सरकार ने और आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने पिछले बजट में ईआरसीपी के लिए 10 हजार करोड़ रुपये और इस बजट में 13 हजार करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। इससे जाहिर होता है कि जिनकी मंशा है, जिन्होंने किसानों का कर्ज माफ किया, किसानों को पानी देने की बात रखी। आज हमारे इस राज्य में बरसात से खेती होती है, बरसात पर निर्भर है। पूर्वी राजस्थान में किसानों के लिए ईआरसीपी योजना बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, पूरा क्षेत्र हरा-भरा होगा।

मेरे क्षेत्र में जमवारामगढ़ बांध है, वह भी ईआरसीपी से जुड़ा हआ है। इसमें पहले पानी आया करता था, फुल रहता था। यहां एशियाई गेम भी हुए हैं। उस समय हमारा क्षेत्र हरा-भरा था। आंधी क्षेत्र को गंगानगर के नाम से जाना जाता था। वहां अच्छी फसल होती थी, लेकिन आज पानी के बगैर सब किसान बेरोजगार हो गये हैं, घर बैठे हैं।

मुझे बहुत सारी बातें बतानी थीं, लेकिन मैं मेरे क्षेत्र की बात कर लेता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में चाहे कृषि में हो, चाहे पशुपालन में हो, कृषि मंत्री जी ने और मुख्य मंत्री जी ने काफी कुछ दिया है। फिर भी, मैं मेरे क्षेत्र की कुछ मांगें हैं। मेरे क्षेत्र में गौण मण्डी खोली जानी चाहिए। इसके अलावा यहां कृषि महाविद्यालय होना चाहिए, क्योंकि मेरे क्षेत्र में कृषि के जो विद्यालय हैं, उनमें पढ़ने के बाद छात्रों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है। इसलिए कृषि महाविद्यालय होना अति आवश्यक है। पशुपालन, उप स्वास्थ्य केन्द्र और कृषि किसान केन्द्र हर पंचायत स्तर पर खोले जाने चाहिए, जिससे किसानों को, पशुपालकों को भी फायदा होगा।

इस बार जो बजट दिया है, उसके लिए मुख्य मंत्री जी को मैं बहुत

(श्री गोपाल लाल मीना)

बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जो बजट दिया, यह किसानों की आय दुगुनी करने वाला है। केन्द्र सरकार असत्य वादे करके, उसने कभी किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, किसानों को कभी राहत नहीं दी और किसानों के ऊपर कानून थोपने का काम किया। किसानों के ऊपर भूमि अधिग्रहण का कानून थोपने का काम किया तो इन कानूनों को छोड़कर, अगर वे किसानों की सहायता करेंगे तो आने वाले समय में किसान आगे बढ़ सकेंगे।

मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकारों ने किसानों के हक में काम किया है। किसानों के कर्ज माफ किये हैं। किसानों के लिए काले कानून लेकर आने का काम नहीं किया है। मैं यही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी सदैव किसानों के हक में काम करती है। मुख्य मंत्री जी ने किसानों के हक में काम किया और भारतीय जनता पार्टी और केन्द्र सरकार किसानों की विरोधी है। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री नरेन्द्र नागर।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 46 और 47 पर चर्चा में भाग लेते हुए प्रमुख मांग कृषि की है। वर्तमान में हर किसान मुनाफा चाहता है और मुनाफे के लिए वह ज्यादा से ज्यादा रासायनिक खाद, कीटनाशक का उपयोग करता है, उससे जमीन धीरे-धीरे बंजर हो रही है, उसकी उर्वरा शक्ति कमजोर होती जा रही है। उसको बचाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि खाद्यान्न के रूप में हम उपयोग करते हैं।

आज पूरे देश में किस प्रकार की स्थिति है, कैंसर व बहुत सारे रोग भयानक स्थिति में पहुंच चुके हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि किसान तीन साल, चार साल, पांच साल तक जैविक खेती करना शुरू करता है तो उसकी पैदावार चार-पांच साल बाद बराबर की स्थिति में होती है, चार-पांच साल तक किसान को घाटा लगता है। उसकी पूर्ति किसान की यदि सरकार करे तब जाकर वह किसान जैविक खेती कर सकता है, तो इस पर विशेष ध्यान देना चाहिये। समय पर खाद मिले क्योंकि चाहे केन्द्र सरकार से खाद आता है चाहे हम डिमाण्ड भेजते हैं, पर समय पर खाद मिले ताकि समय पर वह बुआई कर सके और समय पर बुआई होती है उसका बहुत बड़ा अन्तर फसल की कटाई के समय यील्ड में बहुत बड़ा अन्तर पड़ता है, इस पर विशेष ध्यान सरकार की तरफ से रहे।

(श्री नरेन्द्र नागर)

सभापति महोदय, सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं कि पहली सरकार ने बिजली की हजार यूनिट तक माफ की थी, आपने दो हजार यूनिट फिर माफ करके उसको बढ़ाया। मैं मानता हूं कि हो सकता है छोटे किसानों के बिजली का बिल भी नहीं आयेगा पर आवश्यकता है बिजली मिले क्योंकि बिजली मिलती नहीं है। जब किसान को तीन से चार महीने आवश्यकता होती है उस समय पर बिजली मिल नहीं पाती है। यह तो पिछले दो-तीन साल से उस समय बरसात हो जाती है, मावठ पड़ जाती है उस वजह से हमें थोड़ी कम दिक्कत होती है नहीं तो समय पर बिजली नहीं मिल पाती है और कोई भी फसल समय पर बिजली नहीं मिलने की वजह से कितना नुकसान उसको होता है, मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं क्योंकि गेहूं में यदि आप बीस दिन में उसको पानी नहीं पिलाओगे, यदि उसमें पहला पानी चालीस दिन में पिलाओगे तो उसमें एक से दो क्विंटल का बड़ा नुकसान होता है। समय पर बिजली मिले, इस पर विशेष रूप से सरकार को ध्यान देना चाहिये।

सभापति महोदय, साथ ही, बीज निगम के माध्यम से किसान बीज खरीदता है, बीज निगम पर भी अपना कंट्रोल रहे। बहुत-सी जगह शिकायतें आती हैं बीज निगम से व्यापारी जुड़ गये और वो व्यापारी बीज लेकर दूसरे काश्तकारों की नकल लगा कर और बीज तैयार करके मुनाफा कमा रहे हैं। मुनाफा किसानों को मिले इस पर विशेष ध्यान सरकार को विशेष रूप से रखना चाहिये।

सभापति महोदय, एमएसपी पर किसान का माल बिके, समय से पहले उसकी तैयारी हो। वर्तमान स्थिति यह है कि अभी सरसों और चने जो रबी की फसल है वह तैयार होकर आ गयी और वर्तमान में 4,600-4,700 सरसों बिक रही है, 4,400-4,500 चने बिक रहे हैं और अभी तक कोई अता-पता नहीं है कि एमएसपी के कांटे कब लगेंगे, कहां लगेंगे। इसकी पहले से तैयारी हो, यदि हम किसान को लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो। यदि हम केवल वाहवाही लूटना, केवल पूर्ति करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, व्यापारियों के हाथ में चला जायेगा माल फिर व्यापारी किसानों की नकल लेकर बेचते रहेंगे तो यदि हम सही मायने में किसानों का भला चाहते हैं तो पूर्व में तैयारी रहे। बहुत किसान ऐसे होते हैं वो घर पर माल नहीं ला सकते हैं, उनको सीधा माल खेत से तैयार करके उसको या तो एमएसपी पर या उसको बाजार में बेचना ही पड़ता है। उसी समय कांटे लगें, ऐसी व्यवस्था सरकार करे।

(श्री नरेन्द्र नागर)

सभापति महोदय, विशेष रूप से आजकल वन क्षेत्र बहुत बढ़ गया क्योंकि जगह-जगह जहां डैम बने, डैम बनने के बाद आस-पास की वन भूमि में उसकी चरागाह जमीन दे दी तो उसकी वजह से किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है, तो तारबन्दी में सरकार की तरफ से इस साल भी बढ़ाया है, और इसमें किसानों को तारबन्दी के लिए और सब्सिडी दी जाये ताकि वह अपनी फसल सुरक्षित रख कर फसल तैयार कर सके। विशेष रूप से सरकार को ध्यान देना चाहिये। फसल खराबा होने के बाद बहुत दिनों तक, अब फसल खराबा हुआ था, मंत्री महोदय, खरीफ में और अभी रबी की फसल का फिर खराबा हो गया, खरीफ की फसल तक का मुआवजा भी अभी तक किसानों के खाते में नहीं आया जबकि इन कम्पनियों को तुरन्त उसके खाते में डालना चाहिये जब आपने तय कर दिया। अब रबी के लिए किसान मुआवजे की मांग करने लगे हैं पर अभी तक क्योंकि यह कम्पनियां बचना चाहती हैं। इन कम्पनियों पर भी जब तक प्रेशर नहीं होता है, तब तक ये किसानों का कुछ भला नहीं कर सकते। हम किसान के माध्यम से, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के माध्यम से इनको इतना प्रीमियम देते हैं, जितना प्रीमियम हम देते हैं उतना प्रीमियम यदि हर साल किसान के खाते में डल जाये, उससे भी किसान खुश रह सकता है, इतना प्रीमियम हम सरकार की तरफ से देते हैं और जबकि ये कम्पनियां कितनी मालामाल हैं। मैं तो कह रहा हूं कि राज्य सरकार को, केन्द्र सरकार को कम्पनी खोल कर यह काम करना चाहिये, ये कम्पनियां मालामाल होंगी।

सभापति महोदय, साथ ही, मैं कहना चाहता हूं कि यदि हम असली हितैषी हैं किसानों के तो हमें किसानों के लागत मूल्यों के आधार पर उसकी एमएसपी तय करनी चाहिये और उसको सुनिश्चित करना चाहिये कि यह माल हमें खरीदना ही खरीदना है। मैं चाहता हूं कि किसानों को कर्ज माफ करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिये चाहे वह केन्द्र हो या राज्य हो, बार-बार कर्ज माफ करने की बजाय किसानों को सम्पन्न करने की आवश्यकता है। किसानों को ऐसी स्थिति करने की आवश्यकता है जो अन्नदाता है, जो जीडीपी आज किसानों पर निर्भर है, उनको हमें सबको मिलकर इस लायक बनाना चाहिये कि उनका कर्ज माफ नहीं हो, उनकी लागत के आधार पर उनका मूल्य तय हो और उनकी हर फसल सरकार खरीदे। यह तय हो ताकि किसान को झोली फैलाने की आवश्यकता नहीं हो, किसानों को गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं हो, हम किसान के नाम से आज आते हैं।

(श्री नरेन्द्र नागर)

सभापति महोदय, मैं खुद किसान हूं और साथ ही सबसे निवेदन कर रहा हूं, मंत्री महोदय, आज पूरे देश की जो स्थिति है, मुख्य मंत्री जी ने यह चिरंजीवी योजना सब लागू कर दी, आज स्थिति क्या है, कितनी बीमारियां हो रही हैं, जैविक खेती पर लौटो और आवश्यकता है इसकी शुरुआत करने की। मैं खुद भी किसान हूं और जैविक खेती के गेहूं खाता हूं वह जैविक करके खाता हूं, सब्जी खाता हूं वह जैविक ही खाता हूं। खुद को करने की आवश्यकता है पर मैं तो कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास जोत बड़ी है पर छोटी जोत वाला किसान दो से चार बीघा, क्योंकि जोत धीरे-धीरे कम हुई है, जो बड़ा किसान है धीरे-धीरे उसकी जोत कम हो गयी, छोटी जोत वाला, क्योंकि उसको बच्चों को पालना है, उनकी शादी करनी है, उसको मकान बनाना है इसलिये वह जैविक खेती नहीं कर सकता। पांच साल जैविक खेती करेगा तो उसको घाटे का सौदा होगा, इसलिये उसको प्रोत्साहन देने के लिए आगे बढ़ाना चाहिये। आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री अमित चाचाण।

श्री अमित चाचाण (नोहर): धन्यवाद, सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 46 व 47 कृषि, पशुपालन पर बोलने का अवसर दिया। आज का यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज देश का किसान एक अन्नदाता के रूप में जाना जाता है जो धरती मां का सीना चीर कर अन्न पैदा करता है और पूरे देश ही नहीं बल्कि विश्व का पेट भरने का काम करता है। हमारे कांग्रेस की जन कल्याणकारी सरकार, हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत और हमारे कृषि मंत्री लालचन्द जी कटारिया ने सदैव गरीब को गणेश और किसान को भगवान मान कर अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चलायी हैं। दूसरी तरफ, केन्द्र में बैठी वह तानाशाह सरकार, वह मोदी सरकार जो किसान विरोधी, नरेन्द्र मोदी के नारे लगते हैं, तानाशाह सरकार जो हम दो हमारे दो के रूप में काम कर रही है, जो अमृत काल लेकर आये उन्होंने उसको मित्र काल बनाने का काम किया और आज मैं इस सदन में उन सात सौ से अधिक किसानों को नमन करता हूं जिन्होंने काले कानून लाने के विरोध में अपनी शहादत दी।

माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में इन सवा चार सालों में किसानों को, मजदूरों को मजबूत करने के लिए, उनके हाथ मजबूत करने के लिए अनेकों-अनेक कार्य किये। मुख्य मंत्री जी ने पहल करते हुए किसानों का अलग से बजट पेश करते हुए 94 प्रतिशत बजट लगभग दुगुना

(श्री अमित चाचाण)

करने का काम हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने किया है। गरीब किसानों को मजबूती देने के लिए जहां पूर्व में हजार यूनिट तक बिजली नि:शुल्क करने का काम किया, इस बजट में मुख्य मंत्री जी ने उसको आगे बढ़ाते हुए 2 हजार यूनिट तक किसानों की बिजली की माफ करने का काम किया। एक लम्बे समय से जो कृषि कनेक्शनों पेंडेंसी चली आ रही थी, आठ-आठ, दस-दस सालों से किसानों को कृषि कनेक्शन नहीं मिले थे, मुख्य मंत्री जी ने फैसला करते हुए कि आगामी दो वर्षों में जितनी भी पूर्व में पेंडेंसी है, उसको पूरा करने का काम करेंगे, यह मुख्य मंत्री जी ने महत्वपूर्ण घोषणा की है।

सभापति महोदय, इसके अलावा मुख्य मंत्री जी ने कृषक कल्याण कोष बनाया। 21 लाख किसानों का कर्ज माफ करने का काम भी हमारी जन कल्याणकारी सरकार ने किया और दूसरी तरफ जो हमारे पशुपालक, दुग्ध पालक हैं उनको पांच रुपये सब्सिडी दूध में देने का काम मुख्य मंत्री जी द्वारा किया गया। इसके अलावा मुख्य मंत्री जी ने अपने पूर्व के कार्यकाल में जिस तरह से मनुष्यों के लिए नि:शुल्क दवा, जांच योजना चालू की थी, उसी तरह पशुओं के लिए भी नि:शुल्क दवा, जांच योजना लाकर भी मुख्य मंत्री जी ने क्रान्तिकारी पहल की। जो हमने लम्पी रोग देखा, जिस तरह से कोरोना वैश्विक महामारी में मुख्य मंत्री जी ने सभी दलों के व्यक्तियों से मिल कर मीटिंग्स करके उस कोरोना महामारी को खतम करने का काम किया, उसी तरह जो हमारी गोमाता को यह लम्पी रोग जैसी महामारी आयी थी उसमें भी मुख्य मंत्री जी ने, कृषि मंत्री जी ने पहल करते हुए सभी से वर्चुअल मीटिंग्स करते हुए इस रोग को खतम करने का बहुत प्रयास किया।

सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी और कृषि मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि पूर्व की भाजपा सरकार ने मात्र एक कृषि महाविद्यालय खोला था जबकि मुख्य मंत्री जी ने पहचान करते हुए कि हमारा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है, 42 कृषि महाविद्यालयों की सौगात पूरे राजस्थान में अलग-अलग जिलों में देने का काम किया। भाजपा व कांग्रेस के कामों की तुलना करें चाहे वह किसी भी क्षेत्र में ले लें, हम एक नहीं दो नहीं दस गुना अधिक पायेंगे कि कांग्रेस के शासन काल में सदैव गरीब, मजदूर, किसानों को आगे लाने का काम किया। वहीं भाजपा की सरकार ने चंद पूंजीपति घरानों को भरने का काम किया।

सभापति महोदय, आज एक कहावत चलती है, जब भी कोई सच की

(श्री अमित चाचाण)

बात आती है तो हम यह कहते हैं कि क्या तुम हरीशचन्द्र हो, तो आने वाले भविष्य में यह कहावत चल जायेगी कि जब भी असत्य की बात आयेगी तब यह कहा जायेगा कि क्या आप नरेन्द्र मोदी हो, क्योंकि नरेन्द्र मोदी जी सदैव असत्य की बात करते हैं। आमजन, किसानों के उज्ज्वल भविष्य को अंधकार में ले जाने की बात करते हैं।

सभापति महोदय, समय का अभाव है, मैं कुछ मेरे क्षेत्र की मांग को रखना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि मेरे नोहर क्षेत्र में पशु चिकित्सालय व पशु विज्ञान महाविद्यालय खोला जाये, उसकी वहां भूमि भी उपलब्ध है। इसके साथ ही पशु उप केन्द्रों में दुरजाना, भगवानसर, जोखासर, रामका, नगरासी, चेनपुरा, मालिया में पशु उप केन्द्र खोले जायें। कृषि मंत्री महोदय से मैं निवेदन करता हूं कि जो हम भवन निर्माण के कार्य करते हैं ये मार्केटिंग बोर्ड के द्वारा करवाये जाते हैं जिसमें बहुत ही घटिया निर्माण कार्य हो रहे हैं और मेरे विधान सभा क्षेत्र में तो बीस माह पूर्व जो शिलान्यास किये गये थे 16 उप केन्द्रों के, आज दिनांक तक पूर्ण नहीं हुआ है। मंत्री महोदय से मैं यह विशेष मांग करता हूं कि भवन निर्माण के कार्य जहां मार्केटिंग बोर्ड से करवाये जाते हैं, वहां या तो एजेंसी चेंज की जाये या उस पर कुछ ध्यान दिया जाये।

हमारे भादरा से आने वाले सदस्य ने भी कहा कि जिस तरह से पूरे राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के काश्तकार सबसे ज्यादा जागरूक हैं, फसल बीमा की पालिसी भी सबसे ज्यादा करवाते हैं, बीमा कंपनियों की लापरवाही की वजह से जो बीमा पालिसी निरस्त की गई हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी हजारों पालिसियां जो 2021 की खरीफ की थीं, 18 महीने बाद एक साथ उनको निरस्त कर दिया गया एवं जो भी वंचित फसल बीमा क्लेम है, उसको जल्द ही जारी करवाया जाये। फसल बीमा क्लेम सैटेलाइट की बजाय क्रोप कटिंग के द्वारा करवाया जाये।

इसके अलावा अभी पाला पड़ने से जो फसल खराबा हुआ है, माननीय मंत्री महोदय से मैं अनुरोध करता हूं कि उन काश्तकारों को जल्दी से जल्दी उचित मुआवजा दिलवाया जाये।

अभी जो सभी माननीय सदस्यों ने कहा चाहे वह तारबंदी की बात हो, चाहे डिग्गी की बात हो, चाहे पौंड की बात हो, जो लाटरी सिस्टम हमने कर रखा है, उस लाटरी सिस्टम को खतम करके पहले आओ, पहले पाओ की तर्ज पर करना चाहिये। तारबंदी में जो हम 400 मीटर का अनुदान दे रहे हैं, उसको

(श्री अमित चाचाण)

बढ़ाकर 600 मीटर करना चाहिये। पोल की दूरी जो 15 फीट है, उसको 20 फीट करना चाहिये और जो हम 7 लेयर कांटेदार की करते हैं, उसके बजाय अगर 5 करेंगे तो खर्च कम आयेगा और ज्यादा से ज्यादा किसान उससे लाभान्वित हो पायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, काश्तकारों के जो सिंचाई स्रोत हैं, डिग्गी, पौंड, ट्यूबवैल में पाइपलाइन का अनुदान हम 300 मीटर व 15 हजार रुपये दे रहे हैं, उसको भी बढ़ाकर 1000 मीटर और कम से कम 50 हजार रुपये का किया जाये, यह मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, हम बात करें गौ माताओं की, आज कांग्रेस शासन काल में मुख्य मंत्री जी ने गौशाला में अनुदान बढ़ाने का काम किया। 32 से 40 रुपये करने का काम किया, 16 से 20 रुपये करने का काम किया, 6 महीने से 9 महीने बढ़ाने का काम किया। नंदी शाला खोलने की घोषणा की और मेरे नोहर विधान सभा क्षेत्र में नंदी शाला खुल चुकी है। हनुमानगढ़ जिले में भी एक अन्य नंदी शाला का शुभारंभ हुआ है, इसके लिए हम मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं कि आप गौ माता की तरफ देखते हुए जो अनेकों अनेक कार्य कर रहे हैं, उसके लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री गोपाल लाल शर्मा।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 46 और मांग संख्या 47 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका आभार। हम बचपन से सुनते और पढ़ते आ रहे हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज गांव व किसानों की स्थिति क्या है, यह सब अपने सामने है। आज हम कृषि पर चर्चा कर रहे हैं, आज हम विचार करें कि क्या एक सामान्य किसान कृषि पर निर्भर रह कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है, यह विचारणीय प्रश्न है। एक सरकारी अफसर अपने बेटे को अफसर बनाना चाहता है, वैसे ही एक व्यापारी अपने बेटे को व्यापार में ले जाना चाहता है, परंतु एक कृषक अपने बेटे को कृषक बनाना चाहता है क्या? यह सोचने का विषय है।

किसान खेती करता है और खेती पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर है। प्रकृति में कभी तो अतिवृष्टि हो जाती है, कभी अनावृष्टि हो जाती है और

(श्री गोपाल लाल शर्मा)

किसान को फसल की लागत भी नहीं मिल पाती है। मैं माननीय मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि किसान की जो लागत आती है, उसमें कुछ मुनाफा मिलाकर किसान को दिया जाये तो हरेक किसान खेती करने लग जायेगा और आज जो लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, वह रुक जायेगा और गांवों में अच्छी पैदावार होगी। किसान को फसल का उचित मूल्य मिलेगा तो सब किसान गांवों में रहेंगे और अपना भरण पोषण आराम से करेंगे और सरकार को भी उनका कर्जा माफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

इस लोकतंत्र में गरीब किसानों को लुभावने, असत्य नारों एवं वादों से छला गया। कभी गरीबी हटाओ के नाम पर, तो कभी 10 दिन में कर्ज माफी के नाम पर। कांग्रेस के जन घोषणा पत्र के पृष्ठ संख्या 3 व 4 पर किसानों से संबंधित 27 बिन्दु शामिल किये गये। इसमें पहला बिन्दु था 10 दिनों में किसानों का कृषि ऋण माफ करना और साथ ही लिखा था कि वर्तमान भाजपा सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण राजस्थान के किसानों पर आये हुए आर्थिक संकट से राहत प्रदान करना। जब वसुन्धरा जी की सरकार थी तब किसानों का कर्जा माफ हुआ था। 2014 में जब केन्द्र में मोदी जी की सरकार बनी तो फसलों के नुकसान की एक साथ गिरदावरी कर पूरे राजस्थान में सबको एक साथ मुआवजा दिया गया था। अभी फरवरी और मार्च में अतिवृष्टि हुई और पाला पड़ा, लेकिन किसानों का कोई मुआवजा अभी तक पुख्ता नहीं किया गया है। फसलों की गिरदावरी कराई गई, गिरदावरी में 10 परसेंट, 15 परसेंट बताया गया, क्योंकि सरकार का निर्देश ही ऐसा था। पटवारी कहते थे कि हमें ऊपर से निर्देश ऐसा है। जब सरकार ही किसानों की हितैषी नहीं है तो उनको उनका मुआवजा कैसे मिलेगा? मेरे क्षेत्र में फसलें बिलकुल चौपट हो गईं। दो बार गिरदावरी करा दी, उसके बाद भी 15 से 18 परसेंट के आगे नहीं गई, उनको कैसे मुआवजा मिलेगा, यह एक सोचने का विषय है।

आपने अपने जन घोषणा पत्र में पशुपालन नीति बनाने, गौण मंडियों को पूर्ण विकसित करने, ट्रैक्टर सहित सभी कृषि यंत्रों को जीएसटी से मुक्त कराने व किसानों को बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और पंचायत समिति स्तर पर एक प्रोसेसिंग ट्रेनिंग सेंटर की घोषणा शामिल की थी, इनका क्या हुआ? मंत्री महोदय, जब आप उत्तर दो तो यह सब बताएं। आज पूरे राजस्थान में कर्जे के कारण आत्महत्याएं हो रही हैं, इनको रोकने के लिए सरकार प्रयास करे तो शायद यह रुक सकती हैं। किसान व कृषि राज करने

(श्री गोपाल लाल शर्मा)

वालों के लिए केवल भाषण और चर्चा का विषय बन गया है। कहने के लिए किसानों को धरती पुत्र व अन्नदाता की उपमा से अलंकृत किया जाता है, लेकिन हकीकत क्या है? सर्दी में रात को 10 बजे लाइट देते हैं या सुबह 4 बजे 6-6 घंटे की लाइट देते हैं। मैं कृषि मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि किसान रात को ठंड में कैसे पाणत करेगा, यह सोचने का विषय है।

75 साल होने के बावजूद सरकार किसानों को खाद, बीज व बिजली समय पर नहीं दे पा रही है और सामान्य किसान का जीवन स्तर उठा नहीं पा रही है, तो आज हम इस पर चर्चा करके क्या कर लेंगे? यहां पर केवल घोषणाएं होती हैं, भाषण होते हैं परंतु धरातल पर कुछ होता नहीं है।

पूरे राजस्थान में हर पंचायत में सरकार की तरफ से बीज आता है। वह बीज गरीब आदमी को बांटा जाता है। उस बीज की क्वालिटी क्या होती है, या तो वह बीज उगता ही नहीं है, उगता है तो उसकी पैदावार बिलकुल ही नहीं होती है। मैं 10 साल सरपंच रहा, मेरे 10 साल के कार्यकाल में एक बार भी अच्छा बीज नहीं आया और जिसने भी उस बीज को खेत में डाल दिया तो उसकी फसल की हकाई-चुकाई भी उससे नहीं आ सकती है, यह सोचने का विषय है।

मैं आज इस मौके पर देश के प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने किसान सम्मान निधि योजना लागू की। इससे 11 करोड़ किसानों को लाभ मिल रहा है। आज एक किसान का बेटा गांव से उठकर देश का प्रधान मंत्री है, उन्होंने किसानों के लिए सोचा है। इसी तरह राजस्थान के मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी राजस्थान के किसानों के लिए सोचें तो अच्छा रहेगा।

मेरे क्षेत्र की कुछ मांगें हैं। मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पानी की खूब उपलब्धता है, 8-10 बड़े बांध हैं और 4-5 छोटे बांध हैं, वहां पानी की नहरें कच्ची हैं, इस वजह से उसमें से रास्ते में पूरा पानी निकल जाता है, वह नहरें पक्की हो जायें तो पूरे क्षेत्र में पानी आराम से जा सकता है।

पशुपालन में सरकार की तरफ से किसानों को उत्तम नस्ल की गाय और भैंस बिना ब्याज के ऋण से दिलाई जाये तो डेयरी उद्योग अच्छी तरह से पनप सकता है और किसानों की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। मैं मांग करता हूं कि मेरे हर पंचायत हैडक्वार्टर पर पशु चिकित्सालय और डाक्टर की व्यवस्था की जाये। आज 400 मीटर सरकार की तरफ से तारबंदी है, उसको

(श्री गोपाल लाल शर्मा)

800 मीटर करे तो हर किसान को उससे फायदा मिलेगा और नील गायों से फसल को बचाया जा सकेगा।

श्री सभापति: थैंक यू, माननीय सदस्य।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कुछ सब्सिडी दे तो किसान जैविक खेती में उतरेगा और धीरे धीरे चार-पांच साल बाद फसलें फुल मुनाफा देने लग जायेंगी, सब्सिडी से उसका आत्मबल बढ़ेगा। आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हाकम अली खां।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 46 एवं 47, कृषि एवं पशुपालन पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, हमारी सरकार ने गत बजट में कृषि का बजट अलग से प्रस्तुत करने का कार्य किया, इस वर्ष भी अलग से प्रस्तुत करने का जो कार्य किया, वह बहुत ही सराहनीय है। किसानों के हित का काम हमारी सरकार ने किया हमारे मुख्य मंत्री जी ने किया है। किसानों के लिए 2 हजार यूनिट फ्री बिजली की, जिससे किसान का बिल जीरो आ रहा है। जिस किसान के 2 हजार यूनिट से कम का बिल आ रहा है, उस बचत से किसान अपने परिवार में अपने बच्चों की पढ़ाई में और एक-एक पैसा जोड़-जोड़कर बच्चों की शादी करने में वह पैसा काम में आ रहा है। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा।

महोदय, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में बहुत सारे इलाके में कृषि कार्य ही आजीविका का साधन है। खासकर हमारे शेखावाटी क्षेत्र में तो जब वर्षा होती है तो किसान धन्य होता है और जब वर्षा नहीं होती है, अकाल पड़ जाता है तो किसान के सामने बहुत भारी विकट समस्या खड़ी हो जाती है। उस टाइम यदि अतिवृष्टि और ओलावृष्टि हो जाये तो किसान के साथ बहुत बड़ा घात होता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ओलावृष्टि, अतिवृष्टि और पाला, इन सभी को, क्योंकि हमारे सीकर और चूरू में गर्मी भी ज्यादा पड़ती है तो सर्दी भी बहुत ज्यादा होती है, बहुत बार पाला गिर जाता है, इससे किसान की फसल खराब हो जाती है, उसको आपदा में आप शामिल कीजिये और किसान को उसका फायदा दीजिये।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा टाइम न लेते हुए मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ मांगें हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में कृषि महाविद्यालय

(श्री हाकम अली खां)

संचालित है, उसको इसी बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने और माननीय कृषि मंत्री जी ने यूजी से पीजी में क्रमोन्नत किया, इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं। साथ में, मंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि जो कृषि महाविद्यालय है वह वन भूमि पर संचालित है, इसलिए उस महाविद्यालय को भूमि की अत्यावश्यकता है, इसलिए महाविद्यालय को भूमि का आबंटन किया जाये। सभापति महोदय, कृषि महाविद्यालय फतेहपुर शहर से पांच किलोमीटर दूर बीहड़ में संचालित है, घना बीहड़ है और इस महाविद्यालय में तकरीबन 120 छात्राएं अध्ययनरत हैं, उनको आने-जाने के लिए बीहड़ में से जाना पड़ता है। वहां एक छात्रावास तो बना हुआ है, लेकिन बहुत छोटा है, मात्र 20 कक्ष का बना हुआ है, उसमें 44 छात्राएं रह सकती हैं। महाविद्यालय में 120 छात्राएं हैं, इसलिए संख्या को देखते हुए कम से कम 50 कक्ष का छात्रावास बनाया जाये, ताकि उन छात्राओं को वहां रहने में कोई दिक्कत न हो। दूसरा, वहां छात्रों के लिए कोई छात्रावास की व्यवस्था नहीं है, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि छात्रों के लिए भी अलग से एक छात्रावास बनाया जाये।

मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के लोगों का मुख्य कार्य कृषि एवं पशुपालन है। माननीय मंत्री महोदय, फतेहपुर में भेड़ प्रजनन फार्म बहुत पुराना है। जहां तक मैंने सुना है कि यह एशिया में गिना-चुना भेड़ प्रजनन फार्म था। पिछली सरकार की अनदेखी की वजह से वह बन्द होने की कगार पर आ गया था। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे आग्रह पर उस ओर ध्यान दिया और उस भेड़ प्रजनन फार्म को बजट आबंटित किया। आज वह भेड़ प्रजनन वापस अपनी भूमिका पर चल रहा है और सुचारु रूप से संचालित है। मेरा निवेदन है कि उस भेड़ फार्म के पास काफी जगह है और उसमें काफी भवन भी बने हुए हैं। उन भवनों की मरम्मत करके अगर वहां पर पशु चिकित्सा का महाविद्यालय खोल दिया जाये या पशु सहायक प्रशिक्षण खोल दिया जाये तो इलाके के किसानों के लिए और पशुपालकों के लिए बहुत अच्छी पहल होगी।

मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो प्रथम श्रेणी के पशु चिकित्सालय हैं, उनको क्रमोन्नत करने की मांग करता हूं। पशु चिकित्सालय रोलसाबसर को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में, पशु चिकित्सालय बेसवा को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में,

(श्री हाकम अली खां)

पशु चिकित्सालय नयाबास को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की मैं मांग करता हूं।

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में निम्न गांवों में नये पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की मांग करता हूं:- नारसरा, हेतमसर, बीवीपुर बड़ा, भगासरा, ताजसर, हीरणा, जालेऊ, मांडेला छोटा, रामसीसर और तीहाई। इन गांवों में पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की मैं आपसे मांग करता हूं।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरी मंत्री महोदय से एक मांग यह है कि मेरे फतेहपुर में राजस्थान में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है और सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है। पिछली बार जब बहुत ज्यादा सर्दी थी तो पाला गिरा था। पाला गिरने से किसानों की सरसों की जो फसल है, उसमें तकरीबन 60 से 70 परसेंट का खराबा हो गया। आपने गिरदावरी का आदेश दिया, गिरदावरी हो गयी है। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि किसानों को जल्दी से जल्दी उस फसल खराबे का मुआवजा दिया जाये, ताकि किसान अपनी जीविका को चला सके। धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री हरेन्द्र निनामा।

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल): सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 46, 47 कृषि विभाग एवं पशुपालन पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। देश का किसान अन्न पैदा भी करता है और अन्न पैदा करके दूसरे देशों को भी देता है। अभी सत्ता पक्ष के मेरे सब साथी बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के राज में कुछ भी नहीं हुआ है, देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र जी मोदी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपने सबने देखा है, अगर देश के प्रधान मंत्री में ताकत नहीं होती और विभिन्न क्षेत्रों में मोदी जी अगर काम नहीं करते तो आज विश्व के सबसे बड़े 20 देश हैं, जिनको जी-20 कहते हैं, उनकी अध्यक्षता करने का मौका भारत को कैसे मिलता? यह हम सबके लिए एक गौरव का विषय है।

सब कह रहे थे कि कर्जा माफी, किसानों की मामले की बात उठा रहे थे। सभापति महोदय, इस सदन के माध्यम से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब भैरोंसिंह जी शेखावत पहली बार राजस्थान की विधान सभा में आये थे, उस समय उन्होंने किसानों के दर्द को सुना और किसान का पहली बार लगान माफ करने का अगर किसी ने काम किया है, उसका नाम भैरोंसिंह

(श्री हरेन्द्र निनामा)

शेखावत है। इसके बाद दूसरी बार आये, किसानों के 10 हजार रुपये के कर्ज को माफ करने का काम किया। वसुन्धरा जी का राज आया, 50 हजार रुपये का कर्जा माफ करने का काम किया। यह काम नहीं किया तो यह और क्या है?

यहां पर हमारे कृषि मंत्री जी बैठे हुए हैं, इनको भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। चाहे टेलीफोन के माध्यम से या पत्र के माध्यम से, कृषि विभाग की कोई समस्या का समाधान हो या पशुपालन की समस्या हो, हमने जब भी पत्र दिया था उन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर काम किया, इसके लिए भी मैं घाटोल विधान सभा क्षेत्र की जनता की तरफ से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। पहली बार किसान सम्मान निधि लागू की गयी।

जब पहले हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय राजस्थान के अन्दर किसानों की जमीन का आबंटन किया गया। अभी चार साल पूरे हो गये हैं, प्रशासन गांवों के संग अभियान चले, लेकिन एक भी किसान की जमीन का आबंटन नहीं होने से किसान आज परेशान हो रहा है। रजिस्ट्रियां नहीं हो रही हैं। यह हालत पूरे जिले में है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 30 पंचायतें प्रतापगढ़ जिले के अन्दर आती हैं। वहां पर नगर परिषद के चेयरमैन थे, उनको हटाकर और प्रशासन गांवों के संग अभियान चलाकर भूमि माफियाओं के माध्यम से कई सारे पट्टे लिए गये और आज रिकार्ड मांगा जा रहा है तो रिकार्ड देने के लिए मना कर रहे हैं। करोड़ों रुपयों की जमीनों का घोटाला प्रतापगढ़ जिले के अन्दर हुआ है। यह भ्रष्टाचार का उदाहरण है।

खाद का मामला आया है। राजस्थान की सरकार ने समय पर भारत सरकार को डिमांड नहीं दी, जिसकी वजह से खाद की कमी आयी थी। भारत सरकार के पास में खाद की कोई कमी नहीं है। जब से देश में प्रधान मंत्री नरेन्द्र जी मोदी है तब से किसानों के बारे में सोचा जाता है। कभी किसानों के कमी नहीं आती है।

सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे बांसवाड़ा जिले में माही डैम का बहुत बड़ा, संभाग का सबसे बड़ा बांध बना हुआ है। पानी की कोई कमी नहीं है। आज बिजली कटौती की जा रही है। मैं तो माननीय मंत्री महोदय और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप कोई प्लांट लगाना चाहें तो माही डैम पर प्लांट लगाकर राजस्थान के किसानों को 24 घंटा बिजली देने की योजना, अगर आपके अंदर ताकत है तो बनानी चाहिये। पानी की कमी नहीं है। वहां पर आरएमसी, एलएमसी दो कैनाल निकलती हैं। छोटी

(श्री हरेन्द्र निनामा)

कैनाल सारी टूटी हुई पड़ी हैं। किसान खेत में पानी ले जाने के लिए लाचार होता है। हमारी जब सरकार थी उस समय माही डैम से सागवाड़ा भीखा भाई नहर डूंगरपुर को पानी देने की योजना, डूंगरपुर से ठेठ जालौर तक का सर्वे करवाया था। कुशलगढ़ की सूखी धरती में हाई लेवल कैनाल बनाने की योजना बनायी थी। पीपलखूंट में सूखे इलाके में कुंए खोदने की योजना बनायी थी। तालाब बनाने की योजना थी। लेकिन जब से आपकी सरकार आयी, ये सारी योजनाएं ठंडे बस्ते के अंदर बंद हो गयी हैं। किसान परेशान हो रहा है, बिजली के लिए परेशान हो रहा है, खेती के लिए परेशान हो रहा है। पानी होते हुए भी व्यवस्था सही नहीं हो रही है।

माननीय मंत्री महोदय, मेरा निवेदन है कि हमारे बांसवाड़ा जिले में भारत के अंदर सबसे ज्यादा मक्का पैदा होता है इस सीजन के अंदर। जिला प्रशासन ने और माही विभाग ने 20 तारीख को कैनाल को बंद करने का निर्णय लिया। मंत्री महोदय, मक्का की फसल को पकने में अभी एक महीना लगेगा। मेरा आपसे निवेदन है कि बांसवाड़ा के जिला प्रशासन और माही विभाग को आप कहिये कि इसकी तारीख 5 अप्रैल तक की जाए। अगर आपको कैनालों का काम शुरू करना है तो आपके पास में समय है। आप सालू कैनाल के अंदर मैटेरियल डलवा दीजिए, रेत डलवा दीजिए, पत्थर डलवा दीजिए, गिट्टी डलवा दीजिए। अभी आप उसकी हाइट ऊंची कराएंगे तो आपको पानी की सुविधा भी मिलेगी, ठेकेदारों को भी फायदा होगा। मेरा आपसे निवेदन है कि किसान जिस तरह से परेशान हो रहा है, उसको पूरी सुविधा दी जाए।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में मुखियावास, घाटोल, पीपलखूंट में एक-एक प्रशिक्षण केन्द्र मंत्री महोदय खोलने की कृपा करें। यह बहुत ही बढ़िया रहेगा। किसान सम्मान के साथ में जीता है। (समय-समाप्ति सूचक घंटी) जब आजादी की लड़ाई लड़ी, उस समय आजादी की लड़ाई में किसान मानगढ़ में 1500 शहीद हो गये और शहीद हंसते-हंसते गये। एक भजन गाया था, दो लाइनें ही बोलूं।

''भूरेटिया नी मानू रे नी मानू, अहमदाबाद म्हारी जाजम है,
दिल्ली में म्हारी कालम है, भूरेटिया नी मानू रे नी मानू।''

धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री जोगिन्दर सिंह अवाना।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): माननीय सभापति जी, आपने मुझे मांग संख्या 46 व 47 कृषि विभाग एवं पशुपालन विभाग पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति जी, मैं सबसे पहले माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा जो बजट वर्ष 2023-24 में घोषणाएं की गयीं, उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। प्रदेश में माननीय मुख्य मंत्री श्री अशोक जी गहलोत साहब ने गत बजट से किसानों के लिए अलग से जो कृषि बजट देने का प्रावधान रखा है, वह एक सराहनीय कदम है। राज्य के चहुंमुखी विकास के लिए युवा एवं किसान महत्वपूर्ण धुरी हैं। इसी बजट सत्र में कृषक कल्याण कोष की राशि को 5 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7 हजार 500 करोड़ रुपये कर दिया गया, इससे कृषकों को आर्थिक बल मिलेगा। कृषकों के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा कई मिशन संचालित हैं, जिसमें राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन, राजस्थान जैविक खेती मिशन, राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन, राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन, राजस्थान संरक्षित खेती मिशन, राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन, राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन, राजस्थान भूमि उर्वरक मिशन, राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन, राजस्थान कृषि तकनीक मिशन, राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन, राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्द्धन मिशन आदि में विभिन्न सराहनीय कार्य किये हैं, जिनके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी व माननीय कृषि मंत्री जी का मैं हार्दिक आभार एवं धन्यवाद करता हूं।

साथ ही किसानों की बिजली के लिए, विशेष रूप से मुख्य मंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना द्वारा 01 हजार रुपये प्रतिमाह की अतिरिक्त सहायता राशि दिये जाने की घोषणा की गयी है, जिसमें लगभग 20 हजार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष व्यय कर 15 लाख 78 हजार किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। यह एक सराहनीय कदम है। इसी बजट में दो हजार यूनिट प्रतिमाह तक उपयोग करने वाले समस्त 11 लाख से अधिक किसानों को नि:शुल्क बिजली उपलब्ध कराने का प्रावधान करने की जो घोषणा की गयी है, वह भी एक सराहनीय कदम है। खेती के लिए बकाया विद्युत कनेक्शनों के लिए, साथ में नये प्रार्थना पत्रों को शामिल करते हुए इस वर्ष मार्च 2023 तक लगभग 1 लाख 15 हजार विद्युत कनेक्शन दिये जाने की घोषणा की गयी। आगामी वर्ष में 1 लाख 50 हजार उपभोक्ताओं को कनेक्शन देना प्रस्तावित किया गया है, वह भी एक सराहनीय कदम है।

(श्री जोगिन्दर सिंह अवाना)

माननीय सभापति जी, लम्पी बीमारी के संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान व देश के कई राज्यों में पशुपालकों को लम्पी रोग के प्रकोप का सामना करना पड़ा। इससे हजारों गोवंश की मृत्यु हुई। इस हानि से पशु पालकों को संबल प्रदान करने के लिए उनके दुधारू गोवंश की मृत्यु पर प्रति गाय 40 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा करने पर माननीय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत साहब व माननीय पशुपालन मंत्री श्री कटारिया जी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, इस योजना के तहत वर्तमान बजट सत्र में प्रत्येक परिवार हेतु दो-दो दुधारू पशुओं का 40 हजार रुपये प्रति पशु बीमा करने का प्रावधान किया गया है जो कि एक सराहनीय कदम है। इससे पशुपालकों को संबल प्रदान हो सकेगा।

माननीय सभापति जी, पशुधन नि:शुल्क आरोग्य योजना, इसके अंतर्गत वर्तमान में 138 दवाइयां नि:शुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसी बजट से उक्त योजनाओं के अंतर्गत समस्त प्रकार की जांच, अन्य सेवा, टीकाकरण आदि भी नि:शुल्क करवाना प्रस्तावित किया गया है, जो कि एक सराहनीय कदम है। वर्तमान बजट में पशु सुविधाओं का विस्तार करते हुए विभिन्न कार्य किये गये हैं। 1 हजार 205 नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोले जाने की घोषणा हुई तथा पूरक बजट में पुरानी 1 हजार 439 ग्राम पंचायतों में भी चरणबद्ध रूप से पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोले जाने की घोषणा की गयी है। यह पशुपालकों के हित में एक सराहनीय कदम है।

माननीय सभापति जी, 100 पशु चिकित्सा उप केन्द्रों को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किये जाने की घोषणा भी सराहनीय है। इसी प्रकार 15 पशु चिकित्सालय को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किये जाने की भी घोषणा की गयी है। एक नवीन प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय खोले जाने की घोषणा। साथ ही 8 प्रथम श्रेणी चिकित्सालयों को बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किये जाने की घोषणा भी एक सराहनीय कदम है।

मैं विशेष रूप से सदन में आज कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आज हमारे विपक्ष के साथियों ने भी, चाहे वह हमारे डग, झालावाड़ से आने वाले सदस्य श्री कालूराम मेघवाल साहब हों, चाहे अभी मुझसे पूर्व के वक्ता माननीय सदस्य हरेन्द्र जी बोल रहे हों, मैं स्वयं भी कहना चाहूंगा कि हमारे कृषि मंत्री श्री कटारिया साहब को जब भी हम कभी अपने क्षेत्र से संबंधित

(श्री जोगिन्दर सिंह अवाना)

किसी भी समस्या से अवगत कराते हैं तो तत्काल टेलीफोन पर वे सारे कार्य होते हैं। मैं आज इस सदन में उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। साथ ही मेरे विधान सभा क्षेत्र नदबई के महीगुर्जर, उच्चैन पंचायत समिति क्षेत्र व बरोली छार नदबई पंचायत समिति क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय खोले जाने की भी मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं। साथ ही कृषि उपज मंडी, नदबई में नवीन किसान भवन बनाने की भी मैं मांग माननीय मंत्री जी से करता हूं।

इसके साथ-साथ मेरे विधान सभा क्षेत्र नदबई के विभिन्न ग्राम पंचायत क्षेत्र जो पशु उप केन्द्र से वंचित हैं, जैसे कुल मिलाकर टोटल 20 उप केन्द्र हैं, जिनमें गंगवाना, ऊंच, तलछेडा, नयाबास, कुठारदा, नाम, बहरामदा, पार, महुआ, बांसीखुर्द, गढ़ी जालिमसिंह, मुढेरा, नंगला बीजा, चिचाना, तेरहलोदा, एकटा, अंधियारी, बारामाफी, गेलऊ, कल्याणपुर, कुल 20 उप केन्द्र खोले जाने की भी मैं मांग करता हूं।

साथ ही, अभी पिछले दिनों मेरे विधान सभा क्षेत्र नदबई की जो पंचायत समिति उच्चैन है उसकी जो बरघा पंचायत है, वहां तीन-चार जो गरीब किसान के परिवार थे, उनकी लगभग 15 के आस-पास भैंसों की मृत्यु हो गयी, उसमें भी पिछले दिनों सर्वे हुआ और अभी तक भी कोई मुआवजा नहीं मिला है। मैं उसकी भी आज यहां माननीय मंत्रीजी से यह मांग करता हूं कि सम्बन्धित जो अधिकारी हैं उनको आप निर्देश दें कि उनको कुछ मुआवजा मिल सके।

साथ ही, पिछले बजट में मुझे मिनी फूड पार्क खटोटी, नदबई में दिया, उसके लिए भी मैं माननीय मंत्रीजी का धन्यवाद करता हूं। इससे उद्योग धंधों को बढ़ावा मिलेगा।

साथ ही, सदन में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों जो ओलावृष्टि हुई, सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाये हैं, हमारे किसान भाइयों को मुआवजा मिला लेकिन पिछले दिनों मेरे यहां रूपवास जो पंचायत समिति आती है, उसके अंतर्गत जो वहां के तहसीलदार हैं बृजेश कुमार सिंह, उन्होंने ठीक ढंग से किसानों की गिरदावरी नहीं करवायी और इसी कारण शून्य खराबा दिखाकर वहां किसानों को मुआवजा नहीं मिला। मैं माननीय मंत्रीजी से यह कहना चाहूंगा और माननीय राजस्व मंत्रीजी को भी मैंने इसकी शिकायत की है कि इस पूरे प्रकरण की जांच करवायी जाये ताकि जो लोग, किसान जिनको नुकसान हुआ है, उनकी भरपाई हो सके।

(श्री जोगिन्दर सिंह अवाना)

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री शंकर सिंहजी रावत।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ाकर आठ बजे तक कर दिया जाये।

श्री सभापति: क्या समय बढ़ा दिया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय आठ बजे तक बढ़ाया गया।

श्री शंकर सिंह रावत।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 46-कृषि व मांग संख्या 47-पशुपालन एवं मत्स्य पर विचार

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 46 एवं 47 पर बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

माननीय सभापति महोदय, आज किसानों के हित की बात करें तो निश्चित रूप से सरकार यह कहती है कि हम किसानों के हितैषी हैं। किसानों के अगर हित करने की बात करनी चाहिए तो निश्चित रूप से आज किसान की खेती को जो बर्बाद करने के लिए अंग्रेजी बबूल के द्वारा यह बरबाद हो रही है। जगह-जगह पर पचास परसेंट खेत खाली पड़े रहते हैं, इस अंग्रेजी बबूल की वजह से। जहां पर भी दो साल अगर किसी खेत को नहीं बोया जाये तो वहां अगर अंग्रेजी बबूल ने कहीं अपनी जड़ें जमा दी हैं तो उसमें जे.सी.बी. के द्वारा ही उसको उखाड़ा जायेगा, बाकी तो उस खेत को बोना भी छोड़ना पड़ेगा। इसलिए काश्तकारों की अगर कहीं उस समस्या का समाधान करना है तो निश्चित तौर पर पूरे राजस्थान में एक अभियान के रूप में यह चलाने के बाद में इस खेती को बचाया जा सकता है। जहां पर भी अंग्रेजी बबूल पैदा होते हैं, चाहे वे रोड के किनारे हैं तो रोड को तोड़ेंगे, डामरीकरण को तोड़ेंगे और यह हमेशा हरे रहते हैं।

(श्री शंकर सिंह रावत)

(समय: 18.53 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, निश्चित तौर पर चाहे कितनी भी गर्मी हो, कितना भी अकाल पड़ जाये, यह पौधे हमेशा हरे रहते हैं क्योंकि यह दो सौ फीट नीचे से भी पानी सोख लेते हैं, तो कुओं में पानी कहां से आयेगा, हैण्डपम्प्स में पानी कहां से आयेगा? इसलिए खेती में पानी की कमी का कारण भी इस अंग्रेजी बबूल का होता है, इसलिए सबसे पहले राजस्थान में एक अभियान के रूप में चलाकर, किसानों की खेती को बचाना है तो इसे नष्ट कराने के लिए कोई न कोई अभियान चलाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, हमारे ब्यावर में भी कृषि मण्डी 'ए' श्रेणी की है, उसकी दशा बहुत ही अच्छी नहीं है। मेरा सरकार से यह निवेदन है कि निश्चित तौर पर उसका भी विकास करवाकर उसकी दशा सुधारनी चाहिए। साथ में, जितने भी जो किसानों को कर्जा माफी का सरकार ने जो वादा किया है, उस पर निश्चित रूप से ध्यान देते हुए, वे गरीब आज भी इंतजार ही कर रहे हैं कि हमारे लोन कब माफ होंगे, तो उस पर भी ध्यान देकर, उन किसानों से जिस प्रकार से हमने वादा किया है उसको निभाना चाहिए और उन किसानों का कर्ज माफ करने के लिए हमारे को कदम बढ़ाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा एक निवेदन करूंगा कि +++

श्री सभापति: यह विलोपित कर दें। यह विलोपित कर देना।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): +++ धन्यवाद।

श्री सभापति: यह सब विलोपित कर दो। श्री हीराराम। इसको सारे को विलोपित कर देना।

श्री हीराराम (बिलाड़ा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 46 एवं 47 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री का आभार प्रकट करूंगा कि वास्तव में उन्होंने जो कृषि बजट देने की राजस्थान में शुरुआत की, उसके लिए मुख्य मंत्री महोदय को बहुत-बहुत आभार। उन्होंने पिछले साल कृषि का अलग बजट दिया और इस साल भी मतलब, उनका अलग बजट देना अपने आप में अलग से महत्व रखता है और

(श्री हीराराम)

किसानों के हित में उन्होंने जो योजनाएं अलग बजट में दीं, उसके लिए मैं बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, कृषि एवं किसान भाइयों हेतु योजनाओं को बनाने के लिए, कृषक कल्याण कोष की राशि को 5000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7500 करोड़ रुपये किये गये हैं। उससे किसानों को बहुत-बहुत फायदा मिलेगा और यह इतनी रकम किसानों के हित में काम आयेगी, उनके विकास में काम आयेगी। इसके लिए मैं मुख्य मंत्री महोदय का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

नीलगाय एवं आवारा पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाव व रोकथाम के लिए आगामी वर्ष में एक लाख कृषकों को तारबंदी पर 200 करोड़ रुपये का अनुदान दिया, उसके लिए किसानों को तारबंदी करने में जिससे इन आवारा पशुओं एवं नीलगायों से नुकसान नहीं होगा और इनके साथ में पिछली बार मुख्य मंत्री ने, पहले यह समूह में तारबंदी का जो ऋण मिलता था, वह पर्सनल कर दिया ताकि एक भी व्यक्ति ले सकता है, अब उसमें वह बंधन नहीं है। इसके लिए भी मैं मुख्य मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय पहले से ही प्रतिमाह एक हजार रुपये बिजली पर किसान को फ्री देते थे, एक हजार रुपये और 90 पैसे प्रति यूनिट से आज तक किसान का पैसा बढ़ाया नहीं और अब दो हजार यूनिट फ्री कर दिये, उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय का बहुत-बहुत आभार।

किसान के लिए यह जो लम्पी बीमारी गायों की आयी, उसमें हजारों गायें खतम हो गयीं और इन गायों की मृत्यु पर जो मनुष्य में कोरोना महामारी आयी थी, उस कोरोना के हिसाब से मुख्य मंत्रीजी ने यह देखा और वास्तव में गायों की मृत्यु पर जो 40 हजार रुपये प्रत्येक गाय पर दिया। उसके लिए मुख्य मंत्री महोदय का बहुत-बहुत आभार।

माननीय सभापति महोदय, कामधेनु बीमा योजना, यह मुख्य मंत्री महोदय ने प्रत्येक दो पशु पर, एक पशु पर चालीस हजार रुपये कामधेनु बीमा योजना जो लागू की है, उससे भी किसान को फायदा होगा और किसान की पशुधन की जो मौत होगी, उससे उसको यह सहायता मिलेगी तो काफी सम्बल किसान को मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, जब दूसरी बार मुख्य मंत्री बने थे अशोकजी गहलोत तो उन्होंने प्रति लीटर दो रुपये दूध पर बोनस के रूप में

(श्री हीराराम)

देना शुरू किया था पर जब बी.जे.पी. का शासन आया, पहले उन्होंने यह कहा था कि इस दो रुपये को बढ़ाकर चार रुपये कर देंगे लेकिन वह दो रुपये भी बंद कर दिये और अब जब वापस मुख्य मंत्री बने हैं तो उन्होंने दो रुपये की जगह पांच रुपये कर दिये और अभी किसान का इससे बहुत हित हो रहा है, जिसमें गायों के अल्पाहार वगैरह लेने में किसान को मदद मिल रही है, उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, यह नन्दीशाला वाली जो शुरुआत की है माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने तो मेरे विधान सभा क्षेत्र पीपाड़ में हम लोगों ने एक नन्दीशाला बनायी है जिसमें दस बीघा में यह नन्दीशाला बनी है और उसमें सरकार ने 1 करोड़ 41 लाख रुपये मुआवजा के रूप में हमें दिया है, तो उसमें बहुत सुंदर नन्दीशाला बनाई गयी है और उसमें हमने अभी काफी नन्दी को वहां पर रखा है, और भी हम लोग ढूंढ कर नन्दियों को रख रहे हैं जिससे किसानों का कोई नुकसान नहीं हो, उनकी फसल को वे नुकसान नहीं करें, इसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्री महोदय का बहुत-बहुत धन्यवाद।

(समय: 19.00 बजे)

अब लास्ट में मैं यह बात बताना चाहूंगा कि अभी दस दिन पहले जो बरसात हुई, अतिवृष्टि हुई, ओले गिरे और तेज हवा थी जिसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में बहुत नुकसान हो गया। मैं सवेरे जब गया तो किसानों की सारी फसल चौपट मिली और किसान रो रहे थे। उसके लिए मैं आपके जरिये मंत्रीजी और सरकार से मांग करता हूं कि उन किसानों को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिया जाये। उनकी पूरी फसल खतम हो गयी है इसलिए मेरा निवेदन है कि उनको ज्यादा मुआवजा दिया जाये।

माननीय सभापति महोदय, हमने पहले से ही एक मांग कर रखी है माननीय मुख्य मंत्री महोदय से। जालौदी फौजदार के अन्दर 16 गांवों में पानी की बहुत कमी है, उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने डीपीआर बनाने का आदेश दे दिया था। वह डीपीआर सरकार के पास भिजवा दी गयी है। मेरा मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि 16 गांवों की स्कीम को जल्दी शुरू करें ताकि 16 गांवों को पानी मिल सके। उनको पानी मिलेगा तभी उनकी समस्या का समाधान होगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुख्य मंत्री महोदय को यह बात पहुंचायें और मुख्य मंत्रीजी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि 17 तारीख को जब जवाब दें तब कहें कि स्कीम बनाकर शीघ्र कर देंगे ताकि 16 गांवों की समस्या दूर हो सके।

(श्री हीराराम)

माननीय सभापति महोदय, पीपाड़ में पिछले बजट में जिला अस्पताल की घोषणा हुई थी, वह अभी तक जिला अस्पताल शुरू नहीं हुआ है। मेरी आपके जरिये मांग है कि जल्दी से जल्दी जिला अस्पताल शुरू किया जाये ताकि वहां के लोगों की समस्या का समाधान हो सके। बोरूंदा में वर्ष 2000 में पीएचसी से सीएचसी बनी थी, वहां पर उतना ही स्टाफ स्वीकृत है। जो पद सीएचसी में होते हैं, वहां डाक्टर्स की संख्या बढ़ायें। डाक्टर्स मेरे बोरूंदा में लगा दिये जायें।

माननीय सभापति महोदय, पॉली हाउस और ग्रीन हाउस में डिग्गी बनाने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने काफी अच्छा ऋण और अनुदान देने का काम किया है। इसमें मैंने देखा है। मेरे खेत के पास में भी टमाटर और खीरा की फसल अच्छी तैयार हो रही है। उसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं।

पीपाड़ नगरपालिका में एडीजे कोर्ट खोली जाये, यह हमारी मांग है। खारिया मीठापुर में पशु चिकित्सालय बनाया जाये। बोरूंदा में पशु चिकित्सालय का भवन जर्जर अवस्था में है, उसको सही करवाया जाये। खारिया मीठापुर नगरपालिका पेरिफेरी में आया हुआ है, उसको पेरिफेरी से बाहर निकाल दिया जाये। यदि बाहर नहीं निकाला जाता है तो सफाईकर्मी और बिजली वगैरह के लिए अलग से कार्मिक लगाये जायें। यह मेरी मांग है।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जगसी राम। माननीय सदस्य, पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे आप।

श्री जगसी राम (रेवदर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 46- कृषि विभाग और मांग संख्या 47- पशुपालन पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह देश और प्रदेश कृषि प्रधान माना जाता है। माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी बात कही है। आपने मुझे समय के बारे में बता ही दिया है।

केन्द्र सरकार की कई योजनाओं को राज्य सरकार प्रदेश में लागू नहीं कर रही है। राजस्थान में सबसे ज्यादा बाजरा पैदा होता है। जालौर, सिरोही, पाली में विशेष तौर से बाजरा पैदा होता है। बाजरी खरीद के लिए वहां समर्थन मूल्य आज तक लागू नहीं किया गया। यह सरकार कैसी शुभ चिन्तक है?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे क्षेत्र की बातें

(श्री जगसी राम)

कहूंगा। ऋण माफी की बात यदि करें तो सिरोही सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक के मध्यकालीन ऋण की सम्पूर्ण ऋण माफी हेतु 2019 में आदेश जारी कर दिया था और सिरोही जिले की अन्य शाखाओं में ऋण माफ हो गया लेकिन रेवदर ब्लाक में रेवदर और मण्डार और अनादरा के अन्दर ऋण माफी नहीं होने की वजह से उन्होंने पोर्टल पर चढ़ा दिया। सैटेलाइट पर इश्यू होने के बाद में भी ऋण माफी का आदेश जारी नहीं किया गया है और वहां के क्षेत्र के किसानों को नोटिस जारी किया है। उनकी जमीन कुर्क करने का आदेश भी दिया है। इसमें सरकार को विशेष संज्ञान लेने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, अभी ओलावृष्टि और भारी बरसात होने की वजह से रेवदर विधान सभा क्षेत्र में वरियाली (सौंफ), टमाटर और जीरा की काफी पैदावार होती है, उसमें काफी नुकसान हुआ है। सरकार ने वहां पर गिरदावरी तक नहीं करवायी है। गिरदावरी करवाकर सरकार किसानों को मुआवजा देने की कार्यवाही करे।

माननीय सभापति महोदय, सरकार ने 2000 यूनिट तक बिजली माफी की जो बात कही है, अच्छी बात है लेकिन क्षेत्र में किसानों की फसल को तैयार करने के लिए बिजली समय पर नहीं मिलती है, फिर किसानों को फायदा कैसे मिलेगा? यह माफी सिर्फ कागजों में ही है। बिजली कटौती की सबसे ज्यादा समस्या हो रही है।

माननीय सभापति महोदय, सरकार तारबन्दी की जो योजना लायी है, अच्छी बात है लेकिन सम्पूर्ण खसरे पर तारबन्दी करने के लिए बड़ी फार्मेलिटी किसान को करनी पड़ती है। अभी तक धरातल पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। सरकार जिला कलेक्टर और अधिकारियों को निर्देशित करे ताकि किसानों को नील गाय और जंगली सूअरों से निजात मिल सके। पूरी रात किसानों को रखवाली करनी पड़ती है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि ग्रीन हाउस के लिए सरकार ने अनुदान जो दिया है, मैं समझता हूं कि इसका सरलीकरण होना चाहिए। इससे प्रत्येक किसान को फायदा मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, आलू और टमाटर की पैदावार सिरोही जिले में रेवदर विधान सभा क्षेत्र में होती है। रेवदर में आलू की सबसे ज्यादा

(श्री जगसी राम)

पैदावार होती है। गुजरात से लगता हुआ मेरा पूरा क्षेत्र है। किसान सारे आलू को गुजरात में कोल्ड स्टोरेज पर कम दामों में बेच कर आ जाता है। मैं मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे यहां पर कोल्ड स्टोरेज के लिए अनुदान देने का काम करें, इससे किसानों को फायदा मिलेगा और सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि दिखाई देगी। छोटी-छोटी घोषणाएं तो की जाती हैं लेकिन किसानों को उसका फायदा नहीं मिल रहा है।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री मनोज कुमार।

श्री जगसी राम (रेवदर): माननीय सभापति महोदय, अब मैं पशुपालन के बारे में बात करना चाहूंगा।

श्री सभापति: प्लीज, प्लीज। अंकित नहीं होगा। श्री मनोज कुमार। पांच मिनट में समाप्त करेंगे।

श्री जगसी राम (रेवदर): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। प्लीज, सहयोग करें।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय किसानों के प्रति कितने संवदेनशील हैं, वह पिछले चार सालों में देखने को मिला। जिस तरह से उन्होंने कृषि के क्षेत्र में काफी काम किये हैं, बहुत कुछ बजट के माध्यम से दिया है, जिस तरह से लगातार चार सालों से बिजली जो कृषि क्षेत्र की है, उनमें एक पैसे की भी वृद्धि नहीं की है। अगर कृषि क्षेत्र में कालेज की बात करें तो पिछली सरकार और इस सरकार में कितना फर्क है कि पिछले पांच सालों में मात्र एक कृषि कालेज खोला, वहीं इस सरकार ने तीन सालों में 42 कालेज खोले और चौथे साल लगातार कालेज खोलने का सिलसिला जारी है। यह दर्शाता है कि किस तरह से मुख्य मंत्रीजी इस क्षेत्र में बहुत संवेदनशीलता दिखा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा किसानों का दर्द समझते हुए उन्होंने जहां एक हजार रुपये प्रतिमाह किसानों को अनुदान देने का फैसला किया मित्र सहायता के माध्यम से, वहीं इस कदम को आगे बढ़ाते हुए 2000 यूनिट तक खपत करने वाले किसानों को पूरी तरह से बिजली माफ करने का फैसला किया है। यह एक ऐतिहासिक कदम उन्होंने उठाया है।

माननीय सभापति महोदय, पूरे चार साल से लगातार चाहे लम्पी जैसी

(श्री मनोज कुमार)

बीमारी हो, उन्होंने संवेदनशीलता दिखायी, चाहे नन्दीशाला या गौशाला की बात हो, उन्होंने संवेदनशीलता दिखायी है। किसान और पशुपालकों के प्रति हमदर्दी दिखायी है। मैं मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करना चाहूंगा। समय का अभाव है इसलिये मैं मेरे क्षेत्र की कुछ बातें रखकर मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, पिछले चार साल में बहुत-से उप-केन्द्रों को क्रमोन्नत करके पशु चिकित्सालय, प्रथम श्रेणी के चिकित्सालय खोले गये हैं। मेरे यहां एक कातर जगह है, जो उप तहसील मुख्यालय है, वहां पर चिकित्सा सुविधा नहीं है। इस उप तहसील मुख्यालय में प्रथम श्रेणी चिकित्सालय होना चाहिये, पर कम से कम सामान्य चिकित्सालय आप जरूर इस बजट में खोलें। वहां बाकी अधिकारी तक बैठते हैं, वहां पर अगर एक डाक्टर बैठ जायेगा तो वहां के आस-पास के लोगों को काफी राहत मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, आपने लगभग सभी ग्राम पंचायतों में पशु उप-केन्द्र खोल दिये हैं। मेरी एक ग्राम पंचायत सारंगसर है, वह बहुत बड़ी पंचायत है, मंत्री महोदय, सिर्फ एक गांव की पंचायत है जिससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी पंचायत है, पर वहां अभी तक पशु सब-सेंटर नहीं है, तो वहां पर आप पशु सब-सेंटर खोलें या चिकित्सालय खोलें। गांव की पंचायत है, उसमें आप इस बजट में जरूर खोल दें।

माननीय सभापति महोदय, सुजानगढ़ बड़ा क्षेत्र है, वहां सिंचित क्षेत्र भी है, उसमें सहायक कृषि निदेशक का कार्यालय खोलें, क्योंकि जिला मुख्यालय से बहुत दूरी है। बीदासर तहसील के कुछ गांव 175 किलोमीटर तक पड़ते हैं, इसलिये सुजानगढ़ में एक सहायक कृषि निदेशक का कार्यालय खोला जाये तो वहां के किसानों को काफी लाभ होगा।

माननीय सभापति महोदय, बहुत से भवन विहीन उप-केन्द्र और चिकित्सा केन्द्र हैं। जैसे लुहारा, बाड़सर में चिकित्सालय तो हैं पर वहां पर भवन नहीं हैं, ऐसे बड़े चिकित्सा केन्द्रों पर आप भवन की इस बजट में स्वीकृति दिलावें। इसके अलावा कुछ उप-केन्द्र बम्बू, बेरासर जैसे हैं, वहां पर भी भवन नहीं है, तो वहां के लिए भवनों की भी आप इस बजट में व्यवस्था करावें।

इसके अलावा, कुछ बड़े ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं, चरला, उडवाला, कातर, वहां अभी तक उप-केन्द्र ही चल रहे हैं, अगर वहां उन उप-केन्द्रों को

(श्री मनोज कुमार)

चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाये तो उन गांवों को और आस-पास के गांवों के किसानों और पशुपालकों को काफी फायदा मिल सकता है।

माननीय सभापति महोदय, आपने पिछले चार सालों में कृषि सेवा केन्द्र काफी खोले हैं, पर बुडावडी और बेरासर में काम ज्यादा है, अगर वहां पर और कृषि सेवा केन्द्र खुल जायेंगे तो वहां के आस-पास के किसानों को इससे काफी फायदा मिलेगा। यही मैं मांग रखते हुए, सभापति महोदय, आपका और माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करता हूं।

श्री सभापति: श्री बलवीर सिंह लूथरा।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): माननीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद, आपने कृषि और पशुपालन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का समय दिया। माननीय सभापति महोदय, गेहूं की फसल इस समय पकाव पर है मगर मुझे बेहद अफसोस के साथ सदन में यह कहना पड़ रहा है कि IGNP, गंग कैनाल और भाखड़ा की नहरों में मरम्मत के नाम पर बेवक्त ही सरकार द्वारा दिनांक 21 मार्च से बंदी कर रखी है। हम मरम्मत के खिलाफ नहीं हैं। नहरों की मरम्मत होनी चाहिये और नहरों की मरम्मत की हम मांग भी करते हैं, लेकिन मरम्मत के नाम पर गेहूं जैसी पकी-पकायी फसल को बर्बाद करना किसानों के साथ एक धोखा है, अन्याय है। अगर गेहूं की फसल नहीं होगी तो फिर पशुओं को खाने के लिए तुड़ी एवं चारे की व्यवस्था भी नहीं हो पायेगी। फिर किसान व पशुधन कैसे बच पायेगा?

माननीय सभापति महोदय, हमारा श्रीगंगानगर जिला पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है। इसमें हिन्दुस्तान की तीन महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाएं हैं, IGNP, गंग कैनाल और भाखड़ा, लेकिन दु:ख इस बात का है कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से तीनों परियोजनाएं पूरी तरह से प्रभावित हो रही हैं एवं जिले के किसान रोज धरने-प्रदर्शन को मजबूर हैं। यह इस बात का सबूत है कि ब्यूरोक्रेसी और नौकरशाही सरकार पर हावी है। ऐसे में आप कैसे किसान और पशुधन को बचाने की कल्पना कर सकते हैं? यदि वास्तव में आप किसान और पशुधन को बचाना चाहते हैं तो हर हालत में IGNP, गंग कैनाल और भाखड़ा के किसानों को गेहूं की फसल पकाव हेतु पूरा पानी दो, तब ही इलाके का किसान और पशुधन बच सकता है।

माननीय सभापति महोदय, पौंग डैम का लेवल वर्तमान में 1335 फीट है। गेहूं के पकाव के लिए एक और सिंचाई पानी की महती आवश्यकता है।

(श्री बलबीर सिंह लूथरा)

डैम में 1290 फीट तक पानी सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। माननीय सभापति महोदय, प्लीज आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि तुरंत हस्तक्षेप करते हुए एक अतिरिक्त सिंचाई पानी की व्यवस्था करायी जावे ताकि इलाके के गेहूं की फसल पकाई जा सके। प्रस्तावित बंदी को स्थगित कर इसकी अवधि 15 दिन आगे बढ़ाई जावे। माननीय सभापति महोदय, किसान हक मांगता है, भीख नहीं मांगता।

माननीय सभापति महोदय, श्रीगंगानगर जिले के किसानों को समय पर खाद, DAP और यूरिया नहीं मिलता। किसानों को खाद के लिए लम्बी-लम्बी लाइनें लगानी पड़ती हैं और पूरे दिन भूखा रहना पड़ता है, ऊपर से पुलिस की लाठियां भी खानी पड़ती हैं। किसानों को गुणवत्ता वाले बीज नहीं मिलते और बाजार में जगह-जगह पर नकली बीज बेचे जाते हैं। ऊपर से इनसे भारी-भरकम कीमत वसूल करके किसानों का शोषण किया जाता है। मेरा आपसे आग्रह है कि किसानों को सर्वोच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराये जायें एवं इन्हें समय पर खाद एवं DAP यूरिया उपलब्ध करवाया जाये।

माननीय सभापति महोदय, वर्तमान समय में नरेगा में डिग्गियां बनाने पर जोर दे रहे हैं। नरेगा योजना में 01 लाख 20 रुपये मैटेरियल एवं 01 लाख 80 हजार रुपये लेबर के रूप में भुगतान किये जाते हैं। इससे नरेगा योजना में किसानों का डिग्गी बनाने का सपना अधूरा ही रह जाता है। डिग्गी निर्माण हेतु आवेदनकर्ताओं का चयन लाटरी सिस्टम से किया जाता है। मेरा सरकार से आग्रह है कि इस लाटरी सिस्टम को बंद करके वरीयता क्रम से आवेदनकर्ताओं का चयन किया जावे। डिग्गी, ड्रिप सिस्टम, तारबंदी हेतु अनुदान राशि बढ़ायी जाये एवं डिग्गियों पर अनुदान कृषि विभाग के माध्यम से उपलब्ध करवाया जावे। फार्म पौण्ड एवं खेत तलाई को ओपन कर बारानी व नहरी, दोनों क्षेत्रों के लिए खोला जावे। प्रत्येक किसान को अपने खेत में पक्के खाले बनाने हेतु सब्सिडी दी जावे। सर्दी के मौसम में किसानों को सिंचाई पानी के लिए दिन में बिजली उपलब्ध करवायी जावे।

माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस सरकार ने किसानों की सम्पूर्ण कर्जा माफी की घोषणा की थी, जोकि आज तक पूरी नहीं की गयी है। ऋण माफी की उम्मीद में बैठे किसानों के ऋण खाते NPA हो गये हैं। किसानों की जमीनें कुर्क की जा रही हैं। मेरा आपसे आग्रह है जिला कलेक्टर, एस.डी.एम. को निर्देशित किया जावे कि किसी भी किसान के ऋण वसूली के लिए किसानों

(श्री बलबीर सिंह लूथरा)
की भूमि नीलाम नहीं की जावे एवं ऋण वसूली हेतु किसी प्रकार की भी इंसेंटिव राशि किसानों से नहीं ली जावे एवं पाले से खराब हुई सरसों एवं चने की फसल का तुरंत प्रभाव से मुआवजा अतिशीघ्र दिया जावे।

माननीय सभापति महोदय, विधान सभा रायसिंहनगर में कृषि महाविद्यालय खोला जावे एवं फूड प्रोसेसिंग यूनिट खोली जावे। किन्नू का प्लांट लगाया जावे ताकि क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में लम्पी बीमारी की वजह से हजारों की संख्या में पशु मरे हैं मगर सरकारी आंकड़े इनकी संख्या 975 बता रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इनकी संख्या मात्र 975 है, जबकि हकीकत यह है...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें। समाप्त करें। श्री सुरेश मोदी। आप पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट की बात है।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। श्री सुरेश मोदी।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): 000

श्री सभापति: प्लीज, सहयोग करें।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सहयोग करें। प्लीज अब आप विराजें।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): 000

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। भारत एक कृषि प्रधान देश है और आज हम प्रदेश की इस बड़ी आबादी के हक में इस पवित्र सदन में बात कर रहे हैं। यह वो लोग हैं जो कड़ी मेहनत करके हम सबका पेट भरते हैं। मैं सबसे पहले यह कहना चाहूंगा कि अगर हम वाकई इस वर्ग के भले की कोई बात करना चाहते हैं तो हमें पहला काम नदियों को नदियों से जोड़ना होगा, जिससे हमारी नदियों के पानी का सही उपयोग किया जा सके। इसी कड़ी में मैं मेरे यहां खेती के लिए यमुना का पानी लाने के लिए काम किये जाने का निवेदन करता हूं।

(श्री सुरेश मोदी)

माननीय सभापति महोदय, मैं फसल खराबे से हुए नुकसान का मुआवजा जल्दी से जल्दी और अधिक से अधिक दिये जाने का भी निवेदन करता हूं। किसानों को समय पर बिजली, खाद और बीज दिये जाने की व्यवस्था करने का भी निवेदन करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं नीम का थाना में सहायक निदेशक, कृषि विस्तार का कार्यालय खोले जाने की मांग करता हूं। नीम का थाना में बहूद्देशीय पशु चिकित्सालय, वेटेरिनरी पॉली क्लिनिक खोला जाये, जिसकी मांग हम बहुत समय से करते आ रहे हैं।

साथ ही नीम का थाना में पशुपालन विभाग का जिला कार्यालय खोला जाये। पशुओं की संख्या आसपास की तहसीलों को जोड़कर लगभग 11 लाख के आसपास है। इसलिए इन दोनों संस्थाओं की नीम का थाना में बहुत आवश्यकता है।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि 2 पशु चिकित्सालय उप केन्द्रों को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाये, यह हैं माहवा और बेगा की नांगल। साथ में मेरा निवेदन है कि 2 पशु चिकित्सालयों को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाये, यह हैं गांवड़ी और रायपुर पाटन। मेरा यह भी निवेदन है कि आगवाड़ी पशु चिकित्सा उप केन्द्र में एक पद बढ़ाकर, एक और पशु धन सहायक को लगाया जाये।

मेरा निवेदन है कि मेरे यहां 16 पशु चिकित्सा उप केन्द्र संस्थाओं के पट्टे उनके हक में जारी किये जा चुके हैं, अत: उन पर भवन निर्माण के लिए बजट स्वीकृति जारी की जाये। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। हम सभी विधायकों की हर समस्या का तत्काल समाधान किया है। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): धन्यवाद सभापति महोदय। मैं मांग संख्या 46 और 47 पर सदन जो चर्चा कर रहा है, उस पर भाग लेने के लिए आपकी आज्ञा से खड़ा हुआ हूं।

पहले मैं बात करूंगा पशु धन के बारे में। पशुओं के बारे में राजस्थान बाकी सारे प्रान्तों की तुलना में बहुत आगे रहा है, हमेशा ही रहा है। पशु हमारे यहां बड़ी संख्या में हैं। इंसानों से ज्यादा पशु हमारे राजस्थान में होते रहे हैं। अब जब पशुपालन की तरफ रुझान कम हुआ है, उसके बाद भी पर्याप्त संख्या

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

में पशु अपने यहां हैं। उनके लिए जो मदद मिलनी चाहिए काश्तकारों को, पशु पालकों को, उसमें एक बड़ा सहयोग हो सकता है पशु धन का बीमा करना।

मुझे याद आता है, जब 2003 से 2008 के बीच में माननीय वसुन्धरा राजे मुख्य मंत्री थीं, मैं भी उस समय विधायक था, उस समय कोई 10-12 तरह की बीमा योजनाएं शुरू हुई थीं भेड़ों के लिए भी, बकरियों के लिए भी, भैंसों के लिए भी, ऊंटों के लिए भी, यहां तक कि पशुपालकों के लिए भी बीमा की योजना थी। बहुत अफसोस है मुझे बोलते हुए कि उनमें से एक भी योजना आज की तारीख में चालू नहीं है। सिर्फ इसलिए कि बीजेपी ने चालू की थी या किसानों से कोई दुश्मनी है? पशुपालकों से आपको दुश्मनी है? पर जो भी है, उनमें से एक भी योजना आज की तारीख में चालू नहीं है।

यदि उनका बीमा हुआ होता, बीमा की कोई योजना चल रही होती तो इस समय लम्पी वायरस जैसी बीमारी के कारण बड़ा नुकसान हुआ, उसमें लाभ मिल जाता किसानों को। इसके अलावा इसमें आपने बीमा शुरू तो किया है, कोई नई योजना आप लाये हैं लेकिन उसमें सारा प्रीमियम किसान को, पशुपालक को भरना पड़ता है। एक ही पशु का बीमा एक घर में कर रहे हैं। 03 भैंस खड़ी हैं तो 01 का बीमा करेंगे। ऐसा क्यों है? उसका प्रीमियम भी सारा किसान को भरना पड़ता है। जैसे आप फसल बीमा का प्रीमियम भर रहे हैं, 02 प्रतिशत किसान से ले रहे हैं, बाकी सारा, आधा राजस्थान सरकार, आधा भारत सरकार ऐसे कर रही है, 14-14 परसेंट, वैसी ही पद्धति से पशु धन का बीमा किया जाना चाहिए। उससे पशुपालक पर भार नहीं आयेगा और उसको लाभ भी मिल जायेगा।

पशुओं के लिए कैटल शैड बनाने की योजना भाजपा सरकार में शुरू हुई थी। काफी अच्छी चली। बकरियों के अच्छे-अच्छे शैड्स भी उसमें बने थे। लेकिन दुर्भाग्य से वह भी योजना अभी बंद जैसी है। आपने घोषित रूप से बंद नहीं किया है, लेकिन बंद जैसी है। उसको वापस बजट देते हुए ठीक करना चाहिए।

ऐसे ही गौशाला निधि नियम, 2016 के तहत आपके 300 के लगभग गौशालाएं पंजीकृत हैं। राजस्थान गौ सेवकों का प्रदेश है। कुछ उसमें से अपंजीकृत और भी होंगी। डेढ़ लाख के लगभग गौ वंश का पालन-पोषण इन गौ शालाओं में हो रहा है। उसमें से 125 गौशालाओं को तो आप सहयोग भी कर रहे हैं। सरकार सहयोग भी कर रही है। 270 दिन की सहायता दी जाती

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

है। मेरा निवेदन है कि इसमें कई सारी जो पात्रता की शर्तें हैं वह काफी कठोर हैं। उसमें भौतिक सत्यापन 2 चरणों में किया जाना अनिवार्य आपने कर रखा है, उसके कारण कई बार दिक्कत आ जाती है। अनुदान मिलने में गौशालाओं को दिक्कत होती है। इसका थोड़ा सरलीकरण किया जाना चाहिए। भौतिक सत्यापन के बिना भी यथास्थिति, तात्कालिक स्थिति को देखते हुए उनको थोड़ा-बहुत रिलेक्सेशन भी करना चाहिए।

उसके साथ-साथ जैसे आप गौशालाओं को अनुदान दे रहे हैं, वैसे ही जो घर में पशुपालन कर रहे हैं, उनको भी अनुदान दिया जाना चाहिए, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है। घर खड़ी गाय को, मेरे घर में एक गाय है, पहले 30 रुपया प्रति दिन था, अब शायद 40 कर दिया है। बछड़ा है तो पहले 15 था, अब 20 रुपया कर दिया है। वह यदि करेंगे तो मैं समझता हूं कि जो सड़कों पर गाय घूमती हैं, वह बंद हो जायेगा। आपने उसको घर खड़े को अनुदान दे दिया है। चारे जितना पैसा आपने दे दिया है, फिर वह पशुपालक उस गाय को बाहर नहीं छोड़ेगा। अगर छोड़ेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। यह जो सड़कों पर एक्सीडेंट होते हैं रोज के, गौ धन भी मरता है और इंसान भी मरता है। गौ माता की जय तो हम बहुत जोर से बोलते हैं, लेकिन गाय के अलावा कोई पशु सड़क पर नहीं मिलता है। उस प्रवृत्ति पर भी रोक लगेगी तो अच्छा हो जायेगा।

यह जो नर पशु है, इनको लेकर बहुत बड़ी समस्या है। पहले तो बैल काम में आते थे, उनका उपयोग था इसलिए महंगे-महंगे बिकते थे, लेकिन अब वह उपयोगी नहीं रह गये तो अब वह समस्या हो गये हैं। सरकार ने नन्दी शालाएं खोलने की लंबी-चौड़ी घोषणाएं कर रखी हैं। खुली नहीं हैं। कहीं-कहीं खुल रही हैं। मेरे जालौर पंचायत समिति में भी खुली हैं। अभी-अभी शुरू हुई है, वह भी पथमेड़ा के सहयोग से। उसको और अधिक बढ़ाना चाहिए।

नर पशु के बधियाकरण की व्यवस्था अपन को मुस्तैदी से करनी चाहिए। उससे आपका क्वालिटी कंट्रोल भी होगा। हमारी जो कांकरेज नस्ल है, बहुत प्रसिद्ध नस्ल है, वह अब संक्रमित हो रही है। इस कारण से कि जो अच्छी नस्ल के नर पशु नहीं हैं, वह भी जब वंश वृद्धि में लग जाते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है, उससे वह वंश भी खराब हो रहा है। उसकी भी सुरक्षा हो जायेगी, इसलिए बधियाकरण पर हमें जोर देना चाहिए।

एक मैंने सुना था कहीं पर, पढ़ा था, यदि ऐसा सम्भव हो, सरकार

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

वैज्ञानिक तरीके पर ध्यान दे, यदि ऐसा कुछ हो सके कि आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन हम करते ही हैं, इसमें कुछ ऐसा हो जाये कि नर पशु पैदा ही नहीं हो। वह तभी हो जब सरकार चाहे, तो यह समस्या का बड़ा समाधान हो सकता है। मुझे नहीं पता कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है पर मैंने सुना है कि हो सकता है।

दूसरा यह कि बीमार पशु के इलाज के लिए एम्बुलेंस चाहिए होती है, हमारे पास नहीं है। कहीं नहीं है। गांव से पशु को लाना है तो बीमार पशु चलकर तो आ नहीं सकता। पशुपालक उसको उठाकर ला नहीं सकता। बैलगाड़ियां अब रही नहीं, इसलिए हमें एम्बुलेंस की भी व्यवस्था करनी चाहिए। बीमार पशु को क्या बीमारी है, उसकी जांच करने के लिए, पशु तो आपकी लैबोरेट्री तक आ नहीं सकता, तो चल प्रयोगशालाएं हमको लांच करनी चाहिए। सरकार इस पर ध्यान दे। इससे हमें पशुओं को बीमारी से बचाने में बहुत बड़ी सुविधा मिल जायेगी।

पशु आहार की गुणवत्ता कैसी है, इसको लेकर हमारे पास ज्यादा प्रयोगशालाएं नहीं हैं। पशु आहार जो मिल रहा है बाजार में, जो कंपनियां बेच रही हैं, वह ठीक है कि नहीं है, इस पर भी थोड़ा सरकार को ध्यान देना चाहिए। इस पर कुछ सख्ती करनी चाहिए।

स्वर्गीय भैंरोंसिंह शेखावत कहा करते थे, जब हम सब विधायक लोग गौ की चिंता करते थे तो वह कहते थे, गौ माता की जय बोलने से और गौ माता की आरती उतारने से गौ नहीं बचेगी, गौ बचेगी उसकी उपयोगिता बढ़ाने से। गौ की उपयोगिता बढ़े, उसके पिछले 20-25 सालों में बहुत प्रयोग हुए हैं। हमारे पथमेड़ा में भी बहुत प्रयोग हुए हैं और भी कई जगह हुए हैं।

गौ मूत्र का उपयोग, गौ के गोबर का उपयोग, उस दृष्टि से मैं एक उदाहरण देने जा रहा हूं। अपनी अमूल डेयरी ने, गुजरात में जो विश्व प्रसिद्ध अमूल डेयरी है, उन्होने पशुपालकों से, जिनसे वह दूध खरीदते हैं, उनसे गोबर और गौ मूत्र खरीदना भी शुरू किया है। विधिवत खरीदना शुरू किया है। ऐसा अगर अपनी सरस डेयरी और दूसरी डेयरियां करेंगी तो बहुत अच्छा हो जायेगा।

लम्पी बीमारी के कारण राजस्थान के गो वंश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जितना सरकारी तौर पर आंकड़ा बताया गया, उससे कम से कम 10 गुना ज्यादा हुआ है। जो पशु लम्पी से मरे हैं, उनको अनुदान और कुछ सहायता आप देने जा रहे हैं, भरपाई करने जा रहे हैं, तो रिकार्ड पर तो आपके

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

10 परसेंट ही है। जालौर जिले में कम से कम 70 हजार पशु मरे हैं, कम से कम और आपके रिकार्ड पर है 3235, इनको आप देंगे, बाकी का क्या होगा? वो सारे रह गये और सौ में से दस को देना है तो निश्चित रूप से उनमें आपके घालमेल होगा, भाई-भतीजावाद होगा, आपके जो प्रभावशाली कार्यकर्ता हैं वो आपके अफसरों को प्रभावित करके ले जाएंगे, जिसके वास्तविक रूप से पशु मरे हैं वो वंचित रह जाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, चूंकि समय कम है इसलिए मैं लम्पी बीमारी को लेकर ज्यादा लम्बा नहीं बोलूंगा लेकिन लम्पी बीमारी को लेकर जो इतना बड़ा पशुधन, गोधन मारा गया है, उसके लिए सरकार सीधे-सीधे जिम्मेदार है कि उनकी चिकित्सा करने के लिए हमारे पास चिकित्साकर्मी नहीं थे। उस समय जालौर जिले की 90 प्रतिशत पोस्टें डॉक्टरों की और कम्पाउंडरों की खाली थीं, 90 प्रतिशत खाली थीं। मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि हम अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पर भर्ती करेंगे, वह भर्ती नहीं हुई, सिर्फ घोषणा होकर रह गई। एक भी व्यक्ति भर्ती नहीं हुआ उसमें, फिर बाद में थोड़े डूंगरपुर से और दूसरी जगहों से डेपुटेशन पर भेजा गया था, उससे थोड़ा-सा रिलीफ मिला लेकिन यदि पूरी संख्या में कम्पाउंडर और डाक्टर्स उपस्थित होते तो गोवंश को बचाया जा सकता था। यह सीधे-सीधे पाप का भागीदार बनी है राजस्थान सरकार और उसके लिए ध्यान दिया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, ठीक यही स्थिति जब मैं दूसरे डिपार्टमेंट की बात करूं, कृषि विभाग की तो वहां पर भी यही हालत है। जालौर जिले में आज भी कृषि विभाग में 35 परसेंट से ज्यादा पोस्टें खाली हैं। जैसे आपने शिक्षा विभाग में और चिकित्सा विभाग में कर रखा है, डार्क जोन कर रखा है जालौर, सिरोही, बाड़मेर को, वैसे ही इस पशुपालन विभाग में भी और कृषि विभाग में भी आपको डार्क जोन घोषित करना चाहिए और वहां से ट्रांसफर होकर जाना आसान नहीं रहे, कम से कम लोग ट्रांसफर होकर जाएंगे तो वहां की जनता को अच्छी सेवा मिल सकेगी, यह मेरा सरकार से आग्रह है।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि फसल बीमा योजना, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के दिमाग की उपज थी, उनकी कल्पना थी, उन्होंने लागू किया और वो लागू करने के प्रारम्भिक रूप में था, धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते आदरणीय नरेन्द्र मोदीजी ने उसको और अच्छा प्रभावी रूप से लागू कर दिया है। बहुत बड़ी मात्रा में और बहुत बड़े अमाउंट के

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

रूप में लोगों को फसल बीमा का क्लेम मिलने लगा है, मिल रहा है लेकिन उसमें कई सारी और भी बातें हैं। जैसा और भी कई सदस्यों ने कहा, क्रोप कटिंग के समय में काफी उसमें गड़बड़ होती है। बीमा कम्पनी कोई भी हो, मैंने एनआईसी में नौकरी की है, बीमा कम्पनी कोई भी होगी क्लेम देने में वो कंजूसी करेगी। उनका अपना काम है, सारा हंड्रेड परसेंट बीमादार को क्लेम दे देंगे तो वो कमाएंगे क्या? तो वो उस क्लेम देने में कंजूसी कर रहे हैं, उसमें वो वाजिब केस को भी कंजूसी में तो नहीं डाल रहे हैं, वो निगरानी सरकार को करनी होगी इसलिए क्रोप कटिंग का सिस्टम ठीक हो जाए। क्रोप कटिंग के समय उसकी वीडियोग्राफी और फोटो उसकी सारी हो और ऑनलाइन अपलोड हो जाए। फार्म नम्बर 2 होता है, उस फार्म पर काश्तकार का हस्ताक्षर अनिवार्य किया जाना चाहिए। क्रोप कटिंग के बाद बीमा अपलोड करने में जो मानवीय भूल हो जाती है, वो गलत अकाउंट नम्बर चढ़ गया, आधार नम्बर गलत चढ़ गया, उसके कारण किसान को महीनों तक चक्कर काटने पड़ते हैं और क्लेम नहीं मिलता है, तो उस मानवीय भूल करने वाले स्टाफ को भी चाहे वो ई-मित्र वाला है या आपके सरकारी कर्मचारी है, उसको थोड़ा-सा टाइट किया जाना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए कि मानवीय भूल करोगे तो ये दंड मिलेगा आपको, ऐसा कोई प्रावधान यदि आप करेंगे तो लोग सावधानी से काम करेंगे और काश्तकार उस परेशानी से बच जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019, बहुत बढ़िया नीति है, तालियां बजाने लायक नीति है, आप लोगों ने बजाई भी तालियां लेकिन यह धरती पर नहीं है। 2019 की घोषणा है और 2023 का बजट पास कर रहे हैं हम, इस पर 'जीरो' काम हुआ है, इस पर काम करने की आवश्यकता है और इसमें भी काम क्यों नहीं हो पा रहा है, आपने इसको लागू किया है कृषि उपज मंडियों के माध्यम से और कृषि उपज मंडियों की हालत यह है कि जालौर जिले में 04 मंडियां हैं, 04 में से 01 में भी सेक्रेटरी नहीं है, सेक्रेटरी का पद खाली है, बाकी सारे पद भी खाली पड़े हैं। सिरोही का एक सेक्रेटरी जालौर की चारों मंडियों को चला रहा है, कभी उसको सुमेरपुर वालों को चार्ज देते हैं, कभी बाड़मेर वालों को चार्ज देते हैं, ऐसे करके आप काम चला रहे हैं, तो काम करेगा कौन? यह बहुत महत्वपूर्ण योजना है, निश्चित रूप से यदि महत्वाकांक्षी योजना है, यदि लागू होती है तो किसानों को इसका लाभ मिल सकता है लेकिन इस बारे में हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

माननीय सभापति महोदय, अनार मंडी की आपने पिछले बजट में घोषणा की थी, वो अभी तक बारह महीने बाद भी धरती पर नहीं उतरी है। अभी तक उसकी जमीन भी अलाट नहीं हुई है। इस बारे में आपको कुछ सोचना चाहिए। कृषि महाविद्यालय आपने मेरे क्षेत्र में खोला, बहुत अच्छा किया, विद्यालय तो गवर्नमेंट कालेज में जालौर में शुरू हो गया, होलाकेसोणा में जालौर में शुरू हुआ है लेकिन वहां पर उसकी जमीन भी नहीं है और जालौर के कालेज में शुरू हुआ है तो वहां पर कोई पढ़ाने वाला नहीं है सिर्फ उनका एडमिशन हुआ है और परीक्षा होगी, बाकी बीच में बिलकुल अंधेर है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सौर ऊर्जा के लिए जो पम्प है और ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर हैं, कृषि उपकरण हमारे बहुत काम में आ रहे हैं अनार की बहुत अच्छी खेती होती है, उसके कारण से ये काम में आते हैं, उन सबका बजट बढ़ाया जाना चाहिए। उसकी डिमांड किसानों से आ रही है। वहां पर ड्रिप इर्रिगेशन बहुत हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अनार में भी हो रहा है और बाकी में भी हो रहा है, उसमें सब्सिडी का जो सिस्टम है, पांच हैक्टेयर तक अनुदान देने की व्यवस्था है। वहां पर ठेकेदार जो आता है, व्यापारी जो आता है वो पांच हैक्टेयर के पेपर तो तैयार करता है लेकिन पांच हैक्टेयर का उसको देता नहीं है, दो हेक्टेयर, ढाई हैक्टेयर का ही देता है, बाकी अनुदान और वो सारा खा जाता है, उससे पैसा दो हैक्टेयर का ही लेता है लेकिन अनुदान पांच हैक्टेयर का मिल रहा है, इसको वो ठेकेदार खा जाता है। इसकी जांच की जानी चाहिए और इस बारे में कुछ सख्ती से बात करनी चाहिए।

श्री सभापति: विराजें। श्री जगदीश चन्द्र।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): जल नीति जो आपकी है, दो मिनट आपके और लूंगा।

श्री सभापति: श्री अमर सिंह।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अमर सिंह (बयाना): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 46 एवं 47 कृषि एवं पशुपालन पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद।

(श्री अमर सिंह)

माननीय सभापति महोदय, किसान एक बहुत बड़ा भक्त और अन्नदाता है। किसान हम सबके लिए दो वक्त की रोटी के लिए अपनी फसल को तैयार करता है, उस समय न गर्मी देखता है, न बरसात देखता है, न ही सर्दी देखता है। किसानों के लिए हम सबको मिलकर सहयोग करना चाहिए, चाहे वो खाद का मामला हो, चाहे बीज का मामला हो, चाहे अन्य सुविधा हो या फसल बीमा हो।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बयाना की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। पशुपालन ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय है। बचपन में ही स्कूलों में पशुपालन से होने वाले लाभ के बारे में पढ़ाया जाता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र बयाना के रूपवास उपखण्ड में प्रतिवर्ष बसंत पंचमी पर पशु मेला भी लगता है, जिसमें आसपास के गांव सहित उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती क्षेत्रों के पशुपालक भी आते हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र का बहुत बड़ा क्षेत्र डांग क्षेत्र में पड़ता है, जिसमें निवास करने वाले पशुपालकों को बहुत ही ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। न तो वहां पर चिकित्सा की व्यवस्था है और न ही डांग क्षेत्र में पशुओं के लिए पीने के पानी की व्यवस्था है। गर्मियों के मौसम में यह स्थिति और गंभीर हो जाती है।

माननीय सभापति महोदय, पूरे प्रदेश में पशुओं में कोई न कोई गंभीर बीमारी आती ही रहती है। जैसे अभी लम्पी रोग ने लाखों पशुओं को अपने काल का ग्रास बना लिया था। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के समस्त राजस्व ग्रामों में पशुओं के पीने के पानी के पक्के टैंक या बोरिंग एवं प्रत्येक राजस्व ग्राम में एक-एक पशु चिकित्सा उप-केन्द्र खोला जाए। साथ ही मैं यह भी मांग करता हूं कि विधान सभा क्षेत्र में साल में एक बार पशुओं की मेडिकल जांच की जाए जिससे भविष्य में आने वाली बीमारियों के खतरे को भांप कर उनका इलाज किया जा सके।

सभापति महोदय, अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि मेरा विधान सभा क्षेत्र, जिसे बाणासुर की नगरी भी कहते हैं, वह ब्रज के क्षेत्र में आता है, इसलिए आज पशुपालन की मांग के अवसर पर गाय माता के लिए कुछ दोहे समर्पित करता हूं-

"मन्दिर-मस्जिद दूर हैं,
कठिन जाप हर नाम,
श्री चरणों में गाय के बसते चारों धाम।

(श्री अमर सिंह)

दूध, दही, घी गाय का होता अमृतपान,

गोबर व गौमूत्र है औषध का सामान।।"

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बयाना के बंधबरेठा में एक कृषि महाविद्यालय खोलने की मांग करता हूं। सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र एवं आस-पास में कोई भी कृषि महाविद्यालय नहीं है, मेरे विधान सभा क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को कृषि महाविद्यालय के अभाव में अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है व दूर-दराज भरतपुर या जयपुर पढ़ने जाना पड़ता है।

सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो कुछ मैंने अपने विधान सभा क्षेत्र के लिए कहा है, मांगा है, वह पूरा किया गया है। सरकार को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरी सदन के माध्यम से मंत्री महोदय से मांग है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बयाना के बंधबरेठा में कृषि महाविद्यालय खोलने की कृपा करें।

सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो पशु चिकित्सा केन्द्र खुलने से वंचित रह गये हैं, वे खोले जाएं, जैसे- दाना, खेली, मेहरथा, नया गांव, सज्जनबाग, चौथरोली, कंजोली, सकरपुर, बंधबरेठा, हरनगर, कोडापुरा। इनमें कृषि महाविद्यालय खोले जाएं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र राठौड़। माननीय उप-नेता महोदय, सवा 8 बजे माननीय मंत्री जी का रिप्लाई शुरू होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, यह सदन पिछले 8 घंटों से राजस्थान की 76 परसेंट आम अवाम से जुड़ी मांग संख्या 46 और 47 पर चर्चा कर रहा है। हमारा सौभाग्य है कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से इस देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। यहां की 76 प्रतिशत आबादी का जीवनयापन खेत-खलिहान, किसान, किसानी और पशुपालन पर निर्भर करता है। हमारी जीडीपी में भी योगदान 28.95 प्रतिशत है। आज राजस्थान में 2 करोड़ 77 लाख जोत है, जिनका सीना चीरकर यह अन्नदाता अन्न पैदा करता है।

सभापति महोदय, 2021-22 में जब मुख्य मंत्री जी सदन में बजट प्रस्तुत कर रहे थे, उन्होंने बजट पैरा 67 में जब यह कहा कि मैं आगामी वर्ष

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

2022-23 से पृथक् कृषक बजट लेकर आऊंगा तो सत्तापक्ष में बैठे लोगों ने बहुत जोर से मेजें थपथपायीं। यह जन धारणा बनाने की कोशिश की गयी कि अब कृषि में आमूलचूल परिवर्तन का युग प्रारम्भ हो गया है, बड़े नवाचार होंगे और अब एक नयी हरित क्रान्ति आ सकती है। मुख्य मंत्री जी ने राजस्थान की अवाम के सामने अपने आपको दूसरे स्वामीनाथन के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की।

सभापति महोदय, मैंने इन दोनों कृषि बजटों, 2022-23 और 2023-24 को बड़े गौर से पढ़ा है। मैं जिम्मेवारी से कह सकता हूं कि अगर इनकी व्याख्या मुझे दो शब्दों में करने के लिए कहा जाये तो खोदा पहाड़ और निकली मरी हुई चुहिया कपोल-कल्पित बातें। इसमें न तो किसान के लिए कोई रीति है, न नीति है, न नीयत है। इन दोनों कृषि बजटों में मैं यह कह सकता हूं कि राजस्थान में बरसों से संचालित वे योजनाएं जो केन्द्रीय योजनाएं थीं, राज्य की योजनाएं थीं, एक अतिरिक्त पैसे का बजट में प्रावधान किया नहीं। इन दोनों कृषि योजनाओं के सामने 'मिशन' शब्द लिखकर पृथक् कृषि बजट प्रस्तुत करने का दावा करने वाली सरकार ने राजस्थान के किसान को गुमराह करने की कोशिश की।

सभापति महोदय, मैं आंकड़ों से सिद्ध करूंगा। यह जो 2022-23 और 2023-24 है, हमने देखा है, हमेशा बजट को उत्तरोत्तर बढ़ते देखा है, कृषि के लिए जो बजट इस सरकार ने प्रस्तुत किया, उसमें 2022-23 और 2023-24 में 821 करोड़ की कमी हुई। मैं सदन का ध्यान 'बजट एट ए ग्लांस, 2023-24'' के पृष्ठ 01 पर दिलाऊंगा। इसमें योजना का आउटले 1 लाख 84 हजार 311 करोड़ है। कृषि और सम्बन्धित सेवाओं में पूरा सहकारी विभाग है, पूरा पशुपालन विभाग है, लघु सिंचाई की सारी योजनाएं हैं।

खुद को किसानों का हितैषी बताने वाली इस सरकार ने इन सब में मिलाकर जो प्रावधान किया, इन्हीं के आंकड़े हैं, 10,580 करोड़, यानी कुल आउटले का 5.74 प्रतिशत। सभापति महोदय, इसी पृष्ठ पर इन कृषि सम्बन्धी सेवाओं में अकेले कृषि के लिए जो प्रावधान किया गया, वह है इस वर्ष के लिए 3306 करोड़ 87 लाख रुपये। अगर पूरे आउटले का मैं देखूं और प्रतिशत निकालूं, टोटल राजस्थान में इस बार जो प्लान आउटले है, जिस पर विकास का दारोमदार खड़ा है, कृषि के लिए 1.79 परसेंट। सभापति महोदय, यह कैसा न्याय है? राजस्थान की 76 प्रतिशत आबादी खेत-खलिहान पर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

निर्भर करती है, उसमें टोटल आउटले का 1.79 परसेंट का प्रावधान करने वाली यह सरकार अब दावा कर रही है।

मुझे बड़ा अफसोस है, मैं एक के बाद एक सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों को सुन रहा था, सब कह रहे थे, मुख्य मंत्री जी ने पृथक् से कृषि बजट प्रस्तुत करके राजस्थान में कृषि के क्षेत्र में न जाने क्या बातें कर डालीं। सभापति महोदय, मैं इस पिछले साल में, जो 2022-23 का बजट है, उसके मैं 'बजट एट ए ग्लांस' के पेज 1 की बात करूं तो आउटले था 1 लाख 69 हजार 655 करोड़ रुपये। अकेले कृषि के लिए जो इस आउटले में योजनागत व्यय में राशि दी गयी, वह थी 4,127 करोड़ 12 लाख रुपये। यह पहला मौका है, 2022-23 में 4,127 करोड़ का प्रावधान और 2023-24 में 3,306 करोड़ का प्रावधान। मतलब, आज अगर देखें तो यह 821 करोड़ रुपये कम है।

सभापति महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है, मंत्री महोदय, आप किसान के पुत्र हैं, मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं, सब लोगों ने आपकी प्रशंसा की, पर आप इतने कमजोर होंगे, यह मुझे उम्मीद नहीं थी। 2022-23 में 2.43 परसेंट, 2023-24 में 1.79 परसेंट। सभापति महोदय, इसके अन्दर अफसोस तब हुआ, जब मैं ढूंढ रहा था कि ये 3,306 करोड़ रुपये का कृषि के लिए आउटले किया गया, इसमें काम्पोनेंट कौन-कौन से हैं। आपको पढ़कर सुनाऊंगा तो आपको आश्चर्य होगा।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2 हजार करोड़। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए 431 करोड़, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 325 करोड़, राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन के लिए 180 करोड़, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 90 करोड़, परम्परागत कृषि विकास योजना के लिए 43 करोड़, राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि मिशन के लिए 11 करोड़, उद्यानी विभाग के लिए 1211 करोड़, सूक्ष्म सिंचाई योजना के लिए 350 करोड़, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के लिए 300 करोड़, राष्ट्रीय बागवानी योजना के लिए 124 करोड़ और पांचों कृषि विश्वविद्यालयों के लिए 679 करोड़। यह पैसा, जिसके दम पर आप राजस्थान में पृथक् से कृषि बजट और मिशनों की बात कर रहे हैं, कुल-मिलाकर मैं यह सिद्ध कर सकता हूं, यह टेबल मेरे पास है, 80 परसेंट पैसा राष्ट्रीय योजनाएं, केन्द्र सरकार की योजनाएं, जिसमें केन्द्र का 60 परसेंट पैसा है, उसकी हैं और आप लम्बी-चौड़ी बातें कर रहे हैं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, अभी यहां मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट 2023-24 में डा. एम.एस. स्वामीनाथन का जिक्र किया। जब एम.एस. स्वामीनाथन का जिक्र किया तो मैं उम्मीद करता था कि मुख्य मंत्री जी सदन को यह भी बताते कि एम.एस. स्वामीनाथन आयोग का गठन 18 नवम्बर, 2004 को हुआ और 2007 में स्वामीनाथन आयोग ने अपनी रिपोर्ट यूपीए सरकार के सामने प्रस्तुत की। 2014 तक जब तक देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी नहीं आये तब तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लोक सभा में प्रस्तुत नहीं की गयी। मैं समझता हूं कि आज अगर सदन में जब भी बात चलती है तो मुख्य मंत्री जी हर भाषण में एक बात कहते हैं कि यूपीए सरकार ने देश के किसानों के 72 हजार करोड़ रुपये माफ किये। बहुत-बहुत धन्यवाद, पर मैं यह बताना चाहता हूं.....

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप गलत कथन मत करो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, अगर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को मनमोहन जी की गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया और उसकी जो 9 सिफारिशें थीं उनको लागू किया तो मैं हेलीकाप्टर से लटककर मुख्य मंत्री जी को सलाह देने वाले सलाहकार जी....

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): एमएसपी का जो उन्होंने सजेस्ट किया था उस क्राइटेरिया में बजट का आपने नहीं किया।

श्री सभापति: आपस में चर्चा नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि क्या इस सदन को देश के प्रधान मंत्री जी को बधाई नहीं देनी चाहिए? यहां कई माननीय सदस्यों ने कहा कि किसान की आमदनी दुगुनी, यह पहली बार मौका है जब किसी देश के प्रधान मंत्री ने इस देश के किसान की आमदनी दुगुना करने की अवधारणा को जनता के सामने रखा। सभापति महोदय, यह पहला मौका है, बिना खड़ग बिना ढाल, किसी ने मांग नहीं की।

श्री सभापति: आपस में वार्ता नहीं। प्लीज। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसी ने मांग नहीं की।

श्री सभापति: आपस में वार्ता नहीं, शांति रखें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, यूपीए सरकार के 72 हजार करोड़ के कर्जे पर हाथ बजाने वाले लोग, मैं बताना चाहता हूं कि 11 करोड़ 4 लाख लोगों को 2 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा चला गया और राजस्थान के 67 लाख किसान हैं। मैं जब यहां बात कर रहा हूं तो एक बटन दबता है, राजस्थान के 67 लाख किसानों को 16 हजार 583 करोड़ रुपये मिले हैं, बात करते हो आप। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि क्या उनको धन्यवाद नहीं देना चाहिए।

मैं उस कार्यक्रम का साक्षी रहा, 2015 के अन्दर प्रधान मंत्री जी सूरतगढ़ आये और उन्होंने पहली बार कहा कि क्या आज वह नवाचार, वह समय नहीं आ गया जब धरती की उर्वरा शक्ति, धरती में कौनसे न्यूट्रिएंट्स हैं, कौनसी उपज हो सकती है, उसके स्वास्थ्य की जानकारी के लिए सोइल हैल्थ कार्ड देश के किसानों के हाथ में हो। मुझे खुशी है कि आज देश में 23 करोड़ सोइल हैल्थ कार्ड हैं तो राजस्थान में 32 लाख हैं।

यहां बहुत बड़ी बात चली। मैं समझता हूं कि अगर ये माननीय सदस्य यह बता देते कि डीएपी के अन्दर 2020-21 में जो एक बैग पर सब्सिडी 512 रुपये थी उसको बढ़ाकर 2022-23 में 2501 रुपये की। क्या धन्यवाद नहीं देना चाहिए देश के किसानों को कि 2013-14 में यूपीए सरकार में कृषि पर जो बजट था वह 21 हजार 933 करोड़ रुपये था और इस बार 2023-24 का बजट 1 लाख 25 हजार करोड़ का है? क्या इस बात के लिए भी देश के किसानों को बधाई नहीं देनी चाहिए कि पिछली बार जो रियायती दरों पर बजटीय व्यवस्था की गयी थी, उसको 11 परसेंट बढ़ाकर 20 लाख किया गया?

सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान इस सरकार के नीति पत्र, चुनाव घोषणा पत्र के पृष्ठ 2 पैरा 6 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, उसमें आपने क्या कहा? किसानों के वोट लेने थे इसलिए आपने कहा कि राज्य के किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनकी फसल खरीदने की पुख्ता व्यवस्था की जायेगी। यह आपका जन घोषणा पत्र, सरकार का नीति पत्र जिसको सरकार ने काबीना की पहली बैठक में मुख्य सचिव के हाथ में पकड़ाया, वह बोल रहा है। फिर आपने क्या किया? 2019-20 में जब पहला बजट प्रस्तुत कर रहे थे तो बजट का पैरा 17 - ईज आफ डूइंग बिजनस की तर्ज पर ईज आफ डूइंग फार्मिंग और एक हजार करोड़ के किसान कल्याण कोष की मुख्य मंत्री जी ने घोषणा करते हुए कि किसान की फसल को यथोचित मूल्य दिलाने का हम इसका उपयोग करेंगे। इसी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कल्याण कोष को, जो 2019-20 में एक हजार करोड़ था, 2023-24 के अन्दर आपने 7500 करोड़ किया। मैं पूछना चाहता हूं कि हम किसी भी कोष की स्थापना करें, हम घोषणा पत्र में कहें, बजट में कहें, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 में सात बार रबी और खरीफ की फसलें आयी हैं और आपने किसान कल्याण कोष से अगर एक दाना भी खरीदा हो तो आप मुझे बतायें। सभापति महोदय, खरीद इसलिए नहीं सकते कि यह किसान कल्याण कोष, 2021-22 में दो हजार करोड़ का था, 2022-23 में 5 हजार करोड़ की घोषणा की, जिसका मंत्री जी, आपको ध्यान होगा और 2022-23 में कृषि के लिए जो पूरा बजटीय प्रावधान किया, जो बजट एट ए ग्लांस का मैंने कहा, वह था 4127 करोड़। अब बताओ कि यह 5 हजार करोड़ रुपये 2022-23 में इस किसान कल्याण कोष के लिए कहां से आया? आपने कहां एक्स्ट्रा बजटीय प्रबन्धन किया इसका, जब आप जवाब दें तब बतायें। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसके बाद 11 मिशन की ताबड़तोड़ घोषणा इस पहले कृषि बजट में कर दी।

सभापति महोदय, इसी तरह 2022-23 के अन्दर बजट के पैरा 165 में 5 हजार करोड़ का कृषक कल्याण कोष का बजट बढ़ाकर 7500 करोड़ कर दिया और आपका टोटल बजटीय प्रबन्धन आउटले के अन्दर 3306 करोड़ था, तो मैं समझता हूं कि यह मृग मरीचिका है।

सभापति महोदय, अब मुख्य मंत्री जी ने, अब यहां हम बैठे हैं, यहां सब लोगों ने एक बात कही कि हम सब लोग खेती और किसान से सम्बन्ध रखते हैं, राम दुहाई है आपको, एक आदमी खड़ा होकर कह दे, अपने निर्वाचन क्षेत्र में गये होंगे, किसी भी किसान ने खड़े होकर कहा हो कि हमारे लिए कृषि का अलग से बजट आया है, हमारे खेत खलिहान के अन्दर, हमारे जीवन स्तर के अन्दर कोई परिवर्तन आया, तो आप जो कहें वह सज़ा मुझे देना। ये बातें अब चलने वाली नहीं हैं।

मैं समझता हूं कि अब मुख्य मंत्री जी ने क्या कहा, 2023-24 के बजट के पैरा 165 में कहा कि हमारे प्रथम कृषि बजट की आमजन, किसानों, पशुपालकों एवं दूध उत्पादकों ने अभूतपूर्व सराहना की और यह कहा कि जो ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड है उसमें 2017-18 से 2021-22 में जो 13.12 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है वह हमारी नीतियों का परिणाम है। मैं समझता हूं कि आपने जो मिशन बनाये, कमाल है, मैं सदके जाऊं आप पर, सभापति महोदय, आपने जो मिशन बनाये उनकी हालत क्या है? सभापति महोदय, यह जो पहली बार आपने राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन, उसमें तीन वर्ष के सारे

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बजट को आपने एक जगह कर दिया, तीन वर्ष के सारे आंकड़ों को आपने एक जगह कर दिया और मिशन में कह डाला कि तीन वर्ष के लिए 2700 करोड़ का प्रावधान है। सभापति महोदय, यह भारत सरकार की वह योजना है जो सूक्ष्म सिंचाई मिशन में पहले संचालित थी। मैं समझता हूं कि इस तरह तीन साल के आंकड़ों को और तीन साल के बजट को एकजाई करें पर, मंत्री महोदय, मुझे यह बता दो कि आपने कहा था कि हम सेंटर आफ एक्सीलेंस आफ माइक्रो इर्रिगेशन खोलेंगे....

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं सदन का समय एक घंटा बढ़ाकर 9 बजे तक कर दिया जाये।

श्री सभापति: सदन का समय आज की कार्यसूची समाप्त होने तक बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय आज की कार्यसूची समाप्त होने तक बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 46-कृषि व मांग संख्या 47-पशुपालन एवं मत्स्य पर विचार

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मंत्री महोदय, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यह जो सेंटर आफ एक्सीलेंस आफ माइक्रो इर्रिगेशन, ये 5-5 करोड़ रुपये के सम्भागीय मुख्यालय में, मैंने तो माइक्रोस्कोप लगाकर देख लिया, अगर कहीं खोल दिया हो तो बता देना। दूसरा, यह राजस्थान जैविक मिशन, यह पहले जो हमारे समय में मुख्यमंत्री जैविक खेती मिशन नाम था उसका नाम बदलकर लिख दिया राजस्थान जैविक मिशन, तीन वर्ष में 600 करोड़, 4 लाख किसानों को लाभान्वित। मुझे बताना कि आपने कितने किसानों को लाभान्वित किया? यह जो आर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड और सम्भाग स्तर पर सर्टिफिकेशन के लिए लैब्स स्थापित करनी थीं, ये कहां हैं? बताओ तो सही। यह जो राजस्थान बीज उत्पादन निगम, यह लघु सीमांत को बीज का किट बांटा जाता है न सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय सभापति महोदय, मैं कल मुख्य मंत्री जी का मिलेट्स कान्क्लेव था उसमें भाषण सुन रहा था और उन्होंने कहा कि बाजरे की समर्थन मूल्य पर खरीद का केन्द्र रास्ता निकाले, क्या बात है। किसान वेलफेयर सोसायटी बनाम राज्य सरकार, यह मामला माननीय उच्च न्यायालय में गया और उसमें जो एफिडेविट दिया, मैं मुख्य मंत्री जी के सलाहकार महोदय, आपसे कहूंगा कि उसमें इन्होंने स्वीकार किया कि केन्द्र सरकार ने अगस्त, 2021 और जुलाई, 2022 को दो बार पत्र लिखकर कहा कि

(समय: 20.00 बजे)

अगर राजस्थान की सरकार एमएसपी पर बाजरे को खरीदना चाहती है तो अपना प्रस्ताव बनाकर भेजो, इन्होंने भेजा नहीं। यह बात इन्होंने खुद स्वीकार की है। अब 100 करोड़ के मिशन का दावा। सभापति महोदय, राजस्थान 66 परसेंट बाजरा पैदा करता है। राजस्थान के अन्दर इस बार किसान का बाजरा 1600, 1700 रुपये में बिका है, 2350 रुपये की एमएसपी थी, 6000 करोड़ रुपये का राजस्थान के किसानों को फटका लगा।

आप मुझे यह बता दें कि मुख्य मंत्री जी के खुद के गृह नगर के अन्दर कृषि विश्वविद्यालय में सेन्टर फोर एक्सीलेंस आफ मिलेट्स, यह कहां है जी? आप मुझे यह बता दें। आप तो अब खोल नहीं रहे हो। केन्द्र सरकार ने जब खोलना चाहा और कृषि अनुसंधान परिषद् ने जून, 2021 में कहा कि हम खोलेंगे, पर आपने जमीन नहीं दी, पर धन्यवाद, अब आपने जमीन दी है।

सभापति महोदय, ये सारे मिशन, मिशन का नाम लूं, राजस्थान संरक्षित खेती मिशन, उद्यान विकास निगम, फसल सुरक्षा मिशन, लम्बा समय जायेगा। सभापति महोदय, ये सब कपोल-कल्पित बातें हैं। मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भरतपुर में साढ़े सात करोड़ की लागत से सेन्टर फोर एक्सीलेंसी आफ एग्रीकल्चर, मधुमक्खी वाला, यह सेन्टर भी बता दें? गंगानगर में लैब खोलने की बात थी, आप वह भी बता दें? मैं समझता हूं, 2022-23 में पैरा 138 में, आपने एक लाख परिवारों को दो हजार करोड़ रुपये का अकृषि के लिए लोन देने की बात की थी। मैं इसका विरोधी नहीं हूं, जरा आप बतायें कि आपने इसमें कितना लोन दे दिया?

सभापति महोदय, अभी सरकार में कई तरह की बातें चलीं। कई लोगों ने दिल्ली की बात की, भारत सरकार के कृषक कल्याण कानूनों की बात की, किसानों की शहादत की बात की। यह सही है कि आप लोगों ने केन्द्र सरकार

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

का कृषि उपज व्यापार और वाणिज्यिक संवर्द्धन सरलीकरण अधिनियम, 2020 को रिपील किया। ब्रूट मैजोरिटी है, आपने किया क्या था इसके अन्दर, किसान को कृषि मण्डी की जंजीरों से मुक्त करने का प्रावधान। किसान जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे, अपनी फसल को बेचे। मण्डी की चारदीवारी के बाहर उसको टैक्स नहीं लगेगा। आपने क्या किया? मंत्री महोदय, आपने खुद ही यह कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2020 इसी सदन में पारित करवाया। आपने सेक्शन 17 में एक नया सेक्शन 17ए जोड़ा और इस कृषि उपज मण्डी की परिभाषा को इतना व्यापक बना दिया।

सभापति महोदय, आपका खेत है। मुझे मालूम है और मुझे यह भी मालूम है कि खेत में कई बार आप खड़े-खड़े कह देते हो कि अपने तो यहीं बेच दो, वहां भी टैक्स देना पड़ेगा। चाहे आप अपने खेत में बेचो, बाजार में बेचो, कहीं बेचो, उस कृषि उपज मण्डी की परिधि को इतना फैला दिया, परिभाषा को बदल दिया और राजस्थान में सर्वाधिक मण्डी टैक्स है। 1 रुपया 60 पैसा मण्डी टैक्स, 50 पैसा सैस, इस सैस को क्यों नहीं हटाते हो? अब तो कोविड चला गया है और 2 रुपये 25 पैसे आढ़त और कई जिन्स पर ढाई परसेंट एसजीएसटी। आज राजस्थान में सर्वाधिक मण्डी टैक्स है।

सभापति महोदय, कोई ऐसा सत्र नहीं रहा जिसके अन्दर किसानों के कर्ज माफी की बात नहीं चली। आज हिन्दुस्तान के अन्दर राजस्थान के किसानों के साथ जो कर्जा माफी के नाम पर धोखा हुआ है, आज उस किसान की चीत्कार, राजस्थान के कोने-कोने से उठने लगी है।

सभापति महोदय, जिस समय 19 दिसम्बर, 2018 को सरकार ने पहली राज्याज्ञा निकाली थी किसान का कर्जा माफ करने की, उस समय राजस्थान के किसानों के ऊपर कर्जा था 66 लाख किसानों पर 99 हजार 996 करोड़ रुपये और आपने इसी सदन में कहा, हमने 9 हजार 427 करोड़ का कर्जा माफ किया और 6 हजार करोड़ का पूर्ववर्ती सरकार का कर्जा माफ किया। यानी, राजस्थान के किसान पर 99 हजार 996 करोड़ का कर्जा हो और आप 9 हजार 427 करोड़ का कर्जा माफ करो। नाखून कटाकर शहादत में नाम लिख दे मेरा, कितने दिन आप नाम लिखवाओगे?

मैं समझता हूं राष्ट्रीयकृत बैंक, शिड्यूल्ड बैंक, ग्रामीण बैंक से केसीसी के आधार पर जिन्होंने ऋण ले लिया, आपने कितनी बार कहा कि हम वन टाइम सैटलमेंट करेंगे। 2019-20 में राज्यपाल के अभिभाषण के पैरा 11 में,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

2020 में पैरा 28 में, 2022 में पैरा 57-58 में, बजट 2019-20 में पैरा 25 में, 2021-22 में पैरा 68 में और आपने कहा 23 नवम्बर, 2018 के अवधिपार इन सारे राष्ट्रीयकृत बैंकों का वन टाइम सैटलमेंट करेंगे। अब आप क्या कह रहे हो? पत्र लिखो, पत्र लिखो का खेल। कभी आप पत्र लिख देते हो, कभी मुख्य मंत्री जी प्रधान मंत्री जी को लिख देते हैं, कभी वित्त मंत्री जी को लिख देते हो। आप कम से कम अपने घोषणा पत्र में यह तो कह देते कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के किसानों का ऋण तभी माफ कर पायेंगे जब केन्द्र सरकार हमारा सहयोग करेगी या बैंक हमारा सहयोग करेंगे।

मंत्री महोदय, आपने इसी सत्र में चित्तौड़ से आने माननीय सदस्य के एक सवाल में यह स्वीकार किया है कि 30 नवम्बर, 2018 से नेशनलाइज्ड बैंक के 31 दिसम्बर, 2022 तक 3 लाख 49 हजार 257 किसानों के 6 हजार 18 करोड़ रुपये के खाते एनपीए हो गये। इसी में आपने स्वीकार किया है कि 95 हजार 629, मैं आपका रिकार्ड बोल रहा हूं, मेरा कोई नहीं है, 95 हजार 629 किसानों का 1 हजार 809, ये किसान डिफाल्टर हो गये।

सभापति महोदय, इन किसानों की जमीन को नीलाम होने से कोई बचा नहीं पायेगा। आपने 2020 में सीपीसी में जो अमेंडमेंट किया था। आपको मालूम था, ये सैंट्रल लॉ है, कन्करंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। यह बिल जायेगा राष्ट्रपति की कन्सेंट के लिए और आज तक यह बिल नहीं आया और अब आप कह रहे हो, चुनाव आ गये न, हम राजस्थान फार्मर्स डैट रिलीफ एक्ट लेकर आयेंगे।

मैं समझता हूं, मैं आज सदन में जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ये जो खाते एनपीए हुए हैं 3 लाख 49 हजार किसानों के, ये जो 6 हजार 18 करोड़ का लोन एनपीए हुआ है किसानों का राष्ट्रीयकृत बैंकों का, इन किसानों को आप बचा नहीं पाओगे। मंत्री महोदय, किसानों की यह आह नेस्तनाबूद कर देगी।

सभापति महोदय, इसीलिए मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर एक राजस्थान कृषि कर्जदारी अधिनियम, 1957 से चल रहा है। यह तब लाया गया था किसान को सूदखोर से बचाने के लिए, ब्याज माफिया से बचाने के लिए, मनमाना ब्याज वसूल नहीं करे। राजस्थान कृषि ऋण कर्जदारी अधिनियम, 1957 में यह प्रावधान किया गया था कि ब्याज पर ब्याज नहीं लगेगा, मूल से ज्यादा ब्याज नहीं लगेगा, रकम की अदायगी 12 क़िस्तों में होगी और ब्याज की दर भी 6 से 9 परसेंट होगी। इसके लिए स्पेशल डेट रिलीफ कोर्ट का प्रावधान किया और इसके सेक्शन 21

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

में यह भी कहा था कि अगर किसान अपना ऋण किसी कारण से चुका नहीं पायेगा तो उसको दिवालिया करार नहीं दिया जायेगा। इसके सेक्शन 5 में यह भी कहा गया कि सिविल कोर्ट में अगर किसान के खिलाफ कोई डिक्री है और इस एक्ट के अन्दर किसान चला जाता है तो सिविल कोर्ट की वह प्रोसीडिंग स्टे हो जायेगी।

मंत्री महोदय, आज राजस्थान की सरकार गम्भीर नहीं है। राजस्थान के किसानों को इस 1957 के कानून के बारे में मालूम नहीं। वे अब भी एडवांस चैक ले रहे हैं, सूदखोर के चंगुल में राजस्थान का किसान है। वह जब एडवांस चैक लेकर, उस सूदखोर से पैसा लेता है और बैंक में वह चैक डिस्ऑनर हो जाता है तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के सेक्शन 138 में किसान पर मुकदमा होता है।

एक स्टडी है, राजस्थान में हर किसान परिवार पर 70 हजार 500 का कर्जा है। उसमें 30 हजार 921 साहूकार का कर्जा, साहूकार की चंगुल में राजस्थान 45 परसेंट है। इस चक्रवृद्धि ब्याज में, ये पंचायत मंत्री जी बैठे हैं, इनके इलाके का वह सौंप गांव का किसान कमल, उसने 12 साल पहले, मंत्री जी, आपको ध्यान है, आप शायद वहां बैठने भी गये थे। साढ़े तीन लाख रुपये का कर्जा लिया और कर्जा बढ़कर हो गया साढ़े तीन करोड़ और जब उसकी जमीन बिकने लगी तो उसने अपनी जान दे दी। इसलिए, मैं चाहूंगा कि सरकार अमेंडमेंट लेकर आये। इस राजस्थान कृषि कर्जदारी अधिनियम के सेक्शन 5 में एक अमेंडमेंट और लेकर आओ कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अन्दर भी अगर कोई आयेगा और इस एक्ट में अगर प्रावधान कर दोगे कि उसमें भी कार्यवाही नहीं चलेगी तो किसान को बहुत बड़ी रिलीफ मिल जायेगी।

सभापति महोदय, भादरा से आने वाले माननीय सदस्य की तकलीफ हम सबने देखी है, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, ऐसे ही धरने पर नहीं बैठे हैं। आज किसान अल्पवृष्टि, अतिवृष्टि, ग्लोबल वार्मिंग में बढ़ते हुए तापमान से खतम होती हुई उसकी फसल, सुरक्षा चक्र है फसल बीमा योजना। करोड़ रुपये का फसल बीमा का मुआवजा, आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की यह बीमा कम्पनी और आपके कृषि विभाग के बड़े अधिकारियों की मिलीभगत से किसान को वंचित करने का काम कर रहे हैं।

आपको मालूम है, 20 लाख से ज्यादा ऋणी किसान हैं। सभापति

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

महोदय, ऋण लिया नहीं, अपने आप प्रीमियम कटा नहीं, दो परसेंट खरीफ का, डेढ़ परसेंट रबी का, ये प्रीमियम राशि बैंक ने काट दी, बीमा के पोर्टल पर दर्ज नहीं हुई और उसके कारण से किसान बीमा से महरूम रह गया। यह आपके सामने नागौर, चूरू, सीकर, कोटा में रबी 2021, खरीफ 2021, लाखों किसान महरूम रह गये। बीमा का प्रीमियम बैंक ने काटा, बीमा कम्पनी के पोर्टल पर दर्ज नहीं किया। किसान का फसल बीमा तो गया ही, पर वापस प्रीमियम की राशि भी उसके खाते में जमा नहीं हुई। अभी बाड़मेर का हमने वह मंजर देखा कि बीमा कम्पनी ने किसान को पांच पैसे से बीस रुपये तक मुआवजा दिया। राजस्थान पत्रिका ने प्रसंगवश लिखा, 'कब तक छिड़कते रहोगे किसान के जख्म पर नमक' और उसके बाद सरकार सक्रिय हुई। केन्द्रीय मंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा कि बीमा कम्पनी को उन्होंने बुलाया और बीमा कम्पनी ने कहा कि क्रोप कटिंग में सैटेलाइट इमेजेज से मुआवजा दे रहे थे, उसको करके क्रोप कटिंग के आधार पर रेवेन्यू विभाग के आधार पर दिया गया। एक मीटिंग में 311 करोड़ का मुआवजा बढ़ कर हो गया 540 करोड़ रुपये और, सभापति महोदय, अभी राजस्थान में जो फसल बीमा योजना 2020-21 का प्रीमियम कटा है, राजस्थान में 6,343 करोड़ और बीमा का क्लेम मिला 4,076 करोड़। ये आंकड़े मैंने जिम्मेदारी से लिए हैं, सभापति महोदय, बीमा कम्पनियों को एक साल में 2,268 करोड़ का फायदा।

सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि नियम हमारे सामने हैं, बिजाई से फसल कटाई के 14 दिन के अन्दर अगर प्राकृतिक आपदा होती है तो मुआवजा उसको मिलता है। 72 घंटे के अन्दर नुकसान होने पर टोल फ्री, पर वह किसान शिकायत दर्ज कराता है, एप पर कराता है, न टोल फ्री उठता है, न एप उठती और उसके बाद सात दिन में बीमा कम्पनी का इंस्पेक्टर या आदमी आता है। इंस्पेक्शन करने के लिए किसान को सूचित करना पड़ता है। किसान को सूचना नहीं देते और मैं समझता हूं, सभापति महोदय, चाहे वेदर स्टेशन का मामला हो और चाहे टोल फ्री का मामला हो, यह किसान के साथ क्रोप कटिंग के नाम पर जिस प्रकार का खिलवाड़ हो रहा है निश्चित तौर पर, मंत्री महोदय, आपको इसमें संज्ञान लेना चाहिये और यह राज्यांश जो आप अधिसूचित प्रीमियम का दर्ज नहीं कराते, आपके सामने कई बार आया, आपने मेरे प्रश्न के उत्तर में यहां स्वीकार किया था।

श्री सभापति: कन्क्लूड करें, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): खरीफ 2019 में 1,430 और रबी में 685, नोहर से आने वाले माननीय सदस्य के उत्तर में भी आपने स्वीकार किया। सभापति महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करूं...

श्री सभापति: कन्क्लूड करें, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अभी मेरा समय है।

सभापति महोदय, जो लम्पी वायरस की बात यहां चली, लम्पी वायरस में मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हम चालीस हजार रुपये सहायता देंगे और यह प्रगति प्रतिवेदन आपका कहता है कि इस समय 15,72,000 गोवंश संक्रमित हुए और 75,820 काल कवलित हुए। यह आपको मालूम है आर्टिकल 246 के अन्दर पशुधन की सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। सभापति महोदय, यह इस बार 4 सितम्बर को सरपंच संघ ने एक ज्ञापन दिया और ज्ञापन इस बात का दिया कि उन्होंने सरकार के निर्देश पर गोवंश के शवों का वैज्ञानिक ढंग से निस्तारण किया, उसकी राशि मांगी और उनका आंकड़ा था 5,13,002. अब, मंत्री महोदय, आप मुझे बतायें कि आप जो मुआवजा देंगे वह 75,820, आज ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में एक-एक गोवंश के शव का जब उन्होंने निस्तारण किया, उसका इन्द्राज है। आज सरपंच संघ कहता है, रिकार्ड यह कहता है, इसलिये इन बातों में कुछ नहीं रखा और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह पशु बीमा योजना के साथ क्या किया आपने?

श्री सभापति: कन्क्लूड करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): चार साल बाद अब अक्टूबर में चेते हो, आपको थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिये और अब मुख्य मंत्री जी से कहला रहे हो कि हम दुधारू पशुओं का चालीस हजार रुपये प्रति पशु कामधेनु पशु बीमा योजना प्रारम्भ करेंगे। आपने 2022-23 में क्या कहलवाया था बजट के पैरा में? 150 करोड़ की लागत से 6 लाख पशुओं का मुफ्त बीमा होगा। एक का किया हो, मंत्री महोदय, एक का, सिंगल का किया हो तो मैं सदन में कभी आपके सामने खड़ा नहीं होऊंगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कन्क्लूड करें प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या बातें करते हैं, सभापति महोदय। और मैं समझता हूं कि यह जो आपने पशु बीमा योजना के साथ खिलवाड़ किया, 2018 में बन्द किया, 2019-20 में आपने कहा कि प्रीमियम ज्यादा आ गया, तो आपने यह क्यों कहा अपने जन घोषणा पत्र में कि हम पशुधनों का लघु सीमान्त और सीमान्त का मुफ्त में बीमा करेंगे? आपने क्यों कहा अपनी बजट

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

घोषणा में कि हम 6 लाख पशुओं का बीमा करेंगे? और आपने उसके बाद में बहाना यह किया कि प्रीमियम ज्यादा आ गया और 2020-21 में कोई कम्पनी आयी नहीं। अब आरएलडीपी के माध्यम से चार साल बाद आधी-अधूरी बात कर रहे हो। मैं समझता हूं कि इसमें भारत सरकार की योजना है।

सभापति महोदय, मैं अन्त में, एक राय आपको दूंगा कि देश में सर्वाधिक सरसों राजस्थान में हम पैदा करते हैं। पूरे देश की सरसों में पचास प्रतिशत हमारा योगदान है। आप इस सरसों को, हम राजस्थान को सरसों का प्रदेश घोषित क्यों नहीं करते? आपके सामने मस्टर्ड आयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन आफ इंडिया, मोपा की मांग है, मण्डी टैक्स इस पर क्यों नहीं समाप्त करते? एग्री सैस इस पर क्यों नहीं समाप्त करते? बफर स्टाक इसका क्यों नहीं कम करते और इस बार सरसों की फसल जो बर्बाद हुई है एसडीआरएफ में 19 हजार करोड़ रुपये पड़े हैं, इसको क्यों नहीं करते?

सभापति महोदय, अन्त में, मंत्री महोदय, यह राजस्थान सहकार जीवन सुरक्षा योजना, बीमा योजना और राजस्थान व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना इन योजनाओं को, सभापति महोदय, ब्रोकर कम्पनियों से क्या मोह हो गया इन मंत्रियों का? ये श्रीराम फाइनेंस को, हम किसी को दे दें, मेरा आरोप है इस सरकार पर भ्रष्टाचार करने के लिए सरकार ने जानबूझकर राजस्थान के पच्चीस लाख किसानों को राजस्थान सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना, राजस्थान सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना से वंचित किया है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि अब समय आ गया है, राजस्थान का किसान, पशुपालक उठ खड़ा हुआ है। आपके धोखे और प्रपंच के बल पर यह किसान आयेगा नहीं और यह किसान नेस्तनाबूद करेगा आपको और आपकी सरकार को। (व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): सभापति महोदय, कृपया हमको यह बता दें कि सरसों का भी कितना मुआवजा डाला जाता है और गेहूं का भी कितना डाला जाता है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज, विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): ...किसान की बात कर रहे हैं ...(व्यवधान) इनको खुद को मालूम नहीं खेती कैसे होती है। इनको पूछा जाये। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज सहयोग करें। विराजिये अब आप। अंकित नहीं होगा। किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): 000

श्री सभापति: श्री मुरारी लाल जी।

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): सभापति महोदय, मांग संख्या 46 - मुख्य शीर्षक कृषि विभाग। कृषि विपणन विभाग एवं कृषि विपणन बोर्ड के अन्तर्गत कुल 16 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए जिन पर सार्थक चर्चा हुई। मैं आपके माध्यम से सभी सदस्यों को आश्वस्त करता हूं कि सभी के जवाब शीघ्र सदस्यों को भिजवा दिये जायेंगे।

सभापति महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा नवीन कृषि उपज मण्डी खोलने, बाड़मेर में जीरा मण्डी का व्यापार आरम्भ करने, कृषि कार्य करते समय आकस्मिक मृत्यु पर किसानों को सहायता राशि देने, मण्डी प्रांगणों में आधारभूत सुविधाओं के विकास करने, मण्डी समितियों हेतु भूमि आबंटन करवाने, मिनी फूड पार्क की स्थापना करने, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, 2019 को प्रभावी ढंग से व्यापक स्तर पर लागू करने एवं प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करने, कृषक कल्याण कोष की राशि से कृषि जिंसों की खरीद करने एवं राजस्थान मिलेट प्रोत्साहन मिशन के अन्तर्गत कार्य करने से सम्बन्धित विषयों पर आज अपने विचार रखे और अपने अमूल्य सुझाव सदन के सामने रखे। मैं उन सभी सदस्यों का तहेदिल से आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि उन पर गौर करके किसानों के हित में जो निर्णय लिए जा सकेंगे, विभाग उन पर अमल करेगा।

सभापति महोदय, हमारे प्रदेश में जब हमारी सरकार बनी थी तो टोटल राज्य सरकार द्वारा विगत चार वर्षों में स्वतंत्र कृषि उपज मण्डियों की संख्या 144 से बढ़ा कर हमने 165 की। 21 मण्डियां हमने पिछले चार वर्ष में विधिवत रूप से गठित करके उनको चालू कर दिया। नयी मण्डी समितियों के गठन हेतु गौण मण्डियों के स्वतंत्र मण्डियों में क्रमोन्नयन एवं नवीन गौण मण्डियों की स्थापना के क्रम में इनकी उपादेयता, औचित्य व आवश्यकता के आधार पर विस्तृत आकलन एवं विश्लेषण उपरांत बजट घोषणा के अनुसार मण्डियों की स्थापना की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इस प्रकार राज्य में कृषि उपजों के विपणन हेतु निकटस्थ मण्डी प्रांगणों की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु विभाग निरन्तर प्रयासरत है।

कृषि उपजों के क्रय-विक्रय व सुचारु रूप से नियमित करने तथा मण्डी प्रांगणों में विपणन हेतु आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता एवं संचालन हेतु वर्तमान में राज्य में 165 कृषि उपज मण्डी समितियां एवं 317 गौण

(श्री मुरारी लाल)

मण्डियां कार्यरत हैं। कृषि उपज मण्डी प्रांगण में कृषकों द्वारा लायी गयी कृषि उपजों का खुली बिक्री पद्धति से क्रेताओं के मध्य प्रतिस्पर्धा से मूल्य निर्धारण करने एवं कृषक की सहमति उपरांत विक्रय कर सही तोल व शीघ्र भुगतान की व्यवस्था करायी जा रही है।

सभापति महोदय, सरसों उत्पादन में राज्य का अहम योगदान है। जैसा माननीय सदस्य बता रहे थे, सरसों के मूल्य का निर्धारण उसके तेल प्रतिशत की मात्रा के आधार पर तय होता है। अत: किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने की दृष्टि से सरसों उत्पादन के क्षेत्र में 136 मण्डियों में ऑयल टेस्टिंग लैब की स्थापना की गयी है।

सभापति महोदय, मण्डी प्रांगणों में कृषि उपजों के विपणन हेतु आधारभूत सुविधाओं के अन्तर्गत कवर्ड प्लेटफार्म, आन्तरिक सड़कें, जल व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, तिरपाल, कृषक विश्राम, किसान भवन, बैंक भवन, जलपान व्यवस्था इत्यादि आदि समितियों की आर्थिक स्थिति एवं आवश्यकता के आधार पर उपलब्ध करायी जा रही है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में मण्डी प्रांगणों में 605.64 करोड़ रुपये की आधारभूत सुविधाओं के कार्य करवाये गये हैं।

मण्डी प्रांगणों में कृषकों, व्यापारियों एवं अन्य को दुकानों/गोदामों/ फुटकर दुकानों के रिक्त भूखंडों का आबंटन किया जाकर कृषि जिन्सों के व्यवसाय में उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु कार्यवाही की जा रही है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा बजट वर्ष 2023-24 में कृषि आदानों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश की मंडियों में सहकारी संस्थाओं को नि:शुल्क भूखण्ड उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा की गई है। मण्डी प्रांगणों में सहकारी संस्थाओं को भूमि उपलब्ध कराये जाने से किसानों को एक ही परिसर में कृषि उपज के विक्रय करने एवं आदानों के क्रय की सुविधा उपलब्ध करायी जा सकेगी।

मण्डी क्षेत्रों में सम्पर्क सड़कों का निर्माण: सभापति महोदय, पिछले चार वर्ष में मण्डी क्षेत्र में 367 किलोमीटर की सम्पर्क सड़कों पर 224.6 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

सभापति महोदय, कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात नीति के तहत, जालौर वाले सदस्य बता रहे थे कि इसमें कुछ नहीं हुआ। सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि इस नीति के तहत हमारी सरकार के

(श्री मुरारी लाल)

द्वारा यह घोषणा की गई थी कि 02 करोड़ तक की जो किसान यूनिट लगाता है, उसको 01 करोड़ तक सब्सिडी दी जाती है। इसके तहत प्रदेश में अब तक 1011 यूनिटों की स्थापना की गई है, जिसमें 335 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है। करीब 2 हजार करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ है और करीब 1 लाख लोगों को परोक्ष-अपरोक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध हुआ है। अभी हाल ही के बजट में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इस सब्सिडी को बढ़ाकर व्यापारियों के लिए 50 परसेंट और किसानों के लिए 75 परसेंट कर दिया है, इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, बजट 2021-22 में प्रदेश के 10 जिलों में मिनी फूड पार्कों की घोषणा की गई थी। माननीय सदस्यों द्वारा बताया गया था कि इस पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई है। मैं बताना चाहूंगा कि 2022-23 में 12 फूड पार्कों की घोषणा की गई थी और हाल ही के बजट में 14 फूड पार्कों की घोषणा की गई है। 2021-22 और 2022-23 में जिन फूड पार्कों की घोषणा की गई थी, उन सभी 22 फूड पार्कों के लिए भूमि का आबंटन हो गया है और उन पर तारबंदी का कार्य चालू है। इसलिए जो सदस्य कह रहे थे कि इन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, इस पर हमने काम किया है और वर्तमान में जो 14 फूड पार्क घोषित किये गये थे, उन पर शीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

माननीय सभापति महोदय, हम कृषि मण्डी के द्वारा कुछ सामाजिक सरोकार के कार्य भी करते हैं, जैसे राजीव गांधी कृषक सहायता योजना। विभाग द्वारा सामाजिक सरोकार से संबंधित कई योजनाएं लागू की हुई हैं। कृषकों/खेतिहर मजदूरों द्वारा कृषि कार्य करते समय हुई दुर्घटनाओं एवं मण्डी प्रांगण में कार्यरत मजदूरों द्वारा कृषि विपणन का कार्य करते समय हुई दुर्घटनाओं में सहायता राशि उपलब्ध कराये जाने हेतु विभाग द्वारा राजीव गांधी कृषक सहायता योजना आरम्भ की हुई है। योजना में वर्णित परिस्थितियों के अनुसार मृत्यु की दशा में 2 लाख रुपये तक की सहायता राशि उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में योजनान्तर्गत 10,817 लाभार्थियों को 160.74 करोड़ रुपये की सहायता राशि उपलब्ध करवाई गई है।

माननीय सभापति महोदय, किसान कलेवा योजना मण्डी में संचालित है। मण्डी प्रांगणों में कृषि जिन्सें लेकर आने वाले किसानों एवं मण्डी प्रांगणों में कार्य करने वाले मजदूरों को अनुदानित दर पर खाना उपलब्ध करवाये जाने

(श्री मुरारी लाल)

की दृष्टि से विभाग द्वारा किसान कलेवा योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत 5 रुपये में कृषकों एवं मजदूरों को भोजन की थाली उपलब्ध करवाई जाती है। योजनान्तर्गत निर्धारित भोजन की थाली पर होने वाले व्यय की शेष राशि मण्डी समिति द्वारा वहन की जाती है। गत 4 वर्षों में 1.32 करोड़ कृषकों/मजदूरों को योजनान्तर्गत भोजन की थाली उपलब्ध करवाई गई है, जिस पर 32.90 करोड़ रुपये की राशि खर्च हुई है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): एक-एक उत्तर दे रहे हो आप। (व्यवधान) जितने भी सवाल उठाये, सबका उत्तर आ रहा है।

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): आपने इनका उत्तर तो दिया ही नहीं।

विभाग द्वारा मण्डी प्रांगणों में कार्यरत हम्मालों एवं पल्लेदारों हेतु महात्मा ज्योतिबा फूले मण्डी श्रमिक कल्याण योजना लागू की हुई है। इस योजना के अन्तर्गत मण्डी प्रांगण में कार्य करने वाले अनुज्ञाधारी हम्मालों/ पल्लेदारों को चिकित्सा, प्रसूति, गंभीर बीमारियों, बच्चियों की शादी, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति इत्यादि विषयों में सहायता राशि उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में इस योजनान्तर्गत 3639 हम्मालों, पल्लेदारों को 12.45 करोड़ रुपये की सहायता राशि का भुगतान किया गया है। इस प्रकार विभाग द्वारा किसानों, मजदूरों की आकस्मिक दुर्घटनाओं एवं दैनिक जीवन में उत्पन्न विषम परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के प्रकरणों में 'संकट में साथी' के रूप में आर्थिक संबल प्रदान किये जाने का कार्य किया जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान) राजस्थान देश में सबसे अधिक पोषक अनाजों का उत्पादन करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2023 को अन्तरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया। माननीय सभापति महोदय, अभी हमने एक बहुत बड़ा मिलेट्स का जयपुर में आयोजन किया है, कल 13 तारीख को माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने उसका शुभारंभ किया था। उसमें पूरे देश के विषय विशेषज्ञ, साइंटिस्ट, व्यापारी, जो खाने की वस्तुएं बनाते हैं, ऐसे करीब 1200 लोग थे और उसका कल शुभारंभ हुआ था और कल दिनभर वह सेमिनार चली थी और आज भी उस पर विचार-विमर्श हुआ। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में इसका बहुत ज्यादा फायदा हमारे प्रदेश को मिलेगा। अपने प्रदेश में जितने भी यह 36 फूड पार्क डिक्लेयर हुए हैं इनको भी हम अतिशीघ्र चालू करेंगे।

(श्री मुरारी लाल)

माननीय सभापति महोदय, जैसा कि जालौर से आने वाले सदस्य कह रहे थे कि बाजरे पर कोई काम नहीं हुआ। बाजरे का भाव 1200-1300 रुपये था, बिलकुल सही है। जबसे हमने मिलेट्स पर काम करना चालू किया है, तब से आज बाजरा बाजार में 2200 रुपये के आसपास बिक रहा है और जैसे ही यह सारे फूड पार्क चालू हो जायेंगे, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप वहां एक बार जाकर सेमिनार को देखकर आओ, बाजरा राजस्थान में 4-5 हजार रुपये में बिकेगा, आपकी एमएसपी रेट से भी आगे बढ़ जायेगा, इस पर हमारी सरकार काम कर रही है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा विगत 4 वर्षों में विभाग से संबंधित कृषकों एवं जनकल्याण की विभिन्न योजनाओं की घोषणाएं की गई हैं तथा विभाग द्वारा उन घोषणाओं के क्रियान्वयन हेतु पूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं। आने वाले समय में हम और मजबूती के साथ काम करेंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री लालचन्द जी कटारिया।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 46-कृषि और मांग संख्या-47 पशुपालन और मत्स्य पर 43 माननीय सदस्यों ने अपने विचार सदन में रखे। मैं सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं और आने वाले दो दिन में जितने भी कटौती प्रस्ताव आये हैं, उनका जवाब उनको भिजवा दिया जायेगा।

सभापति महोदय, सुबह सदन में मांग संख्या 46 और 47 पर जब चर्चा चालू हुई तो आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने चर्चा की शुरुआत उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नौकरी की चर्चा से शुरुआत की। एक समय था आदिकाल और पुराने जमाने में खेती और पशुपालन को सबसे बढ़िया माना जाता था। मैं यह कह सकता हूं कि समाज में उस समय उस आदमी को महत्वपूर्ण पद या वर्तमान समय की व्यवस्था के अनुरूप ही देखा जाता था जिसके पास जमीन है, बड़ी जोत है, अच्छा पशु धन है, उसके बाद व्यापार का नंबर आता था। नौकरी को उस जमाने में अंतिम छोर में माना जाता था और नौकरी करना कोई पसंद भी नहीं करता था। आमेर से आने वाले माननीय सदस्य जब बोल रहे थे, तब मेरे मन में विचार आ रहा था कि राठौड़ साहब इस पर कब बोलेंगे, क्योंकि जो उधर की कुर्सी का मामला है, वह अभी विचाराधीन है।

(श्री लालचन्द कटारिया)

सभापति महोदय, कृषि एक ऐसा क्षेत्र है, जिसके साथ पशुपालन जुड़ा हुआ है। हमारी संस्कृति और हमारा समाज पीढ़ी दर पीढ़ी अपने परिवार की ताकत, अपने बाल बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था और जो एक सामाजिक व्यवस्था का ताना बाना है, देश की आजादी के पहले और देश की आजादी के बाद में जो प्रगति हुई है, उस प्रगति के साथ-साथ जो नवाचार हुए हैं, चाहे खेती के क्षेत्र में हों, चाहे पशुपालन के क्षेत्र में हों। इन क्षेत्रों में जब नये नवाचार हुए और देश की आजादी के बाद देश ने एक नयी करवट ली, उसमें हमारा मरू प्रदेश राजस्थान आता है। राजस्थान देश में भू-भाग में प्रथम नम्बर पर है। हमारे पास सिंचाई के पानी की व्यवस्था कम है। हमारी जो भौगोलिक स्थिति है उसमें एक तरफ गंगानगर, हनुमानगढ़ जैसे जिले हैं, जहां नहरों से सिंचाई होती है। आज से 20-30 साल पहले सीकर, जयपुर, दौसा जो इधर के पूर्ववर्ती जिले हैं, इनमें ट्यूबवैल से सिंचाई होती थी। कोटा, बारां, बूंदी और टोंक का कुछ एरिया, जिनमें नये बांध बनाकर नहरी क्षेत्र को जब आगे बढ़ाया। हम कह सकते हैं अलग-अलग भौगोलिक स्थिति में एक तरफ पठार क्षेत्र भी है, उनमें जितनी प्रगति और जीडीपी को बढ़ाने का काम पशुपालन और खेती ने किया है, उतना व्यापार में नहीं हो पाया है।

आज जितने माननीय सदस्यों ने अपनी पीड़ा यहां व्यक्त की, ये सब गांवों से आते हैं, खेतीबाड़ी के बारे में जानते हैं, सम्पूर्ण जानकारी रखते हैं। मैं तो यह मानकर चलता हूं कि चाहे पक्ष के माननीय सदस्य हों, चाहे विपक्ष के हों, जनता की जो उम्मीदें हैं और गांव में बैठा हुआ किसान जब वोट देता है तो इस बात के लिए मन में विचार रखता है कि हमारा विधायक जब विधान सभा में जायेगा तो निश्चित तौर पर हमारी खेतीबाड़ी की बात करेगा, हमारे बच्चों के भविष्य की बात करेगा और वही बात माननीय सदस्यों ने आज यहां पर रखी है। कुछ माननीय सदस्यों ने मेरी तारीफ भी की। मैं लगातार चार साल तक यह कोशिश करता रहा कि विभाग द्वारा जो-जो भी काम हैं, चाहे पक्ष के साथी हों, चाहे विपक्ष के हों, क्योंकि राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है, प्रजातन्त्र है, इस साल चुनाव भी हैं, मेरे ख्याल से यह अन्तिम सत्र है, इसके बाद दो-तीन दिन का सत्र आगे कभी चले, हर माननीय सदस्य ने अपने क्षेत्र की मांग रखी, डिमांड भी की।

मैं यह कह सकता हूं कि मुख्य मंत्री जी का जो विजन है और दूसरी बार इस विधान सभा में उन्होंने जो कृषि के क्षेत्र में 11 मिशन गत बजट में

(श्री लालचन्द कटारिया)

रखे, एक मिशन बढ़ाकर इस बार 12वां मिशन। इस बार जो बजट पेश किया उसमें अपनी दूरदृष्टि और किसान को ताकत कैसे मिले, किसान खुशहाल कैसे रहे, किसान की आमदनी कैसे बढ़े, पशुपालकों को ताकत कैसे मिले, हर क्षेत्र के अन्दर जो बजट पेश किया वह राजस्थान को आगे बढ़ाने वाला है।

कुछ माननीय सदस्यों ने अपनी बातें कहीं। राजनीतिक क्षेत्र में भिन्नता होती है, अलग-अलग विचार होते हैं। केन्द्र के बारे में भी यहां पर चर्चा की गयी। मेरा तो यह मानना है कि हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, ज्यादातर केन्द्र से भी जुड़ी हुई हैं। जिस कल्याण कोष की बात की गयी, उसमें राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में अपने राज्य बजट से अनुदान देने का काम उन योजनाओं द्वारा किया जाता है।

सभापति महोदय, हनुमानगढ़-गंगानगर एक ऐसा क्षेत्र है जहां खालों की बात की गयी। मुख्य मंत्री जी ने मरम्मत के लिए पैसे दिये हैं। यह बात सही है कि यदि वहां पानी कम मिलता है या रिपेयर के टाइम पर रुकावट आती है तो किसान को परेशानी होती है।

इसी प्रकार जैविक खेती की बात की गयी। मुझे अच्छा लगा कि हमारे नरेन्द्र नागर जी, जिन्होंने कहा कि मैं खुद खेती करता हूं। जैविक खाद्य पदार्थ तैयार करके उनका सेवन करते हैं। मैं माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगा कि देश के प्रधान मंत्री जी से लेकर हमारे मुख्य मंत्री जी तक और हम सभी लोग इस बात को मानते हैं और अब तो वैज्ञानिक भी मान रहे हैं कि जो कोविड काल में मनुष्य के जीवन के साथ में इम्युनिटी की बात आयी, कोविड काल में जिस तरह का वातावरण बना, हर व्यक्ति में इस बात की समझ आ चुकी थी कि खाने-पीने की जो वस्तुएं हैं उनमें हम रसायन का प्रयोग कम करें। खाद, बीज, यूरिया, इन पर ध्यान दें। पैदावार में इनका कम उपयोग करें। हमारी जो परम्परागत खेती थी, जो कि हमारे बुजुर्ग आदिकाल से करते आ रहे थे, उस खेती की तरफ पुन: जाने का काम वैज्ञानिक भी बता रहे हैं, डाक्टर भी बता रहे हैं और हम लोगों के भी समझ में आ रही है कि हमको परम्परागत खेती की तरफ लौटना होगा।

आज मिलेट्स की बात हुई। मैं इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहूंगा। हमारे देश ने यह पहल की और यूएनओ में इस बात के लिए माहौल बनाया और उसका परिणाम है कि पूरी दुनिया में आज 2023 मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। यह बात सही है, जो कि अभी हमारे मंत्री महोदय

(श्री लालचन्द कटारिया)

कह रहे थे कि दो दिन का कान्क्लेव मिलेट्स का रखा गया है, जिसका आज समापन हुआ है। भारत के प्रधान मंत्री जी ने तो लोक सभा के अन्दर मिलेट्स का खाना रखा सभी सांसदों के लिए, राज्य सभा के हों, लोक सभा के हों। खाने से कुछ नहीं होता, उनकी भावना थी कि यहां से जितने भी सांसद हैं वे अपने क्षेत्र में जाकर प्रचार करेंगे। उसी तरह मुख्य मंत्री जी की भावना थी, जो मिलेट्स कान्क्लेव दो दिन का रखा गया है, उसमें मैं भी कल गया था। वहां हमारे सारी यूनिवर्सिटियों के वीसी थे और वैज्ञानिक भी थे। रिसर्च के नये-नये स्टूडेंट थे। लम्बी-चौड़ी चर्चा उस पर हुई।

यह बात सही है कि देश के अन्दर राजस्थान मिलेट्स में अग्रणी राज्यों में है। आज हमारे बाजरे, जिसकी एमएसपी की बात हम कहते हैं। यह बात सही है कि आज से 15 दिन पहले मैंने खुद ने बाजरा खरीदा है और साढ़े तेईस सौ रुपये क्विंटल उसकी मार्केट रेट थी। जो वातावरण पूरे देश और प्रदेश में बना है, जो बाजरा खिचड़ी के रूप में गांव के सामान्य परिवार के लोगों की थाली का खाना था, अब उसका परिवर्तन देखने को मिला है कि आज हम किसी शादी में जायें, किसी बड़े समारोह में जायें तो वहां बाजरे की खिचड़ी भी मिलेगी, बाजरे की चपाती भी मिलेगी, रबड़ी भी मिलेगी, सूप भी मिलेगा, न जाने, अनेक प्रकार की, चाहे ज्वार हो। कल मैंने पहली बार ज्वार की चक्की खायी। मैं कह सकता हूं कि वह बर्फी से बढ़िया थी, जैसे कि हमारी काजू-कतली वगैरह बनती है। इस तरह के पकवान मोटे अनाज में बनने लग गये हैं। आने वाले समय में राजस्थान के किसान के लिए एक खुशी का माहौल है। जो मोटे अनाज की डिमांड बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर उसकी आमदनी भी बढ़ेगी।

गेहूं और बाजरे की पैदावार का अन्तर देखने को मिला। आज गेहूं की एवरेज पैदावार प्रति हैक्टेयर 39 क्विंटल है, बाजरे की प्रति हैक्टेयर पैदावार 11 क्विंटल है। कल यह बात कान्क्लेव में भी आयी थी कि यह जो गैप है, उसमें बाजरे का प्रतिशत बढाया जाये। उसके लिए वैज्ञानिक भी ध्यान दें, किसान भी ध्यान दें कि हमारी जोत जो कि वर्षा पर आधारित है, उस पर आधारित फसल पर हम ज्यादा पैदावार कैसे लें। जब ज्यादा पैदावार लेंगे तो निश्चित तौर पर दो पैसे की आमदनी घर में आयेगी। आज चारे की समस्या है और बाजरे के साथ में चारे की समस्या भी खतम होती है। पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश, यदि ये गत वर्ष चारे की सप्लाई नहीं देते तो राजस्थान में चारे का बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाता। 1500 रुपये क्विंटल में चारा मार्केट

(श्री लालचन्द कटारिया)

में मिलने लग गया था। उसी सोच को देखते हुए, जब मुख्य मंत्री जी को इस बात का पता चला कि चारे के दाम इतने बढ़ गये हैं तो उन्होंने दूध में दो रुपये से बढ़ाकर तीन रुपये का अनुदान और बढ़ाया और हमारे पशुपालकों को पांच रुपये का जो प्रति लीटर अनुदान मिला, उससे वे पशुधन को बचा पाये।

सभापति महोदय, इसी तरह बांसवाड़ा की चर्चा की गयी। बांसवाड़ा के माननीय सदस्यों ने अपनी पीड़ा व्यक्त की कि वहां पर मक्का पकाई पर है और नहरें बंद करने की बात चल रही है। यह बात मेरे भी संज्ञान में तीन दिन पहले आयी थी। वहां के एक बहुत बड़े किसान हैं जो यहां जयपुर में रहते हैं, शेखावत साहब, जिनकी वहां पुरानी बहुत बड़ी जमीन है। उन्होंने मुझे फोन किया कि 15-20 दिन नहरें आप चालू रखिए नहीं तो बहुत बड़ा संकट हो जायेगा और मक्का जो हमारी पकाई पर है, उसमें हमारे मार पड़ेगी। उसके बारे में हम विचार करेंगे।

शंकर सिंह जी ने जो बात की, बबूल की। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं सदन में कि ये जमीनी बातें हैं, इन बातों का हमको ध्यान रखना होगा। आज पूरे राजस्थान के अंदर ये अंग्रेजी बबूल है, इसने लाखों हैक्टेयर जमीन खराब कर रखी है। जमीन की कटाई होती है और वहां जो झाड़ियां रह जाती हैं, उसमें जो कांटे होते हैं वह इतने तीखे होते हैं कि यदि किसी के पैर में चुभ जाए तो आर के पार निकल जाते हैं। इनका कोई उपयोग नहीं है। इस बात के लिए हमारे विभाग ने तैयारी भी कर ली थी। हम इस पर बड़ा रोड मैप बना रहे हैं कि राजस्थान में पंचायत स्तर पर इसके समूल खातमे की तरफ कोई अभियान चलाया जाए और उस जमीन को हम दूसरे फलदार पौधों में परिवर्तित करें। चाहे वह पंचायत के माध्यम से करें या पंचायत समिति के माध्यम से करें। योजना बनाने के लिए हमने मोटे तौर पर एक कमेटी बनायी है। अब उस कमेटी की आगे मीटिंग्स करके एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे कि इस अंग्रेजी बबूल ने काफी जमीन राजस्थान की खराब कर दी है, इससे हम निजात दिला पाएं।

सभापति महोदय, आज कृषि के क्षेत्र में इन चार साल के कार्यकाल से पहले 12 कृषि महाविद्यालय थे। मुख्य मंत्री जी की मंशा थी कि कृषि के क्षेत्र में राजस्थान आगे कैसे बढ़े, उन्होंने 42 कृषि महाविद्यालय और खोले। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसका परिणाम आने वाले समय में, समय लग सकता है क्योंकि राजस्थान में सबसे बड़ा भूभाग है और कृषि के क्षेत्र में

(श्री लालचन्द कटारिया)

हमारी नौजवान पीढ़ी, हमारे छात्र और छात्राएं जब पढ़ाई लिखाई करके अपने गांव, ढाणी में जो प्रयोग करेंगे, हर कोई आदमी तो नौकरी लग नहीं सकता, परंतु जब नयी टेक्नोलोजी के साथ में हर छात्र-छात्राएं जो किसान वर्ग से हैं, जिसको कृषि पर्यवेक्षक की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि खुद ही शिक्षित होगा। उसको इस बात का पता रहेगा कि मैं जो खेती कर रहा हूं उसमें कौनसी दवा देनी है, कितना पानी देना है, कितना खाद देना है, कितना बीज इसमें डालना है, तो कृषि के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आने वाले समय में देखने को मिलेगा। इसका बहुत बड़ा कारण है ये जो राजस्थान में इतने कृषि महाविद्यालय खोले हैं। सभापति महोदय, कई माननीय सदस्यों ने और डिमांड की है। परसों मुख्य मंत्री जी जवाब देंगे 17 तारीख को, हो सकता है और खुल जाएं।

आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? पीछे से मलिंगा जी कह रहे थे कि बीज कितना डलता है? सरसों कितनी डलती है? ये तो सामान्य बातें हैं। राठौड़ साहब, ऐसा नहीं है कि ये किसान नहीं हैं। पक्के किसान हैं, खेती-बाड़ी है और रघु शर्मा जी जानते हैं इस बात को अच्छी तरह।

सभापति महोदय, लम्पी के बारे में यहां चर्चा की गयी। हो सकता है आंकड़े, मैं इस बात को भी मानने के लिए तैयार हूं कि पंचायत के आंकड़ों में और हमारे पास जो आंकड़े हैं, उनमें फर्क हो सकता है। परंतु इस बात के लिए मैं तहेदिल से स्वागत करूंगा मुख्य मंत्री जी का कि उनके मन में लम्पी के बाद में लगातार पीड़ा थी। वह दो-तीन मीटिंग्स में मेरे से चर्चा कर चुके थे कि मैं चाहता हूं कि राजस्थान में जो गो वंश है, जो लम्पी की चपेट में आ गये और जो पशुपालक हैं, जिनका नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई किस प्रकार करें। उन्होंने 40 हजार प्रति दुधारू गाय का जो बीमा हम कर रहे हैं, उसी के आधार पर मूल्य रखा। इसमें कई प्रकार की बातें आ रही हैं, जो सही भी हैं और गलत भी हैं, क्योंकि समय सामने है, परंतु मैं यह कह सकता हूं कि राजस्थान में जो 40 हजार रुपये मुख्य मंत्री जी ने बजट में रखे हैं, गो माता के लिए, पशुपालक के लिए, उसमें निश्चित तौर पर हम कोशिश करेंगे कि वह दुधारू गौ माता या वह पशु जो किसान के घर पर बंधा हुआ था, उसकी किसी भी प्रकार से कोई रिपोर्ट हमारे पास आयेगी, चाहे एलएसए करे या डाक्टर करे, क्योंकि कई जगह से रिकार्ड मिल रहे हैं। ज्यादातर किसान के घर पर जब वह बीमार हुई एलएसए जाकर देखकर आया है, उसके इंजेक्शन लगाने का काम

(श्री लालचन्द कटारिया)

किया है, दवा देने का काम किया है। कहीं नहीं हुआ है तो दूसरी बात है, उसमें अलग लेंगे हम।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): साहब, स्टाफ था ही नहीं ज्यादातर।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): मैं मानता हूं जहां स्टाफ नहीं था, वहां भी हम कुछ करेंगे। ये कोशिश की जायेगी कि 40 हजार रुपये उस आदमी को, पशुपालक को मिले ताकि उसको राहत मिल सके। लम्पी महामारी और कोरोना, ये जिस तरह का कहर पूरे देश में बरपा और जिस तरह की मनुष्य के सामने चुनौती आयी, ये प्राकृतिक आपदा थी। इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता।

मैं यह कह सकता हूं कि 12 मिशन सरकार ने रखे हैं। उसमें हमने फार्म पौंड पर अनुदान बढ़ाने का काम किया है। जैविक खेती मिशन के अंदर जिस बोर्ड की बात आप कर रहे थे, उस बोर्ड का गठन जल्दी होने जा रहा है। राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन, इसमें हमने एक नया नवाचार किया है कि पशुपालकों को एक नेपियर घास आती है, जो हम गांवों में सामान्य तौर पर रंजका वगैरह बोते हैं हरे चारे के लिए, उसमें एक सब्स्टिट्यूट में नेपियर घास मिली है, जिसको गांव में वैसे पुराने जमाने में घोड़ा घास कहते थे, उसको किसानों का वितरित करने का काम किया है। 23 करोड़ रुपये इस पर इस साल हम खर्च करेंगे। रंजका व दूसरा हरा चारा है, वह पानी ज्यादा लेता है, ये कम पानी में ज्यादा पैदावार देता है। ये भी इस मिशन में हमने शामिल किया है। 24 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज व 21 लाख 84 हजार बीज मिनी कट के हम विभाग द्वारा वितरण करेंगे।

सभापति महोदय, राजस्थान मिलेट्स के बारे में मैंने आपको बताया कि इससे आने वाले समय में प्रदेश को लाभ है। राजस्थान संरक्षित खेती मिशन, इसके अंदर राज्य में ग्रीन हाउस 24 लाख 38 हजार वर्ग मीटर, शैडनेट हाउस 2 लाख 50 हजार, लो टनल व प्लास्टिक मल्चिंग शामिल है। राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन, ये तारबंदी है। ये किसान के लिए महत्वपूर्ण है। अभी कुछ दिनों पहले मैं सवाई माधोपुर गया था। एक किसान मेरे से मिला कि मेरा जो ये हाथ है ये बघेरे ने तोड़ दिया। पड़ोसी ने आकर छुड़ा लिया, नहीं तो हो सकता है वह मुझे खा जाता और खतम कर देता। वह कह रहा था कि जब से मेरे खेत में तारबंदी हुई है, मैंने गेट लगा दिया, अब मैं रात को भी खेत पर नहीं जाता। ये राजस्थान के किसानों के लिए जरूरी है

(श्री लालचन्द कटारिया)

क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र है, आसपास के गांव और जो खेत हैं, उनमें तारबंदी महत्वपूर्ण है। वैसे भी आजकल जो हम आवारा पशु कहते हैं, है तो गौ माता ही, परंतु जब दूध नहीं देती तो लोगों ने उनको छोड़ दिया, वह जब सड़कों पर या गांवों में घूमती है तो निश्चित रूप से जहां खाने को मिलेगा, उस खेत पर अंदर घुसकर नुकसान का काम करती है। इसलिए तारबंदी में हमने बहुत बड़ा काम किया है। तारबंदी में 02 हजार किसानों के अनुदान के लक्ष्य को बढ़ाकर 15 हजार किया गया है। अनुदान अधिकतम 48 हजार है। तारबंदी के मापदंडों में शिथिलता दी गयी है। इसमें जो यूनिट्स वगैरह थीं, उसमें काफी कम कर दिया है। 2023 तक, हम इस वित्तीय वर्ष तक 15 हजार किसानों को अनुदान प्रदान कर लगभग 45 लाख मीटर की तारबंदी राजस्थान में कर दी जायेगी।

सभापति महोदय, इसी तरह जो कस्टम हायरिंग सेंटर है, यह भी एक किसानों के लिए लाभदायी महत्वपूर्ण मिशन है। इसमें जो हमारे जीएसएस हैं, आरकेवीवाई से पैसा लेकर गांवों में जितनी भी पंचायतों में जीएसएस हैं, उनको ट्रैक्टर देने का काम किया है ताकि वह कम जोत वाले किसानों को आधी रेट पर जुताई कर दे। उसमें ट्रैक्टर, थ्रेशर, रोटावेटर, कल्टीवेटर, ट्रोली, ये सब चीजें रखी गयी हैं। जीएसएस को दो पैसे की आमदनी भी होगी क्योंकि जीएसएस गांव की बोडी है, किसानों की बनायी हुई बोडी है। उसमें गांव में यह पता रहता है कि किसी की दो बीघा की खेती है और यदि वह ट्रैक्टर नहीं रख सकता तो जीएसएस पर फोन करे, ट्रैक्टर मंगवा ले और अपनी बिजाई करवा ले, थ्रेशर के समय में थ्रेशर बुला ले। इससे राजस्थान के किसानों का काफी लाभ मिलेगा। इस पर भी मुख्य मंत्री जी ने टार्गेट बढ़ा दिया है।

सभापति महोदय, फसल बीमा के बारे में मैंने बताया और जो आपने भी चर्चा की। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, चाहे अटल जी की सोच हो, चाहे मोदी जी की सोच हो, चाहे अशोक गहलोत जी की सोच हो, जो चीज सही है उसको सही माना गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्दर पिछले चार साल में केवल जो हमारा राज्यांश है, उसमें 11 हजार करोड़ रुपये का राज्यांश दिया गया है। भारत सरकार का अलग है और किसानों का अलग है। यह कुल मिलाकर 18,500 करोड़ रुपये के बीमा क्लेम 1 करोड़ 90 लाख से अधिक पालिसी धारक किसानों को दिया गया है, यानी कि 18,500 करोड़ रुपये किसानों के खाते में डी.बी.टी. के माध्यम से गये हैं, पर दिक्कत यही है कि जैसे-जैसे कोई नई चीज आती है तो परेशानियां भी उसमें आती हैं,

(श्री लालचन्द कटारिया)

विसंगतियां होती हैं। हमारे माननीय बलवानजी पूनियां साहब और महिया साहब धरने पर बैठ गये थे, तो ये विसंगतियां धीरे-धीरे दूर होंगी, हम इनका भी तोड़ निकाल रहे हैं। आई.टी. का उपयोग करेंगे ताकि आने वाले समय यह विसंगतियां दूर हों और जो किसानों की परेशानी आती है, वह परेशानी किसानों के सामने नहीं आये।

इसी तरह से राजस्थान में राज किसान साथी पोर्टल हमने विकसित किया है विभाग का। आवेदन से भुगतान तक सम्पूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाइन, 7 लाख 50 हजार से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए एवं डी.बी.टी. से लगभग 700 करोड़ रुपये के किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर किये गये हैं इस राज किसान साथी पोर्टल द्वारा।

उर्वरक व्यवस्था। खाद के बारे में मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि खाद में लम्बी-लम्बी लाइनें लगती थीं। इस बार जो लाइनें लगीं इसको भी समझने की आवश्यकता है। एक तो हमारी कुल जोत 6 लाख हैक्टेयर बढ़ी है, क्योंकि बरसात पूरे राजस्थान में अच्छी हुई है तो हमारी जोत बढ़ गयी और दूसरा एक कारण यह रहा कि 15 लाख हैक्टेयर में दो बार बुवाई हुई। एक बार बारिश हुई किसानों ने बिजाई कर दी, खाद डाल दिया। पन्द्रह दिन के अन्दर इतनी भारी वर्षा हुई, पन्द्रह लाख हैक्टेयर जमीन में कि वह जोत दुबारा करनी पड़ी, तो प्रेशर इतना पड़ा कि भारत सरकार भी डिमांड के अनुसार सप्लाई दे रही थी, पर पूरे देश के अन्दर अचानक जो बरसात पूरी हुई, उसमें सप्लाई में कमी आ गयी। मैं यह नहीं कहता कि भारत सरकार ने खाद, यूरिया नहीं दिया पर परिस्थितियां ऐसी बनीं कि पूरा प्रेशर डवलप हो गया देश के अन्दर और करीबन पूरे भारत के अन्दर बरसात हुई, तो एक साथ बिजाई के कारण और हमारे यहां राजस्थान में 15 लाख हैक्टेयर में डबल बिजाई उसी टाइम आ गयी तो उसका कारण यह रहा कि वे लम्बी कतारें लगीं। आज की तारीख में हमारे पास सफिशिएंट यूरिया और डी.ए.पी. है, उसकी कोई कमी नहीं है।

नवीन कृषि महाविद्यालयों के बारे में मैंने बता दिया। सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सौर ऊर्जा पम्प-सेट्स लगाने में देश में अग्रणी है। देश के अन्दर राजस्थान पहले स्थान पर है और अब तक 97 हजार सौर ऊर्जा के पम्प-सेट किसानों की साइट पर स्थापित किये जा चुके हैं, जिनका उपयोग वे कर रहे हैं और देश में हमारा प्रथम स्थान है।

(श्री लालचन्द कटारिया)

उत्कृष्ट केन्द्रों की स्थापना। राज्य में सात सम्भागों में, जो आप कह रहे थे कि सात सूक्ष्म सिंचाई के उत्कृष्ट केन्द्रों की स्थापना प्रक्रियाधीन है, हुई नहीं है। मैं इस बात को मान रहा हूं, जो आपने चर्चा की है। उसमें हम आगे काम करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार से मैं पशुपालन पर आता हूं। पशुपालन में बीमा में हमने घोषणा की है और यह बात सही है कि 2018 के बाद में उसमें बार-बार रुकावट आयी, अब वह आगे पशुधन बीमा हम चालू कर रहे हैं।

ऊंट संरक्षण के लिए जो कानून बनकर और जिस तरह से ऊंटों पर संकट आ गया था, उस पर हमने दस हजार रुपये, पुन: उस स्कीम को चालू किया है, विगत सरकार में बंद की गयी इस योजना को पुन: चालू किया गया है। योजना के तहत उष्ट्र पालकों को टोड़ियों के जन्म पर दो किस्तों में कुल दस हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी।

पशु चिकित्सा संस्थाओं में 215 पशु चिकित्सा उप केन्द्रों को पशु चिकित्सालयों में एवं 198 पशु औषधालयों में एवं तीन प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों को बहूद्देशीय पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया जा चुका है।

इसी प्रकार हमने वेटेरिनरी शिक्षण संस्थान खोले हैं। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में बीकानेर में एक वेटेरिनरी यूनिवर्सिटी थी। इस बजट के अन्दर, क्योंकि बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चाहे भरतपुर का हो, अलवर का हो, जो भी छात्र वेटेरिनरी में पढ़ाई करना चाहता था या आगे भी चाहता है तो उसको बीकानेर जाना पड़ता था। राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी के संज्ञान में जब यह बात लायी गयी तो उन्होंने जोबनेर, जो कृषि विश्वविद्यालय है उसी में, वर्तमान समय में तो एक सेशन तो उसी में चलेगा और उसके पास में जो दो ग्राम पंचायतों में जमीन है, उनके अन्दर राजस्थान पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय नया बनाया जायेगा। यह कोई छोटी बात नहीं है। हमारे पास लड़के आते हैं, सिफारिश करवाते हैं कि फलां को फोन कर दो, फलां को कर दो, इतनी दूर बीकानेर है और यह बात सही है कि लम्बे अरसे से अभी एक यूनिवर्सिटी खुली है और अभी एक यूनिवर्सिटी की मांग और है, पर मैं मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने तत्काल, यह बात बजट से तीन-चार दिन पहले ही चर्चा में आयी, उनके संज्ञान में जैसे ही आयी तो उन्होंने

(श्री लालचन्द कटारिया)

तुरंत इसकी घोषणा की और आने वाले सेशन में इसका लाभ उनको मिलेगा। आठ नये वेटेरिनरी कालेज खोले गये हैं। दो डेयरी साइंस एवं टेक्नोलोजी कालेज एवं एक पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना जोबनेर में की जायेगी।

माननीय सभापति महोदय, 900 डाक्टर्स की भर्ती की प्रक्रिया, जो पशु चिकित्सक हैं, उनकी लम्बे समय से कोर्ट में अटकी हुई है। कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने यह फैसला सुरक्षित रख रखा है। मैंने कल भी ए.जी. साहब से यह बात की थी, वे दोबारा उसमें एप्लीकेशन लगा रहे हैं और जैसे ही वे 900 डाक्टर्स मिलेंगे, क्योंकि राजस्थान में पशु चिकित्सकों की कमी है, एल.एस.ए. की भर्ती तो हमने काफी कर ली है और करीबन 90 परसेंट एल.एस.ए. की भर्ती हमने करके उप केन्द्रों को चालू करने का काम किया है, पर डाक्टर्स की कमी का सामना अभी भी हमको करना पड़ रहा है और वह कमी है। लगातार माननीय सदस्य की और गांवों से इसकी डिमांड रहती है।

माननीय सभापति महोदय, मैं मत्स्य विभाग के बारे में भी कुछ बताना चाहूंगा। चूरू से आने वाले जो माननीय सदस्य हैं उनके यहां श्रिम्प झींगा पालन का काम चूरू जिले में सबसे ज्यादा होता है और यह झींगा पालन का काम एक तरह से इतना सेंसेटिव है कि थोड़ी-सी बीमारी हो जाये तो लाखों रुपये चले भी जाते हैं, बर्बाद भी हो जाते हैं और यदि ढंग से यह पैदावार हो जाये तो करोड़ रुपये झींगा पालक के आते भी हैं। इसके लिए जो बार-बार परेशानी आ रही थी, उन लोगों को हनुमानगढ़ और हरियाणा जाना पड़ता था, उनकी कोई दवा वगैरह आती है जो लगातार उनको लानी पड़ती है। उसके लिए हमने चूरू जिले में मत्स्य विकास अधिकारी कार्यालय की स्थापना कर दी है और उसका चार्ज भी दे दिया है।

चूरू में ही खारा पानी, एक्वाकल्चर प्रयोगशाला की घोषणा भी इस बार की गयी है, उसको हम अतिशीघ्र चालू करवायेंगे ताकि उनको हरियाणा और वहां पर नहीं जाना पड़े। इनको तो सब पता है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने जो बातें कही हैं और आगे भी जो बातें हैं, आप चाहेंगे, क्योंकि आपने डिमांड की है उप केन्द्रों की, कहीं पर डी.डी. आफिस की तो आप लिखकर दे दें।

जिस तरह से चार साल से लगातार मैंने कोशिश की है माननीय

(श्री लालचन्द कटारिया)

मुख्य मंत्रीजी के दिशा-निर्देश के अनुसार, उसी में अब यह चुनावी वर्ष है पर, राठौड़ साहब, आप जो कह रहे थे उस बात से मैं सहमत नहीं हूं। आपने यह कहा कि आपकी तरफ किसान देख ही नहीं रहा। मैं दावे के साथ यह कह सकता हूं कि राजस्थान के मुख्य मंत्री किसी ग्रामीण क्षेत्र में यदि अख़बार में यह आ जाये कि यहां पर मुख्य मंत्रीजी आयेंगे तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद इस बात का गवाह हूं। मैंने अभी एक प्रोग्राम करवाया वहां पर महेशजी थे, आप भी थे, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल यह कहा कि मुख्य मंत्रीजी इसमें आयेंगे तो पचास हजार किसान वहां पर आ गये, तो यह स्थिति बनी हुई है। योजनाएं सारी धरातल पर हैं, लगातार चार साल से काम हो रहा है। अब आपको तो जो अपनी बात कहनी है, वह कहनी है। पूनियां जी अभी आये थे और चले गये हैं, उधर का झगड़ा है। हम तो चाहते हैं आपको वैसे।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): आप बोलें तो प्रस्ताव पारित करवा दें?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): हां, महेशजी मुझे कह भी रहे थे, प्रस्ताव पारित कर दें।

माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए..(व्यवधान)

श्री सभापति: हां, न करवाऊं क्या? हां, न करवाऊं? क्या? बोलो अभी तो, फैसला कर दें? क्या? कराऊं क्या प्रस्ताव पारित? (व्यवधान)

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मांगें पारित की जाएं।

मांग संख्या 46 - कृषि का पारण

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 46- कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 37,48,99,36,000/- (सैंतीस अरब अड़तालीस करोड़ निन्यानवे लाख छत्तीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री सभापति)

मांग संख्या 47 - पशुपालन एवं मत्स्य का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 47 - पशुपालन एवं मत्स्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 14,55,48,27,000/- (चौदह अरब पचपन करोड़ अड़तालीस लाख सत्ताईस हजार) तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 15 मार्च 2023 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21.00 बजे बुधवार, 15 मार्च 2023 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

भीलवाड़ा शहर में फ्लाईओवर का निर्माण

360. श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) भीलवाड़ा शहर में बढ़ते यातायात एवं सड़क जाम के निदान हेतु सरकार की क्या कोई कार्ययोजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार यातायात की समस्या के समाधान के लिए एलीवेटेड रोड, अजमेर पुलिया की चौड़ाई बढ़ाने एवं फ्लाई ओवर बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) इस संबंध में वर्तमान में कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(2) यातायात की समस्या एवं सड़क जाम की समस्या के निदान हेतु ओवर ब्रिज को चौड़ा करने की आवश्यकता है। नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा में उपलब्ध आर्थिक संसाधनों के मध्यनजर एलीवेटेड रोड एवं फ्लाई ओवर बनाने का निर्णय लिया जायेगा।

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

नदियों को प्रदूषण मुक्त करने की योजना

370. श्री पुखराज (भोपालगढ़): क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों में प्रदेश की नदियों में प्रदूषण को रोकने के लिए क्या-क्या कदम उठाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राज्य में परम्परागत रूप से आबादी एवं उद्योगों से जनित प्रदूषित/उपचारित औद्योगिक उच्छिष्ट एवं सीवेज का प्रवाह प्राकृतिक रूप से नदियों में पहुंचता रहा है। इसकी रोकथाम हेतु राज्य सरकार द्वारा सतत प्रयास किये जा रहे हैं।

स्थानीय निकाय विभाग द्वारा आवासीय क्षेत्रों से जनित सीवेज के उपचार हेतु प्रदेश में पिछले वर्षों में स्थापित एवं निर्माणाधीन म्युनिसिपल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से संबंधित सूचना परिशिष्ट-अ1 एवं अ2 पर संलग्न है।

औद्योगिक इकाइयों से जनित उच्छिष्ट के अंतिम निस्त्राव से पूर्व समुचित उच्छिष्ट उपचार की व्यवस्था स्थापित किया जाना सुनिश्चत किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में औद्योगिक उच्छिष्ट के उपचार हेतु 13 संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयत्र भी कार्यरत हैं।

पिछले तीन वर्षों में निर्धारित मानकों से अधिक प्रदूषित उच्छिष्ट का निस्त्राव करने के कारण पाली, भीलवाड़ा और सांगानेर (जयपुर) स्थित 244 वस्त्र उद्योगों व सी. ई. टी. पी. के विरुद्व विधिक कार्यवाही की गई जिसमें उद्योग को बंद करने के निर्देश जारी करना, पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित करना एवं उद्योगों के विरुद्व न्यायालय में वाद दायर करना शामिल है। इसके अतिरिक्त 08 निकायों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई एवं 03 नगर निकायों के विरुद्व न्यायालयों में वाद दायर किया गया।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा राष्ट्रीय जल गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम (NWMP) के तहत राज्य की नदियों से 20 स्थानों पर मासिक रूप से जल नमूनों का एकत्रीकरण व विश्लेषण कार्य नियमित रूप से

(पर्यावरण मंत्री)

किया जाता है। पिछले 03 वर्षों में एकत्रित जल नमूनों के सम्बन्ध में रिपोर्ट व इसका सार परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(सूचना व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

सिलिकोसिस पीड़ितों के कल्याण हेतु संचालित योजना

374. श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में भवन एवं संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल में पंजीकृत सिलिकोसिस पीड़ितों के कल्याण हेतु सहायता योजना का संचालन किया जा रहा है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में माह दिसम्बर, 2020 से माह दिसम्बर, 2022 तक कुल कितने प्रकरण दर्ज किये गये? पंचायत समितिवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त अवधि में कुल कितने सिलिकोसिस रोगियों एवं उनके आश्रितों को लाभान्वित किया गया है? पंचायत समितिवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के हितार्थ सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारियों हेतु सहायता योजना भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा वर्ष 2015 में लागू की गई थी। दिनांक 04.08.2021 पश्चात् सिलिकोसिस पीड़ित श्रमिकों को निदेशालय, विशेष योग्यजन, आयुक्त के द्वारा लाभान्वित किया जा रहा है एवं उनके द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को दी जाने वाली सिलिकोसिस सहायता राशि का मात्र पुनर्भरण ही मण्डल द्वारा किया जाता है।

(2) मण्डल के पोर्टल पर शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में दिसम्बर, 2020 से दिनांक 04.08.2021 तक सिलिकोसिस सहायता के प्राप्त प्रकरणों की संख्या शून्य है। दिसम्बर, 2020 से दिसम्बर, 2022 तक विधान सभा क्षेत्र शेरगढ में दर्ज हुए प्रकरणों के संबंध में निदेशालय, विशेष योग्यजन से प्राप्त सूचना परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) उपरोक्तानुसार विवरण परिशिष्ट-अ में समाहित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

घाटोल के उपखण्ड स्तर पर महाविद्यालय की स्थापना

375. श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र घाटोल में उपखण्ड स्तर पर राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा सरकार द्वारा पूर्व बजट में की गई थी? यदि हां, तो क्या बजट घोषणानुसार राजकीय महाविद्यालय खोल दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों व सरकार द्वारा अब कब तक उक्त महाविद्यालय खोल दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र घाटोल के उपखण्ड पीपलखूंट में वर्ष 2019 की बजट घोषणा की अनुपालना में राजकीय महाविदयालय, पीपलखूंट प्रांरभ कर दिया गया है।

प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भर्ती में आरक्षण

376. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर होने वाली सीधी भर्ती में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए कोटा निर्धारित किया गया है? यदि हां, तो कब से? संबंधित आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कोटा में प्रदेश के मूल निवासी खिलाड़ियों को ही भर्ती किये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो विभिन्न विभागों में खेल कोटा के तहत की गई भर्तियों का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर पदों पर विगत दिनों हुई भर्ती में अन्य राज्यों के खिलाड़ियों को भी उक्त का लाभ दिए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23.09.1997 द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सीधी भर्ती में 2 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। अधिसूचना की प्रति ''परिशिष्ट-क'' पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल)

(2) जी हां। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 की प्रति ''परिशिष्ट-ख'' पर संलग्न है।

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर से प्राप्त भर्तियों की सूचना ''परिशिष्ट-ग'' पर संलग्न है।

प्रश्न के शेष आंशिक बिन्दु के संबंध में निवेदन है कि अन्य विभागों से सूचना प्राप्त की जा रही है, जिसमें समय लगने की संभावना है।

(3) जी हां। गृह विभाग ने अवगत करवाया है कि उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर खेल कोटा की उक्त भर्ती RPSSR 1989 के नियम 17 (2) (1) के तहत आयोजित की गई थी, जिसमें खेलों में राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर अभ्यर्थी राजस्थान का ही मूल निवासी होना आवश्यक नहीं है। उक्त भर्ती नियमानुसार होने के कारण प्राप्त शिकायतों को गृह विभाग ने परीक्षणोपरान्त पत्रित किया गया।

(प्रति व सूचना पुस्तकालय में रखी गयीं)

किसानों को कृषक साथी योजना के तहत सहायता राशि

377. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कृषि कार्य करते हुए किसान की मृत्यु होने पर सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो किस योजना के अन्तर्गत, कितनी राशि, किस मद से दी जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत कृषि कार्य के दायरे में किन-किन कार्यों को लिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त देय सहायता राशि को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी व कब तक तथा नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कृषि कार्य करते हुए दुर्घटना में किसान की मृत्यु/अंग-भंग हो जाने पर राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के अन्तर्गत सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है।

उक्त योजना के अन्तर्गत कृषि कार्य करते समय कृषकों/खेतिहर

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

मजदूरों की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर रुपये 2.00 लाख एवं अंग-भंग हो जाने पर रुपये 5,000 से 50,000 तक की सहायता राशि राज्य की कृषि उपज मण्डी समितियों के माध्यम से दिये जाने का प्रावधान है। मण्डी समितियों को सहायता राशि का पुनर्भरण राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर द्वारा किया जाता है। देय सहायता राशि का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के दिशा-निर्देश 2013-14 के अन्तर्गत 16 प्रकार की परिस्थितियों में योजना का लाभ दिया जाता है, विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.09.2019 से अतिरिक्त जोड़ी गई 9 परिस्थितियों में योजना का लाभ दिया जाता है। विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। मण्डी समितियों की आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत योजनान्तर्गत दी जा रही सहायता राशि को बढ़ाये जाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जायल में नवीन पुलिस चौकियों की स्थापना

314. श्रीमती मंजु देवी (जायल): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जायल, मूण्डवा (नागौर) में वर्तमान में कुल कितने थाने एवं चौकियां संचालित हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र में नवीन पुलिस चौकियां खोलना प्रस्तावित हैं? यदि हां, तो कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जायल के अन्तर्गत चार पुलिस थाने (थाना जायल, थाना खाटू, थाना सुरपालिया व थाना रोल) तथा चार पुलिस चौकियां (चौकी तरनाउ-थाना जायल, चौकी रोल-थाना रोल, चौकी सुरपालिया-थाना सुरपालिया व चौकी डेह-थाना सुरपालिया) संचालित है।

मूण्डवा विधान सभा क्षेत्र नहीं है। कस्बा मूण्डवा में पुलिस थाना संचालित है, जिसके अधीन कोई पुलिस चौकी नहीं है।

(2) विधान सभा क्षेत्र जायल में नवीन पुलिस चौकियां खोले जाने संबंधी प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

भविष्य में क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, अपराध एवं कानून व्यवस्था की स्थिति, वित्तीय संसाधनों तथा पुलिस नफरी की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

मुण्डावर में सी.सी.टी.वी. लगाने की कार्ययोजना

315. श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): क्या सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न शहरों में मुख्य स्थान चिन्हित कर सुरक्षा हेतु सीसीटीवी लगाये जाने की घोषणा की गई है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कितने-कितने सीसीटीवी कहां-कहां लगाये गये व उक्त में से कितने सही हैं तथा कितने खराब हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। बजट वर्ष 2022-23 की घोषणा के अनुसार प्रदेश में सीसीटीवी कैमरों की संख्या 10 हजार से बढाकर 30 हजार की जायेगी एवं बजट वर्ष 2023-24 की घोषणा के अनुसार प्रदेश में सीसीटीवी कैमरों की संख्या चरणबद्ध रूप से बढ़ाकर 5 लाख की जायेगी।

वर्तमान में अभय कमाण्ड एण्ड कंट्रोल सेंटर परियोजना अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया गया है।

धौलपुर में अवैध बजरी खनन पर कार्यवाही

316. श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अवैध बजरी खनन के विरुद्ध चल रहे अभियान के तहत जिला धौलपुर में रजई का पुरा गुर्जरों की ढाणी के बजाय रजई का पुरा जाटव बस्ती में पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों, अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला धौलपुर में बजरी के अवैध खनन के विरुद्ध अभियान के तहत गांव रजई का पुरा गुर्जरों की ढाणी तथा रजई का पुरा जाटव बस्ती में अवैध बजरी खनन के संबंध में कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ।

केवल गांव रजई का पुरा जाटव बस्ती में अवैध पत्थर खनन के संबंध में पुलिस कार्यवाही के दौरान थाना सदर धौलपुर में 01 प्रकरण दर्ज किया गया है जो जैर अनुसंधान है, जिसका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। उक्त अभियान के दौरान कर्मचारियों, अधिकारियों के विरुद्ध ग्रामवासियों के द्वारा कोई प्रकरण दर्ज नहीं करवाया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जनजाति क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पद

317. श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार टी.एस.पी. क्षेत्रों के राजकीय विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त विद्यालयों में कार्यरत कुक कम हैल्पर का मानदेय न्यूनतम अठारह हजार रुपये करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त विद्यालयों के होस्टलों में कार्यरत कुक कम हैल्परों को स्थायी करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों को प्रशासनिक सुधार विभाग से योग्य चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर भरा जा सकेगा। माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों हेतु प्रशासनिक सुधार विभाग को टीएसपी क्षेत्र के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु सूचना परिशिष्ट-क के अनुसार भिजवाई गई है।

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सेवाएं जॉब बेसिस पर आउटसोर्सिंग से ली जा रही है।

(2) जी नहीं। शिक्षा विभागान्तर्गत कुक कम हैल्पर का मानदेय भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो वर्तमान में 1000/- प्रतिमाह है जो कि भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा 60:40 के अनुपात में वहन किया जाना अनुमत है। राज्य सरकार द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से इनके मानदेय में 01 अप्रैल, 2022 से प्रत्येक कुक कम हैल्पर्स के मानदेय में 20 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 1742/- प्रतिमाह, जिसमें वर्तमान में केन्द्रांश 600/- तथा राज्यांश 1142/- प्रतिमाह प्रति व्यक्ति मानदेय दिया जा रहा है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2023-24 में इनके मानदेय में 15 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है, जो 01 अप्रैल, 2023 से लागू होगी। तत्पश्चात इनका मानदेय 2003/- रुपये प्रतिमाह हो जायेगा।

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में कुक कम हैल्पर की सेवाएं जॉब बेसिस पर आउटसोर्सिंग से ली जा रही हैं।

(शिक्षा मंत्री)

(3) जी नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों के रसोइया के कार्य जॉब बेसिस पर सेवाओं की आउटसोर्सिंग से कराया जा रहा है।

डूंगरपुर के विद्यालयों में निर्माण कार्य

318. श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला डूंगरपुर में विद्यालयों में कक्षा-कक्षों, चारदीवारी व खेल मैदान का अभाव है? यदि हां, तो विद्यालयवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र चौरासी (डूंगरपुर) में दिनांक 01.01.2019 से दिनांक 31.12.2022 कितने विद्यालयों में कक्षा-कक्षों, चारदीवारी व खेल मैदानों का कार्य किस मद अन्तर्गत किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त अवधि में कितने प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यू-डाईस 2021-22 के अनुसार जिला डूंगरपुर में स्वयं के भवन वाले 289 राजकीय विद्यालयों में 634 कक्षा-कक्षों की कमी (गैप्स) है**,** 803 राजकीय विद्यालयों में चारदीवारी तथा 764 राजकीय विद्यालयों में खेल मैदान का अभाव है।

(2) विधान सभा क्षेत्र चौरासी (डूंगरपुर) में दिनांक 01.01.2019 से दिनांक 31.12.2022 तक (2018-19 से 2022-23 तक) समग्र शिक्षा, नाबार्ड आर.आई.डी.एफ., TAD, DMFT के अन्तर्गत 71 राजकीय विद्यालयों के 196 कक्षों के निर्माण की स्वीकृति जारी की गई है, जिनका विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

विधान सभा क्षेत्र चौरासी (डूंगरपुर) में समग्र शिक्षा के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2019 से दिनांक 31.12.2022 तक (2018-19 से 2022-23 तक) की अवधि वर्ष 2022-23 से पूर्व समग्र शिक्षा अन्तर्गत राजकीय

(शिक्षा मंत्री)

विद्यालयों में चारदीवारी निर्माण हेतु बजट का कोई प्रावधान नहीं था। वर्ष 2022-23 में 16 राजकीय विद्यालयों में चारदीवारी निर्माण हेतु स्वीकृति जारी की गई है, जिनकी सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

प्रारम्भिक शिक्षा विभागान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र चौरासी (डूंगरपुर) में दिनांक 01.01.2019 से दिनांक 31.12.2022 तक 03 विद्यालयों में खेल मैदानों का कार्य विधायक मद के अन्तर्गत करवाया गया, जिनकी विद्यालयवार सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र चौरासी (डूंगरपुर) में प्रारम्भिक शिक्षा विभागान्तर्गत शैक्षिक सत्र 2019-20 से आदिनांक तक 19 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया है, जिनकी सूची परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

विधान सभा क्षेत्र चौरासी (डूंगरपुर) में माध्यमिक शिक्षा विभागान्तर्गत 01.01.2019 से 31.12.2022 तक की अवधि में 16 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में, 20 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एवं 07 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया है, जिनका विवरण परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

धौलपुर जिला मुख्यालय पर संस्कृत महाविद्यालय खोलने की कार्ययोजना

319. श्रीमती शोभारानी कुशवाह (धौलपुर): क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार धौलपुर जिला मुख्यालय पर संस्कृत महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

संस्कृत शिक्षा विभाग अन्तर्गत धौलपुर जिला मुख्यालय पर संस्कृत महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। प्रस्ताव प्राप्त होने एवं बजट प्रावधान उपलब्ध होने व निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति करने पर गुणावगुण के आधार पर नवीन महाविद्यालय खोलने का निर्णय

(संस्कृत शिक्षा मंत्री)

लिया जायेगा। धौलपुर जिले में सरमथुरा में एक राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय संचालित है।

मावली उपखण्ड मुख्यालय को नगरपालिका बनाने की कार्ययोजना

320. श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विगत चार वर्षों में प्रदेश में किन-किन ग्राम पंचायतों को नगरपालिका का दर्जा दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) ग्राम पंचायत मावली की जनसंख्या कितनी है? क्या सरकार उपखण्ड मुख्यालय मावली को भी उक्त आधार पर नगरपालिका बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विगत चार वर्षों में जिन-जिन ग्राम पंचायतों को नगरपालिका का दर्जा दिया गया है, उनका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका घोषित किये जाने के संदर्भ में विभागीय अधिसूचना दिनांक 19.02.2021 के द्वारा मानक निर्धारित किये गये हैं। वर्तमान में मावली ग्राम पंचायत को नगरपालिका बनाये जाने बाबत जिला कलेक्टर, उदयपुर से जनगणना वर्ष 2011 के आधार पर जनसंख्या एवं अन्य वांछित सूचना, स्पष्ट राय/अभिशंसा भिजवाने हेतु विभाग द्वारा पत्र दिनांक 22.09.22 लिखा गया है, जो अभी अपेक्षित है। सूचना प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नगर निगम, जयपुर हैरिटेज के जोन किशनपोल में व्यावसायिक काम्पलेक्सों का निर्माण

321. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विगत तीन वर्ष में नगर निगम जयपुर हैरिटेज के जोन

(श्री कालीचरण सराफ)

किशनपोल में कितने व्यावसायिक निर्माणों की स्वीकृति दी गई? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त जोन में खजानों वालों का रास्ता, जाट के कुएं का रास्ता, बगरू वालों का रास्ता में उक्त अवधि में व्यावसायिक काम्प्लेक्सों का निर्माण कर लिया गया है? यदि हां, तो अब तक कितने काम्प्लेक्सों पर सीलिंग की कार्यवाही की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उपायुक्त, किशनपोल जोन को अवैध निर्माण की शिकायतें प्राप्त होने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है? यदि हां, तो उक्त के विरुद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विगत तीन वर्ष में नगर निगम, जयपुर हैरिटेज के किशनपोल जोन क्षेत्र में एक व्यावसायिक स्वीकृति भवन संख्या 19 पोलोविक्ट्री सिनेमा के सामने, मोती लाल अटल रोड की जारी की गयी है।

(2) विगत तीन वर्षों में नगर निगम, जयपुर हैरिटेज के किशनपोल जोन द्वारा खजानों वालों का रास्ता, जाट के कुएं का रास्ता, बगरू वालों का रास्ता में 17 व्यावसायिक काम्प्लेक्सों पर सीलिंग की कार्यवाही की गई है, जिसकी सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) किशनपोल जोन में अवैध निर्माण की शिकायत प्राप्त होने पर विधि सम्मत नियमानुसार कार्यवाही नोटिस जारी किये जाते हैं। नोटिसों की अवहेलना करने पर निर्माणाधीन परिसर को सीज करने की कार्यवाही की जाती है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

बालोतरा नगर परिषद् के पेरिफेरी क्षेत्र में विकास कार्य

322. श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि रामसीन-मुगडा ग्राम नगर परिषद बालोतरा की पैरिफेरी क्षेत्र में हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त नगर परिषद के माध्यम से मुगडा में विकास कार्य करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। इस संबंध में जारी अधिसूचना दिनांक 19.06.2012 की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) नगर परिषद बालोतरा द्वारा उक्त क्षेत्र में सड़क के किनारे रोड लाइटें लगायी गई हैं। शेष विकास कार्य नगर परिषद में प्रस्ताव प्राप्त होने एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर करवाये जायेंगे।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

अलवर में विकास हेतु स्मार्ट सिटी योजना

323. श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बजट 2022-23 में स्मार्ट सिटी मिशन अन्तर्गत अलवर के समग्र विकास की दृष्टि से स्मार्ट सिटी योजना को लागू करने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो क्या उक्त घोषणा अनुरूप कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त घोषणानुरूप अलवर में स्मार्ट सिटी योजना लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उक्त घोषणा अनुरूप कार्य शुरू नहीं किया गया है। न्यास अलवर से प्राप्त प्रस्तावों पर विभागीय परीक्षणोपरांत योजना की स्वीकृति हेतु पत्रावली वित्त विभाग के स्तर पर विचाराधीन है।

(2) जी हां। वित्त विभाग से स्वीकृति के उपरान्त अलवर में स्मार्ट सिटी योजना लागू की जायेगी।

उच्च न्यायालय में लम्बित प्रकरण

324. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या विधि एवं विधिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेगे:-

(1) क्या यह सही है कि उच्च न्यायालय में एडमिशन की स्टेज पर कई प्रकरण लम्बित हैं? यदि हां, तो किस-किस श्रेणी के प्रकरण कितनी अवधि से लम्बित हैं? वर्षवार व श्रेणीवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री संयम लोढ़ा)

(2) क्या उक्त प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के संबंध में सरकार की कोई कार्ययोजना है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान उच्च न्यायालय में वर्षवार एवं श्रेणीवार लंबित प्रकरणों की संख्यात्मक सूची प्रदर्श-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के संबंध में कोई कार्ययोजना नहीं है तथापि राजस्थान उच्च न्यायालय में पुराने लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए उठाये गये सामान्य कदमों का विवरण प्रदर्श-2 पर संलग्न है।

(सूची एवं विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

उदयपुर ग्रामीण की कच्ची बस्तियों को डी फोरेस्ट में सम्मिलित करने की योजना

325. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण की मछला मगरा, भीलु राणा व सज्जन नगर में आबादी बसी हुई है? यदि हां, तो कब से व कहां-कहां तथा कितनी-कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त कच्ची बस्तियों को डी-फोरेस्ट में लेने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उदयपुर में वन क्षेत्र में काफी संख्या में दीर्घावधि में आबादियां बसी हुई हैं।

(अ) नगर परिषद, उदयपुर से प्राप्त सर्वे रिपोर्ट वर्ष 1999 प्राप्त पत्रांक कनियमन 02-03/63 दिनांक 18.09.2002 अनुसार वनक्षेत्र में बसी कच्ची बस्तियों में निम्नानुसार परिवार निवासरत हैं:

1. मछला मगरा कच्ची बस्ती 748 परिवार

(ब) नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के पत्रांक: तक/नविप्र/2000/1243-1245 दिनांक 28/30.8.2000 अनुसार वनक्षेत्र में बसी कच्ची बस्तियों में निम्नानुसार परिवार निवासरत हैं:

(वन मंत्री)

1. सज्जन नगर बस्ती-107 परिवार

2. भीलु राणा परिवार-223 परिवार

(2) वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत आवासीय प्रयोजनार्थ वन भूमि का प्रत्यावर्तन अनुमत नहीं है।

बड़ी सादड़ी में पटवारियों के रिक्त पद

326. श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में पटवारियों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने कार्यरत हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में पटवारियों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है-

पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
पटवारी	66	52	14

(2) जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा पटवारी भर्ती परीक्षा-2021 में चयनित 191 सफल अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किये जा चुके हैं। रिक्त रहे पदों पर प्रतीक्षा सूची जारी होने के उपरान्त यथासंभव पदस्थापन की कार्यवाही की जा सकेगी।

जमवारामगढ़ में टूरिज्म स्पाट्स विकसित करने की कार्ययोजना

327. श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में स्थित प्राचीन महलों तथा हवेलियों को ट्यूरिज्म स्पाट के रूप में विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के प्राचीन मंदिरों, महलों का जीर्णोद्धार करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में स्थित प्राचीन महलों तथा हवेलियों को ट्यूरिज्म स्पाट के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विभाग में प्राप्त प्रस्तावों पर गुणावगुण के आधार पर आकलन कर युक्तियुक्त निर्णय लिया जाता है।

(2) वर्ष 2021-22 में टोडेश्वर महादेव मंदिर, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर में पर्यटन विकास कार्य कराये जाने हेतु राशि रुपये 100.00 लाख का प्रोजेक्ट राज्य योजना मद के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया है। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है।

वर्ष 2022-23 में गिरनार महाराज मंदिर, जमवारामगढ़ हेतु राशि रुपये 150.00 लाख के विकास कार्य प्रस्तावित किये जाकर पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग से डीपीआर तैयार किया जाना प्रक्रियाधीन है।

विभाग में प्राप्त प्रस्तावों पर गुणावगुण के आधार पर आकलन कर युक्तियुक्त निर्णय लिया जाता है।

अजमेर-पुष्कर रेल मार्ग पर टॉय, टूरिस्ट ट्रेन का संचालन

328. श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार अजमेर-पुष्कर रेल मार्ग पर शिमला की तरह टॉय, टूरिस्ट ट्रेन का संचालन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा पुष्कर से हरिद्वार ट्रेन संचालन के प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भिजवाये गये हैं? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पर्यटन विभाग से प्राप्त जवाब के अनुसार इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उत्तर पश्चिम रेलवे से प्राप्त जवाब के अनुसार टॉय, टूरिस्ट ट्रेन के संचालन का कोई विचार नहीं है. यह रेलवे बोर्ड स्तर का नीतिगत मामला है।

(2) जी नहीं। उत्तर पश्चिम रेलवे से प्राप्त जवाब के अनुसार अजमेर-

(पर्यटन मंत्री)

पुष्कर रेल खण्ड पर यात्री गाड़ियों का संचालन एकल गाड़ी पद्धति से किया जा रहा है। वर्तमान में पुष्कर स्टेशन पर गाड़ियों के अनुरक्षण एवं रख-रखाव की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(प्रश्न एवं प्राप्त उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न स्थगित किया गया)

हनुमानगढ़ जिले में किसान पथ का निर्माण

329. श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा किसान पथ का निर्माण करवाया जा रहा है? यदि हां, तो उक्त के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जिला हनुमानगढ़ में किसान पथ का निर्माण करवाया गया है? यदि हां, तो कहां-कहां, कब-कब व कितनी-कितनी दूरी की कितनी राशि से? विधान सभा क्षेत्रवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र संगरिया में किसान पथ तथा जर्जर व क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां व कब तक तथा नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में कृषि उपज मण्डी समितियों के माध्यम से किसान पथ/सम्पर्क सड़क का निर्माण किया जाता है। सम्पर्क सड़कों के निर्माण की स्वीकृति हेतु आदेश दिनांक 31.12.2014 द्वारा निर्धारित मानदण्ड की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। जिला हनुमानगढ़ में किसान पथों/सम्पर्क सड़कों का निर्माण करवाया गया है। विधान सभा क्षेत्रवार निर्मित किसान पथों/सम्पर्क सड़कों का विवरण परिशिष्ट-ब एवं निर्माणाधीन किसान पथों/सम्पर्क सड़कों का विवरण परिशिष्ट-स पर सलंग्न है।

(3) राज्य सरकार के आदेश दिनांक 29.06.2010 द्वारा वर्ष 2010 से पूर्व मण्डी समितियों द्वारा निर्मित सड़कें, रखरखाव एवं मरम्मत के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तानान्तरित कर दी गई है। उनकी मरम्मत

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

एवं रखरखाव का दायित्व सार्वजनिक निर्माण विभाग का ही है। इसके पश्चात निर्मित की गई सड़कों का रखरखाव एवं मरम्मत राज्य सरकार के आदेश दिनांक 31.12.2014 द्वारा अनुमत नहीं है।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

बीकानेर में इन्डोर स्टेडियम का निर्माण

330. सुश्री सिद्धी कुमारी (बीकानेर पूर्व): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार महाराजा करणीसिंह स्टेडियम, बीकानेर में मल्टीपरपज इण्डोर स्टेडियम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा विगत चार वर्षों में खेलों के विकास के लिए उक्त स्टेडियम में क्या-क्या विकास कार्य किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहन व खेलों को बढ़ावा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन-किन खेलों में क्या-क्या कार्य किये जाने प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बजट घोषणा वर्ष 2021-22 के बिन्दु सं. 61 में बीकानेर संभाग मुख्यालय पर मल्टीपरपज इन्डोर हाल तैयार कराने की घोषणा की गई थी, जिसके क्रम में महाराजा करणी सिंह स्टेडियम, बीकानेर में मल्टीपरपज इन्डोर हाल निर्माण कार्य हेतु विभाग द्वारा राशि रुपये 750.00 लाख की स्वीकृति कार्यकारी एजेन्सी आरएसआरडीसी के पक्ष में जारी की गई है। कार्यकारी एजेन्सी द्वारा मल्टीपरपज इन्डोर हाल का निर्माण कार्य दिनांक 26.07.2022 से प्रारम्भ कर दिया है।

(2) सरकार द्वारा खेलों के विकास के लिए करणी सिंह स्टेडियम में विगत चार वर्षों में निम्न विवरण के अनुसार कार्य करवाये जाने हेतु स्वीकृति जारी की गई है:-

क्र.सं.	वर्ष	स्वीकृत राशि लाखों में	करवाये जा रहे निर्माण कार्य
1	2021-22	750.00	मल्टीपरपज इन्डोर हाल
2	2022-23	50.00	फिटनेस सेन्टर (भवन) एवं उपकरण
3	2022-23	250.00	

(राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल)

(3) जी हां। खिलाड़ियों के प्रोत्साहन व खेलों को बढ़ावा देने के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2023-24 में निम्नलिखित स्थानों पर स्टेडियम निर्माण एवं विकास कार्य की घोषणा की गई-

संभाग स्तर पर सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल की स्थापना।

सार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर में शूटिंग व तीरंदाजी की सुविधाएं विकसित की जायेगी।

बीकानेर, अजमेर, भतरपुर व जोधपुर में सिन्थेटिक एथलेटिक्स ट्रेक का निर्माण कार्य।

भरतपुर में स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स बनाया जायेगा।

धौलपुर, जालौर व नागौर में मल्टीपरपज इन्डोर हाल बनाये जायेंगे।

राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलम्पिक खेलों का आयोजन किया जायेगा।

विभिन्न स्थानों पर खेल अकादमियां, फुटबाल अकादमी कोलीडा सीकर, बास्केटबाल सीकर, फुटबाल बांसवाडा, साइकिलिंग बीकानेर, कुश्ती भीलवाड़ा, एथलेटिक्स राजगढ़ चूरू, बास्केटबाल बाड़मेर में खोले जाने की घोषणा की गई।

वर्तमान में खिलाड़ियों के प्रोत्साहन व खेलों को बढ़ावा हेतु योजनाएं परिशिष्ट-क पर संलग्न हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पंचायत समिति मुख्यालयों पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

331. श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा पंचायत समिति मुख्यालयों पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने का प्रावधान किया गया है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

(2) क्या सरकार जिला हनुमानगढ़ के पंचायत समिति पीलीबंगा व रावतसर में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा पंचायत समिति मुख्यालय पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने का प्रावधान नहीं किया गया है।

(2) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विभाग स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

संसाधनों एवं बजट की उपलब्धता तथा गुणावगुणों के आधार पर क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नवीन राजकीय आईटी.आई. खोले जाने का निर्णय लिया जाता है।

लूणकरणसर के राजकीय महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पी.जी. कक्षाएं प्रारम्भ करने की योजना

332. श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार राजकीय महाविद्यालय लूणकरणसर में स्नातकोत्तर पीजी कक्षायें प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राजकीय महाविद्यालय, लूणकरणसर को स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत किये जाने संबंधी कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

पिण्डवाड़ा में महिला महाविद्यालय खोलने की कार्ययोजना

333. श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र पिंडवाड़ा में महिला महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा में सहशिक्षा का राजकीय महाविदयालय, पिण्डवाड़ा संचालित है, जिसमें सत्र 2022-23 में कुल 545 विद्यार्थी (268 छात्र व 277 छात्राएं) अध्ययनरत हैं।

विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने संबंधी कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

जैतारण के राजकीय पी.जी. महाविद्यालय में अतिरिक्त संकाय

334. श्री अविनाश (जैतारण): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र जैतारण के राजकीय पीजी महाविद्यालय में भूगोल, राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर के लिए अतिरिक्त संकाय खोलने के प्रस्ताव प्राप्त हुए है? यदि हां, तो क्या सरकार छात्रों की मांग के अनुसार भूगोल, राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर संकाय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर विधान सभा क्षेत्र जैतारण के राजकीय पीजी महाविद्यालय में भूगोल, राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर विषय खोले जाने पर यथासमय विचार किया जा सकेगा।

श्रीगंगानगर की बंद स्पिनिंग मिल के कर्मचारियों की अन्यत्र नियुक्ति

335. श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि श्रीगंगानगर में स्पिनिंग मिल बंद हो गयी है? यदि हां, तो कब से व क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त मिल में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को दूसरे विभागों में नौकरी दे चुकी है? यदि हां, तो कितनों को व कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में मिल के कितने ऐसे कर्मचारी शेष हैं, जिन्हें अब तक दूसरे विभागों में नौकरी नहीं दी गयी है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार शेष रहे कर्मचारियों को कब तक दूसरे विभागों में नौकरी दे देगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। श्रीगंगानगर स्थित श्रीगंगानगर को-आपरेटिव केनटन काम्प्लेक्स लि. श्रीगंगानगर को वित्तीय संसाधनों की कमी तथा लगातार संचित हानि में होने के कारण दिनांक 04.01.2000 से बंद की जाकर दिनांक 08.02.2005 से अवसायन में लाया जा चुका है।

(2) श्रीगंगानगर को-आपरेटिव केनटन काम्प्लेक्स लि. के 73 स्थाई अधिकारियों/कर्मचारियों तथा 196 श्रमिकों को राज्य सरकार के अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति दे दी गयी है। सूची परिशिष्ट-1 एवं 2 पर उपलब्ध है।

(3) वर्तमान में प्रतिनियुक्ति से शेष रहे 200 स्थाई श्रमिकों को उनकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं से कम होने के कारण तथा 94 अस्थाई श्रमिक जिनकी सेवावधि 240 दिन से कम होने के कारण अन्य विभागों/संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति नहीं दी जा सकी है। सूची परिशिष्ट-3 एवं 4 पर उपलब्ध है।

(4) प्रतिनियुक्ति से शेष रहे 200 स्थाई श्रमिकों को उनकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं से कम होने के कारण तथा 94 अस्थाई श्रमिक जिनकी सेवावधि 240 दिन से कम होने के कारण अन्य विभागों/संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति नहीं दी जा सकती है।

(प्रश्न एवं प्राप्त उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न स्थगित किया गया)

परिशिष्ट-01

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया है

गुलाबगंज से माउंट आबू तक सड़क मार्ग का जीर्णोद्वार

श्री जगसी राम (रेवदर)

महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत श्रीमान वन मंत्री, पर्यटन मंत्री व सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि सघन वन क्षेत्र के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माउंट आबू को देश से जोड़ने वाला एक मात्र आबूरोड-माउंट आबू मार्ग बारिश में अवरुध्द या बन्द होने की स्थिति में आबू माउंट आबू देश-दुनिया से कट सकता है। 1973 व 1992 में चट्टानें खिसकने से कई दिन तक मार्ग अवरुद्ध होने से काफी देशी-विदेशी पर्यटक फंस गये थे। नतीजतन लम्बी दूरी की ट्रेनों तथा राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय हवाई यात्राओं से वचित रहने से उन्हें मानसिक, शारीरिक परेशानियों के साथ आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा था।

सत्तर के दशक के तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया जी के कार्यकाल में एक सड़क मार्ग अवरुद्ध होने से अकाल राहत कार्य के तहत वैकल्पिक मार्ग के रूप में गुलाबगंज होते हुए माउंट आबू सड़क मार्ग विकसित करने की कवायद की गई। बाद में 1.34 करोड़ की लागत से कच्चा मार्ग तैयार होने पर हल्के वाहन भी गुजारे गये। गुलाबगंज से आबू रोड तलहटी तक डामर सड़क बनवाई गई। आगे पक्का सड़क मार्ग नहीं होने के कारण कुछ दिन बाद बंद हो गया। समय गुजरने के साथ-साथ पूर्व में अकाल राहत के तहत तैयार किया गया कच्चा सड़क मार्ग भी बिखरने लगा। मौजूदा समय में वैकल्पिक मार्ग नहीं होने से पर्वतीय पर्यटन का तेज बारिश में भू-स्खलन, चट्टानें खिसकने या अन्य कारणवश आबूरोड-माउंटआबू मार्ग जब कभी अवरुद्ध होने पर सम्पर्क कट जाता है।

इस क्षेत्र में थल सेना, वायुसेना के.रि. पुलिस जैसे महत्वपूर्ण संस्थान, वर्ष पर्यन्त वी.आई.पी. आवागमन, सालाना 30 से 35 लाख सैलानियों का आवागमन तथा इस वैकल्पिक मार्ग से जिला मुख्यालय की दूरी 28 किलोमीटर कम होने जैसे लोक महत्व की परिस्थितियों व आवश्यकता को देखते हुए

राजस्थान सरकार से आग्रह है कि वन विभाग केन्द्र सरकार दवारा वन्य जीवों एवं विशेषकर भालुओं के आधिक्य को देखते हुए लगाये गये वन क्षेत्र के सड़क मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में लगाये गये आक्षेप का उचित समाधान सड़क के दोनों ओर फैंसिंग किये जाने, वन्य जीवों की सम्पूर्ण सुरक्षा के आश्वासन के साथ भारत सरकार से उक्त वन क्षेत्र में सड़क निर्माण की अनुमति के साथ गुलाबगंज से माउंट आबू सड़क मार्ग का जीर्णोद्धार कराया जाये।

उदयपुर एवं डूंगरपुर जिलों में चरागाह भूमि पर बसे परिवारों की भूमि का आबादी भूमि में परिवर्तन

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर)

महोदय, निवेदन है कि करीब 30 वर्षों पूर्व राज्य सरकार द्वारा सलूम्बर व बागड़ क्षेत्र में प्रतिवर्ष पढ़ने वाले भारी अकाल को देखते हुए उदयपुर व डूंगरपुर जिले की सीमा पर सोम नदी पर सोम कमला आम्बा डेम का निर्माण करवाया गया था। उक्त बांध के कैंचमेन्ट एरिया में ग्राम पंचायत कराक पं.स. सलूम्बर जिला उदयपुर के ग्राम कराकला, कुण्डली व सलावता आते थे। राज्य सरकार द्वारा तत्कालीन शासन सचिव, सिंचाई विभाग श्री सी. के. मेथ्यू की अध्यक्षता व विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारियों तथा विस्थापित होने वाले परिवारों के प्रतिनिधि एवं जन प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 17.07.1997 को संभागीय आयुक्त कार्यालय, उदयपुर में बैठक कर विस्थापित परिवारों को मुआवजा व मकान बनाने के लिए भूमि की आवश्यकता को देखते हुए भूमि की व्यवस्था व आवश्यक सुविधाएं भी जिला प्रशासन द्वारा मुहैया कराये जाने का निर्णय लिया तथा विस्थापित परिवारों को अपने-अपने स्तर पर भी उपयुक्त भूमि पर मकान बनाने के लिए स्वतंत्र किया।

इसी क्रम में विस्थापित परिवारों द्वारा अपने नये आवास बनाये गये जिनमें 231 परिवार सलावता बस्ती में, 47 परिवार नई बस्ती कराकलों में, 58 परिवार कीर बस्ती कराकलों में व 36 परिवार जाम्बुडा में समूह बनाकर रहने लगे लेकिन जिन स्थानों पर इन परिवारों ने अपना व अपने पशुओं का आशियाना बनाया वह भूमि ग्राम पंचायत की चरागाह भूमि होने इसका आबादी विस्तार में परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, जिससे इन परिवारों के करीब 3000 लोगों को राज्य व केन्द्र सरकार की किसी भी योजना से लाभ नहीं मिल पा रहा है। उक्त बस्तियों के लोगों ने राज्य सरकार को विभिन्न अधिकारियों के मार्फत कई बार अवगत कराया। साथ ही संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा भी चरागाह भूमि हेतु अनापत्ति देने के साथ चरागाह के बदले

अन्य भूमि की व्यवस्था किये जाने बाबत निवेदन किया था लेकिन आज तक विस्थापित परिवार दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

अतः मेरा सदन से निवेदन है कि इस प्रकार के गम्भीर मामलों में सकारात्मक रवैया अपनाते हुए, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर चरागाह भूमि पर बसे परिवारों की भूमि को आबादी में परिवर्तन कराने के लिए पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़)

श्रीडूंगर रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज का निर्माण

महोदयजी, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीडूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में रेलवे विभाग द्वारा ब्रोडगेज लाइन डालने के बाद गांवों व खेलों के रास्ते आने-जाने के लिए बन्द हो गये हैं। आने-जाने से किसानों व ग्रामवासियों के रोजमर्रा में आने-जाने में दिक्कत आ रही है। आये दिन ऊंट गाड़े व पशु प्रत्येक दिन रेल से कटकर दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। श्रीडूंगरगढ़ से दुसारणा फुलन्सर व दुलचासर से सावंतसर बिदासर से श्रीडूंगर रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज बनाने की मांग को लेकर 30 दिनों से सैकड़ों की संख्या में लोग अनशन पर बैठे हैं। सरकार से मेरी मांग है कि जनता की मांग को देखते हुए श्रीडूंगर रेलवे फाटक पर ओवर ब्रिज बनाया जावे साथ ही श्रीडूंगरगढ़ से फुलन्सर, दुलचासर से सावंतसर, बिगा से बिदासर रास्तों पर अण्डरब्रिज बनाने की स्वीकृति सरकार प्रदान करे ताकि आमजन की समस्या का समाधान हो सके। समय रहते हुए इन मांगों पर सरकार ध्यान नहीं देती है तो जनता में आक्रोश चलेगा जिससे सरकार की छवि में कार्यप्रणाली में सवालिया निशान लगने का विरोधियों को मौका मिल जायेगा।

मुण्डावर में राजकीय महाविद्यालय व कृषि महाविद्यालय के भवनों का निर्माण एवं व्याख्याताओं के रिक्त पदों पर पदस्थापन

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर)

महोदय, उपरोक्त विषय में आग्रह है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में मेरे पिताजी स्व. श्री धर्मपाल चौधरी जी पूर्व विधायक मुण्डावर के प्रयासों से 2018 में वसुन्धरा राजे सिंधिया जी की सरकार में राजकीय महाविद्यालय खुलवाया गया। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद सरकार

की भेदभाव की नीति व स्थानीय कांग्रेस नेताओं में श्रेय लेने की होड़ के कारण राजकीय महाविद्यालय, मुण्डावर का संचालन आज भी राजकीय प्राथमिक विद्यालय में हो रहा है। राजकीय महाविद्यालय के भवन निर्माण को विद्यार्थी तरस रहे हैं। साथ ही मैं बात करूं व्याख्याताओं के पद की तो कुल 7 पद स्वीकृत हैं उनमें से 3 पद खाली हैं। राजनीति विज्ञान, हिन्दी व अर्थशास्त्र विषय के पद खाली हैं। साथ ही पिछले काफी समय से मेरे द्वारा सरकार से आग्रह करने पर कृषि महाविद्यालय मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में खोला गया, जिसका भी संचालन राजकीय प्राथमिक विद्यालय में हो रहा है। इसमें व्याख्याताओं के कुल 12 पद स्वीकृत हैं, जिसमें एक पद भरा हुआ है, 11 पद खाली हैं। इन सभी कारणों से विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित हो रही है। किसान परिवार के छात्र-छात्राएं पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं।

अतः विद्यार्थियों के हित में राजकीय महाविद्यालय, मुण्डावर एवं कृषि महाविद्यालय, मुण्डावर के भवनों का निर्माण एवं रिक्त पदों को भरने कर विद्यार्थियों को राहत प्रदान करें।

कोटा में बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण)

महोदय, निवेदन है कि कोटा शहर शैक्षणिक नगरी होने के साथ-साथ स्मार्ट शहर में भी आता है और तेजी के साथ बढ़ता हुआ प्रदेश में दूसरे नम्बर का शहर है, लेकिन इसके साथ-साथ प्रदूषित शहरों में प्रथम स्थान पर आ रहा है। कोटा जिले में संचालित बड़े-बड़े कल कारखाने, वाहन, बस आदि से निकलने वाले जहरीले धुएं एवं दूषित पानी से कोटा शहर ही नहीं अपितु सम्पूर्ण जिले में प्रदूषण छोड़ने वाली फैक्टरी के जहरीले एवं दूषित धुएं से लोगों के स्वास्थ्य पर गहरा कुप्रभाव पड़ रहा है। कोटा स्थित क्रेशर, चल रहे निर्माण कार्य एवं ट्रैचिंग ग्राउंडों से सम्पूर्ण शहर प्रदूषित हो रहा है।

प्रदूषण की रोकथाम के लिए बना राज्य प्रदूषण मण्डल इससे बिलकुल बेपरवाह है तथा विभाग द्वारा केवल ले-देकर खानापूति की जा रही है। प्रदूषण विभाग का कोई लेना-देना प्रदूषण फैलाने वाले उपक्रमों से प्रतीत नहीं होता है। कोटा की जीवनदायी चंबल नदी में 2 दर्जन से भी अधिक गंदे नालों का पानी गिर रहा है, जिससे पूरी नदी प्रदूषित हो रही है। कोटा में वायु प्रदूषण से छोटे बच्चे भी लंग्स की बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। बुजुर्गों का तो खुले में घूमना भी उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो रहा है। लंग्स की बीमारी सीओपीडी के रोगी अप्रत्याशित रूप से बढ़ रहे हैं। गत दिनों की केन्द्रीय प्रदूषण मण्डल

द्वारा जारी रिपोर्ट में कोटा का वायु प्रदूषण दिल्ली के बराबर पहुंच गया था। कोटा का एक्यूआई 353 दर्ज हुआ था। चिकित्सकों का मानना है कि प्रदूषण से जहरीली हवा के महीन कण पीएम 2.5 खून में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे धमनियों में सूजन आ जाती है तथा दिल के दौरे का खतरा बढ़ जाता है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा निवेदन है कि कोटा में बढ़ते हुए इस अतिप्रदूषण की रोकथाम के लिए ठोस प्रयास किये जाएं तथा प्रदूषण मण्डल, कोटा एवं अन्य सम्बन्धित विभागों को पाबन्द कर निर्देशित किया जाये।

फलौदी के स्वास्थ्य केन्द्रों एवं चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर पदस्थापन

श्री पब्बाराम (फलौदी)

महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र फलौदी के जिला अस्पताल व दोनों ब्लाक फलौदी व बाप के सभी उप-स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व सामुदायिक केन्द्र में अधिकतर पद रिक्त हैं। राजकीय जिला अस्पताल, फलौदी में 108 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 57 पद पर कार्यरत है और 52 पद रिक्त हैं। ब्लाक बाप में 147 में पद स्वीकृत हैं जिनमें 70 पदों पर कार्यरत हैं और 77 पद रिक्त हैं एव ब्लाक फलौदी में 147 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 60 पदों पर कार्यरत हैं और 87 पद रिक्त हैं।

मान्यवर, राजकीय चिकित्सालयों में बड़ी संख्या में पद रिक्त होने के कारण क्षेत्र की जनता को स्वास्थ्य का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, उन्हें मजबूरन जिला मुख्यालय या दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। कई गांवों में मात्र एक-एक कार्मिक के भरोसे स्वास्थ्य केन्द्र है।

मेरी आसन के माध्यम से सरकार से मांग है कि तत्काल सभी राजकीय चिकित्सालयों में रिक्त पदों को भर कर आम जनता को राहत दी जाये।

सांगानेर में क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्निर्माण

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर)

महोदय, विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में पीएचईडी विभाग तथा जेडीए द्वारा पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें वर्षों से पूरे क्षेत्र की सड़कें टूटी पड़ी हैं। जगह-जगह पानी भर रहा है, मिट्टी उड़ रही है। लोग भयंकर परेशान हो रहे हैं। महोदय, पीएचईडी और जेडीए ने पाइपलाइनों को सड़क के बीच में डाला है, जिससे पूरी सड़कें टूट गई हैं, यह सारी सड़कें नई बनानी पड़ेंगी जबकि जेडीए ने केवल पेचवर्क रोड कट का एस्टीमेट बहुत कम बनाया है, जिससे यह सड़कें नहीं बन पा रही हैं।

डिग्गी रोड से टोंक रोड के बीच पीएचईडी के पैकेज में 306 किमी. पाइपलाइन डल रही है. यह टूटी सड़कें बनाने में लगभग 150 करोड़ रुपये का खर्चा आयेगा, परन्तु विभाग ने अभी तक मात्र 18.4 किमी रोडकट के लिए 9.39 करोड़ रुपये जेडीए में जमा कराये हैं। मौके पर 100 किमी सड़कें खोद दी हैं।

पृथ्वीराज नगर साउथ में पीएचईडी के पैकेज में 387 किमी. पाइपलाइन डलनी है, यह टूटी सड़कें बनाने में लगभग 180 करोड़ रुपये का खर्चा आयेगा, परन्तु विभाग ने अभी तक इन सड़कों के पेटे मात्र 45 करोड़ रुपये ही जेडीए में जमा कराये हैं।

पीआरएन साउथ सीवरेज के पैकेज प्रथम में 38 किमी. पाइपलाइन डल रही है, यह टूटी सड़कें बनाने में लगभग 19 करोड़ रुपये का खर्चा आयेगा, परन्तु जेडीए ने अभी तक इन सड़कों के पेटे मात्र 5 करोड़ रुपये के ही टेण्डर लगाये हैं।

पीआरएन साउथ सीवरेज के पैकेज द्वितीय में 60 किमी. पाइपलाइन डलेगी, जिसमें पूरी सड़कें बनाने में लगभग 30 करोड़ रुपये का खर्चा आयेगा, परन्तु जेडीए ने इन सड़कों के पेटे मात्र 8 करोड़ रुपये का ही प्रावधान रखा है।

अतः मंत्री महोदय, जेडीए को निर्देश देकर बारिश से पहले यह सारी सड़कें बनवाकर आमजन को राहत प्रदान करें।

भाखड़ा उपनिवेशन क्षेत्र के काश्तकारों को आबंटित कृषि भूमि की राशि जमा कराने हेतु छूट

श्री गुरदीप सिंह (संगरिया)

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत मैं आपका ध्यान प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत आकर्षित करना चाहूंगा। भाखड़ा उपनिवेशन क्षेत्र में अनेकों किसानों की आबंटित कृषि भूमि किस्तों के अभाव में खारिज है तथा रकबा खारिज होने के कारण अधिसूचना दिनांक 29.05.2013 की अवधि समाप्त हो जाने के बाद ऐसे काश्तकारों को आबंटित कृषि भूमि किस्तों के अभाव में रकबा खारिज होने के कारण राजस्व विभाग द्वारा उपनिवेशन अधिनियम की धारा 22 के तहत कार्यवाही की जा रही है, जिससे काश्तकारों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

अतः मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे काश्तकारों को राहत प्रदान करने हेतु भाखड़ा परियोजना क्षेत्र में किस्तों के अभाव में खारिज रकबे की बकाया समस्त भूमि कीमत मय ब्याज एक निश्चित अवधि तक एकमुश्त जमा

करवाने पर बहाल करने हेतु अधिसूचना जारी कराने की कृपा करें, ताकि क्षेत्र के किसान अपना जीवनयापन कर सकें।

जायल में स्वीकृत सीमेंट प्लांट का कार्य शीघ्र प्रारम्भ

श्रीमती मंजु देवी (जायल)

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जायल में सन् 2018 में मै. जे.एस.डब्ल्यू. को सीमेन्ट प्लांट लगाने तथा चूना पत्थर की माइन्स आबंटित की गई थी। इसके अन्तर्गत जेएसडब्ल्यू ने सीमेन्ट प्लांट लगाने से तकरीबन 474 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार देने तथा लगभग 2000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देने का प्लान अपने माइनिंग प्लान में प्रेषित किया। आस-पास के लोगों से कुछ भूमि भी अधिग्रहण कर ली है, लेकिन आज 5 साल बीत जाने के बाद भी किसी भी प्रकार का प्लांट लगाना या कोई कार्य नजर नहीं आ रहा है। साथ जो जमीन जेएसडब्ल्यू ने खरीदी है, एससी/एसटी की एक ही बीघा जमीन आज तक नहीं खरीदी गई है, जिससे गरीब लोगों में बड़ी परेशानी व डर की स्थिति पैदा हो गई है। इसके कारण एससी/एसटी के लोग मध्यस्थ दलालों को आधी रेट में अपनी जमीनें बेचने पर विवश हो रहे हैं।

श्रीमान, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि जेएसडब्ल्यू कम्पनी को कार्य में शीघ्रता लाने तथा एससी/एसटी की जमीनें भी खरीदने के लिए पाबंद करावें, ताकि बेरोजगार युवकों को रोजगार मिल सके तथा गरीब लोगों को भी अपनी जमीनों के पूरे भाव से पैसे मिल सकें।

धानका जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र जारी करने में अनुभूत समस्याओं का समाधान

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा)

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 09/08/2019 और दिनांक 24/09/2019 को पत्र जारी किये गये जिसमें यह आदेश दिये गये कि धानका जाति को पोर्टल से हटा दिया जाये तथा धानका की जगह धाणका शब्द उपयोग में लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय, पूर्व में इनके बुजर्गों के जाति प्रमाण पत्र धानका (04) के अनुसार बने हुए हैं। बाद में आपके आदेश के बाद धानका (04) शब्द को पोर्टल से हटा दिया गया तथा धाणका शब्द जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा (मानव संस्थान विकास मंत्रालय भारत सरकार) एक पत्र जारी कर यह पुष्टी कि गई की धाणका शब्द हिंदी राज भाषा में गलत है जिसका शुद्व रूप धानका (dhanka) है।

अध्यक्ष महोदय, आप कृपया करके आपके द्वारा जारी दोनों पत्र, दिनांक 09/08/2019 और दिनांक 24/09/2019 को तुरंत प्रभाव से वापस लेते हुए राजस्थान राज्य की धानका (dhanka) जनजाति समाज के प्रमाण पत्र बनाने के दिशा-निर्देश जारी किये जावें ताकि धानका समाज के बच्चों को सही प्रकार से जाति प्रमाण पत्र मिल सके तथा समाज का उद्धार हो सके।

रायसिंहनगर की ग्राम पंचायतों की शीघ्र चकबंदी कर किसानों को राहत

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर)

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर की ग्राम पंचायत गोमावाली के गांव गोमावाली व घांघड़ा बारानी तथा कूपली बारानी की चकबंदी की अधिसूचना दिसम्बर 2019 में जारी हो चुकी है। तीन वर्ष से अधिक समय हो चुका है परन्तु आज दिनांक तक उक्त तीनों चकों की चकबंदी का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। अभी तक तीन वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद केवल घांघड़ा बारानी की चकबंदी कार्य में सूची नं 04 अनुसार आपत्तियां जारी की गई हैं। अन्य दो गांवों की अभी तक आपत्तियां भी जारी नहीं की गई हैं।

सरकार के अधिकारियों द्वारा इस महत्वपूर्ण कार्य को गंभीरता एवं प्राथमिकता से नहीं किया जा रहा है। इस गति से लगता है कि इस कार्य में पांच-सात साल और लगेंगे।

अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि तुरन्त प्रभाव से चकबन्दी का कार्य पूरा करवाकर किसानों को राहत प्रदान की जावे।

रामगढ़ (अलवर) में स्थायी ए.डी.जे. कोर्ट की स्थापना

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़)

महोदय, प्रक्रिया एवं नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत सदन के माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा इस बजट सत्र 2023-24 में ए.डी.जे. कैम्प कोर्ट, रामगढ़ (अलवर) में खोलने की घोषणा की गई थी। इस संदर्भ में मैं सदन के माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगी कि रामगढ़ (अलवर) में उपखण्ड स्तर पर सिविल न्यायाधीश (क.ख) व वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के न्यायालय संचालित

हैं, जिनमें तकरीबन निचले स्तर पर आठ हजार मुकदमे लंबित तथा रामगढ़ न्यायालय के सैशन कोर्ट में दो हजार मुकदमे लंबित हैं, जिनकी प्रकृति गंभीर है तथा अपराधों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढती जा रही है।

अतः इस सदन के माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन है कि इस बजट सत्र 2023-24 में माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा रामगढ़ (अलवर) में ए.डी.जे. कैम्प कोर्ट खोलने की घोषणा को परिवर्तित कर उक्त स्थान पर एक स्थायी ए.डी.जे. कोर्ट खोलने की घोषणा करने की कृपा करें।

किशनगढ़ में आवासन मण्डल की परियोजना में बीसलपुर बांध से पेयजल आपूर्ति

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़)

महोदय, निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में आवासन मण्डल की आवासीय परियोजना के अन्तर्गत हाउसिंग बोर्ड फेज-4 खोडा गणेश रोड, किशनगढ़ में आवासीय परियोजना अन्तर्गत वर्ष 2015 से 2020 तक मकानों का आबंटन किया गया था। इसमें सभी मकान आबंटित होकर राशि भी आवासन मण्डल में जमा हो चुकी है और यहां सैकडों परिवार निवासरत है, किन्तु वर्तमान में यहां निवासरत परिवारों हेतु पेयजल की आपूर्ति बीसलपुर के पानी से नहीं होकर फ्लोराइडयुक्त खारे पानी से की जा रही है, जिससे लोग बीमार हो रहे हैं, और लोगों में आक्रोश भी है। इसी के साथ यहा की 80 फीट सड़क भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त है, जिस पर आवागमन के दौरान भी क्षेत्रवासियों को भारी परेशानी के साथ ही यहां निरन्तर दुर्घटनाएं भी घटित हो रही हैं। इस सड़क का निर्माण नहीं होने से भी आमजन काफी परेशान है। इस संबंध में क्षेत्रवासियों द्वारा काफी समय से आग्रह किया जा रहा है कि इन्हें बीसलपुर का पेयजल उपलब्ध करवाया जाये ताकि यह फ्लोराइडयुक्त पानी पीने से बचकर अपने आपको, अपने परिवार के बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों आदि को सुरक्षित रखकर बीमार होने से बचा सकें तथा यहां की जीर्ण-शीर्ण सड़क राधामाधव विहार से राजारेडी होते हुए लिंक रोड तक 1.5 किमी सड़क के निर्माण कार्य की स्वीकृति भी जारी हो, जिससे इनका आवगमन सुलभ हो सकें। मेरे द्वारा इस संबंध में पूर्व में विभाग को कई पत्र लिखे गये हैं, किन्तु अभी इस संबंध में कार्यवाही नहीं हो पाई है।

अतः इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मैं माननीय आवासन मण्डल मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि आवासीय परियोजना अन्तर्गत राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किशनगढ़ में विकसित किये गये हाउसिंग बोर्ड फेज-4 में बीसलपुर का पेयजल उपलब्ध करवाते हुए यहां सड़कों का भी निर्माण करवाकर जनता को लाभान्वित करें।

उदयपुर (ग्रामीण) में कालीवास-केली-बच्छार क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण)

महोदय, उदयपुर विधान सभा क्षेत्र में कालीवास से केली होकर बच्छार जाने वाले घाटे पर रोड क्षतिग्रस्त हो गया है और यह रोड झाडोल-गोराणा-बच्छार मादड़ी सुरणा आदि गांवों का उदयपुर आने-जाने का मुख्य रास्ता है, जो शोर्ट पड़ता है, जिससे समय की तो बचत होती ही है मगर पेट्रोल, डीजल भी कम खर्च होता है और उदयपुर में कोर्ट-कचहरी, तहसील, कलेक्ट्री, अस्पताल आदि महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आने-जाने में 10 किलोमीटर की दूरी कम होती है।

यह रोड पहाड़ी होने से सकड़ा रास्ता है, वह भी टूट गया है। इस रास्ते को जल्दी से जल्दी दीवार (रिटेनिंग वाल) बनाकर इसको प्राथमिकता से ठीक करवायें नहीं तो आने वाले वर्ष में इस रोड पर भारी दुर्घटना होने की संभावना है। इस भारी समस्या को देखते हुए मैंने कई बार जिला परिषद और विधान सभा में भी इस समस्या का समाधान करने के लिए अवगत करवाया मगर अभी तक सरकार ने ऐसी ज्वलंत समस्या पर ध्यान नहीं दिया। क्या सरकार कहीं जन हानि होने का इंतजार कर रही है? मैं मांग करता हूं कि इस रोड को ठीक करवाने के लिए बजट का प्रावधान रख कर इस समस्या का समाधान करवाने का आदेश करें।

काछी, कुशवाह व शाक्य समाज के उत्थान हेतु लव-कुश बोर्ड का गठन

श्री अमर सिंह (बयाना)

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में काछी, कुशवाह, शाक्य समाज के लोग बहुतायत में निवास करते हैं जिनकी बहुत दिनों से लवकुश बोर्ड का गठन किये जाने की मांग है। काछी, कुशवाह, शाक्य समाज के लोग मेरे विधान सभा क्षेत्र में ही नहीं पूरे प्रदेश में बहुतायत में निवासरत हैं। भगवान राम के वंशज होने के कारण प्रदेश के लोगों की आस्था के पात्र भी हैं। सरकार का दायित्व है कि इनकी जातियों के लिए पृथक से लव-कुश बोर्ड का गठन किया जाये।

दिनांक 27.10.2022 को राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी हुई, जिसमें माली, सैनी बागवान, काछी, कुशवाह के नाम सम्मिलित किये, जबकि माली, सैनी ओबीसी सूची के कम

संख्या 36 का जीवन ओबीसी जातियों में उच्च स्तर का है, एवं काछी, कुशवाह, शाक्य का जीवन निम्न स्तर का है।

इस संबंध में राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा जस्टिस इसरानी की अध्यक्षता में बनी समिति की सर्वे रिपोर्ट 2012 के अनुसार जीवन स्तर के तुलनात्मक आंकड़ों के आधार पर पृथक्-पृथक् बोर्ड बनना अत्याधिक आवश्यक है।

अतः मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि प्रदेश में काछी, कुशवाह, शाक्य समाज के उत्थान के लिए पृथक से लव -कुश बोर्ड का शीघ्र गठन किये जाने की कृपा करें, जिससे इस समाज के लोगों का जीवन-स्तर उच्चतर हो सके। धन्यवाद।

परिशिष्ट-02

मांग संख्या 46 - कृषि पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-46-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर):

1. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में किसान केन्द्र व कृषि विभाग के भवन निर्माण की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

2. प्रदेश में किसानों को खाद्य आपूर्ति, कृषि अनुदान व बीमा योजना की राशि समय पर दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पदमाराम (चौहटन):

3. किसानों की उपज का उचित मूल्य दिलवाने, समय पर बिजली देने एवं किसानों को भी महात्मा गांधी नरेगा में शामिल करने के साथ ही इनकी सुविधा हेतु नयी योजना लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):

4. प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कृषि पर्यवेक्षक कार्यालय व किसान भवन खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।
5. प्रदेश में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि की बुआई, जुताई, बिजाई की गिरदावरी के आधार पर प्रति बीघा भूमि पर अनुदान देने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़-जंक्शन):

6. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़-जंक्शन में मिनी फूड पार्क स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना):

7. प्रदेश में कृषि सेवा केन्द्रों से वंचित ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर कृषि सेवा केन्द्र खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।
8. किसानों को दिये जाने वाले उन्नत किस्म के सरकारी बीजों की गुणवत्ता की जांच के लिए विशेष कार्ययोजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

9. विभाग द्वारा राजकीय अनुदान किसानों के खाते में जमा करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

10. सिवाना क्षेत्र में अत्यधिक अनार उत्पादन होने से सरकारी स्तर पर अनार प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

11. सिवाना कृषि गौण मण्डी को मुख्य मण्डी में परिवर्तित करने एवं स्थानीय स्तर पर अनाज खरीदे जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़):

12. प्रदेश में कृषकों को डिग्गियों पर दिये जाने वाला अनुदान बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर):

13. फतेहपुर में संचालित कृषि महाविद्यालय को भूमि आबंटन कर छात्रावास बनवाने एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

14. सरकार द्वारा लघु सीमान्त कृषकों को बीज फ्री में मुहैया करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

15. ट्रैक्टर एवं कृषि के काम आने वाले उपकरणों पर राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर):

16. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में सहायक निदेशक, कृषि विस्तार का कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

17. किसानों को फसल खराबे का मुआवजा समय पर दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

18. कृषि उत्पादित फसलों के समर्थन मूल्य पर राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त बोनस दिलाने के संबंध में चर्चा के लिए।

19. राज्य सरकार द्वारा किसानों को उच्च क्वालिटी व हाईब्रिड बीज नि:शुल्क उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

20. किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने तथा इसकी ब्लैक मार्केटिंग करने वालों पर कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

21. किसानों को कृषि सिंचाई उपकरण फव्वारा पाइप, पाइपलाइन व ड्रिप पाइप पर प्रत्येक 5 वर्ष में पुन: खरीदने पर अनुदान दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी):

22. विधान सभा क्षेत्र पिलानी में कृषि महाविद्यालय चिड़ावा के भवन व छात्र-छात्राओं के हॉस्टल बनाने, कृषि अनुसंधान केन्द्र हेतु भूमि आबंटन कराने के सम्बन्ध में तथा A.A.O. (सहायक कृषि अधिकारी) का पद बनगोठड़ी में स्वीकृत कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू):

23. सरूपगंज में बने हुए कृषि मण्डी भवन का उपयोग करने हेतु कृषि मण्डी खोले जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़):

24. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ की ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर कृषि सेवा केन्द्र तथा TSP क्षेत्र में आदिवासी किसानों को फव्वारा सैट मिनी स्प्रिंकलर, ड्रिप सिस्टम की सब्सिडी 90% कृषि विभाग और 10% TAD विभाग से दिलवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

25. TSP क्षेत्र में किसानों को सौर ऊर्जा संयंत्र मय मोटर पम्प देने की सब्सिडी 90% कृषि विभाग और 10% जनजाति विभाग से दिलवाये जाने तथा बीजों का वितरण समय पर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट):

26. लोहावट में कृषि विज्ञान केन्द्र खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हीराराम (बिलाड़ा):

27. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में फसलें खराब होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर):

28. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की सराड़ा, सेमारी, जयसमन्द, गिंगला, झल्लारा तहसीलों में पिछले 4 वर्षों में किसानों को फसल बीमा क्लेम की राशि नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

29. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की सराड़ा, सेमारी, जयसमन्द, गिंगला, झल्लारा तहसीलों में नीलगायों, सूअरों, बन्दरों और जंगली जानवरों से फसलों की बर्बादी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

30. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में किसानों को समय पर खाद, बीज एवं यूरिया डीएपी उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

31. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की सलूम्बर, सराड़ा, सेमारी, जयसमन्द, गिंगला व झल्लारा तहसीलों में किसानों के लम्बित विद्युत कृषि कनेक्शन, अतिवृष्टि, कीटनाशक दवाइयों का वितरण समय पर नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

32. प्रदेश में विभाग द्वारा अनाज बीज के मिनी किट, बायोमेट्रिक मशीन द्वारा वितरण करने, बीज भण्डार बनाने तथा किसानों को अनुदान राशि 90% देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़):

33. प्रदेश में कृषि विभाग में व्याप्त अव्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री बिहारीलाल (नोखा):

34. विधान सभा क्षेत्र नोखा में डिग्गियों का अनुदान जारी करने व संख्या बढ़ाने पर चर्चा के लिए।

35. विधान सभा क्षेत्र नोखा में शीतलहर व पाले से खराब हुई सरसों, जीरा व ईसबगोल की फसलों की सही गिरदावरी करवाकर तत्काल मुआवजा देने व मिड सीजन एडवर्सिटी लागू करने के संबंध में चर्चा के लिए।

36. प्रदेश में एम एस पी पर बाजरे की खरीद शुरू करने के संबंध में चर्चा के लिए।

37. नोखा में कृषि विज्ञान केन्द्र व कृषि महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

38. नोखा में स्वीकृत सहायक निदेशक कृषि विस्तार कार्यालय का क्षेत्र निर्धारण कर पदों का सृजन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रूपा राम (मकराना):

39. विधान सभा क्षेत्र मकराना में किसानों को 8 घण्टे बिजली देने व दिन में बिजली आपूर्ति करने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां):

40. विधान सभा क्षेत्र ओसियां में कृषि पर्यवेक्षक के खाली पद भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

41. प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से उन्नत बीज एवं उपकरण उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

42. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के बालोतरा मुख्यालय पर कृषि उद्यान अधिकारी कार्यालय एवं कल्याणपुर में कृषि विस्तार अधिकारी कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

43. जिला बाड़मेर में जीरा मण्डी खोलने एवं पादरू की अनाज मण्डी को विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

44. उन्नत खेती के प्रोत्साहन हेतु जिला बाड़मेर में विशेषकर बालोतरा-सिवाना क्षेत्र में फल एवं औषधीय पौधों के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु किसानों को राहत राशि देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

45. उन्नत खेती के प्रोत्साहन हेतु बालोतरा में किसानों को आधुनिक तकनीक, शोध एवं संसाधनों के उपयोग हेतु प्रशिक्षित करने हेतु कार्यशालाओं का आयोजन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पब्बाराम (फलौदी):

46. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में कृषि उपकरण खरीद एवं खेतों में तारबन्दी योजना के पात्र किसानों की अनुदान राशि का भुगतान न करने पर जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के संबंध में चर्चा के लिए।

47. विधान सभा क्षेत्र फलौदी के किसानों को फसल के दौरान आवश्यकतानुसार यूरिया व डीएपी उपलब्ध नहीं होने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा):

48. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में नवीन कृषि उपज मंडियां खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

49. प्रदेश के किसानों को फसलों के लिए समय पर उचित मात्रा में खाद बीज उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़):

50. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में अनुसंधान से प्राप्त कृषि तकनीक का प्रचार-प्रसार व्यापक रूप से किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

51. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में सोइल हैल्थ कार्ड से वंचित काश्तकारों को भी इसकी उपयोगिता से लाभान्वित कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

52. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के काश्तकारों को जमीन की मृदा एवं जल परीक्षण संबंधी जानकारी करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

53. प्रदेश के उर्वरकों की गुणवत्ता एवं जांच परिणामों से काश्तकारों को नियमित अवगत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

54. प्रदेश के विभिन्न फसलों के प्रमाणित सत्य चिन्हित बीजों की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा):

55. विधान सभा क्षेत्र महवा के उपखण्ड मण्डावर में कृषि महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

56. जालौर जिले सहित रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में कृषि विभाग में रिक्त चल रहे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदस्थापन किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

57. जालौर जिले सहित रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के किसानों को कृषि कार्यो हेतु दिन में बिजली उपलब्ध कराने एवं लंबित कृषि विद्युत कनेक्शन की पत्रावलियों के आवेदकों को शीघ्र कृषि विद्युत कनेक्शन दिए जाने के संबंध में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

58. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में स्वीकृत किसान सेवा केन्द्रों के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

59. कृषि विभाग की अधिकांश योजनाएं डीबीटी माध्यम से संचालित होने

के कारण कृषि कार्मिकों को टेबलेट, कम्प्यूटर विद जीपीआरएस उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

60. कृषि विभाग द्वारा संचालित किसान कल्याण योजनाओं, कृषि नवाचारों से किसानों को अधिकाधिक लाभान्वित किये जाने हेतु प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर कृषि अधिकारी कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण):

61. राज्य सरकार की घोषणानुसार प्रदेश के समस्त किसानों का सम्पूर्ण कर्जा माफ किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

62. प्रदेश में कृषकों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की (बाजार) पुख्ता व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

63. प्रदेश में प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पम्प सैट पर अनुदान नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

64. प्रदेश में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने एवं जैविक उत्पादों को बाजार में उपलब्ध कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

65. अजमेर स्थित कृषि फल मण्डी परिसर में फूल मण्डी बनाकर किसानों को आबंटित किये जाने के बावजूद मण्डी प्रारम्भ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी):

66. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के खोह-दरीबा में कृषि महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज):

67. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज शाहबाद के फलदी में कृषि पर्यवेक्षक कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

68. प्रदेश में किसानों की फसलों के ओलावृष्टि और अतिवृष्टि व शीत लहर से नुकसान का आकलन करवाकर उचित मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

69. प्रदेश में कृषि हेतु किसानों को बिजली कनेक्शन जल्दी दिलाने तथा ट्रांसफार्मर के जलने पर अति शीघ्र लगवाने के सम्बन्ध में विभागीय पहल की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

70. प्रदेश में बंजर भूमि को उपजाऊ बनाकर खेती करने वाले किसानों को खातेदारी अधिकार दिलाने के संबंध में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

71. प्रदेश में किसानों का सम्पूर्ण कर्जा माफ करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

72. प्रदेश में किसानों को उचित समय पर खाद व बीज उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़):

73. बीकानेर जिले के किसानों को डिग्गी निर्माण पर नहरी क्षेत्र के बराबर ही सिंचित क्षेत्र के किसानों को अनुदान देने तथा शीतलहर व पाले से बर्बाद फसलों की सही क्रोप कटिंग करवाकर किसानों को समय पर बीमा क्लेम दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

74. प्रदेश में बाजार हस्तक्षेप योजना में प्याज की सरकारी खरीद करने, श्रीडूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र के गांवों में किसान सेवा केन्द्र खोलकर कृषि पर्यवेक्षक का पद सृजित करने तथा सही क्रोप कटिंग नहीं करने वाले घोह गिरदावर के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर):

75. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में फूड प्रोसेसिंग यूनिट खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

76. प्रदेश में किसानों को खेतों में सिंचाई हेतु कृषि डिग्गियों के निर्माण हेतु अनुदान नरेगा से हटाकर सीधे कृषि विभाग द्वारा दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री वाजिब अली (नगर):

77. विधान सभा क्षेत्र नगर के कृषि महाविद्यालय में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री लाखन सिंह (करौली):

78. प्रदेश में कृषि फसलों की उचित कीमत निर्धारित किये जाने तथा किसानों की फसल नुकसान का पूरा मुआवजा दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़):

79. श्रीगंगानगर जिले में किसानों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में सभी रजिस्टर्ड आवेदकों को डिग्गी के अनुदान से लाभान्वित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

80. प्रदेश में प्रमाणित उन्नत बीज वितरण को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

81. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के काश्तकारों को Soil Health Card के माध्यम से लाभान्वित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

82. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के काश्तकारों को फसलों, सब्जियों एवं फलों पर कीट रोग से संभावित नुकसान को रोके जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

83. श्रीगंगानगर जिले के काश्तकारों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लाभान्वित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर):

84. नागौर जिला मुख्यालय पर सहायक निदेशक (कृषि विस्तार) कार्यालय खोले जाने, खींवसर विधान सभा क्षेत्र में रिक्त पड़े कृषि पर्यवेक्षकों के पदों को भरने, किसानों द्वारा कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी आदि के लम्बित आवेदनों का निस्तारण करने, नागौर जिले में बहुतायत में उत्पादन होने वाली पान मैथी हेतु खजवाना में पान मैथी मण्डी खोले जाने तथा बहुतायत में होने वाले मसाला उत्पादों के लिए जिला मुख्यालय पर सरकार द्वारा हाट बाजार स्थापित करने के सम्बन्ध में आवश्यक चर्चा के लिए।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा):

85. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) के काश्तकारों को आवारा पशुओं से फसल को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए तारबंदी में देय अनुदान का भुगतान समय पर नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

86. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) के भूमिहीन किसानों को श्रमिक कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

87. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) के कृषकों को जलहौज,

फार्मपौण्ड, डिग्गी, फव्वारा कृषि यंत्रों के अनुदान राशि का समय पर भुगतान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

88. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) के किसानों को मुख्यमंत्री बीज स्वावलम्बन (SBSY) योजना अन्तर्गत लाभान्वित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

89. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रदेश के काश्तकारों के बीमा दावों के त्वरित निदान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा):

90. प्रदेश में वर्ष 2018 में स्वीकृत डिग्गी का बकाया अनुदान नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

91. प्रदेश में कृषि शिक्षा पर प्रोत्साहन के सभी वर्ग के छात्राओं को कक्षा-11 से PHD करने तक की छात्रवृत्ति SC-ST के छात्राओं को भी दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

92. प्रदेश में कृषि विभाग द्वारा बीज, यूरिया, खाद, डी.ए.पी. का समय पर वितरण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

93. प्रदेश में किसानों द्वारा उन्नत किस्म की खेती जैसे- मशरूम, पोली हाउस तैयार करने पर सब्सिडी नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

94. प्रदेश में फसल बीमा क्लेम जारी करने के लिए प्रत्येक किसान के खेत को इकाई माने जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल (कठूमर):

95. विधान सभा क्षेत्र कठूमर के गांव बसेठ, सुंडयाना, खेडा मैदा, भोजपुरा, तसई आदि ग्रामों में हुई ओलावृष्टि से फसल खराबे का मुआवजा नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं):

96. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में बीज डिपो खोलने की घोषणा का क्रियान्वयन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

97. वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 में चौमूं विधान सभा क्षेत्र में फार्म पौण्ड के प्राप्त आवेदनों का निस्तारण किये जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

98. वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 में चौमूं विधान सभा क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं के सोलर पम्प आवेदनों का निस्तारण करने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई):

99. विधान सभा क्षेत्र नदबई की ग्राम पंचायत उच्चैन व बसैलीछार (नदबई) मुख्यालय पर कृषि महाविद्यालय स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़):

100. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ के उपखण्ड मुख्यालय पर सहायक निदेशक, कृषि का कार्यालय खोलने की आवश्यकता एवं फसल बीमा के क्लेम में हो रही देरी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर):

101. प्रदेश में कृषि भूमि के संरक्षण हेतु विलायती बबूल (जूलीफ्लोरा) को नष्ट किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गुरदीप सिंह (संगरिया):

102. किसानों के खेतों में बनने वाली डिग्गियों की संख्या बढ़ाने, डिग्गियों के अनुदान की राशि 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने, खेतों की तारबंदी करने तथा किसानों द्वारा निर्मित डिग्गी का भुगतान प्रक्रिया अप्रैल, 2023 से चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा):

103. बून्दी जिले के रायथल एवं कोटा जिले के इटावा, बड़ौद, अयाना, श्रीपुरा में सहायक कृषि अधिकारी सीएडी कार्यालय की अत्यन्त आवश्यकता होने के उपरान्त भी कार्यालय सृजित करने में बरती जा रही विभागीय उदासीनता तथा कोताही के संबंध में चर्चा के लिए।

104. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) में जोरावरपुरा, बालूपा, बागली, ख्यावदा, ककरावदा, लाज सनीजा, झाड़गांव, मण्डावरा, खेरूला में नवीन कृषि पर्यवेक्षक कार्यालय/ किसान सेवा केन्द्र की अत्यन्त आवश्यकता होने के उपरान्त भी विभाग द्वारा कार्यालय सृजित कर संचालित करने तथा अयाना द्वितीय कृषि पर्यवेक्षक कार्यालय को लुहावद द्वारा संचालित करवाने में बरती जा रही विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिए।

105. कोटा संभाग में रबी वर्ष 2022 में रासायनिक उर्वरक की कालाबाजारी रोक पाने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिए।

106. कोटा संभाग में लहसुन उत्पादक किसानों को उपज का वाजिब मूल्य दिलवाने में विभागीय विफलता तथा सरकारी लापरवाही पर चर्चा के लिए।

107. बून्दी जिले के रायथल एवं कोटा जिले के जलोदा बालियान, डूंगरली, लक्ष्मीपुरा, श्रीपुरा, रजोपा, गणेशगंज, नोनेरा, ढीपरी चम्बल में कृषि पर्यवेक्षक कार्यालय/किसान सेवा केन्द्र के लिए सरकारी भूमि एवं केन्द्र के लिए सरकारी भूमि एवं भवन उपलब्ध करवाने में बरती जा रही विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिए।

श्री अनिल कुमार शर्मा (सरदारशहर):

108. सरदारशहर में कृषि विभाग का सहायक निदेशक स्तर का कार्यालय खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

109. विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के गांव भोजासर छोटा में सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

110. सरदारशहर में मिट्टी व पानी की जांच प्रयोगशाला हेतु कृषि कार्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी):

111. विधान सभा क्षेत्र चौरासी के ग्राम पंचायत उटिया, रेटा, डोलकूंजेला, थाम तालाब एवं अन्य समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालय पर किसान सेवा केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

112. प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र में तारबन्दी योजना में एक हैक्टेयर भूमि एवं एकल किसान को भी पात्र श्रेणी में मानने की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

113. प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र में रबी एवं खरीफ की फसल का बीज निश्चित समय पर तथा सही क्वालिटी का नहीं मिलने एवं अंकुरित नहीं होने से उत्पन्न स्थिति तथा वितरण कम्पनी की अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की जांच करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

114. प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र में कृषि विभाग को TAO से प्राप्त राशि का सही उपयोग नहीं लिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़):

115. प्रदेश के बीमा क्लेम के भुगतान से वंचित किसानों को क्लेम दिलवाने के संबंध में चर्चा के लिए।
116. प्रदेश की वंचित ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर किसान सेवा केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।
117. प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने एवं विधान सभा क्षेत्र मुख्यालय रतनगढ़ में आईपीएम (एकीकृत कीट प्रबंधन) लैब खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।
118. प्रदेश के किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
119. प्रदेश में किसानों को समय पर आवश्यक मात्रा में डीएपी व यूरिया खाद उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर):

120. प्रदेश में मोटे अनाज के उत्पादन में रिकार्ड तोड़ बढ़ोतरी हेतु विशेष योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
121. पर्यावरण संरक्षित कृषि को बढ़ावा देकर पैदावार में वृद्धि हेतु रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
122. प्रदेश में बूंद-बूंद सिंचाई योजना के द्वारा अधिक फसल उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
123. प्रदेश में शून्य बजट पर गौ आधारित खेती को बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमित चाचाण (नोहर):

124. प्रदेश में किसानों की फसल सुरक्षा हेतु तारबन्दी में अनुदान बढ़ाने पर चर्चा के लिए।
125. प्रदेश में विभाग द्वारा अनुदानित सिंचाई डिग्गी, फार्म पौण्ड, सिंचाई पाइपलाइन कृषि यंत्र तारबन्दी योजनाओं में लॉटरी प्रणाली को समाप्त कर 'पहले आओ पहले पाओ' स्कीम अपनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
126. कृषक को अपने खेत में सिंचाई जलस्रोत एक छोर से दूसरे छोर तक सिंचाई जल ले जाने हेतु पाइपलाइन पर अनुदान बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़):

127. जिला चित्तौड़गढ़ में कृषि पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों को भरने तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत पर कृषि पर्यवेक्षक का एक पद सृजित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

128. चित्तौड़गढ़ के किसानों को अपनी फसल को आवारा पशुओं से बचाने के लिए तारबंदी योजना हेतु दिये जाने वाले अनुदान को बढ़ाने एवं इनका शीघ्र निस्तारण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

129. विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के कृषकों का फसल बीमा योजनान्तर्गत बकाया बीमा क्लेम की राशि का भुगतान कर कृषकों को राहत प्रदान करने के संबंध में चर्चा के लिए।

130. प्रदेश में कृषि कार्य करते समय असामयिक मृत्यु पर किसानों को मुआवजा राशि बढ़ाकर देने एवं कृषक आश्रित परिवार को अनुदान उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री कालूराम (डग):

131. विधान सभा क्षेत्र डग में कृषि पर्यवेक्षक कार्यालय खोलने व कृषि पर्यवेक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने के संबंध में चर्चा के लिए।

132. विधान सभा क्षेत्र डग में बीज निगम द्वारा ग्राम रतनपुरा व ग्राम पंचायत गुराड़िया जोगा में बीज भण्डारण बनाये जाने के बावजूद बीज वितरण चालू नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

133. विधान सभा क्षेत्र डग में वर्ष 2022-23 में खरीफ फसल सोयाबीन अन्य फसलें अतिवृष्टि से खराब हो जाने तथा मुआवजा अभी तक नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

134. विधान सभा क्षेत्र डग में विगत माह जनवरी में शीतलहर व पाला पड़ने से फसलों के खराबे से उत्पन्न स्थिति तथा क्रोप कटिंग के आधार पर धनिया, सरसों, चना आदि फसलों में हुए नुकसान के मूल्यांकन के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा):

135. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में कृषि पर्यवेक्षकों के नवीन पद सृजित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

136. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के कृषि अनुसंधान केन्द्र, डिग्गी (नुक्कड़) में कृषि महाविद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

137. प्रदेश में नि:शुल्क वितरित किये जाने वाले बीज-किटों की संख्या में वृद्धि करने के संबंध में चर्चा के लिए।

138. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के पंचायत मुख्यालय पर कृषि पर्यवेक्षक कार्यालय भवन का निर्माण करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

139. मालपुरा (टोंक) में कृषि विस्तार निदेशक का पद सृजित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़):

140. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में कृषि महाविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री रूपाराम (जैसलमेर):

141. प्रदेश में खारे पानी से कृषि फसल की पैदावार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

142. पश्चिमी राजस्थान में एलोविरा की खेती को बढ़ावा देने के लिए राजकीय स्तर पर प्रोसेस यूनिट स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू):

143. चूरू जिले में कृषक कल्याण कोष की राशि से किसान की उपज की खरीद नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

144. राजस्थान कृषि मिलेट मिशन के कोष से मिलेट प्रोत्साहन का कार्य नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

145. चूरू कृषि उपज मण्डी में मण्डी क्षेत्र में सड़क पर सार्वजनिक प्रकाश के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

146. प्रदेश में कृषि पर्यवेक्षकों के बड़ी संख्या में पद रिक्त रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री अविनाश (जैतारण):

147. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जैतारण विधान सभा के काश्तकारों के बीमा दावों का त्वरित निदान नहीं किये जाने, विभाग द्वारा बीज, यूरिया, खाद, DAP का समय पर वितरण नहीं करने, रिक्त पदों को नहीं भरने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

148. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में किसानों को 8 घण्टे बिजली दिन में

सुबह 9 से 1 बजे व दोपहर बाद 4 से 8 बजे तक आपूर्ति करवाने, लम्बित कृषि विद्युत कनेक्शन शीघ्र करवाने हेतु विभागीय पहल, किसानों का सम्पूर्ण कर्जा माफ करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

149. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में नवीन कृषि विज्ञान केन्द्र व कृषि महाविद्यालय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

150. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में गत तीन वर्षों में ओलावृष्टि, पाला, शीतलहर, अतिवृष्टि के कारण किसानों के फसल खराबे की गिरदावरी सही नहीं करने से किसानों को मुआवजा राशि नहीं मिलने की जांच करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

151. जैतारण विधान सभा मुख्यालय पर कृषि मण्डी समिति जैतारण के अधीन अतिरिक्त रिक्त 8 बीघा जमीन का सौन्दर्यीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री छगनसिंह (आहोर):

152. विधान सभा क्षेत्र आहोर के भाद्राजून, हरजी या उम्मेदपुर में कृषि महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज):

153. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज शाहबाद में मौसम के कारण खराब हुई फसलों का मुआवजा देने के संबंध में चर्चा के लिए।

154. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज शाहबाद में कृषि के क्षेत्र में नवीन रोजगार उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिए।

श्री सतीश पूनियां (आमेर):

155. प्रदेश में किसानों की सम्पूर्ण कर्ज माफी किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

156. प्रदेश में कृषक मित्रों के मानदेय में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

157. प्रदेश में कृषकों को समय पर पर्याप्त मात्रा में यूरिया और D.A.P. खाद की आपूर्ति नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

158. विधान सभा क्षेत्र आमेर की प्रत्येक ग्राम पंचायत में कृषि पर्यवेक्षक का पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

159. प्रदेश में परम्परागत खेती में नवाचार कर अधिक उपज लेने व कृषकों की आय बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी):

160. विधान सभा क्षेत्र बस्सी, जयपुर में राजकीय कृषि महाविद्यालय खोलने तथा उद्यानिकी विकास के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री अमित चाचाण (नोहर):

161. विधान सभा क्षेत्र नोहर के काश्तकारों द्वारा खरीफ 2021 का फसल बीमा जुलाई में करवाने के बावजूद 18 महीने पश्चात् नवम्बर, 2022 में बीमा कम्पनी द्वारा बीमा निरस्त कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़):

162. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में नया कृषि महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

163. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के कृषि विभाग में रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

164. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के फुलेरा में कृषि महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

165. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के सांभर में सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार) कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

166. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में नई कृषि नर्सरी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़):

167. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के अरांई उपखण्ड मुख्यालय पर मिट्टी-पानी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

168. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में सहायक कृषि अधिकारी का नवीन पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

169. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के अरांई उपखण्ड मुख्यालय पर कृषि

अधिकारी (उद्यान) कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

170. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के किशनगढ़ उपखण्ड मुख्यालय पर सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार) कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द):

171. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में मोटे अनाज की खेती पर प्रोत्साहन लाभ नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा करने के लिए।

172. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में किसानों को तारबंदी योजना का पूर्ण लाभ नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा करने के लिए।

173. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में यूरिया एवं डी.ए.पी. खाद की कालाबाजारी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा करने के लिए।

174. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में किसानों को कृषि बीमा दावों का भुगतान नहीं करने एवं दावों को अस्वीकृत करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा करने के लिए।

175. जिला मुख्यालय राजसमन्द पर कृषि महाविद्यालय की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर):

176. जालौर जिले के केशवाना में स्वीकृत कृषि महाविद्यालय का प्रशासनिक विभाग कृषि विभाग किये जाने, भवन निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

177. जालौर जिले में कृषि संबंधित समस्त विभागों/कार्यालयों में अधिकारियों/ कर्मचारियों के समस्त रिक्त पद शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता एवं प्रत्येक पंचायत समिति स्तर तक कृषि अधिकारी कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

178. विधान सभा क्षेत्र जालौर के कृषकों को सौर ऊर्जा पम्प, कृषि उपकरण वितरण एवं जल संग्रहण हेतु हौद/खेत तलाई हेतु अनुदान एवं ऋण दिये जाने के लक्ष्य बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

179. राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति-2019 को प्रभावी ढंग से व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए

इसका नियंत्रण कृषि विभाग को दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

180. जालौर जिले में जीवाणा में घोषित अनाज मंडी को शीघ्र स्थापित करके अनाज उत्पादकों, व्यापारियों एवं निर्यातकों को मंडी परिसर से व्यवसाय संचालित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता):

181. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के कृषकों को फार्म पौण्ड व कृषि कार्यों के लिए अनुदान राशि नियत समय में जारी नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

182. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के कृषकों को कृषि विभाग की योजनाओं से अनभिज्ञता के कारण किसानों तक विभागीय योजनाओं का फायदा नहीं पहुंचने से उत्फन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री बलवान पूनियां (भादरा):

183. प्रदेश में फसल बीमा क्लेम क्रोप कटिंग से ही दिलवाने तथा सैटेलाइट के आंकलन बंद किये जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

184. प्रदेश में फसल बीमा 2020 की रबी में सिंगल पालिसी का बीमा दिलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

185. प्रदेश में फसल बीमा क्लेम 2021-22 की रबी फसल का क्लेम जारी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

186. प्रदेश में किसानों की डिग्गी के निर्माण के लिए किसानों के आवेदन पर ही दिये जाने तथा पोर्टल पर लाटरी योजना बंद किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर):

187. जिला जैसलमेर एवं नहरी क्षेत्र में डिग्गी खुदवाने संबंधी कार्य में हो रहे विलम्ब से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर):

188. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में विगत तीन वर्षों से पाइपलाइन, कृषि अनुदान की राशि का भुगतान दिये जाने में हो रहे विलम्ब से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

189. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में कृषि सहायक निदेशक कार्यालय सृजित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन):

190. प्रदेश के किसानों को कृषि कार्यों हेतु निःशुल्क ऋण उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिए।

191. प्रदेश के किसानों को कृषि कार्यों हेतु आवश्यकता अनुसार समय पर खाद-बीज व अन्य सामग्रियां उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

192. कोटा संभाग के कृषि विभाग के कार्यालयों से अन्य स्थानों पर व्यवस्थार्थ लगाये गये कार्मिकों के आदेश शीघ्र निरस्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

193. कोटा संभाग में स्थित कृषि विभाग के कार्यालयों में स्वीकृत रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

194. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में कृषि महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

परिशिष्ट-03

मांग संख्या 47 - पशुपालन एवं मत्स्य पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-47 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर):

1. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में नये पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर):

2. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के किसानों को वंचित योजनाओं से लाभ दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पदमाराम (चौहटन):

3. प्रदेश में दुधारू पशुओं का बीमा करने, आवारा पशुओं से फसलों को हो रहे नुकसान की रोकथाम करने तथा नये पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):

4. प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पशु चिकित्सा अधिकारी का कार्यालय खोलने एवं दूध देने वाले पशुओं भेड़, बकरी, ऊंटनी के पालन पर अनुदान देने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी):

5. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के पशु चिकित्सा उप-केन्द्र सूरोटी (बाड़ी) को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
6. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के पशु चिकित्सा उप-केन्द्र धनौरा (बाड़ी) को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
7. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के ग्राम-दोनारी सैपऊ में नवीन पशु चिकित्सा उप-केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
8. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के ग्राम घड़ी सुक्खा में नवीन पशु चिकित्सा उप-केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

9. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के ग्राम नुनहेरा (सैपऊ) में नवीन पशु चिकित्सा उप-केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना):

10. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में पशु चिकित्सा सुविधा से वंचित ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर चिकित्सा सुविधाएं दिये जाने और संचालित संस्थाओं की क्रमोन्नति एवं रिक्त पद भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

11. लम्पी बीमारी से दुधारू पशुओं की मौत पर राजकीय सहायता राशि की गणना करने एवं लम्पी रोग निर्धारण के संबंध में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

12. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में पशु चिकित्सा से संबंधित विभिन्न खाली पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

13. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में स्वीकृत पशु चिकित्सा केन्द्रों को जमीन आबंटन होने के उपरान्त भी उनके भवन निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

14. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में विगत चार वर्षों में ऊंट पशु के जन्म पर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि का वितरण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर):

15. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में पंचायत समिति स्तर पर संचालित प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में नियमानुसार चिकित्सक एवं पशुधन सहायक पद सृजित करने एवं पशुधन सहायक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

16. प्रदेश में मत्स्य पालन में धार्मिक भावनाओं के आहत होने से मछली पकड़ने का ठेका नहीं दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

17. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के सभी पशु चिकित्सालय एवं सब-सेन्टरों पर स्टाफ की कमी को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा):

18. प्रदेश में TSP क्षेत्र में मत्स्य पालन के लिए विशेष कार्ययोजना बनाई जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

19. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में भेड़ पालन हेतु विशेष कार्य योजना बनाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

20. प्रदेश में पशुओं में मौसमी बीमारियों के निदान हेतु टीकाकरण की समुचित व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

21. प्रदेश में देसी नस्ल के पशुओं की जाति लुप्त होने से रोकने के संबंध मे विशेष कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

22. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के पशु चिकित्सा उपकेन्द्र पर रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन):

23. प्रदेश में भेड़-बकरियों के अरंज वृक्ष की फली खाने से हुई मृत्यु को आपदा में सम्मिलित करने, पशुपालकों की अन्य राज्यों में पशुओं की चराई हेतु पलायन के दौरान आपदा व ओला वृष्टि से हुई मौतों से नुकसान पर सहायता दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर):

24. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के राजकीय पशु चिकित्सा उप-केन्द्र बागावास अहीरान व भाभरू को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

25. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर की ग्राम पंचायत कारोली, ढाणी, गैसकान, पापड़ा, चतरपुरा, गुर्जरपुरा, ठीकरिया, चौबाला में नये पशु चिकित्सा उप-केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

26. राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, पावटा को बहूद्देशीय चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

27. सरकार द्वारा पशुपालकों को अच्छी नस्ल के पशु उपलब्ध कराने के लिए ऋण व अनुदान उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

28. प्रदेश में पशु चिकित्सालयों में इलाज हेतु सभी प्रकार की दवाइयां उपलब्ध कराई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

29. प्रदेश में पशु चिकित्सालयों में चिकित्सकों, कम्पाउण्डरों तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों पर पदस्थापन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

30. प्रदेश में मत्स्य पालकों को विशेष अनुदान देकर मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली):

31. मेवाड़ के प्रसिद्ध तीर्थ कैलाशपुरी तालाब में मत्स्याखेट का ठेका धार्मिक भावनाओं के मद्देनजर बंद करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

32. मावली तहसील में निराश्रित पशुओं के लिए आश्रय स्थल बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

33. मावली तहसील में पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़):

34. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) के ग्राम नसोपुर, कोटा कलां एवं नसवारी में नवीन पशु चिकित्सालय स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़):

35. प्रतापगढ़ जिले की सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एवं ग्राम पंचायत सिद्धपुरा सहित सभी पंचायतों में पशु चिकित्सा उप-केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

36. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ की ग्राम पंचायत देवपुरा, लुहारिया, रामसिंहपुरा, दतियार, बोरी A, बड़ी साखथली निनीर, मोपाई, नोगांवा कूबी, गादोला पशु उप-केन्द्रों को क्रमोन्नत करने एवं तहसील मुख्यालय सुहागपुरा और दलोड़ पशु चिकित्सालय को 'अ' श्रेणी में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती मंजु देवी (जायल):

37. विधान सभा क्षेत्र जायल में नवीन पशु चिकित्सालय खोलने व पशु उप-केन्द्र को क्रमोन्नत करने तथा प्रथम श्रेणी के पशु चिकित्सालय सुरपालिया को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर):

92. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में पशु चिकित्सकों व कम्पाउण्डर के रिक्त पदों को भरने एवं नवीन पशु उप-केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

93. प्रदेश में पशुओं में फैली बीमारियों की रोकथाम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

94. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में पशुधन बीमा योजना को लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

95. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के मत्स्य पालकों को आधुनिक नाव, जाले, सेफ्टी कवच दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

96. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में मछुआरों को आवास व विशेष अनुदान देकर उनके उन्नयन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बिहारीलाल (नोखा):

92. विधान सभा क्षेत्र नोखा में लम्पी वायरस से हुई गौवंश की मौतों की दुबारा गणना करवाकर मुआवजा देने के संबंध में चर्चा के लिए।

93. विधान सभा क्षेत्र नोखा के राजस्व गांव जहां पशु उप-केन्द्र संचालित नहीं है वहां उप-केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

94. विधान सभा क्षेत्र नोखा में भवन रहित संचालित पशु चिकित्सालयों व पशु उप-केन्द्रों के भवन निर्माण एवं भूस्वामित्व पशुपालन विभाग के अधीन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

46. विधान सभा क्षेत्र नोखा में पशु चिकित्सकों व अन्य कार्मिकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां):

47. विधान सभा क्षेत्र ओसियां में नये पशु चारागाह खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री महेन्द्र बिश्नोई (लूणी):

48. प्रदेश में पशु उप-केन्द्रों पर रिक्त पड़े पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमीन खां (शिव):

49. बाड़मेर, जैसलमेर जिलों में डाक्टरों व पशु सहायकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद):

50. प्रदेश में गोपालन विभाग को पशुपालन विभाग के अधीन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

92. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में वंचित क्षेत्रों में पशु उप चिकित्सा केन्द्र खोलने एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र मण्डली को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

93. तिलवाड़ा पशु मेला को पर्यटन विभाग के साथ समन्वय करने एवं आयोजकों को 25 लाख की सहायता राशि प्रतिवर्ष दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

94. प्रदेश में ऊष्ट्र संरक्षण योजना में प्रत्येक पशुपालक के 5 ऊंटों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

95. प्रदेश में उन्नत किस्म के पशुओं के लिए प्रजनन केन्द्र स्थापित करने एवं उनके संरक्षण हेतु कार्ययोजना बनाकर लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़):

55. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) के ग्राम वगढ़ राजपूत, भैंसड़ावत में एक पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा):

92. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

93. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास):

58. विधान सभा क्षेत्र बामनवास के बौंली कस्बे में अज्ञात बीमारी के कारण सूअरों की मौत होने से सूअर पालकों को मुआवजा दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

59. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में पशुओं के टीकाकरण तथा रोगों के उपचार हेतु दवाइयां उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़):

60. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ की सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर पशु चिकित्सा केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

61. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ की ग्राम पंचायत फूटोलाव में पशु चिकित्सा केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़):

62. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ स्थित पशु चिकित्सा इकाइयों के जीर्ण-शीर्ण भवनों की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

63. प्रदेश के पशुपालकों हेतु पशु रोग निदान सुविधाओं का विकास, वैक्सीन उत्पादन व टीकाकरण के नियमित जांच कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

64. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में पशुपालकों के लिए पशु-हैल्थ कैम्प नियमित लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

65. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ स्थित पशु चिकित्सालय इकाइयों में रिक्त पदों को अति शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

66. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ स्थित पशु चिकित्सालय इकाइयों में औषधि, सर्जिकल कन्ज्यूमेबल आइटम्स की सुचारु आपूर्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा):

67. विधान सभा क्षेत्र महवा के ग्राम पंचायत नाहिड़ा, समलेटी तथा हिंगोटा में पशु चिकित्सा उप-केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन):

68. प्रदेश में अरंज वृक्ष (अकेसिया ल्युकोफिलोइया) फली खाने से भेड़-बकरी की मृत्यु को आपदा में सम्मिलित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़):

69. प्रदेश में लम्पी स्किन बीमारी से असमय काल-कलवलित हुए दुधारू पशुओं के पशुपालकों को आर्थिक मुआवजा एवं पशुधन बीमा योजना को शीघ्र लागू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

70. रानीवाड़ा उपखण्ड मुख्यालय पर पशुपालन विभाग का सहायक पशुपालन सूचना अधिकारी का पद सृजित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

71. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के पशु चिकित्सालय मालवाड़ा, मौखातरा,

धानोल, करडा एवं सरनाऊ को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

72. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा की ग्राम पंचायत रामपुरा, तावीदर, राजपुरा, कलापुरा, राजीवनगर, भाटीप, कोटड़ा, आखराड़, बामनवाड़ा, जालेरा खुर्द, कुड़ा एवं चाटवाड़ा में नवीन पशु चिकित्सा उप-केन्द्र स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

73. पशु चिकित्सा उप-केन्द्र सिलासन एवं सेवाड़ा को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर):

74. बजट-2023 में 5 हजार नये डेयरी बूथ खोलने की घोषणा का सफल समयबद्ध क्रियान्वयन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

75. प्रदेश में पशुपालकों/गौशालाओं को समय पर अनुदान का भुगतान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

76. राज्य पशु (पशुधन) ऊंट के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु विशेष कार्ययोजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

77. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादकों की समयबद्धता एवं गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति की सतत मानिटरिंग किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

78. प्रदेश के पशुपालकों की आय दोगुनी करने हेतु अनेकानेक विकल्प तलाशे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण):

79. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण के भवन विहीन पशु चिकित्सा संस्थानों के नवीन भवन निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

80. अजमेर संभाग मुख्यालय पर पशु चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

81. सरकार द्वारा गौशालाओं को देय अनुदान राशि का भुगतान समय पर कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

82. राज्य सरकार की घोषणा अनुसार प्रदेश में पंचायत स्तर पर नंदी

शालाएं स्थापित किये जाने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

83. प्रदेश में लम्पी रोग से मृत दुधारू पशुओं का विभाग के पास रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने से बजट घोषणा 2023-2024 का लाभ पशुपालकों को नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर):

84. पशु विज्ञान केन्द्र, जोधपुर में विभिन्न पद स्वीकृत कर अविलम्ब पदस्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

85. पशु विज्ञान केन्द्र, जोधपुर में पद स्वीकृति के अभाव में कार्यरत ठेका कर्मियों को संविदाकर्मी मानते हुए नियमित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी):

86. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय को बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने व पशु चिकित्सालय, प्रतापगढ़ को प्रथम श्रेणी चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री छगनसिंह (आहोर):

87. विधान सभा क्षेत्र आहोर में संचालित प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय एवं पशु चिकित्सालय में चिकित्सकों के रिक्त पदों पर नियुक्त करने के संबंध में चर्चा के लिए।

88. विधान सभा क्षेत्र आहोर में ग्राम पंचायत मेडा उपरला में पशु चिकित्सालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

89. विधान सभा क्षेत्र आहोर के चवरछा, पलासिया में पशु चिकित्सा उप-केन्द्र खोलने तथा इनके भवन निर्माण के लिए बजट आबंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

90. विधान सभा क्षेत्र आहोर के भवन रहित उप-केन्द्र एवं हरजी में नवीन पशु चिकित्सालय भवन हेतु बजट आवंटित कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

91. विधान सभा क्षेत्र आहोर के बड़ा कस्बा हरजी में प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय खोलने एवं ग्राम शंखवाली में पशु चिकित्सालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

92. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में भवन विहीन पशु चिकित्सालयों के भवन निर्माण व जर्जर भवनों की मरम्मत करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

93. प्रदेश के पशुओं में मौसमी बीमारियों को रोकने के लिए टीकाकरण करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

94. प्रदेश में सभी पशुओं का सरकार द्वारा बीमा करवाये जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

95. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के सभी पशु चिकित्सालयों में विभिन्न रिक्त पदों को शीघ्र भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

96. प्रदेश में देशी गायों में देशी उन्नत नस्ल का गर्भादान करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़):

97. प्रदेश में लम्पी से मृत दुधारू पशुओं का पुन: सर्वे करवाकर अनुदान जारी करने तथा श्रीडूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र के गांव जोधासर, मेऊसर, केऊ पुरानी, बनिया सहित विभिन्न गांवों में नवीन पशु चिकित्सा उप-केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

98. प्रदेश में किसानों के पशुओं का बीमा सरकारी खर्चे पर करने, श्रीडूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र के पशु चिकित्सालय मसूरी, साधासर व सावंतसर को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने तथा भवन विहीन पशु चिकित्सा संस्थानों के भवन निर्माण व पशु चिकित्सा संस्थानों में रिक्त पड़े पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़):

99. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की वंचित ग्राम पंचायतों मे पशु चिकित्सा उप-केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

100. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में मुख्यमंत्री पशुधन नि:शुल्क दवा योजना की निर्धारित समुचित मात्रा में आपूर्ति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

101. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में स्थित पशु चिकित्सालयों, उप-केन्द्रों में रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

102. श्रीगंगानगर जिले में लम्पी बीमारी से पशुधन की हानि की भरपाई का समय पर क्षतिपूर्ति दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

103. पशु चिकित्सालय अनूपगढ़ के जर्जर भवन को दुरुस्त कर नया भवन व चारदीवारी करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर):

104. विधान सभा क्षेत्र खींवसर के पशु चिकित्सा उप-केन्द्र माडपुरा तथा मुन्दियाड़ को क्रमोन्नत करने, भवन विहीन पशु चिकित्सा उप-केन्द्र नारवा कला, भावण्डा, माडपुरा, अखासर, देऊ, दांतीणा, भोजास, नागड़ी, ढीगसरा, भोमासर, बलाया, ग्वालू, बू नरावता, रोल चांदावतान, हरसोलाव, ओलादन में भवन निर्माण कार्य करवाने, प्रदेश में 3 वर्ष से छोटे बछड़ों के विक्रय पर लगी रोक हटाने के संबध में अध्यादेश लाने, नागौर जिले में लगने वाले पशु मेलों में आने वाले पशुपालकों के लिए विशेष पैकेज देकर मेलों की सुविधाओं का विस्तार किये जाने तथा संखवास ग्राम में स्थित पशु चिकित्सालय को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा):

105. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) में स्थित पशु उप-केन्द्र में नि:शुल्क आवश्यक दवायें एवं सर्जिकल कंज्यूमरी औषधियां एवं वैक्सीन निर्धारित मात्रा में उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

106. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) में नये पशु उप-केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

107. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) में पशु आहार की गुणवत्ता की नियमित जांच कराई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

108. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) के पशुपालकों को पशु बीमा से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

109. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) में पशु चिकित्सा रिलीफ सोसाइटी का गठन पशु चिकित्सालय स्तर पर नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई):

110. विधान सभा क्षेत्र नदबई में नवीन पशु चिकित्सालय केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

111. विधान सभा क्षेत्र नदबई में पशु उप-केन्द्र सेदपुरा, नाहसाफी, बंजी (उच्चैन) को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर):

112. प्रदेश में हर ग्राम पंचायत पर पशुपालन विभाग द्वारा विभागीय पहल कर सरकारी गौशाला खोलने तथा प्रत्येक परिवार द्वारा एक गाय पालने पर ही सरकारी योजनाओं का लाभ दिये जाने संबंधी योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गुरदीप सिंह (संगरिया):

113. विधान सभा क्षेत्र संगरिया के पशु चिकित्सालय मालारामपुरा, हरीपुरा, किशनपुरा उतराधा एवं शाहपीनी को प्रथम श्रेणी चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने तथा पशु उप-केन्द्र, दीनगढ़ एवं बोलावाली को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने व पशु चिकित्सालय के भवन का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा):

114. बूंदी जिले में प्रथम श्रेणी के पशु चिकित्सालय रायथल के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत राशि अपर्याप्त होने के बावजूद पर्याप्त राशि स्वीकृत कर भवन निर्माण करवाने में बरती जा रही विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिए।

115. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) के पशु चिकित्सा उप-केन्द्र रनोदिया, दौलतपुरा, जटवाड़ा, श्रीपुरा, रामनगर, बम्बूलिया सहित अनेक राजकीय पशु चिकित्सालयों के लिए सरकारी भूमि एवं भवन उपलब्ध करवाने में बरती जा रही विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिए।

116. उपखण्ड मुख्यालय इटावा (कोटा) में पशु चिकित्सा विभाग का उपनिदेशक कार्यालय स्वीकृत कर संचालित करवाने में बरती जा रही विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिए।

117. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) के राजकीय चिकित्सालय बूढ़ादीत एव खातौली को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

118. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) के जिला मुख्यालय से दूर अवस्थित इटावा शहर में पशु चिकित्सा इकाइयों में जांच हेतु लैब की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अनिल कुमार शर्मा (सरदारशहर):

119. सरदारशहर के पशु चिकित्सालय का स्वर्गीय भंवरलाल शर्मा मेमोरियल पोलीक्लिनिक अस्पताल में क्रमोन्नत करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

120. विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के विभिन्न पशु चिकित्सा उप-केन्द्र व पशु चिकित्सालयों में समस्त संवर्गों के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी):

121. प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासी समुदाय के लोगों को पशुपालन हेतु अच्छी नस्ल की बकरियां-बकरे एवं मुर्गा देने के प्रावधान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

122. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पशु उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

123. विधान सभा क्षेत्र चौरासी के अमरपुरा बांध, कडाणा बांध एवं मारगीय बांध में मत्स्य पालन का कार्य स्थानीय लोगों की समितियां बनवाकर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर लाभान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमर सिंह (बयाना):

124. विधान सभा क्षेत्र बयाना के समस्त राजस्व ग्रामों में पशुओं के पीने हेतु पक्के पानी के टैंक मय बोरिंग बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

125. विधान सभा क्षेत्र बयाना के प्रत्येक राजस्व ग्राम में पशु चिकित्सा उप-केन्द्र खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

126. विधान सभा क्षेत्र बयाना के डांग क्षेत्र में पशुपालकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़):

127. प्रदेश के पशुपालकों को पशुधन खरीद के लिए ऋण देने के संबंध में चर्चा के लिए।

128. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के भवन रहित पशु चिकित्सा उप-केन्द्रों व चिकित्सालयों के भवन निर्माण करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

129. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में पशु चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

130. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में नवीन पशु चिकित्सा उप-केन्द्र स्वीकृत करने एवं पशु चिकित्सालय को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

131. प्रदेश में मत्स्य पालन हेतु अनुदान देने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अमित चाचाण (नोहर):

132. विधान सभा क्षेत्र नोहर में शिलान्यास के 20 माह बाद 16 पशु उप-केन्द्र भवनों का निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़):

133. विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में बंद पड़े पशु चिकित्सालय एवं पशु चिकित्सा उप-केन्द्रों को पुन: संचालित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

134. विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में पशु चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

135. प्रदेश में वर्ष 2022 में लम्पी रोग से असामयिक मृत्यु होने पर पशुपालकों को अनुदान राशि शीघ्र उपलब्ध कराकर राहत प्रदान करने के संबंध में चर्चा के लिए।

136. विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के लावारिस पशुओं के पुनर्वास एवं पोषण हेतु विशेष कार्ययोजना बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री कालूराम (डग):

137. विधान सभा क्षेत्र डग में वेटेरिनरी डाक्टर व पशुधन सहायक के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

138. विधान सभा क्षेत्र डग में प्रक्रियाधीन पशुओं का बीमा का लाभ किसानों को दिलाने के संबंध में चर्चा के लिए।

139. पशु अनुसंधान केन्द्र डग में पशुओं के चारे के लिए टेन्डर के प्रकाशन व अनुसंधान केन्द्र डग में डिग्गी का कार्य अपूर्ण होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

140. विधान सभा क्षेत्र डग में पंचायत समिति स्तर पर गौशाला खोलने, आवारा पशुओं से दुर्घटना होने व फसलों को नुकसान पहुंचाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा):

141. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में नवीन पशु चिकित्सा उप-केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

142. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के पशु चिकित्सालयों को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

143. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के पशु चिकित्सा उप-केन्द्रों को पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

144. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के पशु चिकित्सा उप-केन्द्र, पशु चिकित्सालय एवं प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय भवनों का निर्माण करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

145. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर विभागीय पहल कर गौशाला खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रूपाराम (जैसलमेर):

146. प्रदेश में लगातार घट रही ऊंट वंश की संख्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

147. प्रदेश में भेड़, बकरी एवं ऊंट इत्यादि पशुधन के संरक्षण के लिए FDRF में सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू):

148. चूरू जिले में पशु चिकित्सालय उपकेन्द्र में पशु चिकित्सक व पशुधन सहायक के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

149. विधान सभा क्षेत्र चूरू में पशु चिकित्सालय व उपकेन्द्र भवन रहित होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

150. प्रदेश में सरकार द्वारा घोषित पशु बीमा योजना कारगर ढंग से लागू नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री अविनाश (जैतारण):

151. विधान सभा क्षेत्र जैतारण की प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पशु चिकित्सा उप-केन्द्र खोलने व उनमें पशु चिकित्सक, पशुधन सहायक, पशु चिकित्सक सहायक की नियुक्ति करने व भवन बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

152. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में लम्पी महामारी से मृत दुधारू पशु के मालिकों को आर्थिक सहायता मुहैया करवाने व दुधारू पशुओं का

सरकार की तरफ से अनिवार्य बीमा करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

153. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में पशु चिकित्सक, पशु चिकित्सक सहायक, पशुधन सहायक के रिक्त पदों को भरने, पशु चिकित्सालयों में जरूरी दवाइयां उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज):

154. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज शाहबाद में पशु चिकित्सालय में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

155. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज शाहबाद में पशु ऋण पुन: चालू करवाने हेतु चर्चा के लिए।

श्री सतीश पूनियां (आमेर):

156. प्रदेश में बीसलपुर बांध, बड़ी तालाब (उदयपुर), सोम-कमला-अंबा (डूंगरपुर), जयसमन्द झील (उदयपुर) में अवैध मत्स्याखेट से हो रही राजस्व हानि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

157. विधान सभा क्षेत्र आमेर में नवीन पशु चिकित्सा उप-केन्द्रों की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

158. प्रदेश में पशुपालन विभाग के अंतर्गत विभिन्न संवर्गों के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

159. विधान सभा क्षेत्र आमेर के भवन विहीन प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय/पशु चिकित्सालय/पशु चिकित्सा उप-केन्द्रों को भवन उपलब्ध करवाने हेतु जमीन एवं बजट का आवंटन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

160. प्रदेश में लावारिस पशुओं के पुनर्वास एवं पोषण हेतु विशेष कार्ययोजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी):

161. विधान सभा क्षेत्र बस्सी जयपुर में पशु उप-स्वास्थ्य केन्द्र विहीन ग्राम पंचायतों में प्राथमिकता से पशु उप-चिकित्सा केन्द्र खोलने तथा पशु उप-चिकित्सा केन्द्र पालावाला जाटान, अचलपुरा व पाटन को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़):

162. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में नये पशु चिकित्सा उप'-केन्द्र तथा चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

163. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में विभिन्न श्रेणी के पशु चिकित्सा केन्द्रों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

164. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में भवन विहीन पशु चिकित्सा केन्द्रों के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

165. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के गुर्जरों का बास (ग्रा.प.नांदरी), सिनोदिया एवं सीतारामपुरा में नये पशु उप चिकित्सा केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

166. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के फुलेरा एवं किशनगढ़-रेनवाल में ''अ'' श्रेणी पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्कयता पर चर्चा के लिए।

167. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के नरायना स्थित पशु चिकित्सालय को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़):

168. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में पशु चिकित्सा केन्द्रों के भवन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

169. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में नये पशु चिकित्सा केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द):

170. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद के वंचित ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

171. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद के पशु चिकित्सालय संस्थानों में चिकित्सकों एवं सहायक कार्मिकों के रिक्त पदों को नहीं भरने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

172. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के खेत जलाशयों में मत्स्य पालन प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर):

173. विधान सभा क्षेत्र जालौर में संचालित समस्त पशु चिकित्सालयों एवं उप-चिकित्सा केन्द्रों में चिकित्सकों, पशुधन सहायकों एवं अन्य कर्मचारियों के समस्त रिक्त पद शीघ्र भरे जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

174. जालौर के उपखण्ड मुख्यालय सायला में पशु पोलीक्लिनिक खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता):

175. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के ग्रामीण क्षेत्र में नये पशु चिकित्सालय खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।
176. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में पशुपालन पर दिये जाने वाले ऋण व अनुदान राशि का समय पर भुगतान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
177. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में लम्पी स्किन बीमारी के कारण मरने वाले पशुओं का मुआवजा नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
178. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के पशु चिकित्सालयों में स्वीकृत पदों के अनुसार पशु चिकित्सक लगाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री बलवान पूनियां (भादरा):

179. विधान सभा क्षेत्र भादरा के गुणसरी गांव, भनाई पंचायत मुख्यालय तथा नांगल पंचायत मुख्यालय पर पशु उप-केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।
180. विधान सभा क्षेत्र भादरा के मलखेड़ा पशु चिकित्सालय को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
181. विधान सभा क्षेत्र भादरा के राजकीय पशु चिकित्सालय भिरानी को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
182. विधान सभा क्षेत्र भादरा के राजकीय पशु उप-केन्द्र शेरड़ा को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
183. विधान सभा क्षेत्र भादरा के राजकीय पशु उप-केन्द्र, भानगढ़ को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर):

184. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के कोटड़ी व जहाजपुर में पशु चिकित्सा अधिकारियों एवं पशु धन सहायकों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।
185. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के बोरानी ग्राम में नया पशु चिकित्सा उप-केन्द्र स्वीकृत करने तथा गाडोली ग्राम मुख्यालय पर पशु चिकित्सा केन्द्र की स्वीकृति जारी करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन):

186. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में स्थित सभी पशु चिकित्सालय पर पशुधन की बीमारियों के इलाज हेतु आवश्यकतानुसार दवाइयां उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

187. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

188. बारां, झालावाड़, कोटा व बून्दी जिलों में स्थित मत्स्य विभाग के कार्यालयों में स्वीकृत रिक्त पदों को शीघ्र भरने व विभाग की संचालित योजनाओं को समय पर पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

189. प्रदेश में जनहित में किसानों को पशुधन नि:शुल्क/अनुदान पर उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

190. कोटा व बून्दी जिलों में स्थित पशु चिकित्सालयों पर कार्यरत कार्मिकों को मूल पदस्थापन स्थान पर पुन: भेजने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।